20 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

क्रम संख्या	कालम संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	(111)	17	प्राप्त क्रमादेश	पर्याप्त क्रयादेश
2	(111)	19	लिविल	सिविल
3.	8	10	प्रश्न का	प्रश्नों के
4.	116	20	पुरपालन	पशुपालन
5	201	8	जाल	लाल
6	220	20	व्यावयायिक	व्यावसायिक
7	283	8	कृषि का लोप करें ।	
8	298	11	जगमति	जगमीत
9	355	28	क्रमादेश	क्रयादेश
10	378	नौवे से पांच	मंहोदय	महोदय
11	434	नोवे से सात	सौपुद्धीन	सैफुद्दीन

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 10, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1994/29 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181	8—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	182—200	21—56
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1905—1977, 1979—2058	
	2060—2136, 2136 क और 2136 ख	56—310
मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करने के बारे में		321—334
श्री राम विलास पासवान		321
श्री सोमनाथ चटर्जी		322
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		322—326
श्री इन्द्रजीत यादव		326
श्री राम नाईक		327
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी		327—328
श्री श्रीकान्त जेना		328—329
श्री उमराव सिंह		329
श्री सैफुद्दीन चौधरी		330
श्री गुमान मल लोढा		330—331
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		331—332
श्री विद्याचरण शुक्ल		332—333
श्री हरि किशोर सिंह		333—334
सभा पटल पर रखे गए पत्र		334—348
राज्य सभा से सन्देश		349
लोक लेखा समिति		
विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		349—350
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
(i) छत्तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		350
(ii) विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		350
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
अड़तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		350—351
याचिका समिति		
कार्यवाही सारांश—**सभा पटल पर रखा गया**		351
संचार संबंधी स्थायी समिति		
दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		351
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		351
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		352
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थाई समिति		
बारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		352

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
उद्योग संबंधी स्थाई समिति	
बारहवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	352
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) समुद्री जहाज से हज यात्रा जारी रखने की आवश्यकता	
श्री वी.एस. विजयराघवन	353
(दो) ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों (हैल्थ गाइड) की दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	353
(तीन) कन्याकुमारी और तिरुवन्तपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 की मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. डेनिस	354
(चार) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री प्रभू दयाल कठेरिया	354
(पांच) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में फरेन्दा (आनन्द नगर) में चीनी मिल को पुनः खोलने और उसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री पंकज चौधरी	354—355
(छः) जमालपुर रेल वर्कशाप को अर्थक्षम बनाने के लिए उसे प्राप्त क्रमादेश देने की आवश्यकता	
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	355
(सात) तमिलनाडु में सलेम में टेलीकॉम लिविल डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम	356
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1994-95	
श्री राम नाईक	359—360, 362—365
श्री मुकुल वासनिक	366
श्री वीरेन्द्र सिंह	367—369
श्री याइमा सिंह युमनाम	370
श्री तेजनारायण सिंह	370—372
डा. एस.पी. यादव	372—374
कुमारी ममता बनर्जी	374—376
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती	376—378
श्री सैयद शहाबुद्दीन	379—383
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	383
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	385—387
विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 1994	
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्देशखर मूर्ति	387
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	388
खण्ड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	388
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	388
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 1994-95	
श्री राम नाईक	389—391
श्री बसुदेव आचार्य	391—394
नियम 193 के अधीन चर्चा	
ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन	
श्री जसवन्त सिंह	401—419
श्री मणि शंकर अय्यर	420—444

लोक सभा

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1994 / 29, अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आज की कार्य-सूची में संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। **(व्यवधान)** संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रश्नों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें इसलिए सदन को इस बारे में सूचित करना जरूरी है कि आज सरकार ने ए.टी.आर. सदन में प्रस्तुत करने का वचन दिया था। पहले तो 19 तारीख की बात थी फिर उन्होंने एक दिन और मांगा, 20 तारीख की बात हुई। आज 20 तारीख है मगर कार्य-सूची में ए.टी.आर. का कोई उल्लेख नहीं है। क्या सरकार अपने वचन से मुकर रही है या आपको विश्वास में लेकर उन्होंने कुछ कहा है लेकिन सदन को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं समझी।

अध्यक्ष महोदय, आप यह स्थिति स्पष्ट कर दीजिए तो फिर यह प्रश्न-काल चल सकता है अन्यथा प्रश्नों में भी बाधा पैदा होगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम भी यही बात कह रहे हैं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं जिसे आप सुनना पसन्द करेंगे। कल, हमें संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई है और वे आज रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किस समय?...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, हम यह जानना चाहेंगें कि वे यह रिपोर्ट किस समय प्रस्तुत करेंगें।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको इस बारे में सभा को बताना चाहिए।...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : रिपोर्ट नहीं, तो सत्र नहीं। **(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री शुक्ल ने सभा को आश्वासन दिया है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जाएगी। **(व्यवधान)** श्री शुक्ल द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह रिपोर्ट 20 तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाएगी और हम उस बात पर दृढ़ हैं जिसका वचन हमने सभा को दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी माननीय अध्यक्ष महोदय को यह लिखा है कि उन्हें आज रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : किस समय?...**(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : हम रिपोर्ट आज प्रस्तुत करेंगे। हमने जो कहा है उसपर हम दृढ़ हैं। यदि आप अकारण इस तरह शोर मचाएंगे तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप स्थिति को हास्यास्पद बनाना चाहते हैं, तो इससे भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम अपने वचन पर दृढ़ हैं और हम आज ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने आपको सूचित किया है कि वह किस समय सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, किस समय टेबल पर रखना चाहते हैं या यह आपको तय करना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा के स्थगित होने से पहले।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख को एटीआर पेश करेंगे, इसलिए 19 तारीख को इन्होंने आपको नोटिस क्यों नहीं दिया और लिस्ट ऑफ बिजनेस में इसको शामिल क्यों नहीं किया गया?

[अनुवाद]

यदि सरकार को इस बात की चिन्ता है, तो आप इसे नियमित कार्य में शामिल क्यों नहीं करते?

श्री बसुदेव आचार्य : हमने चार बजे से पहले के लिए कहा है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि जब यह सत्र आरंभ हुआ था, उस दिन यहां पर असंतोष प्रकट किया गया था कि बीच में 3 महीने की अवधि होने के बावजूद सरकार ने अभी तक रिवाइज्ड एटीआर प्रस्तुत नहीं की है और वह असंतोष तब शांत हुआ जब सदन में सरकार ने आश्वासन दिया कि 19 तारीख को निश्चित रूप से रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी। लेकिन आज भी हम पाते हैं कि 19 तारीख को भी आपको नोटिस नहीं दिया गया, 20 तारीख को सुबह नोटिस दिया है, उसमें भी यह नहीं बताया कि किस समय रखेंगे।

[अनुवाद]

मेरा विचार है कि वे यह नहीं समझते कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिसने पूरे राष्ट्र को झंझोड़कर रख दिया है और संसद तथा जनता को कोई महत्त्व ही नहीं दे रहे हैं। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस सभा तथा देश को रिपोर्टों में रूचि नहीं है, वे कार्यवाही चाहते हैं। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

हम कुछ भी करेंगे।

[अनुवाद]

"सभा के स्थगित होने से पहले"। यह सभा को महत्त्व न देने के लिए जान बूझकर किया गवा एक और प्रयास है।

[हिन्दी]

अगर शाम को एटीआर आती है और उसमें भी यही मिलता है कि ए उसमें नहीं है, केवल मात्र शब्दावली है, केवल मात्र आर है, तो उससे यहां पर संतोष नहीं होगा।

[अनुवाद]

मेरा विरोध तो सम्पूर्ण सभा के प्रति सरकार के रवैये को लेकर है। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : क्या इसकी अनुमति दी गई है? मैं अपना असंतोष व्यक्त करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष माहोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं नहीं बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : **(व्यवधान) धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आडवाणी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सभा में व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्ष की लगातार कोशिशों के विरूद्ध इस सभा के अधिकांश सदस्यों की ओर से विरोध प्रकट करना चाहता हूं।...(व्यवधान) महोदय, मैं श्री आडवाणी जी से एक बार फिर यह अपील करना चाहूंगा कि वे अपने साथियों से सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुरोध करें।. ..(व्यवधान) क्या आपके पास एंक व्यक्ति की बात सुनने का साहस नहीं है?...(व्यवधान) आपके पास एक व्यक्ति को सुनने का साहस नहीं है। क्या आप लोकतंत्र के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे बोलने का अधिकार तभी है जब अध्यक्ष महोदय मेरा नाम लेंगे। मैं अपनी हार मानने नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं झूकूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं।** मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं। यह तो लोकतंत्र नहीं है। (व्यवधान) मैं, इस सभा के अधिकांश सदस्यों की ओर से, सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अप्रैल, 1994 से लगातार की जा रही कोशिशों के विरूद्ध अपना विरोध प्रकट करता हूं। श्री आडवाणी यह दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार इस राष्ट्र के सामने एकमात्र बड़ा मुद्दा है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। हम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जो चीनी के संबंध में है, जो प्रतिभूति घोटाले के संबंध में है अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में है जिस पर सभा का कोई सदस्य चर्चा करना चाहता हो। लेकिन हम इन मामलों पर तब तक चर्चा नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें उन पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। विपक्ष के सदस्य लगातार किसी न किसी तरीके से इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह के द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख कर रहा हूं जब उन्होंने इस सभा में यह दावा किया था कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को पुस्तकालय में रखना निरर्थक है। मैं उन्हीं की बात को उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यह एक निरर्थक बात होगी। इस निरर्थक बात की मांग किसने की थी? उनके अपने नेता ने ही यह मांग की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मांग की थी कि इस रिपोर्ट को पुस्तकालय में रखा जाए। श्री वाजपेयी ने इसके लिए कहा था। हमने मान लिया। तत्पश्चात् उनके उपनेता श्री जसवन्त सिंह उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह एक निरर्थक बात है। वे स्वयं को अनुशासित दल कहते हैं। हमने 6 दिसम्बर, 1992 को उनका अनुशासन देखा था, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरायी थी। (व्यवधान) वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। (व्यवधान) बैठ जाइए,** जब तक अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने की अनुमति देंगे, मैं बोलूंगा।** (व्यवधान) मुझे इस सभा में बोलने का अधिकार दिया गया है। मैं भा.ज.पा. के किसी भी सदस्य की तुलना में अधिक मतों से निर्वाचित हुआ हूं। मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। मुझे बोलने का अधिकार है।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री अय्यर ने मेरा नाम लेकर कुछ बातें कही हैं।

वह भी भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। उनकी सरकार भ्रष्टाचार करती भी है...(व्यवधान)

इन्होंने इसको मान लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल में नहीं जा रहा। आपको याद होगा कि जब ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के बारे में आपके कक्ष में चर्चा हुई थी तो आपने सूचित किया था कि सरकार प्रीलिमिनरी रिपोर्टें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टें रखने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सदन में मांग हुई कि रिपोर्ट रखनी चाहिए। सरकार अड़ी रही कि रिपोर्ट नहीं रखेगी तो मैंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और उसमें मैंने कहा था कि आप अपने चेम्बर में रिपोर्ट देखने का मौका

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

दीजिये लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस रिपोर्ट को सदस्यों को दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए तो ये अपना अधिकार हम सुरक्षित रखते। मगर सरकार ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। सरकार ने कहा कि हम रिपोर्ट नहीं रख सकते और इस पर प्रतिपक्ष का अड़ना स्वाभाविक था। इतनी गम्भीर रिपोर्ट है।अब वह फिर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अभी बोल रहा हूं। मैं उनसे हार गया।

[हिन्दी]

आप मुझे टोकिये मगर भाषण क्यों दे रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भाषण नहीं दे रहा हूं स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा मगर इस शर्त पर कि जब मेरी बारी आयेगी तब आप अपने साथियों को चुप रखियेगा। नहीं तो हम ही चुप क्यों करें? हमेशा आप ही हमें पीड़ित करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यदि यह मेरी पार्टी पर आरोप लगायेंगे तो मैं उनके आरोपों का खंडन करूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी जी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ये हमें अनुशासित करें। जब हम सरकार में थे तब इन्होंने किस तरह का आचरण किया था और आज भी सदन की मर्यादा को कायम रखने में आगे बढ़कर कौन काम कर रहा है, वह हम कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या आप कर रहे हैं और मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी ने जो बात कही है उसमें कोई शक नहीं है। वाजपेयी जी हाऊस चलाने में हमेशा ही मदद कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्टीकरण पूरा नहीं करने दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य के पूरा होने के बाद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने यह रास्ता निकाला कि रिपोर्ट लाइब्रेरी में रख दी जाये। पर यहां जब आपके सामने चर्चा हो रही है कि लाइब्रेरी में ही रिपोर्ट रखना काफी नहीं है। रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये। रिपोर्ट सब सदस्यों के हाथ में होनी चाहिये। मगर इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कही हैं वह कार्यवाही में नहीं जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, इन्होंने मेरे नाम का कुछ उल्लेख किया।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल से सम्मान करता हूं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और इस सभा में उनका व्यवहार सदैव उत्कृष्ट रहता है। मैं हमेशा उन्हें अपना गुरू मानता हूं क्योंकि मैं पीछे बैठने वालों में से हूं। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का इस सभा में जो अच्छा व्यवहार है उसका मुझसे पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को भी अनुसरण करना चाहिए। मुझे अपने विचार व्यक्त करने से रोका जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी मुझे बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? श्री आडवाणी के सहयोग से मुझे बोलने का अवसर मिला और मैंने बोलना आरम्भ किया। परन्तु मैं जब ऐसा एक भी वाक्य बोलता हूं जिसमें उनकी जरा सी भी आलोचना हो तो वे मुझे बोलने से रोकते हैं। महोदय, मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सभा में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाए। मैं श्री आडवाणी जी की इस बात से सहमत हूं कि चूंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा राष्ट्रीय कार्यसूची में शीर्ष पर है इसलिए सभी इस पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। हम भी इस मुद्दे के बारे में उतने ही चिंतित हैं जितना कि वे हैं। लेकिन महोदय, इस सभा में हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जब इसके लिए अवसर दिया जाए और अवसर महोदय आपने दिया है किसी और ने नहीं। आप स्वयं भी इस कार्य के लिए पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं। इसके लिए अनेक परंपराएं, नियम, कानून, प्रक्रियाएं तथा पूर्वोदाहरण हैं। आप इनके अनुरूप ही प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। संशोधित कार्यसूची सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती है। संशोधित कार्य-सूची लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें 'की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन' पर चर्चा करने अथवा उसे प्रस्तुत करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि सत्ता पक्ष द्वारा सभा को दिए गए इस आश्वासन को,

समक्ष रखते हुए कि इस माह की 20 तारीख तक 'की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी संशोधित प्रतिवेदन' प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आपको एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह आश्वासन दोहराया गया था कि 'की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी संशोधित प्रतिवेदन' सभा का सत्र समाप्त होने से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस समय प्रश्न काल होना चाहिए था, हमें चर्चा करनी चाहिए थी और यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। हम यह आशा कर रहे थे कि सभा प्रश्न काल में प्रश्नों पर चर्चा करेगी और 12.00 बजे से हमें सभा में अन्य विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। अब संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं। मैं आपके माध्यम से इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अगले चालीय मिनट तक सभा में निर्धारित कार्यसूची के अनुसार प्रश्नों पर चर्चा होने दें और उसके बाद मेरा यह अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री सभा में यह स्पष्ट करें कि वे प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेंगे। परन्तु मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही नियमित रूप से चले, जिसमें विपक्ष द्वारा बार-बार व्यवधान डाला जाता रहा है। मेरे विचार में इस संबंध में केवल यही कार्यवाही की जा सकती है कि विपक्ष को अनुशासन में रहकर उन नियमों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए जिन्हें आप हर सत्र के प्रारंभ में हमें परिचालित करते हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत जो दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाना होता है उसे दस्तावेज को सभा पटल पर रखने सम्बन्धी नोटिस के साथ भेजा जाना चाहिए। मंत्रिमंडल द्वारा इस दस्तावेज पर विचार करने के बाद कुछ पुनः मुद्रण आवश्यक था और उसमें कुछ समय लग गया तथा अब मुद्रित प्रतियां मिल गई हैं और संशोधित 'की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन' आज दोपहर 2.30 म. प. को सभा पटल पर रख दिया जाएगा। महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सभा की उपेक्षा नहीं करते हैं जैसा कि कुछ सदस्य करते हैं। हम इस सम्बन्ध में बहुत गंभीर हैं...**(व्यवधान)** हमने यह वायदा किया था कि इसमें हम 20 तारीख से अधिक विलम्ब नहीं करेंगे और हम अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं तथा विपक्षी माननीय सदस्यों का यह कहना कदापि अनुचित है कि हम इससे बचना चाहते हैं या इसमें विलम्ब करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि दस्तावेज को पुनः मुद्रित करवाने की आवश्यकता न होती तो हम इसे 12.00 बजे ही प्रस्तुत कर देते। इससे केवल 2.30 घंटे का विलम्ब हो गया है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द कहे, हमने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। हम भी इनको ऐसे शब्द बोल सकते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 181

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहेंगे, इसमें सिविल सप्लाई मिनिस्टरी का भी नाम है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक पत्र मिला है। श्री भारद्वाज इसका उत्तर देंगे।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : यह पत्र किसने भेजा है?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने भेजा है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कुछ सुधार हुआ है!

प्रश्न का मौखिक उत्तर

11.26 म.पू.

[हिन्दी]

कृषि भूमि

+

***181. श्री रामपाल सिंह** :
डा. असीम बाला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कुल कृषि योग्य, कृषि के अन्तर्गत तथा सिंचित भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि योग्य भू-भाग में भारी कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना बनाई है;

(ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1996 और उसके बाद कितने क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने का अनुमान लगाया गया है; और

(च) कृषि योग्य समूची भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिऐ यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तो वह क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है :—

विवरण

(क) से (ग). वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कृष्ट, कृष्य और सिंचित भू-क्षेत्र (अद्यतन उपलब्ध) को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक को तीन वर्ष की अवधि के

दौरान देश में कुल कृष्य क्षेत्र 184.73 मिलियन है; से मामूली सा घटकर 184.35 मिलियन हैक्टेयर हो गया जिसका कारण गैर-कृषि उपयोगों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि होना है।

(घ) सरकार कृष्य बंजर भूमि के सुधार तथा सिंचाई की सुविधाएं सुलभ कराकर परती भूमि को कम करके देश में कृष्य क्षेत्र में वृद्धि करने के वास्ते विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

(ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिए गए सिंचाई विकास के संदर्श के अनुसार, देश में 1995 के लिये कुल सिंचित क्षेत्र 77 मिलियन हैक्टेयर तथा वर्ष 2000 ईसवी तक यह क्षेत्र 84 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान था। लेकिन, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अनुमानित समग्र सिंचाई क्षमता 110 मिलियन हैक्टेयर है।

(च) कुल कृष्य भूमि को सिंचाई अधीन लाने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

अनुबंध

कृष्ट, कृष्य और सिंचित क्षेत्र-1990-91

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कृष्ट क्षेत्र	कृष्य क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	13507	15926	4305
अरुणाचल प्रदेश	174	267	31
असम	2794	3229	572
बिहार	9467	11129	3347
गोवा	131	222	20
गुजरात	10328	12312	2493
हरियाणा	3744	3768	2599
हिमाचल प्रदेश	628	816	99
जम्मू व कश्मीर	828	1045	296
कर्नाटक	11671	12891	2113
केरल	2291	2447	333
मध्य प्रदेश	20320	22825	4314
महाराष्ट्र	18810	21001	2036
मणिपुर	140	164	65
मेघालय	261	1074	46
मिजोरम	248	584	8
नागालैंड	308	642	59
उड़ीसा	6423	8093	1934
पंजाब	4308	4375	3910
राजस्थान	18191	25707	3904
सिक्किम	99	114	16
तमिलनाडु	6843	8411	2373
त्रिपुरा	271	312	41
उत्तर प्रदेश	18383	20846	10542
पश्चिम बंगाल	5729	6932	911
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38	75	
चण्डीगढ़	3	3	2
दादरा एवं नगर हवेली	24	24	2
दमन और दीव	4	7	1
दिल्ली	50	70	38
लक्षयद्वीप	3	3	–
पाण्डिचेरी	30	34	22
समस्त भारत	156041	184348	47434

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : माननीय अध्यक्षजी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। माननीय मंत्रीजी ने जवाब में बताया है कि कृषि क्षेत्र घट रहा है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न में भी कमी आ रही है। जबकि तमाम जंगल कट गया है, इससे तो कृषि क्षेत्र को बढ़ना चाहिए था। जब कृषि क्षेत्र घटता जायेगा तो हमें खाद्य वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई षडयंत्र रचा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र घटे जिससे हम आयात कर सकें। इससे और घोटाले होंगे, जैसे कि अभी चीनी के आयात में हुआ है। कृषि क्षेत्र को बढ़ना चाहिए, जबकि जंगल कट रहे हैं। जो शहर बस रहे हैं, नये औद्योगिक क्षेत्र बस रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या कृषि मंत्रीजी ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिससे कृषि क्षेत्र आगे न घटे?

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है कि 1987-88 से 1990-91 के बीच में 184.73 मिलियन हेक्टेयर से 184.35 मिलियन हेक्टेयर अर्थात् 8.38 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि अर्बन एरिया में कुछ जमीन का ट्रांसफर हुआ है। यह आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने अपने-अपने कानून बनाये हैं जिससे खेती की जमीन दूसरे कामों के लिए कम से कम स्थानांतरित हो।

श्री रामपाल सिंह : मैंने कृषि मंत्रीजी से जानना चाहा था कि क्या केन्द्र ने ऐसा कोई कानून बनाया है कि कृषि क्षेत्र की जमीन न घटे? राज्य सरकारों ने अपने-अपने कानून बनाये हैं, वह अलग बात है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि मंत्रीजी ने जवाब में कहा है कि 1990-91

में 184348 हेक्टेयर में से 47434 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है। लगभग 25 प्रतिशत एरिया सिंचित हो रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग के जवाब में आपने कहा है कि 1995 में 77 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हो जायेगा। इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रीजी बतायें कि कैसे 1995 में 77 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हो जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके द्वारा ज्ञात कराना चाहता हूं कि सन् 1950 और 51 के पश्चात् सिंचाई में लगातार वृद्धि होती रही है। यह 20 मिलियन हेक्टेयर से लेकर 47 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। नई योजनायें आ रही हैं, नये आयाम बन रहे हैं, हमारी जो राष्ट्रीय कृषि नीति है उसके हिसाब से वर्ष 2000 तक 110 मिलियन हेक्टेयर तक का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी है हमारे पास, उसका अनुपात आप देखें तो उसमें बढ़ता चला जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : मिलियन क्या होता है।

श्री बलराम जाखड़ : दस लाख का एक मिलियन होता है। उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, हम हिन्दी में पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी हिन्दी में बताएं कि मिलियन क्या होता है–अरब होता है, खरब होता है, करोड़ होता है, लाख होता है?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न पूछने का समय आए तो पूछें।

श्री बलराम जाखड़ : हम उनको हिसाब भी सिखायेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन से एक विनती करना चाहता हूं और शुरू से ही मैंने कई बार निवेदन किया है कि आप कृषि नीति पर बहस करा लें जिससे कुछ समाधान हो सके। आपके कुछ विचार हों तो वह भी उसमें आ जाएं। देश की 70 प्रतिशत जनता आपकी तरफ देखती है कि आप कुछ करेंगे, लेकिन उसके मुताल्लिक कुछ नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप सारे घोटाले बंद कीजिए। नियमों से सरकार चले। भ्रष्टाचारियों का सरकार बाहर निकाले।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : आप भ्रष्टाचार बंद करा दें। घोटाला करने वालों को बाहर निकालें।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? मैंने एक अच्छी बात के लिए विनती की है। अगर इसका कुछ समाधान हो तो अच्छा रहेगा।...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : अभी तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री चाहते हैं कि कृषि नीति पर बहस हो। इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए यह हम लोगों की मांग है। सरकार इसे नहीं मान रही है। हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार पर दबाव डालें कि कृषि नीति पर बहस के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मैं कहना चाहता था कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 20 मिलियन से 47 मिलियन तक पहुंचे हैं और हमारे पड़ोस में विद्याचरण शुक्ल जी बैठे नहीं है। वे सिंचाई के मंत्री हैं। उन्होंने जो पोलिसी बनाई है...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : उनके हिसाब से जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, और जो प्रोजैक्ट बने हैं, उनके हिसाब से सिंचाई के आंकड़े ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि वह उस हिसाब से लगाते हैं जितना पानी रिलीज करते हैं और जितने पानी के लिए प्रोजैक्ट बना है। लेकिन सिंचाई वास्तव में कितनी होती है उसका थोड़ा सा फर्क है। इसलिए वह कहते हैं कि 75 मिलियन यानी साढ़े सात करोड रुपए। लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारे आंकड़े आते हैं, वह स्टेट गवर्नमेंट से पटवारी जाकर करता है और उससे ज्यादा सिंचाई के आंकड़े कोई और प्राप्त नहीं हो सकते। कोई तीन साल में आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं। उनके हिसाब से हमारे पास 62 मिलियन है यानी साढ़े छह करोड़। आईन्दा फिर हम तरक्की करते रहेंगे। सिंचाई के लिए मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं कि हम नये तरीके अख्तियार कर रहे हैं जिससे बूंद–बूंद की सिंचाई और फव्वारे की सिंचाई के लिए अनुदान की व्यवस्था हो रही है। 50 प्रतिशत अनुदान साधारण किसान के लिए देंगे और 75 प्रतिशत अनुदान हम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए देंगे। वह काम करने से मेरे ख्याल में जो अंदाजा लगाया गया, उससे भी बहुत ज्यादा सिंचाई हो जाएगी। उससे फायदा भी होगा। डबल सिंचाई के साथ–साथ प्रोडक्शन में भी डेढ़ गुना इजाफा हो जाएगा।

श्री रामपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसका कुछ साफ उत्तर नहीं मिला कि 25 से 42 परसेंट बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

श्री बलराम जाखड़ : इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। एक फसल होती है और अनेक में दो फसल होती है। जब सिंचाई बढ़ाई जाती है तो डबल फसल हो जाती है वरना हम उसको खाली रखते हैं। इसलिए मैं बताऊं कि 1950–51 में हमारे पास सवा दो करोड़, तकरीबन दो करोड़ तीस लाख एकरेज था जो खाली रखते थे। फिर हमने उसको साढ़े सत्रह में कर दिया। 1990–91 में आकर वह 15 से 9 पर आ गया। हमने तरक्की कर ली। जितना दोबारा सिंचाई करने में डबल फसल लेने में और उसको मल्टिपल क्रोपिंग करने में कर दिया, उससे कम होती है।

ये सारी सुविधाएं सिंचाई के कारण होती हैं। सिंचाई ज्यादा होती है तो फसल एक के बजाय दो हो जाती है और कई जगह जो अच्छे

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किसान होते हैं वे शॉर्ट टर्म की फसल करते हैं उसमें तीन फसल भी हो जाती है। वे मल्टीक्रोपिंग पैटर्न अपनाते हैं जिससे सुविधा हो जाती है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल लैंड बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सवाल है, इरिगेशन मिनिस्ट्री का नहीं है। डा. असीम बाला।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री असीम बाला, कृपया

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : माइक के लिए बटन दबाइए... **(व्यवधान)**

डा. असीम बाला : महोदय, माइक काम नहीं कर रहा है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट से बोल रहे हैं?

डा. असीम बाला : जी हां महोदय, यह मेरी सीट है... **(व्यवधान)**

मैं बटन भी दबा रहा हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

डा. असीम बाला : कितनी आबंटित भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो अतिरिक्त भूमि दी गई है, उसमें से कितनी भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यदि इसका उत्तर देना उनके लिए कठिन है तो मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं। सरकार की क्या योजना है? वास्तव में आपके आंकड़ों के अनुसार सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अवधि-वार आपकी सापेक्ष योजना क्या है? आपने वह जानकारी नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : सापेक्ष योजना किसके लिए?

डा. असीम बाला : सिंचाई के लिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सिंचाई के बारे में नहीं है। यह प्रश्न कृषि के संबंध में है।

डा. असीम बाला : महोदय, मैं सिंचित भूमि के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि वे कृषि योग्य भूमि को किस प्रकार से बढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सिंचाई को किस प्रकार बढ़ाया जायेगा, तो यह प्रश्न सिंचाई मंत्रालय को जायेगा।

डा. असीम बाला : महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गैर-सिंचित क्षेत्र का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जानकारी दे सकते हैं क्योंकि वह कुछ जानकारी चाहते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : जानकारी यह है कि 'सिंचित क्षेत्र' और 'गैर-सिंचित क्षेत्र' में अन्तर है। उसमें हमेशा से अन्तर रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के ई और एफ भाग में यह साफ पूछा गया है कि—

[अनुवाद]

(ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1996 और उसके पश्चात् कितने क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाने का अनुमान लगाया गया है; तथा

(च) कृषि योग्य समूची भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है?

[हिन्दी]

मैं इसी प्रश्न का उत्तर मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने दिए हैं उसके मुताबिक पूरे देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसकी एक चौथाई भी सिंचित भूमि नहीं है और आपने अपने जवाब में यह कहा है कि सरकार ने कोई अवधि निश्चित नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक सारी कृषि योग्य भूमि को सिंचित बना दिया जाएगा? आपने अपने जवाब में कहा कि सन् 2050 तक आशा है। 50 साल में तो आप एक चौथाई कर नहीं सके और 2050 तक आप पूरा करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की नई कृषि नीति में सिंचाई के महत्व को देखते हुए, जिससे कि पैदावार दो-तीन गुना ज्यादा हो, इसको देखते हुए आप राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाकर अवधि निश्चित करेंगे? और अब तक जो कदम उठाए गए उनमें सफलता नहीं मिली है इसलिए क्या यह सदन नई योजना बनाएगा ताकि पूरी भूमि को सिंचित भूमि बनाकर देश की पैदावार को बढ़ाया जा सके। मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : हमारे नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक नोट तैयार किया है जिसके अनुसार हमारे यहां जो सरफेस और ग्राउण्ड वाटर है, उसके आधार पर एक प्लान तैयार किया गया है, उसमें एरिया-वाइज आंकड़े दिये गये हैं। उसमें बताया गया है कि 1950-51 में हमारे पास 16 मिलियन हैक्टेयर भूमि सरफेस वाटर के अंडर थी और 7 मिलियन हैक्टेयर भूमि ग्राउंड वाटर के अंडर थी जो कुल मिलाकर 23 मिलियन हैक्टेयर बनती है। उसके बाद 1990-91 में 41 मिलियन हैक्टेयर भूमि सरफेस वाटर के अंडर थी और 28 मिलियन हैक्टेयर भूमि ग्राउंड वाटर के अंडर थी, जिसका टोटल 69

मिलियन हैक्टेयर बनता है। उसके आगे 2025 के आंकड़े बताये गये हैं और नेश्नल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का कहना है कि 2025 तक 80 मिलियन हैक्टेयर भूमि सरफेस वाटर के अंडर आ जायेगी और 40 मिलियन हैक्टेयर ग्राउण्ड वाटर के अंतर्गत आ जायेगी। आज तक हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, हम 33 परसेंट तक पहुंचे हैं, 25 परसेंट पर नहीं। समझने के लिये आप तकरीबन इतना समझ लीजिये कि 1995 के जो एस्टीमेटिड आंकड़े थे वे 77 मिलियन हैक्टेयर थे लेकिन हमारे हिसाब से इस वक्त हम 67 मिलियन हेक्टेयर तक ही पहुंचे हैं।

[अनुवाद]

वर्ष 1992-93 में सृजित सिंचाई क्षमता 83.48 मिलियन हैक्टेयर तक पहुंच गई है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार अब प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 75.12 मिलियन हैक्टेयर है। स्थिति इस प्रकार है।

[हिन्दी]

एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया, जितना प्रोजैक्ट के हिसाब से पानी रिलीज किया जाता है, उतना पानी मिलता नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े आते हैं, वे पटवारी द्वारा दिये गये होते हैं जो राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठा करके हमें भेजे जाते हैं उनसे हमें पता चलता है कि कितनी भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ गयी है और कितना वाकई में काम हो रहा है, डबल हुआ है या तीन गुना हुआ है। उसके हिसाब से 61 या 62 प्वांइट आते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया, हमारा प्रोग्राम यह है कि जिस तरीके से भी हो, हम सिंचाई को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है, उसका मैक्सिमम उपयोग करके, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके इन दोनों चीजों को मिलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि आपकी सद्इच्छा तो है लेकिन काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिये क्या मंत्री जी सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे, राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इन सारी बातों को सोचकर ही प्रोग्राम बनाया है और उसके आधार पर ही हम कृषि को बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नई नीति मैं इसमें शामिल कर रहा हूं उसमें स्प्रिंकलर इर्रीगेशन, डिप-इर्रीगेशन से हमारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। उससे न केवल हमारी जमीन की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी बल्कि उर्वरकता भी बढ़ेगी, जमीन की हैल्थ भी बढ़ेगी और आगे के लिये ठीक रहेगा। यहां राजस्थान के जितने माननीय सदस्य हैं, उनसे आप पूछिये कि इंदिरा गांधी कैनाल के अंतर्गत कमाण्ड एरिया में कई ऐसी जगह है, वहां भूमि में सैलिनिटी या नमकीनपन आ गया है। मुझे उससे डर यही लगता है कि नर्मदा सागर में भी जब फ्लड इर्रीगेशन आयेगा तो कहीं वैसी ही स्थिति न आ जाये। उसके बारे में हमने इर्रीगेशन महकमे को तथा सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भी सचेत कर दिया है और प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में भी इस चीज को ला दिया है। वे एग्री करते हैं कि हमें सिंचाई ठीक ढंग से करनी चाहिये जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े, सिंचाई भी बढ़े और भूमि भी ठीक रहे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इसका सम्बन्ध भी सिंचाई से है। संभवतः, कृषि मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है और सिंचाई मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से यह जांच करने के लिए कह रही हूं कि क्या यह सच है—मैं जानती हूं कि यह सच है—कि पश्चिम बंगाल द्वारा सरकार को दो महत्वपूर्ण योजनायें भेजी गई हैं और अब वे वित्त मंत्रालय के पास लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, महोदय।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री इस सम्बन्ध में उनसे बात करेंगे और यथाशीर्घ उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेंगे? इससे हमें सिंचाई में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हालांकि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी फिर भी हमारी मदद का प्रयास करने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : खैर, इसने मुझे बड़ी अजीब स्थिति में डाल दिया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है कि कितने हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जायेगा। अगर कोई अनुमान लगाया गया है तो उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा संबंधित राज्यों को क्या निर्देश दिये गये हैं?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मेरे विचार में, मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गये जवाब से मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि क्षेत्र का लगभग 99 प्रतिशत भाग सिंचाई के अन्तर्गत लाने में समर्थ थे। लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए अभी भी ऐसा करना बाकी है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 24 हैक्टेयर भूमि अभी भी सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत लाई जानी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस शताब्दी के अन्त तक प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता केवल 0.15 हैक्टेयर तक आ रही है, इन राज्यों की, जहां बहुत सा क्षेत्र कृषि योग्य बनाया जा सकता है, मदद करने के लिए कौन से विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इन राज्यों की सहायता किस प्रकार करना चाहती है। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार राज्यों को चकबन्दी कराने में किस प्रकार मदद करेगी जो कि

उत्तर प्रदेश में तो की जा चुकी है लेकिन कई राज्यों में यह कार्य अभी भी करना बाकी है। मैं माननीय कृषि मंत्री से ठोस उत्तर चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में यह राज्यों का उत्तरदायित्व है। राज्यों को ऊपर उठना है। उन्हें स्वयं अपनी मदद करनी है। पंजाब में 1965 में ही पूर्ण चकबन्दी हो गई थी। हरियाणा के मामले में भी यही स्थिति है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां राज्यों ने यह कार्य शुरू कर दिया है। यह प्रयास केवल उन्होंने ही शुरू किया है क्योंकि यह विभाग पूर्ण रूप से राज्यों से संबंधित है। हम तो उत्प्रेरक हैं। हम हर प्रकार से राज्यों की मदद करने का प्रयास करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई योजनायें हैं?

श्री बलराम जाखड़ : हमने जिन कदमों पर भी विचार किया है, राज्यों के लिए हमारी मदद हमेशा उपलब्ध है। मैं मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों को चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमने पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाया था। वे नहीं आये। इसमें हमारा दोष नहीं है। वे हमारी सहायता लेना नहीं चाहते थे। उन्हें अवश्य ही आगे आना चाहिये और चर्चा करनी चाहिये तथा आगे बढ़ने के तरीके और साधनों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिये।

श्री एस.बी. सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, बड़े राज्यों और छोटे शहरों के आसपास की भूमि को इमारतें इत्यादि बनाने के लिए गैर-कृषि भूमि के अन्तर्गत लाया गया है। लाखों एकड़ भूमि को पहले ही इमारतों और अन्य स्थानों के अंतर्गत लिया जा चुका है। जैसी कि हमें उम्मीद थी, परती भूमि को कृषि के अन्तर्गत नहीं लाया जा रहा है। हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विशेष योजनाओं में तेजी लानी चाहिये। क्या केन्द्र सरकार के पास परती भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने और आसपास के शहरों में उर्वरा भूमि को इमारतें बनाने के लिए गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने पर रोक लगाने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए कोई मास्टर प्लान है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, हमारी यह नीति है कि किसी भी उपजाऊ भूमि को अधिगृहित नहीं किया जाना चाहिये। हमने ऐसा ही करने का प्रयास किया है। लेकिन जहां ऐसा करना असंभव हो जाता है, वहां राज्य सरकारों को यही करना पड़ता है। मेरे विचार में पिछले तीन वर्षों में बहुत ही कम भूमि को इस प्रकार अधिगृहित किया गया है। आप वृद्धि और विकास को नहीं रोक सकते। और उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, कि सारी कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें अवश्य करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, कृषि, सिंचाई और खाद ये तीनों अलग-अलग विभाग हैं जिसके कारण कई बार यहां पर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि इसका उत्तर फलां मंत्री देगा और इसका उत्तर फलां मंत्री देगा, परन्तु किसान की स्थिति यह है कि जब कृषि की बात आती है तो, कृषि मंत्री जी जवाब देते हैं और जब सिंचाई की बात आती है, तो हमें शुक्ल जी के पास जाना पड़ता है और खाद के लिए किसी और मंत्री के पास। मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने कृषि का सर्वेक्षण करवाया है और आपके राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी सर्वेक्षण किया है, तो कृषि मंत्री जी आपने इन सब चीजों की जांच करके क्या यह तय किया है कि जहां कैनाल नहीं हैं, वहां पर क्या सिंचाई मंत्री जी को कैनाल की सुविधा प्रदान करने के लिए या वहां पर ट्यूबवैल लगाने के लिए आपने कहा है? आप यहां पर खाली जमा खर्च की बातें मत करिए बल्कि यह बताइए कि ऐसी कितने प्रतिशत खेती है जहां एक बूंद भी पानी नहीं है या सिंचाई के लिए नहर नहीं है? उनमें आप क्या करायेंगे। क्या सिंचाई मंत्रालय से आप आग्रह करेंगे कि वहां पर तुरंत नहरों की व्यवस्था की जाये या सरकारी ट्यूबवैल लगाये जायें?

श्री बलराम जाखड़ : आप बिल्कुल सही बात कहते हैं कि आपने कृषि मंत्रालय के साथ हमदर्दी दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूं और आपकी भी करवाना चाहता हूं कि हम जितनी सिंचाई बढ़ा सकें, वह उतना ही आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए अच्छा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने परत भूमि को कृषि योग्य बनाने की जो योजना बनाई है, उसके अन्तर्गत सिंचित साधनों का अभाव रहा है, इसलिए वह भूमि परत भूमि है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस परत भूमि में सिंचित साधन कम होने की वजह से आप वहां पर किस तरह की फसल उगाने की योजना बना रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : जहां पर जैसी भूमि होती है या जैसे साधन उपलब्ध होते हैं, उसी के हिसाब से वहां खेती की जाती है। जहां कम पानी होता है, वहां कम पानी के हिसाब से खेती करते हैं और जहां ज्यादा पानी होता है, वहां पर हम सघन खेती करते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसान, दोनों का संबंध बहुत ही अपरिहार्य है। वह एक दूसरे के अभाव में दोनों अधूरे हैं। आज किसानों के मन में कृषि के प्रति निराशा और अनिच्छा है क्योंकि किसान अपने को खुशहाल नहीं पा रहा है। कृषि के प्रति रूचि पैदा हो, इसके लिए किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवाइयों के मूल्य जिस परसेंटेज पर बढ़ते हैं, उसे खेती की लागत को देखकर पैदावार का मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। क्या इन सभी उपकरणों और सामग्रियों की कमी तथा उनके मूल्य वृद्धि के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए सरकार मूल्य निर्धारित करने की कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो सके या उसे लाभ मिल सके?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत बार इसी सदन में इस बात का जवाब दिया गया है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि किसानों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। चाहे जमीन की कीमत हो, ट्रैक्टर हो, हल हो,

उसकी अपनी कमाई हो, खाद हो, पेसटीसाइड हो या जिस भी चीज की आवश्यकता है, वे उसमें शामिल की गयी हैं और उसी के अनुपात से उसका मूल्य तय किया जाता है। लेकिन कभी-कभी तकलीफ इस बात की होती है...**(व्यवधान)**

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : आप तो धीरे-धीरे खाद की सबसिडी खत्म करते जा रहे हैं इससे गरीब किसानों का बहुत अहित हो रहा है। एक तरफ तो आप कम सुविधायें देते हैं और दूसरी तरफ आप सबसिडी भी खत्म कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको सवाल पूछने को दिया है। आप तरीके से अपना सवाल पूछिये।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब यह नहीं है। सरकार एक तरफ तो सबसिडी खत्म कर रही है।. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत बेढ़ंगा मामला है।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : आप हमेशा टोकते रहते हैं। आप मुस्करा कर तो बोलिये। अध्यक्ष महोदय क्या बोलें आपको। मुस्करा कर बोलने पर आपकी समझ में नहीं आता।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसी के अनुसार मैं कार्य करता हूं और मैं उनकी इसमें सहायता भी चाहता हूं। आप जो कहते हैं, उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कुछ भी नहीं होता है।

श्री बलराम जाखड़ : उनसे बात करने दीजिये, मुझे उनके सवाल का जवाब देने दीजिये। आप जो कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं और उसी के अनुसार मैं कार्य करता हूं।...**(व्यवधान)** आप बीच में क्यों टोक रहे हैं। आपके हिसाब से तो कभी भी नहीं आएगा।. ..**(व्यवधान)** आपने कभी खेती की हो तो आपको पता चले। यह तो खेती करने वाले को ही पता होता है।...**(व्यवधान)**

यह तो नेकी करने वाले को ही पता है कि क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ कागज पर खेती करने वाले को सवाल नहीं पूछने दे रहा हूं, खेती करने वाले को दे रहा हूं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ इसके पहले भाग का जवाब दीजिये।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : प्रश्न यह पैदा होता है कि सारी चीजें जो आपने कही हैं। उनका जोड़ निकाला जाएगा और उसके अनुपात से भाव दिया जाएगा।...**(व्यवधान)** जिस प्रकार से दो सालों में किसानों को मैंने भाव दिए हैं, वह आज तक नहीं दिए गए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषकों को गहन खेती के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के किसानों को 75 प्रतिशत राजसहायता दी जायेगी। सरकार ने जो यह कदम उठाया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

भारतीय संविधान को मद्देनजर रखते हुए, जहां महिलाओं को समाज के कमजोर वर्ग के रूप में माना जाता है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे महिला किसानों को, जो संविधान के अनुसार समाज का कमजोर वर्ग है, 75 प्रतिशत राजसहायता की सुविधा प्रदान करेंगे।

महोदय, देश में हरित क्रांति लाने के लिए हम वैज्ञानिकों, कृषकों और सभी लोगों को बधाई देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि महिलायें कृषि श्रम का 60 प्रतिशत से भी अधिक हैं, और हरित क्रांति भी उनके ही परिश्रम और प्रयासों का फल है।

हालांकि कृषक महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है लेकिन फिर भी देश में महिला किसान हैं, जो कृषि उत्पादन में योगदान देती हैं। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए हमें उन्हें समाज का कमजोर वर्ग मानना चाहिये और मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उनके प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए महिला किसानों को भी 75 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब साधारण सा प्रश्न यह है कि क्या आप महिलाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहानुभूति रखता हूं।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : फिर 'हां' कहिये।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सारा श्रेय उन्हें दूंगा क्योंकि उनका यह कहना ठीक है कि गांवों में कृषि श्रम का अधिकांश भाग महिलायें हैं और वे पुरूष किसानों से भी अधिक मेहनत करती हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय आप कागजों पर कृषि कार्य करिये।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृषि नीति के प्रति बहुत सचेत हैं और इनकी सद्भावनाएं हर विषय पर किसानों के प्रति रहती हैं। देश में अनेक ऐसे कृषि क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड और मध्य प्रदेश का बहुत सा सटा हुआ इलाका, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में नेपाल की तलहटी से लगे हुए क्षेत्र, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और स्थानीय किसान या सरकार उन सिंचाई सुविधाओं को अपने स्रोतों से उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं जिसके

कारण बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि से वंचित है और किसान परेशान हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि नीति या कृषि आयोग में आपने उन क्षेत्रों को आईडैन्टीफाई किया है? यदि किया है तो क्या केन्द्र सरकार उस तरफ कोई विशेष रूचि लेकर प्रदेश सरकारों की सहायता करने का कोई कार्यक्रम बनाना चाहती है?

श्री बलराम जाखड़ : यह तो इर्रीगेशन के लिए है।... **(व्यवधान)** मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनके लिए चेष्टा करनी चाहिए ताकि हम उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकें।... **(व्यवधान)** हम सरकार की तरफ से जितनी सहायता कर सकते हैं, उसके लिए तत्पर हैं।

श्री मेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने कहा कि वे नई राष्ट्रीय कृषि नीति को तय करने जा रहे हैं। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों पर आदिवासियों ने 15-20 सालों से कब्जा कर रखा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह जमीन कृषि नीति के तहत रिकार्ड में आई है? यदि नहीं आई है तो क्या उसे रिकार्ड में लाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : कृषि नीति किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, कृषि के लिए है। वह तैयार भी कर ली गई है। वह तो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। कैबिनेट ने ऐप्रूव कर दी है।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा क्वश्चन दूसरे नम्बर का है, मैंने उसी के लिए सप्लीमेंटरी क्वश्चंस तैयार किये हैं।...**(व्यवधान)**

डा. छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की भूमि असिंचित है, जिनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वह अपनी भूमि में सिंचाई का साधन करना चाहते हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार उनको सब्सिडी देकर उनके कार्य में सहयोग करेगी?

श्री बलराम जाखड़ : बिल्कुल करेगी। सारी रात रामायण होती रही और सबेरे पूछने लगे कि सीता कौन थी। हम वही तो कह रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेल-दुर्घटनाएं

***182. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार माह दौरान रेल दुर्घटनाओं और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं में हुई जान-मान की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1993-94 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 4 महीनों की अवधि अर्थात् अगस्त से नवम्बर, 1994 तक गाड़ियों की पटरी से उतरने की घटनाओं सहित गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं सहित गाड़ी दुर्घटनाओं के रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	अगस्त-नवम्बर, 1994		अगस्त-नवम्बर, 1993	
	कुल दुर्घटनाएं	गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं	गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं
मध्य	23	19	19	15
पूर्व	8	8	19	14
उत्तर	22	20	24	15
पूर्वोत्तर	8	5	11	8
पूर्वोत्तर सीमा	21	21	12	11
दक्षिण	24	12	17	14
दक्षिण मध्य	21	19	18	17
दक्षिण पूर्व	30	27	31	30
पश्चिम	19	15	23	11
जोड़	176	146	174	135

बहरहाल, 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से नवम्बर, '94) के प्रथम 8 महीनों में दुर्घटनाओं और गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की समग्र स्थिति में क्रमशः 4 प्रतिशत और 1 प्रतिशत का सुधार परिलक्षित हुआ है।

(ग) अगस्त से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(1) रेल कर्मचारियों की गलती से	111
(2) 'रेल कर्मचारियों से इतर' व्यक्तियों की गलती से	16
(3) तोड़-फोड़ और आकस्मिकताएं	7
(4) उपस्कर की खराबी से	14
(5) कारण, जो सिद्ध नहीं हो सके	4
(6) जिनकी जांच की जा रही है	24

(घ) इन दुर्घनाओं में 69 व्यक्तियों की जानें गईं तथा रेल सम्पत्ति का लगभग 18.15 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों अथवा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 3,78,500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। बहरहाल, मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को मुआवजे का भुगताने दावेदारों द्वारा दावे दायर किये जाने तथा रेल दावा अधिकरण द्वारा डिगरी किये जाने के बाद किया जाएगा।

(च) गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

(1) रेलपथ, पुलों, चल-स्टाक, आदि जैसी गतायु परिसम्पत्तियों का पुनःस्थापन।

(2) उत्पादन की गुणवत्ता सुनिशिचित करने के लिए रेलपथ, सिंगनल और दूरसंचार गियरों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं और कारखानों का गहन निरीक्षण।

(3) दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों एवं धुरों की पराश्रव्य जांच।

(4) सहायक चेतावनी प्रणाली, ब्लाक जांच धुरा काउंटर, रेलपथ परिपथन और उच्च गति वाले मार्गों पर द्वितीय दूरस्थ सिगनल की व्यवस्था जैसे कुछ ऐसे सिगनल उपकरण हैं जिनकी उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

(5) बिना चौकीदार वाले और चौकीदार वाले समपारों पर सावधानी और सर्तकता बरतने के बारे में यात्रियों तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए श्रव्य-दृश्य मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया है। बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सींटी बोर्डों, गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

(6) रनिंग और परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को सतत रूप से गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(7) कम ज्ञान और दक्षता वाले कर्मचारियों का पता लगाने के लिए हाल में बगैर किसी निर्धारित कार्यक्रम के ड्राइवरों और स्टेशन कर्मचारियों की जांच की गई है।

(8) प्रारंभिक स्तर पर संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी संस्थापनाओं और परिचालन प्रक्रियाओं का मौके पर निरीक्षण करने के लिए रेलवे बोर्ड में दो उच्च स्तरीय संरक्षा दलों का गठन किया गया है।

(9) समय-समय पर संरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न दुर्घटना जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आधार पर नये उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में संसाधनों की कमी

***183. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संसाधनों की कितनी कमी है;

(ख) उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इन संस्थानों में निष्पादित अनुसंधान-कार्य का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये निष्पादित अनुसंधान कार्य धनराशि के अधिक आबंटन के उनके दावे को उचित ठहराते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख). योजनागत नियतन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उनके अवस्थापना संबंधी विकास, अप्रचलन को दूर करने और प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ताकि सक्षम जनशक्ति तैयार की जा सके और उच्च कोटि का अनुसंधान किया जा सके। योजनेतर संघटक में कार्यकलापों का अनुरक्षण शामिल होता है और उसे प्रत्येक वर्ष सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। एकमुश्त अनुदानों और सामूहिक निधि के सृजन संबंधी पद्धति के साथ वर्ष 1993-94 से आरंभ की गई संशोधित वित्त पोषण प्रणाली से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विकासात्मक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाये जाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और अधिक आत्म-निर्भर बनाने में सक्षम हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वित्तीय नियतन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अनुसंधान संबंधी परिणाम का श्रेय मुख्यतया संकाय द्वारा प्रकाशनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों, पेटेंटों, पुस्तकों और साथ ही बड़ी संख्या में परामर्शी परियोजनाओं, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी अन्तरण और इंजीनियरी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए और उभरते हुए क्षेत्र में जनशक्ति के विकास को जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अनुसंधान कार्यकलाप साधारणतया उनके लिए किए गए नियतनों के अनुरूप रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 से वर्ष 1993-94 तक अनुरक्षण के लिए, भारत।य प्रौद्योगिकी सस्थानों को किए गए वित्तीय नियतन

(रु. लाखों में)

	1991-92		1992-93		1993-94	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
भा.प्रौ.सं., दिल्ली	362.00	1755.20	320.00	2300.00	340.00	2608.00
भा.प्रौ.सं., बंबई	308.00	2258.50	720.00	2583.00	330.00	2930.00
भा.प्रौ.सं., कानपुर	330.00	1836.00	320.00	2020.00	330.00	2322.00
भा.प्रौ.सं., खड़गपुर	348.00	2066.50	476.00	2157.00	380.00	2442.00
भा.प्रौ.सं., मद्रास	320.00	1618.00	320.00	1864.00	330.00	2150.00
भा.प्रौ.सं., असम (गुवाहाटी)	32.00	—	—	—	48.00	—

दुग्ध संघ

***184. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1994 के "दि स्टेट्समैन" में "परफोरमेंस ऑफ मिल्क यूनियन अनसैटिसफैक्टरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऐसे संघों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारणों का पता लगाया है और उनके लिए विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु दुग्ध संघों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दुग्ध संघों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारणों का पता लगाया है। इनमें पिछले वर्षों का संचित घाटा, भारी स्थापना लागत तथा सहकारी समितियों की अन्य अन्दरूनी प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कमियां शामिल हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों को सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) एक योजना के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बराबरी की भागीदारी के आधार पर उनके पुनरूत्थान के वित्त पोषण द्वारा सहकारी डेयरी संघों/परिसंघों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

रेलवे का पुनर्गठन

***185. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टंडन समिति ने भारतीय रेलों के पुनर्गठन के बारे में सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का रेलवे का किस तरीके से पुनर्गठन करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गयी सिफारिशों में आधुनिक वित्तीय सूचना प्रणालियां, ग्राहक पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापारिक दृष्टि का विकास, निवेश योजना प्रणालियों में सुधार, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक पुनर्गठन के क्षेत्र शामिल हैं।

वैचारिक प्रकृति का होने के कारण, समिति के विस्तृत अध्ययन करने तथा कार्यान्वयन के लिए तरीकों का पता लगाने के लिए कृतिक बलों के गठन का भी सुझाव दिया है।

(ग) कृतिक बलों के गठन के सुझाव को देखते हुए रेलों ने निम्नलिखित पृथक समिति/कृतिक बलों का गठन किया है :-

(1) लागत लाभ केन्द्रों की पहचान करने के लिए।

(2) योजना तथा निवेश प्रक्रिया के लिए कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त लंबी रेंज निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करने के लिए।

(3) पूंजी पुनर्संरचना की जांच करने के लिए।

(4) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, तथा

(5) विभिन्न रेल सेवाओं का एकीकरण करने के लिए।

उचित दर की दुकानों में चीनी

*186. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों से चीनी की कमी बनी हुई है और त्यौहारों के मौसम के दौरान भी उचित दर की दुकानों को चीनी के पूरे कोटे की आपूर्ति नहीं की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अक्तूबर, 1994 के दौरान आपूर्ति की गई चीनी को अन्यत्र भेज दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उचित दर की दुकानों को नवम्बर और दिसम्बर महीनों के चीनी के कोटे की आपूर्ति की जा चुकी है; और

(च) सरकार ने जनता को पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (च). सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सामान्य मासिक लेवी चीनी कोटा 3.35 लाख टन है। इसके अतिरिक्त । लाख टन का त्यौहार कोटा प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों को उनके सामान्य मासिक कोटे के अनुपात में आबंटित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने त्यौहार कोटे को अपनी पसंद के चुने हुए महीनों में ले सकते हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सितम्बर से दिसंबर, 1994 के महीनों तक उपरोक्त के अनुसार देशी और आयातित चीनी को मिलाकर लेवी चीनी का आबंटन कर दिया गया है।

चीनी फैक्ट्रियों/एफ.सी.आई. से लेवी चीनी को उठाने के बाद यह राज्य सरकारों और उनके नामितों की जिम्मेदारी है कि वे उचित दर की दुकानों पर इसका संचलन और तत्पश्चात इसका वितरण सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय महिला कोष

*187. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय महिला कोष से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और कितने महिला संगठनों को ऋण दिए गए हैं;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान और अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आगामी वर्षों में कोष के क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1994 से अब तक लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा कवर किए गए संगठनों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	उन संगठनों की संख्या, जिन्हें ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
1.	आंध्र प्रदेश	9,903	11
2.	कनाटक	2,020	3
3.	केरल	4,400	2
4.	महाराष्ट्र	2,120	1
5.	मध्य प्रदेश	1,200	—
6.	मणिपुर	2,000	1
7.	उड़ीसा	780	2
8.	राजस्थान	370	1
9.	तमिलनाडु	3,133	5
10.	उत्तर प्रदेश	1,397	3
11.	पश्चिम बंगाल	1,250	2
	जोड़	28,573	31

(ख) और (ग). राष्ट्रीय महिला कोष 30.3.1993 को स्थापित किया गया था तथा नवम्बर 1993 से इसने ऋण देना आरंभ कर दिया था। इसके संचालन के प्रथम छः वर्षों के दौरान दो लाख महिलाओं को कवर किए जाने की योजना है।

औद्योगिक प्रदूषण

*188. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री जगत बीर सिंह द्रोण :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे औद्योगिक एककों द्वारा जनित प्रदूषण का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 1993 तक अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं;

(ख) बंद किए गए ऐसे औद्योगिक एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष ऐसे एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). 31 दिसंबर, 1993 तक जिन इकाइयों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे, उनकी संख्या 51 है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने 25 इकाइयों को पहले ही बंद करवा दिया है। ऐसी इकाइयों की राज्यवार संख्या नीचे संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सरकार ने सभी दोषी इकाइयों की प्रदूषण नियंत्रण स्थिति की समीक्षा करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनुदेश जारी किए हैं। ऐसी कार्यवाहियों में इकाइयों को बंद करने के अलावा सहमति वापस लेना और मुकदमा चलाना शामिल है। इससे संबंधित विवरण-II सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	जिन इकाइयों ने कोई कदम नहीं उठाए हैं, उनकी संख्या	बंद की गई इकाइयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	24	18
बिहार	1	1
हरियाणा	1	1
जम्मू और कश्मीर	1	—
मध्य प्रदेश	3	—
महाराष्ट्र	6	—
उड़ीसा	7	—
राजस्थान	1	—
उत्तर प्रदेश	6	4
पश्चिम बंगाल	1	1
कुल	51	25

विवरण-II

(ग) सरकार ने अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की सभी बड़ी और मझौली इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनुदेश जारी किए हैं। राज्य बोर्डों को 30 जून, 1994 तक मामला-दर-मामला आधार पर इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा करने और दोषी इकाइयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। उन्हें सरकार के पास स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया था। दोषी इकाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है उनमें दी गई सहमति को वापस ले लेना अथवा पहले की सहमति की वैधता समाप्त हो जाने के मामले में नई सहमति जारी न करना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाते हुए निर्देश जारी करना, मुकदमा चलाना अथवा समयबद्ध प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इकाइयों द्वारा उपयुक्त प्रगति नहीं करने की स्थिति में इकाई को बंद करने के लिए आदेश जारी करना शामिल है।

भूकंप के लिए राहत

***189. श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूकंप प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सहित कुछ राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में बसे गांवों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). भारतीय मानक ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रों की भकंपीयता पर विचार करते हुए देश को पांच भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। स्थाई वेधशालाओं द्वारा भूकंपीय कार्यकलाप की नियमित मानिटरिंग करने के अतिरिक्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी भागों में, विशेषकर लातूर और ठाणे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भागों, विशेषकर खण्डवा, रतलाम और जबलपुर क्षेत्रों में तथा उड़ीसा के तलचर क्षेत्र में स्थानीय भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। इन सर्वेक्षणों से ऐसे हल्के झटकों का संकेत मिला है, जिनमें समाप्त होने का रूख है।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से इन क्षेत्रों में आने वाले गांवों में पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वैसे कर्नाटक सरकार ने भूकंप से प्रभावित गांवो का फिर से पता लगाने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है, जिसमें विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है।

(घ) और (ङ). यह प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

कोंकण रेल परियोजना

*190. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना की लागत में असामान्य वृद्धि हुई है और इसे निष्पादित करने और पूरा करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान हाल में सामचार-पत्रों में प्रकाशित इन रिपोर्टों की ओर गया है कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन प्राधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन और इसे निर्धारित लागत के भीतर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें छपी हैं।

(घ) ये, कोंकण रेलवे निगम लि. द्वारा परियोजना के लिए आप्टिक फाइबर संचार केबल की व्यवस्था हेतु सरकार का पूर्वानुमोदन लिए बिना एक ठेका दिए जाने से संबंधित है। चूंकि प्रारंभ में कोंकण रेल परियोजना के अनुमान में इस कार्य पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए इस ठेके की दायिताओं के निर्वहन पर आपत्ति की गई है। आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने उचित लागत प्रभावी संचार नेटवर्क के मूल्यांकन हेतु तीन विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

(ङ) परियोजना की प्रगति पर, उच्चतम स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा परियोजना को जून, 1995 तक पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय नदी सफाई योजना

*191. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नदी सफाई योजना के अंतर्गत अब तक किन-किन नदियों की सफाई का काम आरंभ किया जा चुका है;

(ख) प्रत्येक नदी संबंधी सफाई योजना के कार्यान्वयन के नवीनतम लागत अनुमान क्या हैं और योजना के पूरा होने की क्या लक्ष्य तिथियां निर्धारित की गई हैं;

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार नदी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए नदी-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ). 10 राज्यों में अभिनिर्धारित किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार की गई है जिस पर सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। इस सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है, जिसमें विभिन्न नगरों में प्रस्तावित कार्यों का उनकी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा दिया गया है।

इस कार्य योजना के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन, इसके अनुमोदन के बाद ही शुरू हो सकेगा तथा किसी नगर में कार्य शुरू होने के बाद इसके पूरा होने में लगभग 4 वर्ष लगेंगे। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के लिए धन की उपलब्धता के आधार पर प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए नगरों को लिए जाने का प्रस्ताव है। पूरी योजना को, इसके वर्तमान स्वरूप में, लगभग 10 वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत स्कीमों की अनुमानित लागत

(रु. लाख में)

क्र.	नगर	नदी	स्कीम वार लागत							भूमि की लागत	सेंटेंजिस 14 प्रतिशत	कुल लागत	टिप्पणी
			अव. एवं दि.प.	सी. उ. संयंत्र	शवदाह गृह	नदी तटाग्र विकास	अल्प लागत स्व.	विविध	उपयोग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(क)	**आंध्र प्रदेश**												
1.	मंचरियाल	गोदावरी	227.46	84.00	10.00	–	10.00	49.00	380.46	45.00	53.26	479.00	प्राप्त हुए उपागम
2.	भद्राचलम	गोदावरी	164.82	60.00		–	15.00	15.50	255.32	17.05	35.63	308.00	पत्र पर (अप्रोच
3.	राजामुंदरी	गोदावरी	937.60	877.00	42.40	34.00	164.00	65.00	2120.00	100.00	296.00	2516.00	पेपर) राज्य सरकार
4.	रामागुंडम	गोदावरी	590.00	1088.50		10.00	15.00	20.00	1723.50	97.50	255.00	2076.00	की टिप्पणियां
			1919.88	2109.50	52.40	44.00	204.00	149.50	4479.28	259.55	639.89	5379.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ख)	बिहार												
5.	रांची	स्वर्णरेखा	154.80	355.00	54.50	44.70	28.00	250.60	887.60	203.20	124.26	1215.06	प्राप्त न हुए उपागम
6.	जमशेदपुर	स्वर्णरेखा	112.79	1225.00	52.00	85.64	38.50	48.50	1562.43	18.00	218.74	1799.17	पत्र पर राज्य
7.	घाटशिला	स्वर्णरेखा	13.10	90.00	4.50	61.18	10.50	3.00	182.28		25.52	207.80	सरकार की टिप्पणियां
			280.69	1670.00	110.00	191.52	77.00	302.10	2632.31	221.20	368.52	3222.03	
(ग)	गुजरात												
8.	अहमदाबाद	साबरमती	4135.36	4273.00	40.00		10.00	24.00	8482.36	200.00	1187.53	9869.89	प्राप्त हुए उपागम पत्र पर राज्य सरकार की टिप्पणियां
(घ)	कर्नाटक												
9.	सिमोग	तुग (कृष्णा)	187.99	324.45	2.40	6.00	120.00	4.00	644.84	12.50	90.28	747.62	प्राप्त हुए उपागम
10.	हरिहरा	तुंगभद्रा (कृष्णा)	64.71	59.90	1.20	12.00	30.00	17.09	184.90	49.90	25.89	260.69	पत्र पर राज्य
11.	भद्रावती	भद्रा (कृष्णा)	81.32	63.05	1.20	6.00	225.00	12.03	388.60	39.80	54.40	482.80	सरकार की
12.	देवानगर	तुंगभद्रा (कृष्णा)	176.54	204.38			69.00	28.39	478.31	127.90	66.96	673.17	टिप्पणियां
13.	के.आर. नगर	(कावेरी)	45.34	14.64		5.00	3.00	2.05	70.03	4.73	9.80	84.36	
14.	कोल्लेगल	(कावेरी)	33.54	8.75	1.20	5.00	15.00	0.31	63.80	1.75	8.93	74.48	
15.	नजांगुड	(कावेरी)	72.35	37.60			30.00	5.63	145.58	18.00	20.38	183.96	
16.	श्रीरंगपट्ना	कावेरी	95.68	19.55	1.20	10.00	30.00	5.80	162.23	8.77	21.71	192.71	
			757.47	732.32	7.20	44.00	522.00	75.30	2138.29	263.35	298.35	2699.79	
(ङ)	मध्य प्रदेश												
17.	इन्दौर	खान	584.60	2567.50	80.00	11.20	250.00	296.00	3789.30	120.00	530.46	4439.76	प्राप्त उपागम
18.	उज्जैन	क्षिप्रा	704.22	1028.60	11.20	263.22	191.67	90.00	2288.91	20.00	320.45	2629.36	पत्र पर राज्य
19.	बुढ़नपुर	ताप्ती	151.75	180.00	6.00	50.00	50.00	38.30	476.04	10.00	66.65	352.70	सरकार
20.	मण्डीदीप	बेतवा		90.00		15.00	34.00	14.00	153.00		21.42	174.42	की टिप्पणियां
21.	भोपाल	बेतवा	60.00	60.00			32.00	37.60	189.60	30.00	26.54	246.14	
22.	विदिशा	बेतवा	225.00	110.40	4.00	24.00	30.70	33.90	428.00		59.92	487.92	
23.	जबलपुर	नर्मदा	1011.00	104.21	3.00	45.88	41.40	65.00	1270.49	8.64	177.86	1456.99	
24.	सिओनी	वैनगंगा	42.61	35.57	0.80	8.21	15.00	17.46	119.65		16.75	136.40	
25.	छपरा	वैनगंगा	21.00	4.77	0.60	7.50	12.42	8.07	54.36		7.61	61.97	
26.	किवोलारी	वैनगंगा	13.46	6.87	0.60	14.88	8.28	27.73	71.82		10.05	81.87	
27.	नागदा	चम्बल	320.15	66.00	0.50		10.00	12.00	330.65	15.00	46.29	391.94	
			3033.79	4253.92	108.70	439.39	575.47	660.06	9171.83	303.64	1284.80	10659.47	
(च)	महाराष्ट्र												
28.	कराड़	कृष्णा	742.50	373.00	10.00		45.00		1170.50	66.50	163.87	1400.87	उपागम
29.	सांगली	कृष्णा	318.84	960.96					1279.80	101.55	179.17	1560.52	पत्र पर
30.	नासिक	गोदावरी	3109.33	2231.25	25.00	241.00	156.45	114.00	5877.03	542.00	822.78	7241.81	राज्य
31.	नान्देड़	गोदावरी	828.68	505.40	6.00				1340.08	2.50	187.61	1530.19	सरकार की टिप्पणियां
			4999.35	4070.61	41.00	241.00	201.45	114.00	9667.41	712.55	1353.43	11733.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(छ)	उड़ीसा												
32.	कटक	महानदी	लागत ब्यौरे की प्रतीक्षा है						1300.00		169.00	1469.00	
33.	तालचेर	ब्रह्मिणी	38.00	276.00	40.00	25.00	40.00	207.50	626.50		45.00	671.50	
34.	चन्दबाली	ब्रह्मिणी	40.15		10.00	10.00	30.00		90.15		12.62	102.77	
35.	धर्मशाला	ब्रह्मिणी	29.50		10.00	10.00	15.00	139.50	203.50		38.00	241.50	
			107.65	276.00	60.00	45.00	85.00	347.00	2220.15		264.62	2484.77	
(ज)	पंजाब												प्राप्त उपागम पत्र
५६	लुधियाना	सतलुज	3150.11	7861.45	59.20	720.00	171.64	11962.40	2785.00	1674.74	16422.14		टिप्पणियां परन्तु पंजाब
५७	जालधर	सतलुज	1366.39	2588.88	6.00	300.00	14.80	4236.07	810.00	598.65	5684.72		सरकार संचालन
५८	फगवाड़ा	सतलुज	263.39	248.25	1.20	96.00	5.72	614.56	52.00	86.04	752.60		एवं रख-रखाव
५९	पिल्लौर	सतलुज	13.07	13.85	0.60	24.00	1.24	52.76	18.00	7.39	78.15		की लागत को पूरी तरह वहन करने पर सहमत नहीं है।
			4792.96	10712.43	67.00	1140.00	193.40	16905.79	3655.00	2366.82	22937.81		
(झ)	राजस्थान												प्राप्त उपागम
३	कोटा	चम्बल	153.47	846.00	3.00	20.00	88.00	35.00	1145.47	7.50	160.36	1313.33	पत्र पर राज्य
४	कजवराय पेट्न	चम्बल	19.40	18.00	1.20	5.00	10.00	12.50	66.10	5.00	9.25	80.35	सरकार की टिप्पणियां
			172.87	864.00	4.20	25.00	98.00	47.50	1211.57	12.50	169.61	1393.68	
(ञ)	तमिलनाडु												
42.	कुमार पलयम्	कावेरी	134.80	343.00	1.00	12.00	19.50	10.75	521.05	30.00	72.95	624.00	प्राप्त उपागम पत्र
४३	भवानी	कावेरी	132.70	87.78	1.00	42.00	20.00	35.56	314.04	10.00	43.96	368.00	पर राज्य सरकार
४४	इरोड	कावेरी	818.18	491.16	1.00	12.00	20.00	19.94	1362.28	16.00	190.72	1568.00	की टिप्पणियां
४५	सिंचा	कावेरी	355.00	156.00	1.00	35.00	40.00	13.00	600.00	6.00	84.00	690.00	
46.	पल्लीं पलायम्	कावेरी	128.45	307.80	1.00	12.00	18.00	10.82	478.07	24.00	66.93	569.00	
			1569.13	1385.74	5.00	113.00	117.50	85.07	3275.44	86.00	458.56	3820.00	
	कुल योग		21769.15	30347.52	496.50	1143.41	3130.42	1997.93	60184.43	5623.79	8391.41	74199.63	

अन्य और डी	अंवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	स्थापना, अनंसधान एवं विकास निगरानी पर	=	3009.22
एस.टी.पी.	सीवेज उपचार संयंत्र	होने वाले व्यय का 5 प्रतिशत		
सी.आर.ई.	शवदाहगृह	कुल अनुमानित लागत	=	77208.85
आर.एफ.डी.	नदी तटाग्र विकास	(74199.63+3009.22)		
एल सी एस.	अल्प-लागत स्वच्छता	राज्य सरकार का हिस्सा 50:50 के आधार पर	=	37099.81
विविध	वनीकरण, ठोस अपशेष प्रबंध एवं जन-भागीदारी आदि	केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	=	40109.03

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता

*192. **श्री काशीराम राणा :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार सरकार से मांगी गई सहायता और उन्हें वास्तव में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अनेक राज्य सरकारों से 1994-95 के लिए अतिरिक्त सहायता मांगने और आपदा राहत कोष से केन्द्रीय सहायता के उनके हिस्से में वृद्धि करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनुरोधों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ). वर्तमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें वार्षिक आपदा राहत कोष की धनराशि का प्रयोग करते हुए राहत और पुनर्वास उपाय करती हैं।

1994-95 के दौरान 12 राज्यों से प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत उपाय करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। वर्तमान वर्ष के दौरान मांगी गई केन्द्रीय सहायता तथा आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश को दी गई रकमें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	राज्य	मांगी गई केन्द्रीय सहायता	1994-95 में दिया गया केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	344.00	49.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.50	1.50
3.	गोवा	2.50	0.50
4.	गुजरात	303.50	63.75
5.	हिमाचल प्रदेश	399.00	6.75
6.	कर्नाटक	422.00	10.12
7.	केरल	100.00	23.25
8.	मध्य प्रदेश	200.00	27.75
9.	महाराष्ट्र	945.00	—
10.	उड़ीसा	376.00	29.78
11.	तमिलनाडु	221.00	14.62
12.	उत्तर प्रदेश	281.00	26.64

आपदा राहत कोष की योजना नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वित की गई थी। आपदा राहत कोष में वृद्धि तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दसवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया है। राज्य सरकारों ने दसवें वित्त आयोग के साथ-साथ ही यह मामला उठाया है।

[हिन्दी]

प्रमुख शहरों में प्रदूषण

*193. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में प्रदूषण रोकने हेतु पहले से चल रही प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को रोकने में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। बड़े शहरों में मानव आबादी, वाहनों की संख्या तथा औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण वहां वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ख) बड़े शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के रूप में प्रदूषण स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) कई प्रदूषण नियंत्रण स्कीमें आरंभ की गई हैं जिससे विभिन्न शहरों में प्रदूषण के स्वरूप एवं मात्रा को कम करने में मदद मिली है।

(घ) से (च). विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

(ख) बड़े शहरों में वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के स्तर नीचे दिए गए हैं :-

1. बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के स्तरों की प्रवृत्ति :

बड़े वायु प्रदूषणों का औसत वार्षिक संकेन्द्रण (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

क्र.सं.	शहर/वर्ष	प्रदूषक		
		सल्फरडाई आक्साइड	नाइट्रोजन आक्साइड	धूल-कण
1.	दिल्ली			
	1990	5.8	12.5	163
	1991	8.7	12.6	190
2.	बंबई			
	1990	28.2	29.5	228
	1991	33.4	30.9	199
3.	कलकत्ता			
	1990	19.5	18.0	136
	1991	98.5	28.7	313
4.	बंगलौर			
	1990	16.4	11.3	49
	1991	18.3	12.1	60
5.	हैदराबाद			
	1990	5.8	12.5	163
	1991	8.7	12.6	190

2. बड़े शहरों में औसत ध्वनि स्तर (डेसिबल (ए) में) :

शहर	क्षेत्र	दिन के समय	रात्रि के समय
1	2	3	4
मद्रास	आवासीय	66	48
	वाणिज्यिक	76	71
	औद्योगिक	71	66

1	2	3	4
हैदराबाद	आवासीय	68	45
	वाणिज्यिक	76	65
	औद्योगिक	70	56
कलकत्ता	आवासीय	79	65
	वाणिज्यिक	82	75
	औद्योगिक	78	67
बंगलौर	आवासीय	67	50
	वाणिज्यिक	78	43
	औद्योगिक	78	53
बंबई	आवासीय	70	62
	वाणिज्यिक	74	66
	औद्योगिक	76	65
दिल्ली	आवासीय	60	उपलब्ध नहीं
	वाणिज्यिक	71	" "
	औद्योगिक	73	" "

3. बड़े शहरों में जल प्रदूषण स्तर (एम.एल.डी. में)

शहर	अपशिष्ट जल		अपशिष्ट जल शोधन क्षमता	
	उत्पादित	एकत्रित	प्राथमिक	प्राथमिक+ गौण
दिल्ली	1905	1270	—	1270
ग्रेटर बंबई	1714	—	81.72	—
[illegible]	348	348	286.00	—
हैदराबाद	522	140	—	140

विवरण–II

(घ) प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आवासीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा ध्वनि स्तरों के मानक अधिसूचित किए गए हैं, विभिन्न उपयोगों के लिए जल गुणवत्ता निर्धारित की गई है।

(2) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की बड़ी श्रेणियों से होने वाले बहिस्रोतों तथा उत्सर्जनों के लिए मानक विकसित किए गए हैं। उद्योगों को समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। अनुपालना की निगरानी का कार्य कृत्यक बलों द्वारा किया जाता है।

(4) प्रमुख विनिर्दिष्ट औद्योगिक तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए स्थान के चयन से पूर्व प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(5) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम आरंभ की गई है।

(6) पैट्रोल से सीसे को चरणबद्ध तरीके से निकालने का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) शहरों के प्रदूषण नियंत्रण में निम्नलिखित बाधाएं हैं :-

— अशोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित मलजल तथा अन्य घरेलू अपशिष्टों के कारण लगभग 80 प्रतिशत भूमिगत जल प्रदूषित है। नगरपालिकाओं के पास इन अपशिष्टों के शोधन के लिए शोधन सुविधाएं लगाने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं।

— बड़े महानगरों में कुल वायु प्रदूषण भार में मुख्य योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों का होता है, जिसमें से अधिकांश वाहनों के इंजन पुराने डिजाइन के हैं, जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त, दुपहिए तथा तिपहिए वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

— सभी शहरों में एक संतोषजनक तीव्र परिवहन प्रणाली की कमी है तथा सार्वजनिक परिवहन बसों के मौजूदा बेड़े तथा परिवहन के अन्य साधन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और प्रदूषण भार में वृद्धि हुई है।

— सभी शहरों में सड़कों के पर्याप्त जल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी है जिसके परिणामस्वरूप भीड़–भाड़ तथा प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

(च) सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

— वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए वाहनों के विनिर्माण चरण में सख्त मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1.4.1996 से प्रभावी होंगे।

— चार महानगरों, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के सभी खुदरा बाजारों में बिकने वाले पैट्रोल में 1 जून, 1994 से सीसे की मात्रा प्रति लिटर 0.15 ग्राम तक कम कर दी गई है।

— इन चार महानगरों में 1 अप्रैल, 1995 से सीसा–रहित पैट्रोल की आपूर्ति के लिए कई पैट्रोल केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है जो चार–पहिए वाले वाहनों के लिए उपरोक्त तारीख से बेचा जा सकेगा।

— प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अन्यत्र स्थानांतरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

— बड़े शहरों के विकास के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की गई हैं। नगर आयोजकों से कहा गया है कि वे अपनी योजनाओं में नागर परिवहन की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को शामिल करें।

— बड़े शहरों तथा औद्योगिक नगरों में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को "अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

— वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 बड़ी श्रेणियों का अभिनिर्धारण किया गया है तथा उत्सर्जनों एवं बहिस्रावों का निर्धारण मानकों के अनुरूप शोधन के लिए अनुपालन उपायों की निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

***194. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य ने गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की थी और उन्हें इनकी कितनी-कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही के चुनावों की घोषणा के बाद कुछ राज्यों को खुले बाजार के लिए चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार के माध्यम से बिक्री के लिए चीनी का अलग-अलग कोटा भी निर्धारित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). प्रत्येक वस्तु जैसे-गेहूं, चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल तथा चीनी के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) **गेहूं तथा चावल** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1994-95 (अनंतिम) (अप्रैल, 94 से मार्च, 95 तक) के लिए राज्यवार गेहूं तथा चावल के आबंटन और खरीद को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(2) **खाद्य तेल** : पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तिलहनों के उत्पादन में आई बढ़ोत्तरी के कारण खुले बाजार में देशी खाद्य तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहा तथा राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत आयातित तेल की आपूर्ति की मांग में कमी आई। तदनुसार आबंटन राज्य सरकारों की मांग पर आधारित होता है। वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत आपूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों (पामोलीन) के आबंटन और खरीद को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(3) **मिट्टी का तेल** : केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर मिट्टी के तेल का केवल इकट्ठा आबंटन करती है। एस.के.ओ. एक घाटे का उत्पादन है तथा हमारी जरूरतों का 40 प्रतिशत से अधिक आयात द्वारा पूरा किया जाता है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में दबाव तथा इसमें शामिल भारी सब्सिडी के कारण राज्यों की मांग को पूर्णतया पूरा कर पाना संभव नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के पहले के वर्षों में राज्यों द्वारा मांगने पर 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को पूरे देश में इस तरह से आबंटित किया गया कि निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक मात्रा का तथा इसके विपरीत आबंटन हो सके। वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण III, III.क और VI संलग्न है।

(4) **चीनी** : आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आबंटन एकरूप मानदण्डों के आधार पर किया जा रहा है, जिससे 1.10.1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक पैमाने पर आबंटन की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति मास लगभग 3.35 लाख टन चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मासिक लेवी चीनी कोटे के रूप में वितरण हेतु आबंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख टन चीनी प्रति वर्ष त्यौहार कोटे के रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामान्य मासिक कोटे के अनुपात में आबंटित की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने त्यौहार कोटे को अपने पंसद के महीने/महीनों के दौरान ले सकते हैं।

उस समय देश में चीनी की बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1991 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ बढ़ोत्तरी को, लगातार दो चीनी मौसमों (1992-93 व 1993-94) के दौरान चीनी उत्पादन में गिरावट के कारण, अप्रैल, 1994 के लिए चीनी रिलीज से रोक दिया गया है।

मासिक लेवी चीनी कोटे और वार्षिक त्यौहार काटे का राज्यवार विवरण उपाबंध-4 पर है।

(घ) से (छ). आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अंतर्गत लेवी चीनी पी.डी.एस. के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को आबंटित की जाती है और खुली बिक्री चीनी खुले बाजार में विक्रय के लिए चीनी फैक्टियों से रिलीज की जाती है।

पी.डी.एस. के माध्यम से वितरण के लिए लेवी चीनी का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कोटे का विवरण उपाबंध-4 पर है। खुले बाजार में बिक्री के लिए खुली बिक्री चीनी का कोई राज्यवार कोटा रिलीज नहीं किया जाता है। मासिक रूप से रिलीज की गई खुली बिक्री की मात्रा को खुली बिक्री रिलीज आदेश में दर्शाई गई निर्दिष्ट वैधता अवधि के अंदर देश में किसी भी थोक चीनी लाइसेंस व्यापारी को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा बेचा जाना अपेक्षित है। फैक्ट्री से खपत के गंतव्य स्थलों तक चीनी के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1994-95 (अनंतिम) (अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक) के लिए राज्यवार गेहूं तथा चावल के आबंटन और खरीद को दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल			गेहूं		
		डी.	ए.	ओ.	डी.	ए.	ओ.
1.	आंध्र प्रदेश	21.90	18.10	10.58	1.80	1.50	0.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.87	0.70	0.40	0.24	0.14	0.07
3.	असम	4.71	3.89	1.52	3.94	2.50	1.26
4.	बिहार	3.72	3.08	0.33	7.14	5.96	1.05
5.	गोवा	0.67	0.54	0.17	0.48	0.34	0.10
6.	गुजरात	4.14	3.45	0.87	6.42	5.35	1.80
7.	हरियाणा	0.36	0.30	0.04	1.55	1.02	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	1.44	0.84	0.21	1.80	1.12	0.64
9.	जम्मू और कश्मीर	5.20	4.32	0.66	3.50	2.90	0.75
10.	कर्नाटक	11.72	10.67	3.00	6.00	3.00	1.48
11.	केरल	22.94	15.00	5.48	6.75	3.75	2.17
12.	मध्य प्रदेश	5.60	4.63	0.93	5.88	4.64	0.65
13.	महाराष्ट्र	8.58	7.15	1.59	12.00	8.00	2.14
14.	मणिपुर	1.20	1.00	0.24	0.32	0.27	0.08
15.	मेघालय	2.40	1.10	0.53	0.44	0.20	0.11
16.	मिजोरम	1.22	0.72	0.42	0.25	0.16	0.06
17.	नागालैंड	0.95	0.75	0.43	0.66	0.58	0.31
18.	उड़ीसा	5.44	4.49	0.96	4.75	3.45	0.93
19.	पंजाब	0.17	0.15	0.01	2.10	1.74	0.01
20.	राजस्थान	0.46	0.38	0.11	14.44	11.34	2.60
21.	सिक्किम	0.56	0.47	0.14	0.10	0.08	0.04
22.	तमिलनाडु	12.00	10.00	6.32	3.60	2.50	1.02
23.	त्रिपुरा	1.94	1.62	0.60	0.36	0.18	0.05
24.	उत्तर प्रदेश	5.50	4.58	1.02	11.86	9.88	0.74
25.	पश्चिम बंगाल	9.32	7.94	2.26	10.15	8.25	3.71
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.31	0.31	0.00	0.08	0.08	0.00
27.	चंडीगढ़	0.04	0.03	0.04	0.25	0.18	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00
29.	दमन व दीव	0.06	0.05	0.02	0.03	0.02	0.00
30.	दिल्ली	2.40	2.00	0.33	9.16	7.56	0.94
31.	लक्षद्वीप	0.06	0.06	0.03	0.01	0.01	0.00
32.	पांडिचेरी	0.24	0.20	0.01	0.09	0.08	0.00
		136.19	108.57	39.24	116.17	86.78	23.29

नोट : 1. मांग के आंकड़े पूरे वर्ष 1994-95 के लिए हैं (अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995) आबंटन आंकड़े के अप्रैल, 1994 से जनवरी 1995 तक के लिए हैं। उठान आंकड़े केवल अप्रैल, 1994 से अक्तूबर, 1994 तक उपलब्ध हैं।

2. उपरोक्त आंकड़े प्रतिरक्षा, सी.आर.पी.एफ./बी.एस.एफ. और भूटान को छोड़कर हैं।

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत आपूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों (पामोलीन) के आबंटन और खरीद को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ	वित्त वर्ष : 1994-95																	
	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर	
राज्य क्षेत्र	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान	आ बंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	—	1057	3500	652	—	1344	—	146	10000	6275	10000	6629	10000	6597	—	5072	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	50	—	—	—	50	—
असम	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	121	300	56	300	124	—	—
बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा	250	212	250	264	—	—	—	—	—	—	600	174	300	418	600	290	500	—
गुजरात	800	1751	1500	544	—	941	—	—	5500	2886	2500	2932	3000	3829	2500	1329	2000	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	22	300	31	—	5	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	8	—	120	100	—	—	93	—	—	200	109	—	91	200	—
जम्मू व कश्मीर	-	73	—	48	—	—	—	—	—	—	—	60	—	213	—	57	—	—
कर्नाटक	—	215	—	1137	—	750	—	72	2500	482	3000	1050	3000	789	—	728	—	—
केरल	1500	1001	—	73	—	38	—	—	1500	183	—	1560	1500	1077	—	516	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	—	2	—	58	—	16	—	2	—	2	5000	1820	5000	1931	—	1149	—	—
मणिपुर	400	—	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	100	—	100	—	—	20	—	20	200	50	200	61	200	—	200	10	200	—
मिजोरम	—	—	100	—	100	50	—	—	200	33	200	18	200	6	200	—	100	—
नागालैंड	200	91	200	90	200	170	200	210	400	280	400	260	400	—	400	310	400	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
उड़ीसा	800	—	1000	800	—	90	—	208	—	564	2000	—	2000	891	—	—	1000	—
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिक्किम	200	—	200	85	—	60	—	75	—	—	100	10	—	70	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	3000	1983	3000	2206	3000	4421	3000	885	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	100	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	2500	167	—	879	—	267	—	14	—	—	2000	286	2000	1171	—	623	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50	—	50	50	—	—	40	—
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दादर और नगर हवेली	50	30	50	30	—	20	—	—	—	—	130	—	130	40	130	90	—	—
दमन	100	—	100	80	—	10	—	—	50	42	75	68	75	—	75	75	75	—
दीव	30	—	20	50	—	—	—	—	—	—	30	—	30	30	30	20	30	—
दिल्ली	—	228	—	201	85	142	—	50	200	5	500	226	500	246	500	243	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	10	—	—	30	—	30	30	30	60	30	—	—	—
पांडिचेरी	450	—	450	340	—	420	—	—	456	207	456	358	912	495	—	570	900	—
जोड़	7380	4927	7870	5339	385	4468	300	797	2436	13085	30271	17891	33177	22530	8015	12187	5595	—

विवरण–III

लोक सभा में दिनांक 20.12.1994 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के भाग (क), (ख) व (ग) में निर्दिष्ट उपाबंध

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विकल्प अनुसार ब्लाक वार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95 के लिए कुल एस.के.ओ. आबंटन
1.	बिहार	560735
2.	दिल्ली	238540
3.	दमन व दीव	2944
4.	गुजरात**	798295
5.	हरियाणा	154073
6.	जम्मू व कश्मीर*	68741
7.	लक्षद्वीप	876
8.	मध्य प्रदेश	446055
9.	महाराष्ट्र	1512524
10.	मेघालय	15705
11.	पंजाब	325678
12.	राजस्थान	306660
13.	उत्तर प्रदेश	1016836
	जोड़	5447662

* गुजरात के आबंटन में मत्स्य क्षेत्र को वर्ष भर 390 मी. टन प्रति माह दिया जाना शामिल है।

** जम्मू व कश्मीर के आबंटन में वर्ष भर लद्दाख जिले के लिए प्रति माह 172 मी. टन शामिल है।

विवरण–III.क

लोक सभा में दिनांक 20.12.1994 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 194 के उत्तर के भाग (क), (ख) व (ग) में निर्दिष्ट उपाबंध वर्ष 1994–95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक रूप विकल्प के अनुसार आबंटन

(आंकड़े मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95 के लिए कुल एस.के.ओ. आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	603132
2.	अरुणाचल प्रदेश	9484
3.	असम	251713
4.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4584
5.	चण्डीगढ़	20928
6.	दादरा व नगर हवेली	3108
7.	गोवा	27132
8.	हिमाचल प्रदेश	40390
9.	कर्नाटक	452929
10.	केरल	270336
11.	मणिपुर	21074
12.	मिजोरम	6234
13.	नागालैंड	10327
14.	उड़ीसा	192784
15.	पांडिचेरी	14863
16.	सिक्किम	7559
17.	तमिलनाडु	668587
18.	त्रिपुरा	22228
19.	पश्चिम बंगाल	748563
	जोड़	3375954

विवरण–IV

लोक सभा में दिनांक 20.12.1994 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के भाग (क), (ख) व (ग) में निर्दिष्ट उपाबंध मासिक लेवी चीनी कोटे और वार्षिक त्यौहार कोटे को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक सामान्य कोटा	प्रत्येक वर्ष के त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25281	7614
2.	अंडमान व निकोबार	247	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	94
4.	असम	9617	2896
5.	बिहार	33459	10078
6.	चण्डीगढ़	372	112
7.	दादरा व नगर हवेली	51	14
8.	दिल्ली	8721+1200= **9921	2316
9.	गोवा	500	150
10.	दमन	24	12
11.	दीव	15	

1	2	3	4
12.	गुजरात	16194	4878
13.	हरियाणा	6386	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	608
15.	जम्मू व कश्मीर	2884+252= @3136	868
16.	कर्नाटक	17769	5350
17.	केरल	11953	3600
18.	लक्षद्वीप	71	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	9014
21.	मणिपुर	694	208
22.	मेघालय	662	200
23.	मिजोरम	261	78
24.	नागालैंड	426	128
25.	उड़ीसा	12393	3730
26.	पांडिचेरी	305 *	64
27.	करीकाल	73	18
28.	माहे	15	4
29.	यनम	7	2
30.	पंजाब	7945	2392
31.	राजस्थान	16914	5092
32.	सिक्किम	165	50
33.	तमिलनाडु	22547	6790
34.	त्रिपुरा	1001	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	7796
	जोड़	334520	99,950

* मई, 1990 से दिल्ली हेतु 1032 टन व पांडिचेरी हेतु 108 टन कोटे में बढ़ोत्तरी शामिल है।

** जुलाई, 1993 से 1200 टन की बढ़ोत्तरी

@ फरवरी, 1994 से 252 टन की बढ़ोत्तरी

शैक्षिक निकायों का कार्य-निष्पादन

***195. श्री बोल्ला बोल्ली रामय्या :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूल्यांकन करने संबंधी किसी निकाय का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मूल्यांकन करने संबंधी निकाय द्वारा की गई सिफारिशों का स्वरूप क्या है; और

(ङ) ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित कर दी जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च शिक्षा संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों को श्रेणीबद्ध किया जा सके, शैक्षिक पर्यावरण और शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा मिले, उच्च शिक्षा में नवाचारों, स्व-मूल्यांकन और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिले तथा इन संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तनों और सुधारों का प्रवर्तन हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज इत्यादि जैसी तकनीकी शिक्षा संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के कार्यक्षेत्र में आती हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का पंजीकरण, कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 और कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण नियम, 1961 के अंतर्गत बंगलौर में एक सोसाइटी के तौर पर किया गया है।

वन और वन्य प्राणी

***196. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह-अयस्क, कोयला और अन्य ऐसे खनिजों के दोहन से वन्य प्राणियों और आरक्षित वन-क्षेत्रों के खतरे में पड़ जाने के कारण पारिस्थितिकी के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वन्य प्राणियों और वनों पर खनन, औद्योगिक और अन्य विकास संबंधी गतिविधियों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन प्रमुख अभ्यारण्यों और आरक्षित वन-क्षेत्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) यदि परियोजना क्रियाकलापों में पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपाय शामिल नहीं किए जाते हैं तो वन क्षेत्रों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों के भीतर तथा उनके आसपास खनिजों के दोहन से वन्यजीव तथा वन रिजर्वों को पारिस्थितिकीय क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहती है।

(ख) और (ग). पारिस्थितिकी के सरंक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने 4 मई, 1994 को यथा-संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी, 1994 को जारी की है। इसमें यह शर्त रखी गई है कि विनिर्दिष्ट सीमाओं से ऊपर के खनन, औद्योगिक तथा अन्य विकास क्रियाकलापों के परियोजना प्रस्तावों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अपेक्षित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जहां लागू हो, वन्यजीवन तथा वनों संबंधी अध्ययन शामिल है। परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी देने से पूर्व, ऐसी किसी अध्ययन रिपोर्ट की विशेषज्ञ समितियों के परामर्श से जांच की जाती है। हाल में जहां अलग से पारिस्थितिकीय अध्ययनों की मांग की गई है, उनमें रौघाट (मध्य प्रदेश), बरसिंहसर (राजस्थान), पाथरखेड़ा (मध्य प्रदेश) तथा अरकी (हि.प्र.) शामिल हैं।

(घ) इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में सरिस्का, बक्सा बाघ रिज़र्व तथा काजीरंगा शामिल हैं।

(ङ) पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

— सरंक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाया गया है।

— वन पारिस्थितिकी पर दबाव को कम करने के लिए पारि-विकास कार्यक्रम।

— अभिनिर्धारित पारि-संवेदी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

— वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अधिक कड़ा बनाया गया है।

[हिन्दी]

उपजाऊ भूमि

*197. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में उपजाऊ भूमि की प्रति व्यक्ति उपयोग दर कितनी है;

(ख) क्या वाशिंगटन स्थित "वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट" द्वारा हाल ही में दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत अनेक वर्षों के दौरान उपजाऊ भूमि की प्रति व्यक्ति उपयोगी दर में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आयी है;

(घ) क्या भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1990-91 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) 0.22 हैक्टेयर आंकी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो 1950-51 में 0.53 हैक्टे. आंकी गई थी, कम होकर 1960-61 में 0.41 हैक्टेयर, 1980-81 में 0.27 हैक्टे. तथा इसके पश्चात 1990-91 में 0.22 हैक्टेयर हो गई है।

(घ) और (ङ). सरकार मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने/उसे बनाये रखने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों के मिश्रणों के द्वारा उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग, जैव-उर्वरकों को प्रोत्साहन, कम्पोस्ट, तथा हरी खाद आदि सहित अन्य योजनाओं के साथ फसल उत्पादन की तरफ उन्मुख विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। सरकार मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए लेग्यूम्स (फलियां) सहित विशिष्ट फसल चक्र का भी समर्थन कर रही है।

यशपाल समिति की रिपोर्ट

*198. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है; और

(घ) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ). स्कूली विद्यार्थियों पर शैक्षिक बोझ को कम करेन के लिए उपायों एवं साधनों के संबंध में सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने दिनांक 15.7.93 को "बोझ रहित शिक्षा" नाम से अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंप दी थी। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सुझाव देने के लिए समिति का गठन नहीं किया गया था। समिति की मुख्य सिफारिशें जिन्हें जून, 1994 में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को सुझाए गए विस्तृत कार्य ढांचे में शामिल किया गया है, निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार करने एवं पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में शिक्षकों को व्यापक तौर पर शामिल करना।

(2) पूर्व-स्कूलों के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के स्कूली शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमावली में संशोधन करना।

(3) पूर्व स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं/साक्षात्कारों को समाप्त करना एवं पूर्व-स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकों और गृह-कार्य को समाप्त करना।

(4) प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य एवं परियोजना कार्य को समाप्त करना।

(5) श्रव्य दृश्य सामग्री का विस्तृत प्रयोग करना एवं शिक्षक-छात्र का अनुपात 1:40 को लागू करना।

2. समिति की रिपोर्ट भेजते समय प्रोफेसर यशपाल ने इस पर विस्तृत चर्चा कराने का सुझाव दिया था। यशपाल समिति की सभी सिफारिशों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के स्तर की विशेषज्ञों की कार्यशालाओं में अभिव्यक्त किए गए अधिकांश विचारों को उस विस्तृत कार्य-ढांचे में शामिल कर लिया गया था जिसे जून, 1994 में यथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में परिचालित कर दिया गया था। देश में 99 प्रतिशत स्कूल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के नियंत्रण के अधीन हैं और उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी स्कूली शिक्षा के मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

[अनुवाद]

मान्ट्रियल प्रोटोकॉल

*199. **श्री वियज एन. पाटील :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकसित देशों द्वारा अपने वायदे पर कायम न रहने और ओजोन कोष में अंशदान न देने की स्थिति में मॉट्रियल प्रोटोकॉल से अलग होने की धमकी दी है;

(ख) धनराशि के अभाव के कारण भारत नई और दोषरहित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और क्लोराफ्लोरो कार्बनों के प्रभाव को धीरे-धीरे कम करने तथा ओजोन को क्षतिग्रस्त करने वाले कारक (प्रोटर्शियल) को 1995 के स्तर तक लाने में कहां तक असमर्थ रहा है; और

(ग) मान्ट्रियल कोष द्वारा भारत को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि जारी किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत ने मॉट्रियल प्रोटोकॉल से अलग होने की धमकी नहीं दी है। तथापि, हमने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि यदि विकसित देश अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करेंगे तो विकासशील देशों के लिए प्रोटोकॉल की शर्तों के तहत अपनी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल होगा।

(ख) भारत के परियोजना प्रस्ताव बहुपक्षीय निधि के पास निधियों की कमी के कारण प्रभावित नहीं हुए। अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के तहत वर्तमान प्रौद्योगिकियों के स्थान पर नई और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएंगी। यह उम्मीद की जाती है कि उद्योगों के सक्रिय सहयोग से भारत मॉट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेगा।

(ग) अब तक 30 परियोजनाओं के लिए 11.4 मिलियन अमरीकी डालर अनुमोदित किए गए हैं। शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने वाले छोटे परियोजना प्रस्तावों हेतु भारत के लिए 4.00 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है।

रेलवे की भूमि

*200. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की काफी भूमि खाली पड़ी है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लोगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस भूमि को खाली कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) 1768 हेक्टेयर

(घ) रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम,1971 के अंतर्गत सतत् आधार पर कार्रवाई की जाती है।

तथापि, अधिकांश मामलों में पारित किए गए बेदखली आदेशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की एक पुलिस बल की मौजूदगी के रूप में सहायता आवश्यक हो जाती है और यह सहायता प्रायः नहीं मिल रही है।

मंत्री का दौरा

1905. **श्री जायनल अबेदिन :**
श्री अमल दत्त :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश में और देश के बाहर कितने-कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दौरों पर हुआ व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो यह व्यय किस स्रोत से किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ). मंत्री जी के सरकारी दौरों का खर्च केन्द्र सरकार के बजट से वहन किया गया।

विवरण

क्र.सं.	दौरे की अवधि		दिनों की संख्या	जहां गये	दौरों का ब्यौरा
	से	तक			
1	2	3	4	5	6
1.घरेलू यात्रा					
1.	2.4.94	2.4.94	1 दिन	भोपाल	घड़कोटा में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
2.	9.4.94	11.4.94	3 दिन	भिलाई, कन्केर, जगदलपुर	स्थानीय प्रेस रिपोर्टरों से भेट, वांस परियोजना आदि का दौरा। मध्य प्रदेश, एच.ए.वी.एन. भवन का उद्घाटन। अधिकारियों के साथ बैठक, प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक।
3.	14.4.94	16.4.94	3 दिन	बम्बई	(1) गोरेगांव में पर्यावरण पर संगोष्ठी का उद्घाटन (2) कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए मंत्रालय में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक। (3) महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद का समारोह/बैठक। (4) बी.एन.एच.एस. बैठक
4.	28.4.94	28.4.94	1 दिन	गाजियाबाद	गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
5.	16.5.94	17.5.94	2 दिन	नागपुर, भोपाल	नागपुर और भोपाल में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए
6.	19.5.94	21.5.94	3 दिन	तेजपुर/ईटानगर	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के वन मंत्रियों के साथ बैठक
7.	15.7.94	15.7.94	1 दिन	कलकत्ता	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के समारोहों में भाग लेने के लिए
8.	21.8.94	23.8.94	3 दिन	बंगलौर	(1) जैव विविधता कन्वेंशन पर क्षेत्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए (2) कार्यक्रमों और मसलों की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ बैठक।
9.	14.9.94	14.9.94	1 दिन	जयपुर	शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान तथा खेजारी में कार्यक्रम पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय परामर्श पर विकासशील अध्ययन संस्थान का विदाई समारोह।
10.	4.11.94	5.11.94	2 दिन	भुवनेश्वर	प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्रीय संग्रहालय का शिलान्यास समारोह
11.	13.11.94	16.11.94	4 दिन	छिन्दवाड़ा	स्थानीय कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे।
		कुल	24 दिन		

1	2	3	4	5	6
2. विदेशी यात्रा					
1.	23.5.94	4.6.94	12 दिन	अमेरीका/ब्रिटेन	दीर्घकालीन विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग का द्वितीय सत्र तथा द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने के लिए
2.	20.6.94	30.6.94	10 दिन	जर्मनी/ब्रिटेन	सी.एस.डी. अनुवर्ती प्रक्रिया पर जर्मन पर्यावरण मंत्री तथा सी.एस.डी. के अध्यक्ष, तथा ओडीए के लिए ब्रिटेन के मंत्री और भारत ब्रिटेन वानिकी उपक्रम और अन्य वानिकी मामलों पर ब्रिटेन के मंत्री के साथ विचार-विमर्श करना।
3.	6.10.94	7.10.94	2 दिन	नैरोबी (कीनिया)	मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की छठी बैठक में भाग लेने के लिए
4.	14.10.94	15.10.94	2 दिन	पेरिस(फ्रांस)	मरूभूमिकरण के निवारण संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए
5.	21.11.94	22.11.94	2 दिन	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	यूनेप और यू.एन.सी.टी.ए.डी. द्वारा आयोजित व्यापार, पर्यावरण और सतत विकास संबंधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
6.	6.12.94	11.12.94	5 दिन	नसाओं (बहामास)	जैव-विविधता संबंधी कन्वेंशन के पक्षकार सम्मेलन की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए।
	कुल		33 दिन		

मंत्री का दौरा

1906. **श्री अमल दत्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री जी देश में और देश के बाहर कितने-कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक ऐसे दौरे पर कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(घ) क्या इन व्ययों का वहन केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो धन का स्रोत क्या था?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान कृषि मंत्री देश में 42 दिनों के लिये तथा देश से बाहर 26 दिनों के लिये दौरे पर थे।

(ख) तथा (ग). देश में तथा देश से बाहर किए गए ऐसे दौरों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1994-95 (6.12.94 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कृषि मंत्री द्वारा देश में किए गए दौरों पर किया गया खर्च

क्र.सं.	स्थान जहां का दौरा किया	तिथि	दिन	किया गया व्यय (रु. में)	यात्रा की विधि
1	2	3	4	5	6
1.	चण्डीगढ़	24.4.94	1	-	विशिष्ट जहाज
2.	बम्बई-हैदराबाद	29.4.94 से 30.4.94	2	7578.00	हवाई जहाज
3.	अहमदाबाद	7.5.94 से 8.5.94	2	2410.00	हवाई जहाज
4.	हरिद्वार	16.5.94 से 17.5.94	2	5677.00	सड़क

1	2	3	4	5	6
5.	मद्रास	21.5.94	1	–	विशिष्ट जहाज
6.	अहमदाबाद	6.6.94	1	4820.00	हवाई जहाज
7.	हैदराबाद	30.6.94	1	7408.00	हवाई जहाज
8.	पंचकोशी, फिरोजपुर आदि	2–3.7.94	2	–	विशिष्ट जहाज
9.	अहमदाबाद	22.7.94	1	4820.00	हवाई जहाज
10.	हैदराबाद	24.7.94	1	7408.00	हवाई जहाज
11.	फिरोजपुर	31.7.94	1	1442.00	रेलगाड़ी
12.	बंगलौर	6.8.94 से 7.8.94	2	11112.00	हवाई जहाज
13.	कलकत्ता	10.8.94	1	9594.00	हवाई जहाज
14.	जयपुर	12:8.94	1	–	विशिष्ट जहाज
15.	चण्डीगढ़	16.8.94	1	1050.00	रेलगाड़ी
16.	बम्बई	27.8.94 से 28.8.94	2	4333.00	हवाई जहाज
17.	हरिद्वार	29.8.94	1	3206.00	सड़क
18.	बंगलौर	3.9.94 से 5.9.94	3	4557.00	हवाई जहाज
19.	चण्डीगढ़	13.9.94	1	–	विशिष्ट जहाज
20.	लुधियाना	15.9.94	1	–	रेल गाड़ी (एच.ओ.आर)
21.	लक्ष्मण गढ़	17.9.94	1	5477.00	सड़क
22.	जयपुर–बम्बई	18.9.94 से 19.9.94	2	6960.00	हवाई जहाज
23.	कुरूक्षेत्र/लुधियाना	9.10.94	1	–	रेलगाड़ी (एच.ओ.आर)
24.	चण्डीगढ़	20.10.94	1	–	रेलगाड़ी (एच.ओ.आर)
25.	अलीगढ़	23.10.94	1	2000.00 *	सड़क
26.	लीलावली	29.10.94	1	4000.00 *	सड़क
27.	बम्बई	30.10.94 से 1.11.94	3	10027.00	हवाई जहाज
28.	हैदराबाद	5.11.94	1	4791.00	हवाई जहाज
29.	करनाल	9.11.94	1	–	सड़क
30.	अलीगढ़	19.11.94	1	–	हैलीकाप्टर
31.	बम्बई	20.11.94	1	(बिल की प्रतीक्षा है)	हवाई जहाज
		कुल 42			

* अग्रिम वास्तविक बिल की प्रतीक्षा

विवरण–II

वित्तीय वर्ष 1994–95 (अप्रैल–नवम्बर, 94) के दौरान कृषि मंत्री द्वारा देश से बाहर किए गए दौरों पर हुआ व्यय

क्र.सं.	स्थान जहां का दौरा किया था	तिथि	दिन	किया गया व्यय (रु. में)	यात्रा की विधि
1.	मंगोलिया और चीन	9–15 अप्रैल, 1994	7	94,936.00	हवाई जहाज
2.	योकोहामा (जापान)	23–27 मई, 1994	5	1,88,600.00	हवाई जहाज
3.	सीरिया, जोर्डन, लेबनान तथा ओमान	18–28 जून, 1994	11	2,46,345.00	हवाई जहाज
4.	मनीला (फिलीपीन्स)	2–4 अक्तूबर, 1994	3	1,21,055.00	हवाई जहाज
		कुल	26 दिन	6,50,936.00	

[हिन्दी]

जलग्रहण क्षेत्र का विकास

1907 **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जलग्रहण क्षेत्र के विकास के लिये वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान किये जाने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य में नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जिसमें दांतीवाड़ा, उकाई, माही और दमणंगगा के जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत राज्य को ऋण देकर वित्तीय व्यवस्था की गई है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य को क्रमशः 197.50 लाख रुपये और 182.50 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है।

(घ) इस कार्यक्रम के लिए अब तक लगभग 150 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

महिलाओं को समान अधिकार

1908. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास सम्मेलन में हाल में क्रमशः अपने-अपने देशों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदण्डों के सशत परिवार में महिलाओं को सभी स्तरों पर पुरुषों के बराबर अधिकारों को मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गई है कि राष्ट्रों को महिलाओं को शक्तिसम्पन्न बनाने तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए। इस सिफारिश का क्रियान्वयन राष्ट्रीय विधानों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप, लोगों के विभिन्न धार्मिक और नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए तथा सर्व-स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र का परम अधिकार है।

(ग) सम्मेलन की यह सिफारिश, इस सम्बन्ध में, भारत सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के अनुरूप है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1909 **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कितने गांव शामिल किए गए हैं और अब तक कितने गांव इसके बाहर हैं; और

(ख) शेष गांवों को कब तक इन प्रणालियों के अंतर्गत शामिल कर लिया जायेगा?

विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के तहत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के 1775 ब्लाकों में लागू की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणली को कार्यान्वित करने हेतु संचालनात्मक जिम्मेदारी, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले गांवों की सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल करने के लिए अभिज्ञात ब्लाकों की सूची रखी जाती है। इस समय देश के सभी ब्लाकों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 500 और ब्लाकों में विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिनका आश्वासित रोजगार योजना में शामिल करने के लिए पता लगाया जा रहा है।

सरदार सरोवर परियोजना

1910. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर बहुउद्देश्य योजना के पर्यावरणीय पहलू सम्बन्धी अद्यतन स्थिति के मूल्यांकन के लिए हाल ही में एक समिति/दल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). परियोजना स्थल का दौरा करने तथा पर्यावरणीय कार्रवाई योजनाओं के अनुपालन की स्थिति और जलमार्गों के बन्द हो जाने पर पुनर्वास की स्थिति के संबंध में सूचना देने के लिए एक तथ्यान्वेषी दल गठित किया गया था। जिसमें सर्वश्री एस.सी. मुदगल (सलाहकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), कुशलप्पा (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक), बिट्टु सहगल एवं शाम चैनानी (पर्यावरणविद) शामिल थे।

(ग) से (ङ). इस दल ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का नवीकरण

1911. **डा. जयन्त रंगपी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में तथा असम के पर्वतीय जिलों में स्थापित किये गये गोदामों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इनमें से अधिकांश गोदामों का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में तथा पर्वतीय जिलों में खाद्य भंडारों की स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। गोदामों को उचित ढंग से रखा जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने असम के पहाड़ी जिलों में स्टाक स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर से रेल स्टाक भेजने, उत्तर से तथा पश्चिम बंगाल से लारियों द्वारा लम्बी दूरी के लिए सीधे संचलन कर सड़क दूरी को कम करने, राज्य सरकार के गोदामों में सीधे सुपुर्दगी देने आदि जैसे कई एक उपाय किए हैं।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 20.12.1994 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1911 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित उपाबंध।

उड़ीसा और असम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के स्थानवार ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान	राजस्व जिला
उड़ीसा		
1.	भुवनेश्वर	खुर्द
2.	खुर्द रोड	खुर्द
3.	जगन्नाथपुर	गंजम
4.	फूलबनी	फूलबनी
5.	रुपसा	बालासोर
6.	जलेश्वर	बालासोर
7.	रानीताल	भाद्रक
8.	क्योंझार	क्योंझार
9.	बारबिल	क्योंझार
10.	धनकनाल	धनकनाल
11.	अंगुल	अंगुल
12.	कसिंगा	कालाहंडी
13.	डुंगरीपल्ली	सोनपुर
14.	हीराकुड	सम्बलपुर
15.	अट्टाबीरा	बारमढ़
16.	झारसुगुडा	झारसुगुडा
17.	राउरकेला	सुन्दरगढ़
18.	जयपुर (उमेरी)	कोरापुट
19.	नवरंगपुर	नवरंगपुर
20.	रायगडा	रायगडा
21.	बादामपहाड़	गंजम

क्र.सं.	स्थान	राजस्व जिला
1	2	3
असम		
1.	गुवाहाटी	कामरूप
2.	तिहू	नालबाड़ी
3.	सिनोमेरा	जोरहाट
4.	गेसीगांव	कोकराझार
5.	धेमाजी	नार्थ लखीमपुर
6.	नारायणपुर	नार्थ लखीमपुर

1	2	3
7.	दिफू	कार्बियांगलोंग
8.	होजाई	नौगांव
9.	संचोवा	नौगांव
10.	बदरपुरघाट	करीमगंज
11.	रामनगर	कचार
12.	जोग्गीगोप्पा	गोलपाड़ा
13.	तिनसुखिया	डिब्रूगढ़
14.	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
15.	बिन्दुकुरी	सोहितपुर
16.	टांगला	दरांग
17.	भालुकपोंग	तेजपुर
18.	लखीमपुर	नार्थ लखीमपुर
19.	होजाई (एम.आर.एम.)	नौगंज

समुद्र तट

1912. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में समुद्री तटों के पर्यावरण गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) समुद्री तटों को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण की खराबी का मुख्य कारण समुद्री तटों के पास अशोधित औद्योगिक बहिस्राव एवं जल-मल का छोड़ा जाना है।

(ग) समुद्री तटों के प्रदूषण को रोकने के लिए पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी करके तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित किया गया है।

(2) प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाया गया है।

(3) राज्य प्रदूषण बोर्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि तटीय जल में बहिस्राव छोड़ने वाले उद्योग विहित मानकों का अनुपालन करें।

(4) जहां भी अनुप्रयोज्य है, उद्योगों/नगरपालिकाओं को अनुदेश दिए गए हैं कि वे डिफूजर प्रणाली वाले मैरीन आउटफालों का निर्माण करें।

[हिन्दी]

छपरा रेलवे स्टेशन

1913. श्री लाल बाबू राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सौन्दर्यकरण-कार्य के लिए कितना आबंटन किया जाएगा; और

(घ) सौन्दर्यकरण का कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). छपरा स्टेशन की इमारत अच्छी हालत में है और इसका अनुरक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। स्टेशन के महत्व को देखते हुए द्वीप प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने, लाइन सं. 4 पर आर सी सी एप्रेन की व्यवस्था करने, आदि जैसे विभिन्न सुधार कार्य 1993-94 के दौरान पूरे किये गये हैं। इसके अलावा, लाइन सं. 1 पर घुलनीय एप्रेन की व्यवस्था, पार्सल कार्यालय की शिफ्टिंग और आर सी सी टैंक के बदलाव आदि कार्य 33.20 लाख रुपये की लागत से शुरू कर दिये गये हैं। इन कार्यों पर 31.3.1994 तक 7.23 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और चालू वर्ष के दौरान 2.10 लाख रुपेय का आबंटन किया गया है। इन सभी कार्यों को मार्च, 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि विकास योजनाएं

1914. श्री छेदी पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कृषि विकास से संबंधित कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने खाद और लवण प्रभावित भूमि के समेकित भूमि उपयोग प्रबंध के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन योजनाओं को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था

1915. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने अपनी लेखा प्रणाली का क्षेत्रीय वितरण केन्द्रवार विकेन्द्रीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह किस हद तक उपयोगी सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या वस्तुओं की खरीद तथा नई वस्तुओं की बिक्री प्रारम्भ करने में भी क्षेत्रीय वितरण केन्द्र-वार, विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार के लेखाओं का, लेखा विभाग की कुशलता तथा सुव्यवस्थित कार्यकरण के हित में हाल ही में विकेन्द्रीकरण किया गया है। अभी थोड़ा ही समय हुआ है, अतः विकेन्द्रीकरण की उपयोगिता के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है, अतः इन क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

अवक्रमित वन क्षेत्र

1916. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल अवक्रमित वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वनरोपण/पुनः वनरोपण तथा पारिस्थितिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा कुल कितने क्षेत्र में पुनः वन लगाए गए तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1993" के अनुसार अवक्रमित वन क्षेत्रों सहित वन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1993" के अनुसार वनीकरण/पुनर्वनीकरण, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों तथा प्राकृतिक पुनरुद्धार से सुधारे गए अवक्रमित वन क्षेत्रों सहित वनीकरण में आए परिवर्तनों का संलग्न विवरण ब्यौरा-II में दिया गया है।

विवरण-I

(वर्ग कि.मी.)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सघन वन (40 प्रतिशत से अधिक सघनता)	खुले वन (10% से 40% तक सघनता)	मेन्ग्रोव	कुल वनाच्छित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25,008	21,870	378	47,256
2.	अरुणाचल प्रदेश	54,510	14,151	–	68,661
3.	असम	15,998	8,510	–	24,508
4.	बिहार	13,172	13,415	–	26,587
5.	गोवा	995	249	3	1,247
6.	गुजरात	6,301	5,324	419	12,044
7.	हरियाणा	329	184	–	513
8.	हिमाचल प्रदेश	9,565	2,937	–	12,502
9.	जम्मू और कश्मीर	10,953	9,490	–	20,443
10.	कर्नाटक	24,852	7,491	–	32,343
11.	केरल	8,421	1,915	–	10,336

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	95,537	39,859	–	135,396
13.	महाराष्ट्र	25,680	18,024	155	43,859
14.	मणिपुर	5,307	12,314	–	17,621
15.	मेघालय	3,305	12,464	–	15,769
16.	मिजोरम	4,238	14,459	–	18,697
17.	नागालैंड	3,487	10,861	–	14,348
18.	उड़ीसा	27,151	19,799	195	47,145
19.	पंजाब	481	862	–	1,343
20.	राजस्थान	3,581	9,518	–	13,099
21.	सिक्किम	2,395	724	–	3,119
22.	तमिलनाडु	9,422	8,283	21	17,726
23.	त्रिपुरा	1,819	3,719	–	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	22,965	10,996	–	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	3,362	2,705	2,119	8,186
26.	अंडमान व निकोबार	6,567	91	966	7,624
27.	चंडीगढ़	4	1	–	5
28.	दादर व नगर हवेली	159	47	–	206
29.	दमन व द्वीव	–	3	–	3
30.	दिल्ली	12	10	–	22
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–
		3,85,576	2,50,275	4256	64,0,107

विवरण–II

(वर्ग कि.मी.)

क्रं.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991 का मूल्यांकन	1993 का मूल्यांकन	1993 में परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	47,290	47,256	–34
2.	अरुणाचल प्रदेश	68,757	68,661	–96
3.	असम	24,751	24,508	–243
4.	बिहार	26,668	26,587	–81
5.	गोवा (दमन व द्वीव सहित)	1,225	1,250	–5
6.	गुजरात	11,907	12,044	+137
7.	हरियाणा	513	513	–
8.	हिमाचल प्रदेश	11,780	12,502	+722
9.	जम्मू व कश्मीर	20,064	20,443	+379
10.	कर्नाटक	32,199	32,343	+144
11.	केरल	10,292	10,336	+44

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	135,785	135,396	-389
13.	महाराष्ट्र	44,044	43,859	-185
14.	मणिपुर	17,685	17,621	-64
15.	मेघालय	15,875	15,769	-106
16.	मिजोरम	18,853	18,697	-156
17.	नागालैंड	14,321	14,348	+27
18.	उड़ीसा	47,205	47,145	-60
19.	पंजाब	1,343	1,343	-
20.	राजस्थान	12,835	13,099	+264
21.	सिक्किम	3,033	3,119	+86
22.	तमिलनाडु	17,713	17,726	+13
23.	त्रिपुरा	5,535	5,538	+3
24.	उत्तर प्रदेश	33,609	33,961	+352
25.	पश्चिम बंगाल	8,015	8,186	+171
26.	अंडमान व निकोबार	7,622	7,624	+2
27.	चंडीगढ़	5	5	-
28.	दादर व नगर हवेली	206	206	-
29.	दिल्ली	22	22	-
30.	लक्षद्वीप	-	-	-
31.	पाण्डिचेरी	-	-	-
		539,152	540,107	+925*

टिप्पणी:- *इसमें व्याख्यापरक सुधार शामिल हैं।

[हिन्दी]

कीटनाशकों के मूल्य

1917. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फसलों पर छिड़काव करने के उपयोग में आने वाले कीटनाशकों के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्राधिकारियों के क्या नाम हैं जो विभिन्न कंपनियों को अपने उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य कीटनाशकों का तुलनात्मक मूल्य, कीटनाशक वार क्या रहा;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि में कीटनाशकों के मूल्यों में हुई वृद्धि की दर उचित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्यों में उसी अनुपात में वृद्धि की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). महोदय, कीटनाशकों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है।

(ग) प्रमुख कीटनाशकों के मूल्यों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(घ) कीटनाशकों के मूल्य आदान की लागत, केन्द्रीय और राज्य कर तथा लेवी पर निर्भर करते हैं।

(ङ) और (च). कृषि फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कीटनाशकों की लागत पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कीटनाशकों की खपत कम करने के लिए सरकार एकीकृत कृषि प्रबंध दृष्टिकोण अपनाने को बढ़ावा दे रही है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-रासायनिक कृमि नियंत्रण उपायों तथा रासायनिक कीटनाशकों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया।

विवरण

प्रमुख कीटनाशकों का पिछले तीन वर्षों (1992-93, 1993-94 और 1994-95) का कीटनाशकवार तुलनात्मक मूल्य

क्र.सं.	कीटनाशकों का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 (नवम्बर, 94 तक)
1.	इडोसल्फान 35 प्रतिशत ई.सी.	141	149	160
2.	मोनोक्रोटोफोस 36 प्रतिशत एस.एल.	237	248	237
3.	फास्फोमिडान 85 प्रतिशत एस.एल.	261	270	293
4.	डाईमेथोरेट 30 प्रतिशत ई.सी.	127	131	132
5.	मिथाइल पैराथियन 50 प्रतिशत ई.सी.	166	170	226
6.	क्विनालकोस 25 प्रतिशत ई.सी.	193	196	213
7.	फेनवालेरेट 20 प्रतिशत ई.सी.	254	242	229
8.	मैलाथियन 50 प्रतिशत ई.सी.	86	87	96
9.	मैलाथियन 5 प्रतिशत चूर्ण	67	69	75
10.	बी.एच.सी. 10 प्रतिशत डी.पी.	27	28	40
11.	कार्बेनडैजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू. पी.	296	323	320
12.	बटाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी.	150	142	171
13.	एनिलोफास 30 प्रतिशत ई.सी.	175	179	200
14.	सिपेरमेपियन 10 प्रतिशत ई.सी.	235	252	247
15.	2.4-डी सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत	100	95	10
16.	मैंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू पी.	119	134	159
17.	कापर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.डी.पी.	108	135	126
18.	क्लोरोफाइरिफास 20 प्रतिशत ई.सी.	221	280	277
19.	फोरेट 10 जी	33	32	38

[अनुवाद]

वैशाक्षवर मंदिर

1918. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1994 के "फायनैंशियल एक्सप्रेस" में "मिसिंग टैपल टू बी साल्वेजड़ विद द हैल्प फ्राम आई आर एस-वन बी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम के समुद्र तल से वैशाक्षवर मंदिर का ध्रंशोद्धार करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वैशाक्षवर मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

[हिन्दी]

ताजमहल देखने की अनुमति देना

1919. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार, आगरा विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा पर्यटकों को रात्रि के समय "फ्लड लाइट" में ताजमहल देखने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिया जायेगा; और

(ग) इस प्रकार की अनुमति देने में आपत्तियां क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। आगरा विकास प्राधिकरण ने ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (ग). यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्कूलों के लिए टी.वी. और वी.सी.पी.

1920. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स एंड इनफोरमैटिक्स मीडिया (ई.एम. आई.) ने सरकार को शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में एक रंगीन टेलीविजन और वी.सी.पी. की व्यवस्था करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पैलेस ऑन व्हील्स

1921. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी चलाने हेतु सरकार को किन कंपनियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी किन-किन रूटों पर चलाने हेतु आवेदन मांगे गये थे;

(ग) ठेके देते समय क्या मानदंड अपनाये जाने का विचार है; और

(घ) ये ठेके कब तक दे दिये जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा 5 बड़ी लाइन सर्किटों पर पैलेस-ऑन-व्हील्स किस्म की गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन एवं प्रबंधन के लिए जारी किये गये विश्व-व्यापी निविदा के संबंध में निम्नलिखित कंपनियों ने निविदाएं प्रस्तुत की हैं :—

1. मैसर्स स्टर्लिंग हॉलीडे रेजोर्ट्स (इंडिया) लि., मद्रास
2. मैसर्स सहारा इंडिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कापोरेशन लि., लखनऊ
3. मैसर्स इंडियन होटल्स कं. (द ताज ग्रुप आफ होटल्स), नई दिल्ली
4. ईस्टवेस्ट ट्रैवल्स एण्ड ट्रेड्स लिंक्स लि., नई दिल्ली
5. द ईस्ट इंडिया होटल्स लि., दिल्ली
6. डेटाविजन सिस्टम्स प्रा. लि., नई दिल्ली
7. मैसर्स एस.एस. पाटिल, सिकंदराबाद
8. मैसर्स रॉकलैण्ड लीजिंग लि., नई दिल्ली
9. मैसर्स पाटिल टूअर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि., सिंकदराबाद
10. मैसर्स एल.एस. पाटिल, सिकंदराबाद
11. मैसर्स पाटिल रेल एण्ड रोड ट्रैवल्स प्रा. लि., सिकंदराबाद
12. मैसर्स मैट्रोनैक्स कार्स एण्ड बाइक्स लि., मद्रास
13. मैसर्स पैन इण्डिया पर्यटन लि., बंबई
14. मैसर्स गुडविल ट्रेवल एण्ड कार्गो, मद्रास

(ख) निम्नलिखित पर्यटन सर्किटों के लिए निविदाएं आंमत्रित की गई हैं :—

(1) दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खजुराहो)-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली

(2) बंबई-औरंगाबाद (अजंता/एलोरा)-नांदेड़-सिकंदराबाद-हैदराबाद-पुणे-बंबई

(3) कलकत्ता-गया (राजगीर-नालंदा)-वाराणसी (सारनाथ)-गोरखपुर (लुंबिनी/कुशीनगर) -भुवनेश्वर-पुरी-कलकत्ता

(4) गोवा-(मडगांव)-मंगलोर-मैसूर(बेलूर/हालेबिड)- हास्पेट (हम्पी)-बेंगलूरू-गोवा-(मडगांव)

(5) बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडैकेनाल रोड-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम-कोचीन-मैटुपालायम(ऊटी)-बेंगलूरू

(ग) संविदा, सकल टर्न ओवर के 15 प्रतिशत के ऊपर सर्वोच्च बोली तथा संबंधित क्षेत्रों में बोलीदाता के अनुभव के आधार पर दी जाएगी। बोलीदाता को रेक की पूंजी लागत तथा उसके कर्षण और अनुरक्षण की लागत भी वहन करना अपेक्षित होगा।

(घ) संविदा शीघ्र दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

स्लीपरों का निर्माण

1922. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने कंकरीट स्लीपरों की आवश्यकता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा ऐसे कितने कंकरीट स्लीपर खरीदे गये, वर्षवार तथा कंपनी-वार ब्यौरा दें;

(ग) क्या सरकार ने किसी स्लीपर उत्पादन यूनिट को उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन कंकरीट स्लीपरों की खरीद के आदेश दिये जाने से इनकी सप्लाई होने तक कितना समय लगता है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1994-95 के दौरान 63.14 लाख अदद कंकरीट स्लीपर।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा खरीदे गए स्लीपरों की कुल संख्या :—

1991–92	47.75 लाख अदद
1992–93	59.10 लाख अदद
1993–94	67.38 लाख अदद

कंपनी-वार तथा वर्ष वार ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ). पूर्व रेलवे ने अपनी सभी सात स्लीपर इकाइयों को 30.9.94 से स्लीपरों का उत्पादन अन्तिम रूप से बंद करने को कहा है क्योंकि ये इकाइयां पूर्व रेलवे की आवश्यकता से अधिक स्लीपरों का उत्पादन कर चुकी थीं। रेल मंत्रालय ने अब सभी कार्यरत कंकरीट स्लीपर इकाइयों को उनकी 75 प्रतिशत क्षमता पर चलाने का विनिश्चय किया है ताकि भविष्य में किसी भी इकाई को बंद न करना पड़े जिसके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) इससे संपूर्ण आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कंकरीट स्लीपरों की खरीद का कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	फर्म का नाम	वर्ष के लिए		
		1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	मै. इंडियन ह्यूम पाइप कं. लिमिटेड, कराड़ी	78703	110702	130003
2.	मै. प्रिस्ट्रैस (इंडिया) प्रा. लिमि., वरोरा	160760	171232	176009
3.	मै. कैप्रीकॉन स्लीपर वर्क्स, बम्बई	181390	215710	234504
4.	मै. इंजीनियर्स प्रिस्ट्रैस्ड स्ट्रक्चर्स प्रा.लि., ग्वालियर	80519	98660	108250
5.	मै. स्ट्रैसक्रीट प्रा. लि., नई दिल्ली	146655	180924	141258
6.	मै. बैमको स्लीपर्स प्रा. लिमि. औरंगाबाद	42196	42409	25943
7.	मै. खेमचन्द, वाराणसी	75566	82048	73940
8.	मै. इंजीनियर्स प्रिस्ट्रैस्ड स्ट्रक्चर्स (आंत्री यूनिट) प्रा. लि., ग्वालियर	84393	85809	103189
9.	मै. कंक्रीट इंडिया, लोनावला	22789	47332	87602
10.	मै. मराठवाड़ा प्रिस्ट्रैस्ड प्रा. लि., औरंगाबाद	18850	20660	40997
11.	मै. श्री केशनरिया कंक्रीट प्रॉडक्टस (प्रा.लि.) ग्वालियर	47340	60128	83384
12.	मै. बैमको स्लीपर्स प्रा.लि., औरंगाबाद	60719	41950	27462
13.	मै. दया इंजीनियरिंग वर्क्स, गया	227661	279912	246966
14.	मै. दया इंजीनियरिंग वर्क्स (स्लीपर्स) लि. गया	227354	226977	158391
15.	मै. प्रिस्ट्रैस्ड उद्योग (इंडिया) प्रा. लि., धनबाद	88412	108129	120439
16.	मै. तातिया कंक्रीट प्रॉडक्टस प्रा. लि. कलकत्ता	123580	126498	177426
17.	मै. तंक्रीट इंडिया प्रा. लि., रामपुरहाट	21369	7343	5291
18.	मै. मूवा इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., कलकत्ता	99708	105450	101689
19.	मै. स्ट्रैसकॉन (इंडिया) प्रा. लि., कलकत्ता	45840	56496	55352
20.	मै. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि, जंगपुरा, नई दिल्ली	155232	165202	170536
21.	उप-मुख्य इंजीनियर, सूबेदारगंज, इलाहाबाद	129855	142352	153844
22.	उप-मुख्य इंजीनियर, खालिसपुर, वाराणसी	60801	43458	51234
23.	मै. जय प्रिंस्ट्रैस्ड प्रॉडक्ट्स लि., नई दिल्ली	53665	131282	143273
24.	मै. ट्रैक इन्नोवेशंस (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली	25372	86784	110441
25.	मै. आशी प्रा.लि., नई दिल्ली	–	–	39467
26.	मै. अरविन्द कन्सट्रक्संस कं. लि., नई दिल्ली	–	47724	161584

1	2	3	4	5
27.	मै. दया इंजीनियरिंग वर्क्स (स्लीपर) लि., गया	–	51902	167751
28.	मै. अन्नावरम् कंक्रीट प्रा. लि., गया	27506	72464	92314
29.	मै. नटराज इंजीनियर (प्रा.) लि., पटना	25072	25072	100948
30.	मै. सी सी आई प्रिस्ट्रैस्ड टाइज (प्रा.) लि., बरेली	–	–	10822
31.	मै. अरुणोदय कंन्ट्रक्शंस कं. (प्रा.) लि. गुवाहाटी	–	3252	37661
32.	मै. पी सी एम सीमेंट कंक्रीट प्रा. लि., कलकत्ता	–	29760	16488
33.	मै. कंक्रीट प्रॉडक्ट्स एंड कन्स्ट्रक्शंस लि., मद्रास	134389	147646	128409
34.	मै. कोट्टूकुलम इंजीनियर्स प्रा. लि., मद्रास	82104	143442	95024
35.	मै. कंक्रीट प्रॉडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस लि., मद्रास	112046	112198	122149
36.	मै. के ई के प्रिस्ट्रैस्ड कंक्रीट लि., तिरूवनंतपुरम	91167	56808	63652
37.	मै. नैल्लई कंक्रीट प्रॉडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस कं., मद्रास	–	–	25523
38.	मै. मालू स्लीपर्स (प्रा.) लि., बेंगलूरू	–	–	63496
39.	मै. श्री मारुति बिल्डर्स, बेंगलूरू	–	–	22998
40.	मै. मैसूर स्ट्रक्चरल्स लि., बेंगलूरू	141189	223398	192967
41.	मै. दी कंक्रीट प्रॉडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस कं., मद्रास	102059	88640	129364
42.	मै. रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स प्रा. लि. सिकंदराबाद	133475	208350	163147
43.	मै. राघवेन्द्र प्रिस्ट्रैस्ड प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. सिकंदराबाद	84491	133342	182943
44.	मै. कोरोमंडल कंक्रीट प्रॉडक्ट्स लि. विशाखापतनम	21429	65114	90895
45.	मै. लक्ष्मी प्रिस्ट्रैस्ड कंक्रीट वर्क्स, वारंगल	3073	29191	44666
46.	मै. महादेव इन्डस्ट्रीज, सिकंदराबाद	–	9084	88654
47.	मै. उड़ीसा कंक्रीट, प्रॉडक्ट्स लि., झारसुगुडा	137002	117681	152039
48.	मै. इस्को ट्रैक स्लीपर्स प्रा. लि., नागपुर	171307	178797	209013
49.	मै. उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., कलकत्ता	229677	274312	231734
50.	मै. विजय प्रिस्ट्रैस्ड प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लि., विशाखापतनम	123454	137356	124831
51.	मै. रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स (प्रा.) लि., सिकंदराबाद	41698	96836	84934
52.	मै. नीलगिरी स्लीपर प्रा. लि., गया	90470	120725	87061
53.	मै. डी ई डब्ल्यू कंक्रीट टाईज, प्रा. लि., गया	70476	111595	80827
54.	मै. दया कंक्रीट प्रा. लि., गया	1732	34892	67466
55.	मै. यूनाइटेड वैब्स, दुर्ग	33576	50177	64405
56.	मै. माजदा कंक्रीट प्रॉडक्ट्स लि., कलकत्ता	21054	33800	36376
57.	मै. प्रिस्ट्रैस्ड उद्योग (इंडिया) प्रा. लि.	10504	48477	65856
58.	मै. उषा प्रिस्ट्रैस्ड स्लीपर उद्योग (पिपलेद) अहमदाबाद	73928	84026	95664
59.	मै. मणिभाई ब्रादर्स (स्लीपर्स) अहमदाबाद	124230	130011	122742
60.	मै. एस. सुब्रहमणयन एंड कं., पंचमहल	103061	85113	101943
61.	मै. वामन प्रिस्ट्रैसिंग कं. प्रा. लि., बंबई	128723	152704	190137
62.	मै. तंक्रीट इंडिया प्रा. लि., रामपुरहाट	236	3828	10564
63.	मै. दोनीपोलो उद्योग प्रा. लि., शामगढ़	62892	105672	133380
64.	मै. रूरल इंजीनियरिंग कं.(प्रा.) लि., कलकत्ता	–	–	38512
65.	मै. साहूवाला सिलिंडर्स लि., विशाखापतनम	57367	59847	61777
66.	मै. गैन्नन डंकर्ली एंड कंपनी लि., नई दिल्ली	41513	2583	12089

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में "मैरी-गो-राउंड"

1923. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे निर्माण एकक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के एककों को जोड़ने के लिए चक्रदोला("मैरी-गो-राउंड") का निर्माण कार्य शुरू किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कोयले के इंटर मैरी गो राउंड (एम जी आर) संचलन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने 1987 में 5.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रिहंद सुपर ताप बिजली परियोजना विंध्याचल सुपर ताप बिजली परियोजना तथा सिंगरोली सुपर ताप परियोजना को मैरी गो राउंड (एम जी आर) रेल-पथ प्रणाली के माध्यम से आपस में जोड़ने के कार्य के लिए इरकान को संविदा दी गई थी। सिगनल तथा अंतर्पाशन के कार्य, जिसे 1995 के अंत तक पूरा करने का कार्यक्रम है, को छोड़कर इन्हें आपस में जोड़ने का कार्य कमोबेश पूरा हो गया है। गैर-सिगनल संचलन पर यह इंटर कनेक्शन पहले से ही परिचालन में है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग स्नातक

1924. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आई.टी. खड़गपुर द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार काफी अधिक संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक अंततः इस कैरियर को नहीं अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) एक विद्यार्थी को इंजीनियरिंग डिग्री दिलाने में सरकारी राजकोष से अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातक इंजीनियरों में आंतरिक प्रतिभा पलायन" नामक अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन की अवधि तीन वर्ष है, जो इस वर्ष शुरू की गयी है। चूंकि यह अध्ययन प्रारंभिक अवस्था में है अतः अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वर्ष 1989-90 में किए गए एक विश्लेषण के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रतिवर्ष प्रति छात्र पर खर्च बी.टेक के लिए लगभग 52000/-रुपए, स्नातकोत्तर के लिए लगभग 77000/- रुपए तथा पी.एच.डी. के लिए लगभग 98000/- रुपए होता है।

[हिन्दी]

नरमा सिंचाई परियोजना

1925. **श्री ललित उरांव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला जिले में नरमा सिंचाई परियोजना का कार्य, उनके मंत्रालय द्वारा वन भूमि से होकर नहर के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के कारण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो वह परियोजना कब से लम्बित है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बिहार में गुमला जिले में नरमा सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कंपनियों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना

1926. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) और उनके द्वारा अभी तक कितनी शैक्षिक संस्थाएं कहां-कहां स्थापित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों द्वारा ये शैक्षिक संस्थाएं कब स्थापित की जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). जी, नहीं। तथापि, विदेशी अथवा अप्रवासी भारतीयों के निवेश से खोले जाने वाले स्कूलों के लिए भारतीय कंपनियों के दो प्रस्तावों को शैक्षिक दृष्टिकोण से पारित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गुफाओं का रखरखाव

1927. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई में महाकाली, कन्हेरी और मंडपेश्वर गुफाओं में अनाधिकृत कब्जे, सफाई व्यवस्था और रखरखाव की वर्तमान दयनीय स्थिति से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाने का विचार है और योजनावधि के दौरान इनके रखरखाव और संरक्षण की योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). मुम्बई में महाकाली, कन्हेरी और मंडपेश्वर गुफाएं भलीभांति संरक्षित हैं। केवल मंडपेश्वर गुफा पर अतिक्रमण है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

स्मारकों की नियमित सफाई और रखरखाव के अलावा, संरचनात्मक मरम्मत इनकी वास्तविक आवश्यकता और पुरातात्विक मानदंडों के अनुसार की जाती है। महाकाली और कन्हेरी गुफाओं पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए बाड़ा लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

समेकित जल-विभाजक प्रबंधन

1928. प्रो. प्रेम धूमल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित जल-विभाजक प्रबंधन के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं को विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य-वार अद्यतन राज्य-सरकारों को अब तक कितनी सहायता राशि दी गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख). ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान चलाई जा रही परियोजनाओं और परियोजनाओं के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	चलाई जा रही जल विभाजक परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र(है0)	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	आबंटन 1994-95 (लाख रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	1970	96.540	50.00
2.	असम	110	104973	2494.260	400.00
3.	हिमाचल प्रदेश	58	37240	1541.576	475.00
4.	जम्मू और कश्मीर	44	22008	767.270	60.00
5.	मणिपुर	5	8867	252.720	80.00
6.	मेघालय	8	4110	225.930	5.00
7.	मिजोरम	20	17858	797.496	75.00
8.	नागालैंड	28	15080	454.000	80.00
9.	सिक्किम	12	7031	347.970	45.00
10.	त्रिपुरा	17	7634	247.000	40.00
11.	उत्तर प्रदेश*	190	238632	7481.000	1270.00
	कुल	495	465403	14705.762	2580.00

* समूचे राज्य को सूचना दी गई है। राज्य के हिमालयी क्षेत्र में 74 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

विवरण–II

विभिन्न राज्यों के हिमालयी क्षेत्र में विदेशी सहायता से चलाए जा रहे जल विभाजक प्रबंधन परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य	परियोजना	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (करोड़ रु.में)	विदेशी एजेंसियों से राज्य की प्रतिपूर्ति (अब तक)
1. हिमाचल प्रदेश	समेकित जल विभाजक विकास परियोजना (पहाड़ी)	39,124	39.31	2.52 मिलियन अमेरिकी डालर
2. हरियाणा	तदैव	22,062	41.13	2.464 मिलियन अमेरिकी डालर
3. जम्मू और कश्मीर	तदैव	41,349	42.42	3.612 मिलियन अमेरिकी डालर
4. पंजाब	तदैव	43,634	64.72	9.688 मिलियन अमेरिकी डालर
5. उत्तर प्रदेश	(1) दून घाटी में समेकित जल विभाजक प्रबंधन परियोजना।	1,72,155	80.85	–
	(2) भोमताल समेकित जल विभाजक प्रबंधन परियोजना।	20,982	11.50	3.62 (करोड़ रु.में)
	(3) दक्षिण भागीरथी (चरण–II) समेकित जल विभाजक प्रबंधन परियोजना।	48,915	14.17	14.17 (करोड़ रु. में)

दुग्ध उत्पादन

1929. डा. आर. मल्लू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन–फ्लड" और "श्वेत–क्रांति" जैसी विकास परियोजनाएं दुग्ध उत्पादन में सुधार, उत्पादन लागत में कमी, किसानों और उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ सुनिश्चत करने और बिचौलियों को समाप्त करने के ध्येय से शुरू की गई थी;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की समय सीमा के भीतर इन उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दुग्ध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में दूध और दुग्ध उत्पादनों का आयात–निर्यात किया गया;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "आपरेशन–फ्लड" की लाभकारी सहकारी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किसानों को लाभ दिए बगैर दूध और दुग्ध उत्पादों के मूल्य में बार–बार वृद्धि की जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध शेडों को शहरी मांग केन्द्रों से जोड़ने के द्वारा दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के संचयन, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए व्यवहार्य कृषक–स्वामित्व तथा प्रबंधित संगठनों की स्थापना करते हुए तथा बिचौलियों को हटाकर ग्रामीण उत्पादकों के लिए पूरे वर्ष भर लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने के आश्वासन के साथ देश के ग्रामीण दुग्ध शेडों में आनन्द पैटर्न की दुग्ध सहकारी समितियों का अनुकरण करना है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऑपरेशन फ्लड एवं अन्य डेयरी विकास तथा पशु पालन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 1970–71 की दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 107 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 1994 में 187 ग्राम प्रति दिन हो गई है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत तरल दूध की खरीद–फरोख्त के लिए लगभग 609 नगरों/शहरों को शामिल कर लिया गया है। 170 दुग्ध शेडों को शामिल करते हुए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 22 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सितम्बर, 1994 तक 8.78 मिलियन कृषक सदस्यों के साथ लगभग 68896 सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी थीं। सहकारी समितियों के द्वारा दूध की अधिप्राप्ति, 1971 के 6.5 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़कर 1994 में 111 लाख लीटर प्रति दिन हो गई है। ग्रामीण डेयरी तथा महानगरों ने मिलकर औसतन 93.6 लाख लीटर प्रति–दिन तरल दूध का कारोबार किया। दूर–दराज के क्षेत्रों से दूध का संचलन सुलभ करने के लिए देश भर में 171.7 लाख लीटर प्रति दिन की ग्रामीण प्रसंस्करण क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्य-वार कुल दुग्ध उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित तथा आयातित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) से (ज). ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत गठित डेयरियां, सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य सहकारी समितियों के स्वामित्व में हैं और अपने मूल्य निर्धारण नीतियों के निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। मूल्य निर्धारण तथा दिन-प्रतिदिन के प्रबंध में भारत सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है।

विवरण-I

राज्य-वार दुग्ध उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93 (अनन्तिम)	1993-94 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2943	3103	3950
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	42	42
3.	असम	639	657	776
4.	बिहार	3210	3360	3450
5.	गोवा	28	28	29
6.	गुजरात	3591	3795	3546
7.	हरियाणा	3565	3715	3740
8.	हिमाचल प्रदेश	597	610	635
9.	जम्मू तथा कश्मीर	581	600	630
10.	कर्नाटक	2475	2590	2662
11.	केरल	1785	1889	2000
12.	मध्य प्रदेश	4806	4879	5012
13.	महाराष्ट्र	3955	4102	4250
14.	मणिपुर	83	83	103
15.	मेघालय	50	52	54
16.	मिजोरम	8	9	12
17.	नागालैंड	43	37	45
18.	उड़ीसा	505	530	560
19.	पंजाब	5382	5583	6045
20.	राजस्थान	4474	4570	4700
21.	सिक्किम	29	30	30
22.	तमिलनाडु	3357	3468	3775
23.	त्रिपुरा	32	34	35
24.	उत्तर प्रदेश	10206	10649	11000
25.	पश्चिम बंगाल	3019	3023	3400
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24	21	24
27.	चण्डीगढ़	34	37	38
28.	दादर और नगर हवेली	3	4	4
29.	दमन और दीव	–	1	1
30.	दिल्ली	227	250	260
31.	लक्षद्वीप	1	1	1
32.	पाण्डिचेरी	27	27	28
	योग संघ राज्य क्षेत्र कुल योग	55679	57779	60837

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित तथा आयातित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की मात्रा (हजार किलो ग्राम में)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1.	चीनी रहित तथा अन्य मिष्ठान रहित असान्द्रित दूध तथा क्रीम	–	259.2	–	1825.8	–	1138.0
2.	सान्द्रित अथवा चीनी/मिष्ठान पदार्थ युक्त दूध तथा क्रीम	2294.9	1718.9	591.5	7603.3	1578.0	1936.0
3.	छांछ, दही तथा क्रीम आदि	–	–	8.0	–	–	2.0
4.	सान्द्रित अथवा असांद्रित अथवा प्राकृतिक दूध अवयवों से रहित, मठ्ठा	6.1	150.0	–	–	13.0	47.8
5.	दूध से निकाला गया बटर तथा अन्य वसा चिकनाई	340.2	3192.2	492.4	569.7	437.0	130.0
6.	पनीर तथा दही	2.2	7.0	–	15.9	3.0	34.0

पाम शुगर का उत्पादन

1930. श्री धर्मभिक्षम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में वर्तमान में पाम शुगर और पाम जैगरो का कुल राज्य-वार उत्पादन क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

"मदर डेयरी" दूध की कीमत

1931. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर डेयरी द्वारा विभिन्न प्रकार के दूध के बिक्री मूल्यों में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस पर निजी दूध आपूर्तिकर्ताओं और जनता की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) मदर डेयरी ने दिनांक 6.12.1994 से टोन्ड दूध का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.50 रुपये तथा पूर्ण मलाई युक्त दूध का मूल्य 11.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

वर्तमान शीतकाल के दौरान दूध की बेहतर उपलब्धता तथा राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों द्वारा कम मूल्य पर दूध की आपूर्ति करने की सहमति के परिणामस्वरूप मदर डेयरी ने अपने दूध के मूल्य में कमी की है।

(ख) दूध के विक्रय मूल्य में इस कमी से उपभोक्ता प्रसन्न हैं। निजी क्षेत्र ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की है।

[अनुवाद]

जोजोबा पर अनुसंधान

1932. श्री शशि प्रकाश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों के लिए मैक्सिको में जोजोबा के नाम से उच्चारित, सिमोंडसिमा चिर्नेसिस (जोजोबा) पौधे के बीजों पर कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश और विदेश में किन-किन संगठनों ने इस पर व्यापक अनुसंधान किया है; और

(ग) इसकी प्रति हैक्टेयर उपज कितनी है और इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, जोधपुर के क्षेत्रीय केन्द्र, तथा केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में पूरी तरह उपयोग में न लायी गयी फसलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत जोजोबा पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

अन्य देशों में अनुसंधान कार्य में लगी संस्थाएं निम्न हैं:—

1. बेन-गुरिओन यूनि. ऑफ द नेगेव आई.ए.आर., पी.ओ. 1.3. 1025 बीर-शेवा 84110, इजराइल।
2. एग्रोपैक्यूरिया इल वैले एस.ए. जोस लोबोस-1836, कोटामार्का, अर्जेन्टिना।
3. एन.एस. डब्लू. एग्रीकल्चर कोर्डोबोलिन न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया।
4. वानस्पतिक तथा पौध सेवा विभाग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाइड, सी ए 92521, अमेरिका।
5. शुष्क भूमि अध्ययन तथा जैव संसाधन अनुसंधान सुविधा कार्यालय 250 ई, वेलेनसिया रोड एरिजोना 85706 अमेरिका।

(ग) व्यावसायिक तौर पर 8-10 वर्षों में उत्पादन प्राप्त किया जाता है तथा 35-40 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की पैदावार ली जा सकती है।

रुपये के रूप में तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य रु. 150 से रु. 200 प्रति कि.ग्रा. तक है।

[हिन्दी]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अनधिकृत कब्जा

1933. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली के आवासीय एवं गैर-आवासीय परिसर का कुल कितना क्षेत्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अनधिकृत कब्जे में है;

(ख) अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान को कब तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपने आवासीय परिसर का कब्जा मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, सचिवालय प्रशिक्षण व प्रबन्धन संस्थान का कोई क्षेत्र विश्वविद्यालय के अनधिकृत कब्जे में नहीं है। वास्तव में, विश्वविद्यालय को एन.ए.ए. परिसर 1972 में संपदा निदेशालय द्वारा इस समझौते के साथ आबंटित किया गया था कि विश्वविद्यालय, अपना भवन अधिग्रहण हेतु तैयार होते ही परिसर खाली कर देगा। तद्नुसार, नए परिसर में अधिग्रहण हेतु जैसे-जैसे विश्वविद्यालय के भवन तैयार हो रहे हैं, वह एन.ए.ए. परिसर के विभिन्न भवन खाली कर रहा है। आजकल विश्वविद्यालय के अधिकार में 120 टाईप-I क्वार्टर, 40 टाईप-II क्वार्टर, छात्रावास ब्लॉक-III व छात्रावास ब्लॉक-I के 13 कमरे हैं। विश्वविद्यालय का छात्रावास ब्लॉक-I में 13 कमरे शीघ्र खाली करने का प्रस्ताव है तथा विश्वविद्यालय के वैकल्पिक परिसर अधिग्रहण के लिए तैयार होते ही शेष परिसर खाली कर दिए जायेंगे।

[अनुवाद]

गन्ना की देय बकाया राशि

1934. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1994 को किसानों को गन्ने के बकाया के रूप में राज्यवार कितनी राशि देय थी;

(ख) क्या गन्ने की बढ़ती हुई बकाया राशि से किसान गन्ने का उत्पादन करने के प्रति हतोत्साहित हो रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी मिलों द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार वर्ष 1993-94 तथा पहले के मौसम से संबंधित किसानों को दिए जाने वाले गन्ने के बकाया देय मूल्य के 15 नवम्बर, 1994 के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) 15 नवम्बर, 1994 को गन्ना मूल्य का बकाया पिछले तीन मौसमों की इसी तारीख के बकाया देय से कम रहा है :—

(करोड़ रुपयों में)

को स्थिति	गन्ना मूल्य बकाया		जोड़
	इस मौसम में	पहले के मौसमों में	
15.11.94	55.75	27.79	83.54
15.11.93	68.98	27.10	96.08
15.11.92	212.32	4.74	217.06
15.11.91	81.01	11.63	92.64

यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि गन्ना मूल्य के बकाया देय के साथ-साथ कृषि-जलवायु कारक जैसे सूखा आदि तथा गन्ने के अलावा अन्य फसलों के लिए उपलब्ध प्रतियोगात्मक मूल्यों का भी गन्ना बुआई क्षेत्र पर असर पड़ता है।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किये गये गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) का भुगतान करना चीनी मिलों के लिए आवश्यक है। राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों (एस.ए.पी.) के मामले में जो कि एस.एम.पी. से बहुत अधिक होते हैं, गन्ने के मूल्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की प्रमुखतः जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान को बाध्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और क्षेत्रीय संगठन हैं। राज्य सरकारों को अपने राज्य में गन्ना मूल्य के बकाया के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट विवरण।

1993-94 और पहले के मौसमों से संबंधित 15.11.94 को गन्ना मूल्य के बकाया की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गन्ना मूल्य का बकाया		
		1993-94 मौसम से संबंधित	1993-94 मौसम के पहले के मौसमों से संबंधित	जोड़
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	2.00	0	2.00
2.	हरियाणा	8.04	2.36	10.40
3.	राजस्थान	2.02	0	2.02
4.	उत्तर प्रदेश	1755.08	324.97	2080.05
5.	मध्य प्रदेश	47.73	5.16	52.89
6.	गुजरात	60.05	241.38	301.43
7.	महाराष्ट्र	731.04	85.92	816.96
8.	बिहार	586.92	2050.99	2637.91
9.	असम	0.00	0.81	0.81
10.	आन्ध्र प्रदेश	536.96	0	536.96
11.	कर्नाटक	1646.80	6.43	1653.23

1	2	3	4	5
12.	तमिलनाडु	119.58	0.72	120.30
13.	केरल	54.36	0	54.36
14.	उड़ीसा	0.00	0.07	0.07
15.	पश्चिम बंगाल	0.17	1.37	1.54
16.	नागालैंड	24.12	58.00	82.12
17.	पांडिचेरी	0	1.26	1.26
18.	गोवा	0	0	0
	समस्त भारत	5575.17	2779.44	8354.61

महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार

1935. श्री पी.सी. चाको : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार" विषय पर किसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं। सरकार ने इस प्रकार के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया था। तथापि, प्राप्त सूचनानुसार इंस्टीट्यूट आफॅ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है, ने 19-20 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में एक दो-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

(ख) और (ग). सम्मेलन में, जिसमें शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया, महिलाओं को समान कानूनी अधिकार दिए जाने के सन्दर्भ में सम्पत्ति और उत्तराधिकार कानूनों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में दिए गए सुझाव व्यापक थे, जिनमें उत्तराधिकार और सम्पत्ति-कानूनों, अधिकतम भूमि-सीमा कानूनों, विवाह-कानूनों, शरीयत अनुप्रयाग अधिनियम, 1937 आदि का समुचित प्रवर्तन और यथावश्यक समीक्षा शामिल है।

(घ) महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधान की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। इस अधिदेश के अनुपालन में सरकार सम्पूर्ण देश में लोगों के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों को समुचित सम्मान देती है।

दुर्घटना स्थलों पर चिकित्सा सहायता

1936. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के निपटने में कार्य कुशलता में सुधार लाने और तुरन्त राहत प्रदान करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, जब कभी कोई कमी नजर आती है तब आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं।

कोचों का आयात

1937. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक रफ्तार की क्षमता वाले माल डिब्बों का प्रौद्योगिकी अन्तरण के साथ आयात करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन देशों के साथ बातचीत चल रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). तकनीकी हस्तांतरण सहित 160 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार वाले 24 आधुनिक हल्के भार के बड़े आमान के सवारी डिब्बों की खरीद के लिए एक निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में एक जर्मन तथा एक इटली की फर्म भागीदार है। बहरहाल, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त

1938. डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्तों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत वास्तविक पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सहायक आयुक्त (प्रशा.) के एक पद सहित सहायक आयुक्तों के 18 पद हैं जिनमें से 04 पदों पर अनुसूचित जातियों और 01 पद पर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हैं। एक और पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है जिसके लिए 6.1.1995 को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का बंद किया जाना

1939. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार इस समय भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम/डिपो बंद पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं और ये कब से बंद हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हुये; और

(घ) इस परिस्थिति के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितनी राशि का नुकसान हुआ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) श्रमिकों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे स्वयं ही कार्य से गैरहाजिर हुए थे। तथापि, कोयम्बतूर में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा उनका पंजीकरण रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप लगभग 181 कामगार बेराजगार हो गए हैं।

(घ) पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जहां लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमास निरर्थक मजदूरी (आइडल वेजिस) और गोदाम के किराए के रूप में भुगतान किए जा रहे हैं, कहीं भी वर्तमान श्रम स्थिति के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कोई सीधी हानि नहीं हुई है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के बन्द पड़े हुए गोदाम

क्र.सं.	राज्य/डिपो का नाम	बन्द होने के कारण	बन्द रहने की अवधि
1	2	3	4
केरल			
1.	अंगामल्ली		
2.	एलेप्पी		
3.	चिंगावनम		
4.	मावेलीकाड़ा	श्रमिक विभागीकरण की मांग कर रहे हैं।	लगभग 11 मास
5.	पालाघाट		
6.	नीलेश्वर		
7.	करुंगापल्ली		
तमिलनाडु			
8.	कोयम्बतूर	रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण रद्द करना	जुलाई, 1994 से
कर्नाटक			
9.	के.आर. पुरम	श्रमिक विभागीकरण की मांग कर रहे हैं।	लगभग छः मास
उत्तर प्रदेश			
10.	किच्छा	श्रमिक ठेकेदार को कार्य नहीं करने दे रहे हैं।	—वही—
11.	बाजपुर	—वही—	—वही—
12.	कोसीकलां	श्रमिकों के दो समूहों के बीच विवाद	15 दिन

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
13.	अहमदनगर	श्रमिक विभागीकरण की मांग कर रहे हैं।	लगभग 8 मास
मध्य प्रदेश			
14.	अशोक नगर	श्रमिक ठेकेदार के अधीन कार्य करने के लिए अप्रैल, 1993 से तैयार नहीं हैं और विभागीकरण की मांग कर रहे हैं।	
बिहार			
15.	जामुई	श्रमिकों और ठेकेदार के बीच विवाद	लगभग 2 मास
16.	शाहपुर पटौटी	गोदाम खाली करने का निर्णय लिया गया परन्तु श्रमिक निर्गम/संचलन नहीं करने दे रहे हैं।	1987 से
17.	बांका	–वही–	1989 से
पश्चिम बंगाल			
18.	बाबरहाट	अन्तर्यूनियन दुश्मनी	जून, 1989 से
19.	खागरबाड़ी	इंटक और सीटू समूहों के बीच अन्तर्यूनियन दुश्मनी	दिसम्बर, 1986 से
20.	डायमण्ड हार्बर	खाली किया जा रहा है। श्रमिक निर्गम/संचलन नहीं करने दे रहे हैं और विभागीकरण की मांग कर रहे हैं।	मई, 1992 से
21.	मथुरापुर	–वही–	दिसम्बर, 1990 से
22.	केनिंग	–वही–	जुलाई, 1990 से
23.	काकद्वीप	–वही–	–वही–
24.	बालीचौक	–वही–	जुलाई, 1991 से
25.	बेलदा	–वही–	फरवरी, 1991 से

रेल लाइन का दोहरीकरण

1940. श्री एस. शिवरामन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में कोट्टायम के रास्ते एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष में शुरू किए गए नये कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	खंड	राज्य	लम्बाई कि.मी. में	लागत (करोड़ रु. में)
1.	चंदनपुर–गुरुप तीसरी लाइन	पश्चिम बंगाल	17.24	25.29
2.	रजतगढ़–निरगुंडि	उड़ीसा	25.30	37.63
3.	अकलतारा–चांपा तीसरी लाइन	मध्य प्रदेश	25.60	39.97
4.	शोरुवण्णूर–कालीकट	केरल	56.00	96.00

(ग) जी, हां।

(घ) कायनकुलम-करूनागपल्ली खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। करूनागपल्ली से कोल्लम तक कार्य जून 95 तक पूरा कर दिया जाएगा तथा शेष कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

1941. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं तथा उनका स्थान, क्षेत्राधिकार खुलने की तिथि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के पीछे उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्थान-वार और क्षेत्राधिकार संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस समय देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य कर रहे क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रारम्भ होने की तिथि
1. हैदराबाद	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पाण्डिचेरी एवं कर्नाटक	28.09.94
2. पुणे	महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात	11.11.1994
3. भोपाल	मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान	01.12.1994
4. गाजियाबाद	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली	03.12.1994
5. गुवाहटी	पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, सिक्किम एवं अन्य पूर्वी राज्य	अभी शुरू होने हैं।

(ख) इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करना है।

(ग) एवं (घ). जी, हां। एक और क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में खोलने का प्रस्ताव है। इसके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है।

स्कूलों के मंत्रालयी कर्मचारियों के वेतनमान

1942. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका समिति और नवयुग स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं;

(ख) क्या इन वेतनमानों को शिवशंकर अथवा चौथे वेतन आयोग अथवा चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट में विचार किया गया है;

(ग) क्या इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को एन.डी.एम. सी. की नीति के अनुसार अन्य स्कूलों के अध्यापकों से एक स्केल अधिक वेतन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों के मंत्रालयी कर्मचारियों को न तो एन.डी.एम.सी. की नीति के अनुसार और न ही चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च). नई दिल्ली नगरपालिका और नवयुग स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान संलग्नक में दिए गए हैं। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान भारत सरकार द्वारा घोषित 1.1.1986 से प्रभावी वेतनमानों पर आधारित हैं। नवयुग स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान नवयुग स्कूल शैक्षिणिक सोसायटी द्वारा अभिशासित हैं और नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में उनके समान पदों पर कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षा एक स्केल अधिक है। जहां तक लिपिक वर्गीय स्टाफ का संबंध है, नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में, ये पद नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन अन्य विभागों में स्थानांतरणीय हैं और ये शिवशंकरन के वेतनमानों के अंतर्गत आते हैं। नवयुग स्कूलों में कार्यरत लिपिक वर्गीय स्टाफ के वेतनमान चौथे वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार हैं।

विवरण

स्कूलों के लिपिक वर्गीय स्टाफ और अध्यापकों के वेतनमान

श्रेणी	नई दिल्ली नगरपालिका स्कूल			नवयुग स्कूल
	वेतनमान (रु. में)			वेतनमान (रु. में)
	बेसिक	वरिष्ठ	चयन	
शिक्षण स्टाफ				
प्राइमरी स्कूल शिक्षक	1200-2040	1400-2600	1640-2900	1400-2600
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	1400-2600	1640-2900	2000-3500	1640-2900
स्नातकोत्तर शिक्षक	1640-2900	2000-3500	2200-4000	2000-3500
लिपिक वर्गीय स्टाफ				
कनिष्ठ लिपिक	1200-	2190		950-1500
वरिष्ठ लिपिक	1320-	2950		1200-2040
प्रधान लिपिक	1640-	3275		1400-2300
अधीक्षक	1800-	3500		1640-3000

[हिन्दी]

सहकारी आंदोलन

1943. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री मंजय लाल :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी आंदोलन के लिए वांछित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) अब चर्चा का ब्यौरा क्या है और दिल्ली में 14 से 20 नवम्बर, 1994 के दौरान मनाए गए सहकारी सप्ताह के क्या परिणाम निकले हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ). "सहकारिता" राज्य का विषय है। अतएव, सहकारी समितियां सम्बन्धित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत तथा अधिशासित होती है। वे सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में है तथा राष्ट्रीय सहकारी समिति संघ बहु-राज्यीय, सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है। राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां/संघ व्यापार नियमों द्वारा निर्धारण के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/संघों के नियन्त्रण में हैं। कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) सहकारिता सप्ताह मनाने में विशिष्ट क्षेत्र/क्रियाकलाप पर ध्यान दिया जाता है। 41 वें सहकारिता सप्ताह मनाने का ब्यौरा निम्नवत् है :—

14.11.94 सहकारी प्रजातन्त्र तथा स्व-विनियमन दिवस

15.11.94 सहकारी श्रमिक दिवस

16.11.94 सहकारी विपणन, प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता दिवस

17.11.94 सहकारी ऋण, मितव्ययता तथा बचत दिवस

18.11.94 सहकारी आवास दिवस

19.11.94 महिला, युवा और कमजोर वर्गों के लिये सहकारी समिति दिवस

20.11.94 सहकारी समितियों के माध्यम से मानव संसाधन विकास दिवस

सहकारिता सप्ताह मनाने से लोगों के बीच सहकारिता के प्रति जागरूकता तथा सहकारी समितियों के पक्ष में अनुकूल विचार पैदा होते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को अपनी प्रगति की समीक्षा करने, अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने तथा भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने का मौका मिलता है।

विवरण

योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय 8वीं योजना	1994-95 के लिये वित्तीय उपलब्धि तथा प्रत्याशित-परिव्यय	1994 के अन्त तक वास्तविक उपलब्धि
केन्द्रीय क्षेत्र			
1. सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा	3900.00	2946.00	4587 (टी) 83061 (ई डी)
2. राष्ट्रीय संघ तथा बहुराज्य सहकारी समितियों को सहायता	600.00	230.33	02.05
3. नैफेड	500.00	1000.00	1679
4. बिहार में ग्रामीण वृद्धि केन्द्र का विकास	1239.00	580.00	0.86 (क्षमता लाख मी. टन)
5. शीतागार सहित स्टोरेज	3515.08	2516.00	(योजना बन्द कर दी गई)
6. तिलहन विकास तथा प्रसंस्करण	12212.60	8466.00	**
7. कपास प्रसंस्करण	3432.90	1491.00	—
8. संस्थान भवन	270.40	307.00	888.085
9. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी	3226.50	666.00	5 (यूनिट)
10. आई.डी.ए.-फल तथा सब्जी परियोजनाएं	250.60	—	—
11. चयनित जिलों का समेकित सहकारी विकास	2570.46	1013.00	19 (परियोजनाएं)
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं			
12. अल्पविकसित राज्यों में सहकारी विपणन तथा प्रसंस्करण	12656.46	7500.00	577 (समितियों की संख्या) 0.13 (संग्रह क्षमता)
13. सहकारी उत्पादक कताई मिलों में अंशपूंजी की भागीदारी	9075.00	1500.00	5 मिलें
14. सहकारी चीनी मिलों में अंशपूंजी की भागीदारी	35000.00	19175.00	15 मिलें
15. कमजोर तबके के लिये सहकारी समितियों की सहायता	1050.00	365.69	—
16. महिला सहकारी समितियों की सहायता	500.00	131.00	1993-94 से कार्यान्वित योजना
रा.स.वि.नि. 4 सांकेतिक प्रावधान	1.00	—	—
कुल	90,000.00	46,987.02	

टिप्पणी : ** सभी 6 सरसों बीज प्रसंस्करण एकक तथा 3 नारियल विकास एकक आठवीं योजना के पहले मंजूर किये गये थे। इनमें से 4 चालू हो गये हैं तथा अन्य कार्यान्वयन के अन्तिम चरणों में हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में लाभ और हानि

1944. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार द्वारा वर्षवार और शाखावार उपभोक्ता मदों की कितनी मात्रा में बिक्री की गई और उक्त अवधि के दौरान सुपर बाजार द्वारा औसत लाभ की प्रतिशतता कितनी है और निबल बिक्री का अनुपात कितना है;

(ख) सुपर बाजार द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं तथा विद्यालयों और सामाजिक संस्थानों सहित अन्य संगठनों को कितनी मात्रा में उपभोक्ता मदों की आपूर्ति की गई और इसका मूल्य कितना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) सुपर बाजार कोऑपरेटिव स्टोर्स लि. दिल्ली मात्रावार तथा मदवार लेखे नहीं रख रहा है। एक ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है, जिसमें गत तीन वर्षों के लिये विक्रय मूल्यवार, सकल लाभ और निबल लाभ और साथ ही सकल लाभ दर और निबल लाभ दर दी गई है।

(ख) सुपर बाजार 1972 से लगातार लाभ कमा रहा है। सुपर बाजार ने 1990-91 में 21.84 लाख रुपए, 1991-92 में 9.33 लाख रुपए तथा 1992-93 में 10.83 लाख रुपए निबल लाभ अर्जित किया है।

(ग) सुपर बाजार की 150 शाखाएं हैं और तीन वर्षों की बिक्री के शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करना एक विशाल तथा दुष्कर कार्य है। एक संलग्न विवरण-II में दिया गया है, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान, कनॉट प्लेस, आई.एन.ए. तथा पटेल नगर के तीन मुख्य बिक्री केन्द्रों तथा सभी लघु शाखाओं की सम्मिलित कुल बिक्री, जिसमें उपभोक्ताओं को की गई नकद बिक्री तथा विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सामाजिक संस्थाओं/स्वायत्त निकायों को ऋण पर की गई बिक्री एवं पारेषण आधार पर खरीदे गए माल के बारे में बिक्री दर्शाई गई है। पारेषण आधार पर खरीदे गए माल की बिक्री, उपभोक्ताओं तथा संस्थाओं/सरकारी विभागों दोनों को की जाती है।

विवरण-I

अनुबंध 'क'

वर्ष	बिक्री	सकल लाभ	सकल लाभ दर	निबल लाभ	निबल लाभ दर
		(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)	
1990-91	9815.00	697.29	7.10%	21.84	0.22%
1991-92	9784.01	731.41	7.48%	9.33	0.09%
1992-93	10303.90	807.13	7.83%	10.83	0.11%

विवरण-II

बिक्री का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	1990-91				1991-92				1992-93			
		नकद बिक्री	ऋण पर बिक्री	पारेषण बिक्री	कुल बिक्री	नकद बिक्री	ऋण पर बिक्री	पारेषण बिक्री	कुल बिक्री	नकद बिक्री	ऋण पर बिक्री	पारेषण बिक्री	कुल बिक्री
1.	कनॉट सर्कस	1200.69	1853.94	508.14	3562.77	1373.33	1718.68	576.68	3668.88	1461.07	1750.3	629.24	3841.14
2.	आई.एन.ए.	715.93	47.71	10.88	774.52	672.38	46.18	8.88	727.44	565.67	56.74	11.72	634.13
3.	पटेल नगर	566.20	38.98	2.10	607.28	527.25	29.08	3.88	560.21	494.24	31.69	2.65	528.58
4.	सभी छोटी शाखाएं	4684.94	183.90	1.60	4870.44	4566.02	257.95	3.51	4827.48	5031.99	266.50	1.64	5300.13
		7167.76	2124.53	522.72	9815.01	7139.52	2051.54	592.95	9784.01	7552.97	2105.76	645.25	10303.91

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति

1945. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी औद्योगिक एककों को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने से पहले केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष ऐसे उद्योगों को अधिसूचित करने का कोई प्रस्ताव है जिन्हें बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रम या किसी शोधन तथा निपटान प्रणाली की स्थापना या उनमें विस्तार या बढ़ोत्तरी के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता है जिनसे मलजल या व्यापारिक बहिस्राव की संभावना हो या किसी ऐसे औद्योगिक संयंत्र को नहीं चला सकता है जिससे किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता हो। इस प्रकार, केवल उन्हीं उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से मंजूरी लेनी पड़ती है जिनसे मलजल या व्यापार बहिस्राव विसर्जन या वायु प्रदूषक विसर्जन की संभावना हो।

(ग) और (घ). जी, हां। तथापि, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत जारी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 दिनांक 27.1.94 के अधीन 29 श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए निवेश के रूप में और प्रदूषण फैलाने की क्षमता के रूप में दोनों मामलों में एक निश्चित प्रारम्भिक सीमा के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। इन मामलों में भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" लेना जरूरी है।

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी

1946. श्री राम निहोर राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना "भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी द्वारा पशु नस्ल सुधार" को आठवीं योजना में भी जारी रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि मात्र एक या दो गाय/भैंसों ने ही भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी से जन्म दिया है;

(घ) क्या इस परियोजना का अंतरण किसानों को नहीं हो सका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। "भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी द्वारा पशु नस्ल सुधार" सम्बन्धी परियोजना 1987-1992 में क्रियान्वित की गई थी। यह परियोजना 31 मार्च, 1992 को पूरी हो गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। इस परियोजना ने 1987 से 1992 तक 288 गाय के बछड़े और 57 भैंस के कटरे पैदा किए थे।

(घ) से (च). यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। यहां चार क्षेत्रीय केन्द्र और 14 राज्य स्तर के केन्द्र थे। राज्य स्तर के केन्द्रों को दुग्ध सहकारी यूनियनों के साथ जोड़ा गया था। इस कार्यक्रम का किसानों के साथ अच्छा तालमेल था और किसानों की गायों ने कई भ्रूण अंतरण बछड़ों को जन्म दिया था।

विधि शिक्षा प्रणाली में सुधार

1947. श्री शरत पटनायक :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
प्रो. प्रेम धूमल :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि शिक्षा प्रणाली का सुधार करने और विधि पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार एल.एल.बी. कोर्स में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विधि शिक्षा समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, विधि सम्बन्धी शैक्षिक पद्धति में परिवर्तन करने से संबंधित मामला भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास विचाराधीन है।

जाली आई.एस.आई. चिन्ह

1948. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, कुछ कम्पनियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेन्स प्राप्त किए बिना अपने उत्पादों पर आई.एस.आई. चिन्हों का प्रयोग करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसी कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो को कुछ फर्मों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना अपने उत्पादों पर आई.एस.आई. चिन्ह का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्राप्त हुई शिकायतें, गद्दों, जी.एल.एस. लैम्पों, ढलवां इस्पात पाइपों एवं फिटिंग्स, मृदु इस्पात ट्यूबों, बिजली की तारों (केबल) व उपकरणों आदि जैसे उत्पादों से संबंधित हैं। ऐसे सभी मामलों की पूरी-पूरी जांच की जाती है और भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही की जाती है। हाल में की गई कुछ कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) दिल्ली के समीप नारियल के रेशे वाले गद्दे (कॉयर मैटरिस) बनाने वाली एक विनिर्माता फर्म के विरूद्ध

बिना लाइसेंस के आई.एस.आई. चिन्ह का इस्तेमाल करने के लिए अभियोजन चलाया गया है।

(2) पश्चिम बंगाल में हावड़ा में ढलवां लोहे के पाइप एवं फिटिंग्स के एक विनिर्माता के परिसर पर छापा मारा गया और पाइपों तथा फिटिंस की बड़ी मात्रा जब्त की गई है। मामले पर अब अभियोजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(3) बंगलोर में जी एल एस लैम्प के एक विनिर्माता के परिसर में छापा मारा गया और बिजली के बल्बों की बड़ी मात्रा जब्त की गई। मामले पर अब अभियोजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों को हुई हानि

1949. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में कपास की हल्की फसल के परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों ने पर्याप्त मुआवजे तथा अन्य प्रकार की राहत के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). उत्तरी भारत में कोटों के कारण कपास की फसल को कोई विशेष हानि होने और इसकी वजह से फसल में कमी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1950. श्री राम पूजन पटेल :
डा. साक्षीजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आरम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन सी अपलब्धियां हुई हैं;

(ग) इनमें अब तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) राज्य में कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ङ) इस राज्य के किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). 1991-92 से 1993-94 तक उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलायी गयीं :—

(1) समेकित चावल विकास कार्यक्रम

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं)

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-(मक्का व कदन्न)

(4) गहन कपास विकास कार्यक्रम

(5) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

(6) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

(7) वर्षा संचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

(8) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

(9) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा प्रबंध

(10) क्षारीय मृदाओं का पुररूद्धार

(11) विशेष क्षेत्रों सहित सहकारिता की दृष्टि से अर्ध विकसित राज्यों, को सहकारी ऋण संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता।

(12) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना

(13) उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।

(14) मसालों का विकास

(15) उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग

उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को इन योजनाओं के लिए लगभग 168 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से 1991-92 से 1993-94 तक चावल, गेहूं, मोटे अनाज और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिली है।

(घ) और (ङ). प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, मूल्य समर्थन, मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन महत्वपूर्ण आदानों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, उन्नत प्रौद्यिगिकी अपनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता देना

ऐसे प्रमुख प्रोत्साहन हैं जो कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को दिये जा रहे हैं। इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अल्फान्सो आम और काजू को प्रोत्साहन

1951. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी बोर्ड ने पैदावार को प्रोत्साहन देने हेतु अल्फान्सो आम और काजू का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विशेषतः सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों में विद्यमान बागानों में इसकी पैदावार में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई प्रदर्शन भूखण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसानों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बागानों में पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). अलफान्सो आम तथा काजू के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने काजू उत्पादन में सुधार लाने के लिये आम तथा काजू विकास की उत्पादकता में सुधार करने के लिये उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण तथा शुष्क अंचलीय फलों के विकास से संबंधित एक समेकित योजना प्रायोजित की है।

(ग) और (घ). 1994-95 के दौरान सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरि जिलों में आम के लिये क्रमशः 2 और 3 प्रदर्शन प्लाट निर्धारित किये गये हैं। दोनों जिलों में तीन-तीन आदर्श क्लोनल काजू के बगीचों की भी योजना है।

(ङ) और (च). काजू विकास योजना के अन्तर्गत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली में काजू के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और फरवरी, 1995 में 50 कृषकों के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये एक शैक्षिणिक दौरा आयोजित किया जा रहा है।

(छ) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत आम के बगीचों के पुनरूद्धार कार्यक्रम के तहत सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरि जिलों में क्रमशः कुल 372 तथा 436 छोटे तथा सीमान्त कृषकों की पहचान की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान

1952. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की जोतों की तुलना में किसानों की संख्या कम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन

1953. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठनों को दिए गए अनुदानों के समुचित उपयोग पर कोई निगरानी रखी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं परीक्षित-लेखा विवरण के आधार पर ही अनुवर्ती अनुदान संगठन को जारी किया जाता है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य संगठन के लेखे एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट की जांच करते हैं, ताकि स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठनों को दिए गए अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर, दानापुर

1954. **श्री सूरज मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे मैनेजर, दानापुर ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण गैर-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नत करने/नियुक्त करने की अनुमति ले ली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) यह नोटिस में आया है कि कतिपय मामलों में रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना अनारक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति

1955. डा. साक्षीजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति, पशु पालन तथा मछली पालन संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इनके लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए, वर्ष-वार तथा योजना-वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के लिए इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित श्वेत क्रान्ति, पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित विभिन्न केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, दुग्ध, अंडा और ऊन उत्पादन तथा 1992-93 और 1993-94 में ताजे जल में मछली पालन का विकास संबंधी योजना के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और हुई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	दुग्ध (मिलियन मी. टन)	10.60	10.65	11.00	10.99
2.	अण्डा (मिलियन)	700	504	900	602
3.	ऊन (000 किलोग्राम)	2010	1854	2255	1916
4.	मछली पालन के तहत लाया गया जल क्षेत्र (हैक्टेयर)	6000	6009	6000	5820

विवरण

1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित श्वेत क्रान्ति, पुशपालन और मात्स्यिकी से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	1992-93	1993-94
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार	44.23	14.00
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	17.40	33.00
3.	पशु रोगों का नियंत्रण करने के लिए राज्यों को सहायता	34.18	120.08
4.	राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना	51.99	52.50
5.	व्यावसायिक कुशलता विकास कार्यक्रम	4.00	3.50
6.	एकीकृत सूअर पालन विकास	7.50	4.50
7.	वधशालाओं के आधुनिकीकरण/सुधार हेतु सहायता	—	81.01
8.	भारवाही पशुओं का विकास	5.25	6.70
9.	राष्ट्रीय मेढ़ा/खरगोश उत्पादन कार्यक्रम	6.50	36.00
10.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	13.50	17.02
11.	आहार एवं चारा विकास हेतु सहायता	7.80	30.10
12.	पशु पालन विस्तार कार्यक्रम	—	16.50
13.	गैर प्रचलनीय, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास योजनाएं	—	19.00
14.	ताजे जल में मछली पालन का विकास	111.00	161.00
15.	मछुवारा कल्याण	15.96	11.08
16.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करना	50.00	60.00

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1956. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिविजन में बरेली जंक्शन पर कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों से उनके अधिक्रमण के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस कर्मचारियों के अधिक्रमण को कब तक रद्द कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बरेली जंक्शन के श्री तारा सिंह, पार्सल पर्यवेक्षक ने संवर्ग पुनर्संरचना योजना के अधीन 1.3.1993 से मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक/मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली ने अखिल भारतीय गैर-अ.जा. रेल कर्मचारी फेडरेशन द्वारा दायर किये गये ओए नं. 1168/90 में अंतरिम निदेश दिए हैं कि निचले ग्रेड में व्यक्तियों की वरिष्ठता संवर्ग के निम्नतम ग्रेड में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित की जाए। इन निदेशों के अनुपालन के कर्मचारियों की वरिष्ठता पुनः निर्धारित की गई है और इसके परिणामस्वरूप श्री तारा सिंह, पार्सल पर्यवेक्षक, बरेली उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख के अनुसार कर्मचारियों से कनिष्ठ हो गए हैं और उन्हें पात्रता के क्षेत्र से बाहर होने के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सका। इस समय मामला न्यायाधीन है।

मद्रास-डिंडीगुल रेल लाइन

1957. श्री अन्बारासु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास-डिंडीगुल रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य की लागत कितनी है;

(ख) क्या आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है; और

(ग) आज की तारीख तक इस परियोजना पर कार्य की स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 373.22 करोड़ रुपये।

(ख) जी, हां।

(ग) बड़े पुलों और अधिक समय लेने वाली मदों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना को 9 वीं योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

माल यातायात का नेटवर्क

1958. श्री सुव्रत मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलादेश में माल यातायात नेटवर्क के दायरे को विस्तृत करने की संभावना का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घं) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। किसी नये मार्ग को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान वैज्ञानिक

1959. श्री भोगेन्द्र झा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध वैज्ञानिक के पदों के लिए पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध के कार्य पर आधारित संयुक्त शोध पत्र-धारी कुल कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया;

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस. आई.आर.) द्वारा 1992-94 के दौरान पूल अधिकारियों के रूप में कुल कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया और इसमें से कितने उम्मीदवारों के पास अपने पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध पर आधारित सह-संयुक्त शोध पत्र थे;

(ग) क्या उपरोक्त चयन में सह-संयुक्त शोध पत्रों वाले उम्मीदवारों की तुलना में स्वतंत्र शोध पत्र-धारी उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार 1992-93 में अनुसंधान वैज्ञानिकों का चयन नहीं किया गया था। 1993-94 में चयन किया गया था, परन्तु उस वर्ष में शोध वैज्ञानिक हेतु ऐसे किसी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया था जिनका संयुक्त शोध कार्य था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि अनुसंधान वैज्ञानिकों के रूप में केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य किया है।

तितलियों की तस्करी

1960. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पता लगाए गए तितलियों की तस्करी के मामले के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग). ट्रैफिक इंडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर 14-15 अगस्त, 1994 की रात इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 जर्मन नागरिकों को पकड़ा गया था जिनके पास तितलियों और पतंगों के लगभग 14,000 नमूने थे। यह बताया गया था कि उन्होंने इन कीटों को हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के क्रमशः लाहौल स्पीति और लेह क्षेत्रों से एकत्र किया था। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 2 जर्मन नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए, तितलियों को जब्त कर लिया और इस मामले को विदेश मंत्रालय के ध्यान में भी लाया गया। तितलियों और कीटों की शिनाख्त के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को भेजा गया था। प्रजाति स्तर पर शिनाख्त करने पर यह पाया गया कि इनमें से कोई भी वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल नहीं था। इसलिए इन दो जर्मन नागरिकों को इस शर्त पर अपने देश वापस लौटने की अनुमति दी गई कि उनसे और उनके देश से उप-प्रजाति स्तर तक प्रजातियों की पूरी और विस्तृत शिनाख्त किए जाने के पश्चात् आगे पूछताछ की जा सकती है। उप-प्रजाति स्तर तक नमूनों की शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही है।

रेल कार्य का निजीकरण

1961. श्री अमर पाल सिंह :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री राजवीर सिंह :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा अपने कार्य के कुछ अंशों को निजी कंपनियों को देने में अधिक सफलता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि के निवेश की पेशकश की गई है;

(घ) और अधिक निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बिल्ड-ओवर-लीज-ट्रांसफर योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को 4390 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं देने की पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे में निजीकरण की इस योजना को अपनाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल परिचालनों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) बिल्ड-ओन-लीज-ट्रांसफर (बोल्ट) योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :-

योजना		इकाई	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
क.	**परियोजनाएं**	**लगभग दूरी (कि.मी.)**	
1.	**आमान परिवर्तन**		
क.	मुदखेड-अदिलाबाद	162	108.0
ख.	आगरा-बांदीकुई	150	67.0
ग.	जोधपुर-मारवाड़	104	58.0
घ.	वांकानेर-मलिया मियाणा	80	51.0
ङ	वीरमगाम-मेहसाणा	65	50.0
च	अचनेरा-मथुरा	35	20.0
2.	**दोहरीकरण**		
क.	पारादीप-कटक-नेरूगुंडी	83	200.0
ख.	कानपुर-इटावा (तीसरी लाइन)	139	153.0
ग.	गाजियाबाद-हापुड़-मुरादाबाद	141	128.0
घ.	दिवा-वसई रोड	42	90.0
ङ	कुट्टीपुरम-कालीकट	56	54.0
च.	दिवा-पनवेल	26	47.0
छ.	गुरूवायूर-कुट्टिपुरम	36	40.0
ज.	मुरादनगर-मेरठ शहर	30	31.0

1	2	3	4
3.	**विद्युतीकरण**		
क.	इटारसी–इलाहाबाद	613	253.0
ख.	खोरधा रोड–विशाखापतनम	443	237.0
ग.	तालचेर–पारदीप सहित खड़गपुर–भुवनेश्वर	522	214.0
घ.	रेणिगुंटा–हासपेट	423	136.0
ङ	सहारनपुर–मेरठ–गाजियाबाद सहारनपुर–शामली–दिल्ली शाहदरा मेरठ–हापुड़–खुर्जा	405	110.0
च.	जलगांव–उधना	306	99.0
4.	**दूर संचार**		
क.	निम्नलिखित पर मौजूदा समरूपी माइक्रोवेव लिंक का (34+2) एम.बी/एस डिजिटल रेडियो रिले प्रणाली द्वारा बदलाव		
	1. भुसावल–नागपुर		12.0
	2. गोरखपुर–लखनऊ		13.0
	3. बिलासपुर–झारसुगुडा		12.0
5.	**पुल**		
क.	दूसरा महानदी पुल	1	55.0
ख.	दूसरा बिरूपा पुल	1	15.0
6.	**ऊपरी सड़क पुल**		
क.	613/9–10 कि.मी. पर ऊपरी सड़क पुल रामकृष्ण पुरम (हैदराबाद मंडल)	1	5.5
ख.	सूरत के निकट ऊपरी सड़क पुल	1	4.0
ग.	देहरा (दौण्ड–मनमाड) कि.मी. 372/12–13 पर ऊपरी सड़क पुल	1	0.8
घ.	कि.मी. 143/10–11 पर बोंगाईगांव (बोंगाईगांव–गुवाहाटी) पर ऊपरी सड़क पुल	1	2.4
ङ	हासपेट और करीगनूरू के बीच कि.मी. 145/6–7 पर ऊपरी सड़क पुल	1	0.7
च.	हुबली और कुसुगल के बीच कि.मी. 3/14–15 पर ऊपरी सड़क पुल	1	0.4
ख.	**चल स्टाक**		
	रेल इंजन		
क.	बिजली	107	441.0
ख.	डीजल	110	253.0
	यात्री सवारी डिब्बे		
क.	सवारी डिब्बे	1100	413.0
	माल डिब्बे		
क.	माल डिब्बे चौपहिया यूनिट	12000	600.0
	मल्टिपल यूनिट		
क.	इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (12–0 स्टाक)	350	215.0
ख	मुख्य लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (10–6 स्टाक)	150	90.0
ग.	डीजल मल्टिपल यूनिट	150	90.0
	रेल बस		
	ब.ला.	50	15.0
	मी.ला.	30	6.00
ग.	**स्टेशनों का सुधार और अनुरक्षण बांदा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के पैटर्न के अनुसार**		

रेलों की विकास योजनाओं के लिए बजटीय सहायता, जो पांचवीं योजना के दौरान लगभग 75 प्रतिशत की तुलना में 1994–95 के दौरान मात्र 17 प्रतिशत हो गई है, में अत्यधिक कमी के कारण रेलों को अपनी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपने राजस्व अधिशेष से निकाली गई राशि और बाजार से उधार ली गई राशि, जो वित्त पोषण का मंहगा स्रोत है, पर निर्भर रहना पड़ता है।

अतः रेलों ने निर्माण–स्वामित्व–पट्टा–अंतरण(बोल्ट) योजना के आधार पर निजी क्षेत्र से उद्यमियों को ऐसी परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का विनिश्चय किया है जो चालू होने पर उद्यमियों को निर्धारित पट्टा प्रभारों की वापसी के लिए रेलों को सक्षम बनाने के लिए राजस्व जुटाएंगी।

गुजरात में यात्री सुविधाएं

1962. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन–किन स्टेशनों पर प्रतीक्षालय, भोजनालय, पेयजल, प्रसाधन सुविधा, आरामघर और बिना शेड वाले प्लेटफार्म जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले रेलवे परामर्शदात्री समिति को भेजे गये हैं;

(ग) 1994–95 के दौरान गुजरात में यात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार हेतु योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गऐ समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ब्यौरा इस प्रकार है :-

स्टेशन	सुविधा की उपलब्धता					
	प्रतीक्षा कक्ष	रेस्तरां	पीने का पानी	प्रसाधन	विश्राम कक्ष	प्लेटफार्म सायबान
1	2	3	4	5	6	7
अंबर गाम रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
संजाण	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भिलड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
करमबेली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वापी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बगवाडा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
उदवादा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
परदी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अतुल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
डोंगरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जोरावासन	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बिल्लीमोरा	है	है	है	है	नहीं है	है
असमसाड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अंचेली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बेढछा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नवसरी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मरोली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
साचिन	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भेस्तान	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
उधना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
निओल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
चालथन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
बेंगूमारा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गंगधरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
बारदोली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
टिम्बरवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मंगरोलिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मढ़ी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
काकर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
लोटरवा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
व्यारा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
किकाकुई रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
दोसवाड़ा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
उकर्डसौंगध	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लकडकोट	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भदभुजा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
उत्रान	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कोसाड़	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोथंगाम	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सायन	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कुडसाड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कीम	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कौशम्बा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
हथुरन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पनोली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सांजली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अंकलेश्वर	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
चावज	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
नबीपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वरेदिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
पालेज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लकोदरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मीयागाम करजन	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
काशीपुरा सरार	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
इटोला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वरनामा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मकरपुरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
विश्वामित्री	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
छायापुरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पिलोल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अलिन्द्र रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
समलया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लोटाना	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
चंपानेर रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बाकरोल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
देरोल	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बहरिया रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
खरसलिया	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
बाजुवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
रनौली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नंदसरी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वसाड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
अडास	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वडोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कंजरी वोरीयावी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उतरसंदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नडियाद	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोथाज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मेहमादवद एवं खेदा रोड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नैनपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कनिज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बरजडी ननडेज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गेरतपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वतवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मणिनगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
साबरमती	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चन्नडलोडिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
अम्बली रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोरा गुमा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सानन्द	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वासनइयावा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
छरोडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
विरोचन नगर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जखवाड़ा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
झुंड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उपरियाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पटडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
खारगोदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रूशभदेव उपरियाला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
साडला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बेफाना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जतपिपली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
धूमथ	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
वसादवारा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धरंगधरा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
घनश्याम गढ़ रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सोलडी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
चूली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
हलवाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धनाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
देवालिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
खखरेची	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वधरवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मलिया मियाना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सूरबरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कतारिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भेटासी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
अंकलव	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
डवोल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
बोरसड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बोचासन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
विरसड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रास	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कठाना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सदनपुरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भलेज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
ओद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उमरेथ	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
डकोर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
ठासरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अम्बुव	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अंगाडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सेवालिया	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तोम्बा रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तूवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वावडी खुर्द	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं हैहै	
वल्लभ विद्या नगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
करमसाड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अंगास	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
भटेल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पेटलाद	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पंडोरी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
नर अरकन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तारापुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
यावरपुरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सयामा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कालितालवाड़ी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
खंभात	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वीना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नाडगाम	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
महुधा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भनेर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कठनाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
परडा भटेरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
तोरणा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
देसालवडा अंतरोली रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
कपडवंज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खोडियार	नहीं है	नहीं हैहै	है	है	नहीं है	
गांधीनगर	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वडतलस्वामी नारायण	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
साबरमती (भी.ला.)	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
काली रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
चांदखेडा रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
असखा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वेलाछा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लिंबारा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
आसरमा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सिमोदर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कोशाडी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
मोटा मिया मंगरोल	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वांकल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जंख्राव	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चिखलदा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
केवडी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
उमरपाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अंकलेश्वर उद्योगनगर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
धधल इनाम	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बोरीदरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गुरमानदेव	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
झगाडिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अविधा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
राज पारडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उमाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जूना राजूवाडिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अमलेठा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
तरोपा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
राजपीपला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
डमलाई	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पोदवानिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
झाझपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
गोरातिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
गंभीरपुरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
नेतरंग	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वेजालपोर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कंथारिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
थाम	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
तरालसमाध	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
दयाडरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वछनाड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
समनी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तांचा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
असनेरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
नहियर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
अमोद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मागनाद	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जम्बूसर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जम्मूसर सिटी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कोटेश्वर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
तुंदेई	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कोरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कानगम	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कावी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वागरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वहियाल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पखजन	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
नंदरखा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
संभेटी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वाव	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
दाहेज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कंडारी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
गनपतपुरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कायरोचन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
परिखा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बारीपुर मंडाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नड़ा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
थरथली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
चौरांडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बेमार	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
तारवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सधली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मंजतरोल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सिनोर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
मलसार	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बाचर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
सनोयाड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
नरेश्वर रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मोतीकोरल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अतलादरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
भैली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पादरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लतीपुरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
रानूपीपरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भोज (पादरा)	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
मोहा रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कुराल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मोसोर रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अनाखी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जम्बुसर रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
प्रताप नगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
केलानपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कुमधेला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भीलुपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
थुवावी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
धबोई	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
फरटीकुई	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
बढवाना	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
अमालपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सनखेडा बहादुरपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
छुछापुरा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कनसुधी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
संत रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
पिलोदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
लिमखेड़ा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मंगल महुदी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
उसरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जकोट	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
रतिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
दाहोद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
धमद्ररा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बोरडी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अनास	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अमरगढ़	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
सरोतरा रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
इकबालगढ़	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जेथी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
चित्तासनी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
करजोडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
पालनपुर	है	है	है	है	नहीं है	है
चडोतर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
चांदीसर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रासना	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
दिसा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लोखडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भिलडी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जसाली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
धनकवाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
दियोदर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भिथा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भाभर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
देवगम	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
राधनपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
पिपली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वराही	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
वाघपुरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
संतलपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
पिपराला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
अदेसर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मुटाकिया-भीमसर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
किडियानगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
चितरोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
समखियाली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भचाऊ	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वोंध	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
चिराई	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भीमसार	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कांडलापोर्ट	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
शिरवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गोपालपुरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
अदिपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
अंजर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
रतनाल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कुकमा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
न्युभुज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उमरदाशी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
इच्छापी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
थेरवडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
सिद्धपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कामली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
ठंझा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उनावा ऐथोर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भांडु	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मोतीदव						
शोभसन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जागुदान	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अम्विलियासन	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
केयाल सेधावी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
दंगरवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धुमासन(लैब)	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
झुलासा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पनसार	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
इसांड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कलोल	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सैज सेरथा रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
साहिजपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सरदारग्राम	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नरोदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मदरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
दभोदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नंदोल दहेगाम	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जलियामठ	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
रखियाल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खेरोल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
तलोद	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खाडी अमरापुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
पारनतीज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सोनासन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
हापारोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
हिम्मतनगर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
महादेवपाडा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जादर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सुररोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
इदार	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कादियादरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
बडाली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
खेदब्रह्मा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लिंच	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
भेसाना	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मनखानाज						
झोटाना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भतरिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
कटोसन रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
घेलडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
देत्रोज	नहीं है	नहीं है	है	है.	नहीं है	है
कांझ	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भाकोदा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जाकसी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पंछोट	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
धीनोज	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
सेलवी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
मानुन्द	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
रानुज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सनखारी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पाटन	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तिनतोदा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
आदराज मोती	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सोनीपुर रूपल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
रंधेजा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
उनावा वासन	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
लिम्बोदरा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मकाखोद	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लोदरा	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पिलवई रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वाजीपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गवाडा मालोसन	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गेरिवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
कुकरवाडा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वसदाभला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोझरिवा	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
लांघनाज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चतराल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
आनाखोल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
करन नगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कादी	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
देबासना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भोयानी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धानपुरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रनतेज	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
देठली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
बेचराली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सांखलपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बेनपुरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
खामभेल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भतसर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
ब्राह्मणवाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कहनसामा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जितोदा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
वासोजिनतरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
पिलुदरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
रनदाला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पुदगम गणेशपुरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
विसनगर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गुंजा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वादनगर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
केसिम्पा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
खेरालू	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कादरपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
वरेठा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
तारंगाहिल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
डाबासंग	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
लालपुर (जाम)	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
सनोसरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गोपमोटा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
गोप (जाम)	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वीराद	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भनवाड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कालावड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जशपुर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वंशजलिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
तारासई	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
साखपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
राना बोरदी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
रानावाव	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अदित पाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
पोरबंदर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गांधीग्राम	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वस्त्रपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सारखेज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
संथाल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मौरैया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मतोदा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
बावला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सालाजादा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
धोलका	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोधनेश्वर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
कोठ गंगद	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अरनेज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लोथल भुरखी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
लौया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
हंडला भाल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
धोली (भाल)	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
रायका	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धनधुका	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
तगडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भीमनाथ	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चंदरवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जलीला रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
सांरगपुर रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अलाऊ	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वाधवान सिटी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वालदाना रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
लिम्बडी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चुडा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वेजलका	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रनपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कुंडली	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वोटाद	है	है	है	है	नहीं है	है
लीठीडाड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
निनगला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
आलमपुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
उजालवाव	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धोला	है	है	है	है	नहीं है	है
सनोसरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वाजुद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सोनगढ़	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
मोटा सुरका	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
सिधेर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खोडियार मंदिर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वारतेज	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
नाडी रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भावनगर पाड़ा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भावनगर टर्मिनस	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
हिंगोराला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जलिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जलालधुर मांडवा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
ढासा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पिपलवा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
लाठी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खिजडिया	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चीतज	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वलेल पिपदिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
लुनीधर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
कुकावाव	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
खखरिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वादिया देवली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वावडी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जेतपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
जेतलसर	है	है	है	है	नहीं है	है
फरेनी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
धोराणी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सुपेदी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
दमियानी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
उपलेता	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
खाखिजालिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भयवदार	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पनेली मोटी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कोतादा वविसी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जाम-जोधपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वलवा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कावकोला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कोठरिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
रिवादा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सेमला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गोंदल	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गोमता	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वीरपुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कगवाड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
नवागढ़	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चोकी सोरथ	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वडाल	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जुलागढ़	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
शापुर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वंधनाथ	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
लुशाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वादोदर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
केशोद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मेसवान	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मालिया हटिना	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
भंडूरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
विजपाडी रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
बावेरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
राजुला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
दुगनगर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सनजांवाव रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अमरितवेल	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मोटा जादरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
महुवा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पलासवा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
डुंगरपुर क्वैरी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
तोरनिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
बिलखा	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
उमराला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
वाजिदी रोड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जुनीचावंडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मंडावड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
जामबुर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गिर हदमतिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
प्राची रोड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वालादर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जामवाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
हदमतिया	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गिरगाधरा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वादवीयाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
ऊना	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
देलवाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सनधानीधर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
घाटवाड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
छछर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
कोडिनार	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कानड	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मधादा	है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	है
पालिताना	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
चारोधिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
वडाली	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
राजुला सिटी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है

1	2	3	4	5	6	7
चोरवाद रोड	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
आदरी रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
वेरावल	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
शेदुभर	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मपचियाला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
अमरेली	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
अमरेली पाडा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
वनकिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
साजियाबादार	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
मलिला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
चलाला	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
झार	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
धारी	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कोटहा पिपरिया	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
भडेर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
जेतलवाद	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
विश्वादर	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
सताधर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
कंसिया नेस	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
सांसगीर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
गवाडका	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
चित्रवाड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
तलाला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भेराला	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
सावनी	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
दामनगर	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
पंचतलवाडा रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
हटीगढ़	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
लिलियामोटा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
भेंसवाडी	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
जीरा रोड	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
नाना भामोदरा	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
सारवरकुंडला	है	नहीं है	है	है	नहीं है	है
वधाडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
गधकडा	नहीं है	नहीं है	है	है	नहीं है	नहीं है
मेरियाना	नहीं है	नहीं है	है	नहीं है	नहीं है	नहीं है

(ख) से (घ). सुविधाओं की व्यवस्था/वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और जो जहां कहीं संभाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा को देखते हुए अपेक्षित होने पर धनराशि की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है। इस संबंध में आवश्यकताओं का नियमित रूप से आकलन किया जाता है और उपयुक्त कार्य रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय विभिन्न परामर्श समितियों के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, गुजरात राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं :-

(लागत लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य	लागत
सूरत	प्लेटफार्मों पर सायवानों का विस्तार	33.46
विरार-सरूत खंड	स्टेशनों पर साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था	1.00
मारोली	पानी की आपूर्ति में सुधार	4.00
वलसाड	प्लेटफार्मों पर सायवानों का विस्तार	14.32
वडोदरा मंडल	20 स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	5.00
मनीनगर	प्लेटफार्मों पर सायवानों का विस्तार	6.00
विश्वामितरी	प्लेटफार्मों पर सायवानों की व्यवस्था	4.80
वडोदरा	प्लेटफार्म 4 और 5 पर सायवान की व्यवस्था	4.80
अहमदाबाद	विश्राम कक्ष में सुधार	9.14
अहमदाबाद	प्रतीक्षा कक्षों का सुधार	4.25
राजकोट	प्लेटफार्मों पर सायवान का विस्तार	3.17
वंशजलिया	पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार	2.39
जेतलसर	सवारी डिब्बों में पानी की आपूर्ति	2.39
मेहसाणा	जल शीतकों की व्यवस्था	4.28
वापी	प्लेटफार्मों पर सायवान का विस्तार	14.00
वटवा	प्लेटफार्मों पर पानी की अपूर्ति की व्यवस्था	4.99
वडोदरा मंडल	6 स्टेशनों पर नलकूप	3.89
उत्तरसानदा	पीने के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था	3.85
कानजरी-वोरीयवी	पीने के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था	2.65
राजकोट मंडल	स्टेशनों पर पानी की टोंटियों की व्यवस्था	2.20
द्वारका	पम्प सहित बोर किए गए कुएं की व्यवस्था	4.10
राजकोट	जल शीतक का बदलाव	2.08
वानकानेर	जल शीतक का बदलाव	3.66

वन्य जीव संबंधी समिति

1903. **श्री राम कापसे :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वन्य जीवों के अनधिकृत शिकार और गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों/सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस व्यापार के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। समिति की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

1. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना।

2. सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवर्तन और सुरक्षा प्रबंधों की पुनरीक्षा और उन्हें सुदृढ़ बनाना।
3. फील्ड स्टाफ को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन और कल्याणकारी उपाय।
4. विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य अन्तःविभागीय सम्पर्क विकसित करना।
5. आसूचना प्राप्त करने, व्यापार के लिए प्रजातियों का अभिनिर्धारण करने तथा चोरी-छिपे शिकार रोकने तथा वन्यजीवों और वन्यजीवों के उत्पादों के अवैध व्यापार के लिए कानूनी उपबंधों और प्रक्रिया के बारे में सभी प्रवर्तन विभागों के कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण।
6. एक अच्छे आसूचना तंत्र की स्थापना और संचालन।
7. सूचना प्रदान करने वालों के लिए एक पुरस्कार स्कीम की स्थापना तथा उसे चलाना।

(ग) और (घ). समिति द्वारा दी गई अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं और रिपोर्ट को उनकी टिप्पणियों और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

व्यवसाय पूर्व शिक्षा

1964. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान राज्य-वार कुल कितने-कितने छात्रों तथा छात्राओं ने व्यवसाय पूर्व शिक्षा प्राप्त की; और

(ख) 1994-95 के दौरान इस शिक्षा के लिए छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना वर्ष 1993-94 में ही आरंभ की गई है। प्रथम वर्ष में शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्री का विकास, प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन तथा उपकरण की खरीद जैसे तैयारी के कार्य राज्यों को करने थे। वर्ष 1993-94 में इस प्रयोजनार्थ 8 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुएं

1965. श्री तारा सिंह :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ और वस्तुएं शामिल तथा सप्लाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत उपभोक्ता सहकारी समितियों के मन्द कार्यकलापों के कारणों की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं को स्थानीय आवश्यकताओं तथा पसन्द के अनुसार शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए चाय, आयोडाइज्ड नमक, दालों तथा साबुन का वितरण करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) से (ङ). देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्य का मूल्यांकन करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

नारियल में रूट विल्ट रोग

1966. श्री वी.एस. विजयराघवन :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल में "रूट विल्ट" रोगों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस रोग के किसी प्रभावी उपचार का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग के कारण प्रतिवर्ष नारियल के कुल कितने मूल्य के कितने खोपरों और पेड़ों का नुकसान होता है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जड़ गलन रोग के कैजुअल एजेन्ट्स माइकोप्लाज्मा जैसे जीव होते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जड़ गलन रोग से प्रभावित ताड़ के पेड़ों पर रोग की प्रारम्भिक अवस्था में प्रबन्ध-क्रियाओं जैसे-सिंचाई और उर्वरक का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी केरल के मामूली रूप से प्रभावित क्षेत्रों में जड़ गलन रोग से प्रभावित वृक्षों के उन्मूलन और उसकी निगरानी से उस क्षेत्र को करीब-करीब रोग मुक्त कर दिया गया है। सी.पी.सी. आर.आई. कासरगोड क्षेत्रीय केन्द्र, कयांगुलम द्वारा आयोजित किए गए रोधी प्रजनन कार्यक्रमों के द्वारा ताड़ के अन्य पेड़ों में इस रोग के प्रति सहिष्णुता का पता चला है और 1987 से प्रजनन कार्यक्रमों में उनका प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले 1991 में खेत में इस बैच के वृक्षों को लगाया गया और तब से ये छोटे ताड़ के पौधे रोग रहित हैं और अब इन पर फल लगने लगे हैं। इसके साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोपाई की सामग्री तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) 1985 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केरल के 8 दक्षिणी जिलों में कुल 4.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नारियल के वृक्ष जड़ गलन रोग से प्रभावित थे। इससे 968 मिलियन नारियल (फल) का वार्षिक नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

1967. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
प्रो. प्रेम धूमल :
श्री प्रेमचंद राम :
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय केन्द्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के कई जिलों में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय राज्य-वार/जिला-वार आधार पर नहीं खोले जाते हैं। प्रत्येक राज्य में विद्यमान केन्द्रीय विद्यालयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार/रक्षा कार्मिकों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है। केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी खोले जाते हैं यदि सम्बन्धित प्रोयोजक परियोजना आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हों। ये विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार/रक्षा कार्मिक पर्याप्त संख्या में हों और सम्बन्धित प्रायोजक संगठन द्वारा मानदंडों के अनुसार आवास तथा भूमि सहित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सरकार ने वर्ष 1993-98 के दौरान, रक्षा/सविल क्षेत्र में सालाना 20 केन्द्रीय विद्यालय तथा परियोजना क्षेत्र में जितने विद्यालय उपयुक्त पाए जाएं उतने खोलने का अनुमोदन प्रदान किया है।

विवरण

15.12.94 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	43
2.	असम	45
3.	बिहार	57
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	23
6.	हिमाचल प्रदेश	17
7.	जम्मू और कश्मीर	25
8.	कर्नाटक	27
9.	केरल	23
10.	मध्य प्रदेश	87
11.	महाराष्ट्र	51
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैण्ड	05
15.	उड़ीसा	27
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	47
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	27
20.	त्रिपुरा	05
21.	उत्तर प्रदेश	116
22.	पश्चिम बंगाल	46
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेअर	02
24.	अरुणाचल प्रदेश	07
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	02
27.	गोवा	05
28.	पाण्डिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
	कुल	816

केन्द्रीय विद्यालयों की इमारतें

1968. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए इमारतों का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य को कितनी धन राशि दी गई; और

(घ) शेष केन्द्रीय विद्यालयों की इमारतें कब तक निर्मित हो जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि देश में 816 विद्यालयों में से, 451 विद्यालय स्थायी स्कूल भवनों में चल रहे हैं, 94 निर्माणाधीन हैं और 90 विद्यालयों के भवन योजना स्तर पर हैं। शेष 181 विद्यालयों में, प्रायोजक संगठनों-राज्य सरकारों द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भूमि अभी हस्तान्तरित की जानी है।

(ग) विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य-वार कोई नियतन नहीं किया जाता है।

(घ) शेष केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य, प्रायोजकों द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने तथा प्रारंभिक नक्शे/प्राक्कलन तैयार किए जाने के बाद और यदि निधियां उपलब्ध हुई हो तो शुरू किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए कोई समय-ढांचा निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र

1969. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाह्डे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाए।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली जिले के पोडावुर गांव में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

उचित दर की दुकानें

1970. श्री के.जी. शिवप्पा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार, उचित दर की दुकानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1994 के दौरान कई उचित दर की दुकानों को बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी, जिसमें उचित दर की दुकानें खोलना व बंद करना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31.3.94 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	37972 *
2.	अरुणाचल प्रदेश	599 +
3.	असम	27522 +
4.	बिहार	51828 *
5.	गोवा	577 *
6.	गुजरात	13223
7.	हरियाणा	7288 *
8.	हिमाचल प्रदेश	3452
9.	जम्मू व कश्मीर	2685 *
10.	कर्नाटक	18814 *
11.	केरल	13325 *
12.	मध्य प्रदेश	22198 +
13.	महाराष्ट्र	38826 +
14.	मणिपुर	1915 +
15.	मेघालय	3629 *

1	2	3
16.	मिजोरम	923 *
17.	नागालैंड	262 +
18.	उड़ीसा	23868 *
19.	पंजाब	10257
20.	राजस्थान	16429 +
21.	सिक्किम	1417 +
22.	तमिलनाडु	21985 +
23.	त्रिपुरा	1300 *
24.	उत्तर प्रदेश	77627 +
25.	पश्चिम बंगाल	20206 *
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	374 *
27.	चंडीगढ़	326 *
28.	दादरा व नगर हवेली	65 *
29.	दमन व दीव	41 *
30.	दिल्ली	3431 *
31.	लक्षद्वीप	32 +
32.	पांडिचेरी	358 *
	योग	535476

* 31-12-93 को

+ 30-9-93 को

वन कटाव

1971. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन क्षेत्र में वनों का तेजी से कटाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस कटाव के जिम्मेदार कारण क्या हैं; और

(ग) वन-क्षेत्र को फिर से बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1993 में 1989-91 की अवधि से संबंधित भू-दृश्य प्रतिबिम्बिकी की दृश्य व्याख्या के आधार पर देश के वन आवरण के चौथे मूल्यांकन में संकेत दिया गया है कि पूर्व मूल्याकंन की तुलना में देश के वन आवरण में 22 वर्ग कि.मी. की समग्र वृद्धि हुई है। तथापि, 1993 की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 635 वर्ग कि.मी. की कमी आई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनों का कटाव मुख्यतया बड़े पैमाने पर झूम खेती के कारण हुआ है। अन्य कारकों में उग्रवाद से संबंधित समस्याएं, वन भूमि पर अवैध कब्जे, वृक्षों की अवैध कटाई, अन्तर्राज्य सीमा विवाद, जिला परिषद क्षेत्रों में इमारती लकड़ी का व्यापार शामिल है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे झूम भूमि के पुनरूद्धार के लिए स्कीमें तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करें तथा आरा मिलों पर नियंत्रण, निजी भूमि पर वृक्षों की अवैध कटाई को विनियमित करके, जिला परिषद वनों के वैज्ञानिक प्रबंध, इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की राज्यों से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर अवैध कटाई को रोकें और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाकर अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

गुजरात को शारीरिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

1972. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आबंटित/जारी की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण पूर्व रेलवे का विद्युतीकरण

1973. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आद्रा-मिदनापुर सेक्शन के विद्युतीकरण तथा अलाभप्रद सेक्शनों को अन्य जोनल रेलवे में बदलने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) आद्रा-मिदनापुर सेक्शन का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में कपाली रोड पैसेंजर हाल्ट स्टेशन का विद्युतीकरण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1994-95 में आद्रा-मिदनापुर खण्ड के विद्युतीकरण के लिए 60 लाख रु. का आबंटन किया गया है। सामरिक लाइनों के अलावा जहां तक आमान परिवर्तन का संबंध है, 1994-95 में दौण्ड-बारामती के आमान परिवर्तन के लिए 5.80 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। यह कार्य अब पूरा हो चुका है। यह एक आलाभप्रद लाइन है, परन्तु क्षेत्र

के तीव्र विकास से यह परिलक्षित होता है कि यह लाइन लाभप्रद हो सकती है।

(ख) योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस स्टेशन को अर्जित करने के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से सर्विस कनेक्शन एस्टीमेट 7.10.94 को प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिए निविदा की प्रक्रिया जारी है और इस स्टेशन के जून, 95 के अंत तक विद्युतीकृत होने जाने की संभावना है बशर्ते उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा समय पर सर्विस कनेक्शन दिया जाए।

[हिन्दी]

अहमदाबाद और पाटन के बीच इंटरसिटी ट्रेन

1974. श्री महेश कुमार कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चल रही इंटरसिटी गाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार गुजरात में अहमदाबाद और पाटन के बीच एक इंटरसिटी गाड़ी शुरू करना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 2933/2934 बम्बई–अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस,

9011/9012 बम्बई–अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस,

9021/9022 बम्बई–सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस,

9109/9110 वलसाड–अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस,

9057/9058 बलसाड–वडोदरा एक्सप्रेस एवं

9153/9154 अहमदाबाद/राजकोट/हापा एक्सप्रेस।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाई एवं संसाधनों की तंगी।

प्याज का मूल्य

1975. श्री साइमन मरान्डी :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान माह–वार और गत वर्ष के दौरान संगत महीनों में माह–वार प्याज के (प्रति किलो) खुदरा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्याज के मूल्यों में गिरावट लाने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्याज के खुदरा मूल्य पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ङ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या प्याज के अधिक मूल्य होने के बावजूद सरकार ने हाल ही में प्याज के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश के कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में इस वर्ष के महीनों तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्याज के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). प्याज के मूल्यों में वृद्धि के रूख पर काबू पाने के लिये सरकार ने 22 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1994 के दौरान इस जिंस के निर्यात को स्थगित कर दिया था।

(घ) और (ङ). प्याज के निर्यात पर रोक का प्रभाव देश को लगभग सभी मंडियों में प्याज के मूल्यों में गिरावट के रूप में महसूस किया गया।

(च) और (छ). प्याज के मूल्यों की मौजूदा संतोषजनक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा 4 नवम्बर, 1994 से प्याज के निर्यात पर से रोक हटा ली गई।

विवरण

1993 और 1994 में महीने के अन्त में खुदरा मूल्य

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

राज्य/केन्द्र किस्म	वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कर्नाटक	1993	4.00	5.00	4.00	3.50	5.00	4.00	3.00	3.60	6.00	6.00	9.00	8.60
बंगलौर	1994	7.20	4.00	3.00	3.40	4.00	3.00	2.60	2.00	4.60	8.00	5.00	5.00*
पंजाब	1993	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	3.00	5.00	5.00	8.00	10.00	12.00	10.00
लुधियाना	1994	5.50	6.00	5.00	4.00	3.00	3.00	5.00	6.00	8.00	11.00	7.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जम्मू और कश्मीर	1993	4.50	5.50	5.50	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	6.50	7.00	12.00	10.00
जम्मू	1994	9.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00	9.00	6.00	5.00*
उत्तर प्रदेश	1993	4.50	5.00	6.00	6.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.50	5.00	12.00	8.00
लखनऊ	1994	8.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.50	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	
दिल्ली	1993	5.00	7.00	7.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	8.00	9.00	13.00	13.00
	1994	10.00	8.00	6.00	एन. क्यू.	एन. आर.	4.00	6.00	एन. आर.	8.00	11.00	7.00	6.00*

*□2 दिसम्बर, 1994 को संबंधित

एन.क्यू.-भेजा नहीं गया

एन.आर.-सूचित नहीं किया गया

[अनुवाद]

यमुना कार्य योजना

1976. श्री मोहन रावले :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नालों से प्रतिदिन यमुना में गिराए जाने वाले अपरिष्कृत/अर्धपरिष्कृत औद्योगिक तथा घरेलू जल अपशिष्टों की मात्रा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान सीवेज परिष्करण क्षमता पूरी तरह से अपर्याप्त है और अधिष्ठापित क्षमता का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यमुना का पानी जानवरों के लिये भी पीने हेतु उपर्युक्त नहीं है और यमुना का जल प्रदूषित हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यमुना कार्य/योजना की प्रगति को तीव्र करने के अलावा सीवेज परिष्करण संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने और इसकी वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है; और

(छ) यमुना कार्य/योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) यमुना नदी के किनारे स्थित 15 नगरों से प्रतिदिन लगभग 2635 मिलियन लीटर घरेलू एवं औद्योगिक अपशेष उत्पन्न होता है, जहां पर यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण के कार्य किए जाने हैं। प्रत्येक नगर में उत्पन्न होने वाले अपशेष जल की मात्रा सहित नगरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कुल मात्रा में से दिल्ली से दोनों मिलाकर लगभग 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन औद्योगिक एवं घरेलू अपशेष उत्पन्न होता है तथा यमुना नदी में 17 नालों के माध्यम से निस्सारित किया जाता है।

(ख) और (ग). दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1700 मिलियन लीटर सीवेज में से वर्तमान सीवेज उपचार क्षमता 1270 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। स्थापित की गई क्षमता में से 180 एम. एल.डी. का उपयोग, एक सीवेज उपचार संयंत्र के नवीकरण किए जाने तथा एक अन्य संयंत्र में कम बहाव प्राप्त होने के कारण, नहीं किया जा रहा है। शेष 14 नगरों में, नोएडा में 9 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक छोटे सीवेज उपचार संयंत्र के अलावा, कहीं पर वर्तमान समय में सीवेज उपचार की व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ). दिल्ली ऊर्ध्वप्रवाह में यमुना नदी की जल गुणवत्ता पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य है। दिल्ली, मथुरा और आगरा की नगर सीमाओं में नदी की जल गुणवत्ता "घ" श्रेणी की है, जो वन्यजीव मात्स्यिकी के प्रचार के लिए उपयुक्त है तथा भाग "ङ" श्रेणी का है जो सिंचाई, औद्योगिक शीतलन आदि के लिए उपयुक्त है।

(च) दिल्ली में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली सरकार की अपनी योजना के अन्तर्गत वर्तमान सीवेज क्षमता में 1270 मिलियन लीटर प्रतिदिन में वृद्धि करके 2270 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक किया जाना है। इसके अलावा यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत 2 अन्य सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना की जानी है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 10 एम.एल.डी. है। यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत अन्य 14 नगरों में सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना की जानी है।

(छ) यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन का कार्य शुरू हो चुका है। 24 स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अब तक अनुमोदित की जा चुकी हैं।

विवरण

यमुना नदी के किनारे स्थित 15 नगरों में उत्पन्न होने वाले अपशेष जल की संयुक्त मात्रा

क्र.सं.	राज्य/नगर	अपशेष जल (मिलि. लीटर प्रतिदिन)
क.	हरियाणा	
1.	फरीदाबाद	89
2.	गुड़गांव	112
3.	सोनीपत	23
4.	पानीपत	34
5.	करनाल	39
6.	यमुनानगर और जगाधरी	25
ख.	दिल्ली	
7.	दिल्ली	2000
ग.	उत्तर प्रदेश	
8.	सहारनपुर	33
9.	मुजफ्फर नगर	29
10.	गाजियाबाद	80
11.	नोएडा	45
12.	वृंदावन	2
13.	मथुरा	24
14.	आगरा	90
15.	इटावा	10
	कुल	2635

मरूस्थल प्रसार रोकने हेतु कार्यक्रम

1977. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मरूस्थल के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितना वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस मरूस्थल प्रसार रोधी कार्यक्रम में स्थायी रूप से अल्पकालिक भाग को उपजाऊ बनाने हेतु उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां पर बाढ़ के कारण भारी बालू का जमाव हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). सरकार ने मरूस्थली क्षेत्रों में मरूस्थलीकरण को रोकने तथा दीर्घावधि में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास और उपयोग के लिए 1977-78 में मरू-विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस समय यह कार्यक्रम पांच राज्यों अर्थात् जम्मू व कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के 21 जिलों के 131 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए अभिनिर्धारित कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.62 लाख वर्ग कि.मी. है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1994-95 में इस कार्यक्रम के लिए 8400 लाख रुपए का वार्षिक आबंटन किया गया है। इसके अलावा मरूस्थलीकरण की सम्भावना वाले क्षेत्रों में पूर्ण वनीकरण और मृदा संरक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों को भी मरूस्थलीकरण को रोकने के एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों पर पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में सम्मेलन

1979. श्रीमती दीपका एच. टोपीवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण तथा ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों को समेकित करने हेतु कोई समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सुझावों के बारे में क्या निर्णय लिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शताब्दी एक्सप्रैस

1980. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
डा. सुधीर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मार्गों पर सुपरफास्ट और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में कुछ और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गाड़ियों को किन-किन मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधन की उपलब्धता।

(ग) जी, हां।

(घ) नई दिल्ली और जयपुर के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस शीघ्र चलाई जा रही है। दिल्ली-देहरादून और हावड़ा-धनबाद-बोकारो मार्गों पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है और व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन

1981. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है, जिन्हें वर्ष 1994-95 में वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उन्हें अब तक कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान "स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन-अनुदान" की स्कीम के अंतर्गत भवन एवं उपस्कर के लिए 13 स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :-

1. आंध्र प्रदेश	1
2. चंडीगढ़	1
3. दिल्ली	1
4. केरल	1
5. कर्नाटक	2
6. उड़ीसा	3
7. पंजाब	1
8. उत्तर प्रदेश	1
9. पश्चिम बंगाल	1
10. मणिपुर	1
अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शून्य

(ख) इन तेरह संगठनों को अब तक जारी की गई धनराशि 17,64,820.00 रुपये एवं अब तक उपयोग की गयी सूचित धनराशि 2,50,000.00 रुपये है।

[हिन्दी]

वनस्पति उद्यान

1982. **श्री दत्ता मेघे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वनस्पति उद्यानों की और अधिक संख्या में स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्यानों की स्थापना कब तक की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). वनस्पति उद्यानों की स्थापना राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा की गई है। केन्द्रीय सरकार वनस्पति उद्यानों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वनस्पति उद्यान केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन भी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने वनस्पति उद्यान के लिए क्रमशः दिल्ली में अथवा दिल्ली के समीप उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। तथापि, कोई परियोजना प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

हिन्दी भाषा को बढ़ावा देना

1983. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) हिन्दी भाषा के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान, क्रमशः 169, 151

और 161 स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी भाषा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग). सरकार, हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित 7 व्यापक योजनाओं को लागू कर रही है :—

(1) प्रकाशनों सहित हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण।

(3) विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार।

(4) हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना।

(5) पत्राचार पाठ्यक्रमों, द्विभाषी तथा त्रिभाषी शब्दकोशों आदि के निर्माण के माध्यम से हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास।

(6) हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास।

(7) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाकालीन शिक्षकों को हिन्दी में प्रशिक्षण प्रदान करना।

[अनुवाद]

गुजरात के केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

1984. श्री हरिभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने पद हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि 30.9.94 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों सहित शिक्षकों के 258 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गेहूं की आवश्यकता

1985. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 के लिए गेहूं और चावल की आवश्यकता का आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). किसी निश्चित समय पर गेहूं तथा चावल की आवश्यकता आबादी, उत्पादन, उपलब्धता, आय का वितरण, मूल्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता की रुचि, विकल्पों की उपलब्धता जैसे बहुत से कारकों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर निर्भर करती है। अतः 1995 के लिये गेहूं तथा चावल की आवश्यकता का यथार्थ आंकलन करना कठिन है।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के लिये चावल तथा गेहूं उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 78.50 तथा 58.50 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किये गये हैं।

(ङ) अनाजों के उत्पादन पर विशेष बल देने के लिये वर्तमान वर्ष के दौरान चावल तथा गेहूं दोनों के लिये समेकित अनाज विकास कार्यक्रम संबंधी एक संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

1986. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें प्रौद्योगिकी के उन्नयन का कार्य किया जाएगा;

(ग) प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप वसूली दर में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना, भारतीय चीनी उद्योग के मौजूदा प्रौद्योगिकी स्तर का उच्चश्रेणीकरण करने के प्रयोजन से की गई है ताकि कम खर्च पर चीनी का अधिक उत्पादन किया जा सके। मिशन, संयन्त्र कुशलता, ऊर्जा संरक्षण, चीनी गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण में हुए सुधारों और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सुव्यवस्थित मूल्यांकन

और शुरूआत द्वारा सह-उत्पादों के अधिक इस्तेमाल का प्रर्दशन करेगा। यह परियोजना पांच वर्षों के अन्दर पूरी की जानी है।

(ग) विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने और चुनिन्दा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आधुनिकीकरण की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए तथा साथ-साथ कुछ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए भी लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि का खर्च होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित चीनी फैक्ट्रियां चीनी विकास निधि, वित्तीय संस्थानों, अपने संसाधनों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित निधियां जुटाएंगी।

(घ) गन्ने से चीनी की "रिकवरी" गन्ने की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और ये कृषि-मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो क्षेत्र-दर-क्षेत्र, प्लांट के कार्य-निष्पादन प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि चीनी प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन चीनी प्लांट में प्रौद्योगिकी का उच्चश्रेणीकरण करने से चीनी की हानियों के वर्तमान स्तर को 10 से 15 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है जिससे रिकवरी रेट में तदनुरूपी वृद्धि होगी।

एशियाई शेर

1987. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में एशियाई शेर योजना को फिर से शुरू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1993 में बड़ौदा में आयोजित आबादी तथा वासस्थल व्यवहार्यता विश्लेषण के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आधार पर भारत में एशियाई शेर के लिए दूसरे वासस्थल की खोज करना तत्काल जरूरी समझा गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने इस पर एक प्राथमिक अध्ययन किया और गुजरात के गीर क्षेत्रों से एशियाई शेरों को लाकर एक दूसरे वासस्थल के सृजन के लिए पहली पसन्द के रूप में मध्य प्रदेश के कुनोपाल्पुर क्षेत्र का सुझाव दिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण चल रहा है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर विकास कार्य

1988. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे तथा अन्य रेलवे को कितनी हानि/लाभ हुआ;

(ख) 1993-94 के दौरान पटरियों के नवीकरण, विद्युतीकरण और अन्य विकास कार्यों की उपलब्धियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के दौरान रेलवे द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले विकास कार्यों का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कमाया गया लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि करोड़ रुपयों में
1991-92	569.17
1992-93	793.55
1993-94	1036.01

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य क्षेत्रीय रेलों को हुई हानि तथा उन्हें हुए लाभ को दर्शाने वाला विवरण :

क्षेत्रीय रेलवे	1991-92 लाभ (+) हानि (-)	1992-93 लाभ (+) हानि (-)	1993-94 लाभ (+) हानि (-)
मध्य	(+) 495.01	(+) 514.91	(+) 655=66
पूर्व	(-) 182.82	(-) 47.80	(+) 15.97
उत्तर	(+) 98.62	(-) 27.87	(+) 224.27
पूर्वोत्तर	(-) 312.49	(-)392.19	(-) 380.00
पूर्वोत्तर सीमा	(-) 227.55	(-) 251.30	(-) 194.41
दक्षिण	(-) 221.46	(-) 282.20	(-)205.97
दक्षिण मध्य	(+) 110.85	(+) 115.64	(+) 211.54
पश्चिम	(+) 414.52	(+) 617.79	(+) 750.91

(ख) 1993-94 के दौरान रेलपथ विद्युतीकरण तथा अन्य विकास कार्यों के संबंध में हासिल की गई रेलवार उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

रेलपथ नवीकरण

क्षेत्रीय	उपलब्धियां
मध्य	421
पूर्व	328
उत्तर	431
पूर्वोत्तर	100
पूर्वोत्तर सीमा	126
दक्षिण	165
दक्षिण मध्य	400
दक्षिण पूर्व	540
पश्चिम	302
जोड़	2813

विद्युतीकरण

क्षेत्रीय रेलें	1993-94 में विद्युतीकृत मार्ग कि.मी.
मध्य	136
पूर्व	69
उत्तर	34
दक्षिण	13
दक्षिण मध्य	11
दक्षिण पूर्व	219
पश्चिम	23
जोड़	205

अन्य विकास कार्य

नई लाइनें

वर्ष के दौरान निम्नलिखित खंडों पर 211 कि.मी. नइ लाइनों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया :—

क्षेत्रीय रेलें	खंड	लम्बाई कि.मी. में
मध्य	डीग-अलवर	79
पूर्वोत्तर	रूद्रपुर-लालकुंआ	14
दक्षिण	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	100
दक्षिण पूर्व	संबलपुर-मानेश्वर	18
जोड़		211

आमान पस्विर्तन

वर्ष 1993-94 में, छोटी लाइन तथा मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किये गये 1619 कि.मी. रेलपथ को यातायात के लिए खोला गया। 25 अन्य खंडों पर 5931 कि.मी. लम्बे मार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है।

1993-94 के दौरान पूरे किए गए आमान परिवर्तन के कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्रीय रेलें		खंड	लम्बाई कि.मी. में
1		2	3
मध्य		दौंड-बारामती	42
उत्तर	1.	भटिंडा-हिसार	157
	2.	फुलेरा-जोधपुर-भगत की कोठी	261
	3.	पटेल नगर-सराय रोहिल्ला	3
	4.	मेड़ता रोड-मेडता सिटी	15
पूर्वोत्तर	1.	महमूदाबाद-सीतापुर	60
	2.	वाराणसी-इलाहबाद	126
	3.	लखनऊ-मानकनगर	5
	4.	लालकुंआ-काठगोदाम	29
	5.	बुढ़वल-महबूदाबाद	38*
पूर्वोत्तर सीमा		गुवाहटी-लमडिंग	181
दक्षिण	1.	तुमकूर-चिकजाजूर	215
	2.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	16
	3.	मैसूर-अशोकपुरम	5
	4.	ताम्बरम-एगम्बूर	27
दक्षिण मध्य	1.	नरसारावपेट-दौनकोंडा	75
	2.	जालना-परभनी	116
	3.	फलकनुमा-सिकंदराबाद	28
	4.	बोलारम-सिकंदराबाद	14
	5.	फलकनुमा-महबूबनगर	99
दक्षिण पूर्व		गोंदिया-अर्जुनी	82
पश्चिम	1.	जयपुर-फुलेरा	55
	2.	जयपुर-दुर्गापुर	8
		जोड़	1657

* कार्य मार्च 1993 में पूरा हो गया था परंतु खंड को यातायात के लिए 94-95 के दौरान खोला गया था।

दोहरीकरण

वर्ष 1993-94 में, यातायात के लिए कुल 295 कि.मी. दोहरी/बहु लाइनें चालू की गई थीं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्रीय रेलें		खंड	लम्बाई कि.मी. में
1		2	3
मध्य	1.	कीरतगढ़-कलाखेरं	12.00
	2.	मेटपौजरा-भारतवड़ा	16.00
	3.	नरखेड-मेटपौजरा	34.00
पूर्व	1.	जमीरघाट-खलतीपुर	6.45
	2.	खलतीपुर-चामग्राम	8.56
	3.	बोनीडंगा लिंक केबिन	2.04
	4.	कोल्लम-जमालपुर-बागलपुर	4.89
	5.	मुगलसराय-गऊगखाजा	4.02
पूर्वोत्तर सीमा		तीलता-दलकोला	8.50
दक्षिण		किवलोन-करूनागपल्ली	14.00

1	2	3
दक्षिण मध्य	1. सेरम-मलखैड़	12.40
	2. लिंगेरी-नारायणपेट	12.60
	3. नारायणपेट-चेगुंटा	10.86
	4. यादगीय-लिंगेरी	10.58
	5. थागुंडा-यादगीय	9.36
दक्षिण पूर्व	1. जोरंड रोड-धनकनल	9.00
	2. रायपुर-विजयानगरम	83.00
पश्चिम	1. बोलई-अंकोदिया	12.00
	2. माहीपुल	1.00
उत्तर	1. निजामुद्दीन-तिलक पुल	5.00
	2. रामपुर-आजादपुर	8.00
	3. रोहतक-जाखल	11.00
	जोड़	295.26

(ग) और (घ). 1994-95 में निष्पादन के लिए योजनाबद्ध विद्युतीकरण कार्यों का ब्यौरा तथा उस पर होने वाला खर्च इस प्रकार है :—

क्षेत्रीय रेलें	योजना	लम्बाई कि.मी. में	1994-95 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)
मध्य 1.	बीना-कटनी	6.00	43.00
2.	(शेष भाग)		
2.	शाखा लाइनें	79.00	5.00
पूर्व 1.	सोन नगर-पतरातू	145.00	20.00
2.	बांडेल-कटवा	35.00	15.00
3.	सीतारामपुर-मुगलसराय	70.00	25.00
उत्तर	दिल्ली-लुधियाना	80.00	26.59
द.म.	शाखा लाइनें	27.00	8.00
द.पू.	कटनी-बिलासपुर (शेष भाग)	58.00	51.00
	जोड़	500.00	193.59

1994-95 के दौरान रेलवे द्वारा रेलवे-वार निष्पादित किए जाने वाले अन्य विकास कार्यों का ब्यौरा 1994-95 के लिए निर्माण मशीनरी तथा चल स्टाक कार्यक्रम में दिया गया है जो माननीय सदस्यों को फरवरी, 94 में रेल बजट प्रलेखों के एक भाग के रूप में भिजवाया गया था।

ऐसे विकास कार्यों के लिए 1994-95 में बजट परिव्यय योजना वार तथा जोनवार इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	नई लाइनें	21.16 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	10.8 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	16.18 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	5.25 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	8.82 करोड़ रुपए
	सिगनल और दूर-संचार संबंधी कार्य	36.29 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	11.87 करोड़ रुपए
पूर्व रेलवे	नई लाइनें	3.00 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	49.55 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	2.96 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	8.45 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	36.05 करोड़ रुपए
	कारखाना और शेड	16.68 करोड़ रुपए
उत्तर रेलवे	नई लाइनें	59.00 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	190.79 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	8.54 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	60.23 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	15.31 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	37.98 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	16.85 करोड़ रुपए
पूर्वोत्तर रेलवे	नई लाइनें	12.00 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	93.63 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	5.50 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	0.32 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	5.50 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	14.71 करोड़ रुपए
	कारखाने तथा शेड	2.50 करोड़ रुपए
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	नई लाइनें	13.09 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	120.09 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	5.00 करोड़ रुपए

	कंप्यूटरीकरण	0.35 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	2.80 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	7.79 करोड़ रुपए
	कारखाने तथा शेड	7.00 करोड़ रुपए
दक्षिण रेलवे	नई लाइनें	4.59 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	118.53 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	19.00 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	1.52 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	7.61 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	18.87 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	18.75 करोड़ रुपए
द.म. रेलवे	नई लाइनें	2.00 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	294.55 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	9.39 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	1.83 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	22.87 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	19.38 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	2.45 करोड़ रुपए
द.पू. रेलवे	नई लाइनें	80.11 करोड़ रुपए
	आमान परिवर्तन	23.40 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	32.93 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	0.34 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	12.36 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	12.63 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	18.56 करोड़ रुपए
पश्चिम रेलवे	आमान परिवर्तन	153.31 करोड़ रुपए
	दोहरीकरण	4.11 करोड़ रुपए
	कंप्यूटरीकरण	3.58 करोड़ रुपए
	पुल संबंधी कार्य	8.19 करोड़ रुपए
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी कार्य	42.74 करोड़ रुपए
	कारखाने और शेड	23.25 करोड़ रुपए

इस वर्ष के दौरान रेल विद्युतीकरण पर 245.2 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

1987. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई एक बैठक में अगले 15 वर्षों में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने की कार्यपद्धति की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया;

(ग) इसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

मात्स्यिकी में समस्या

1990. श्री एन. डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मात्स्यिकी के विकास में आ रही समस्याओं पर राज्यों के मात्स्यिकी मंत्रियों के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई बैठक बुलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). मात्स्यिकी विकास के विभिन्न पहलुओं तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में इस्टतम वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर नई दिल्ली में अक्तूबर, 1994 में आयोजित केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की बैठक में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मात्स्यिकी के प्रभारी मंत्रियों, के साथ विचार विमर्श किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी विकास के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया :—

(i) जल कृषि के विकास के लिए नई प्रजातियों की पहचान करना।

(ii) अंतर्देशीय मत्स्य विपणन हेतु अवसंरचना का विकास।

(iii) मत्स्य पत्तन और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण।

(iv) दीर्घकालिक जल कृषि और पर्यावरण।

(v) परंपरागत/छोटे मछुआरों के हितों का संरक्षण।

(vi) मात्स्यिकी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।

(vii) मछुआरों का कल्याण।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

घड़ियालों का परिरक्षण

1991. श्री के. प्रधानी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में घड़ियालों के परीक्षण और वृद्धि हेतु शुरू की जा रही विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) योजना-वार अब तक की उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश में मगरमच्छों के संरक्षण एवं वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा कोई नई स्कीम आरम्भ नहीं की जा रही है। हालांकि, 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से आरंभ की गई एक परियोजना, जो 1982 तक जारी थी, देश में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तीन प्रजातियों के संरक्षण में सफल रही थी। अतएव, इस प्रयोजन हेतु फिलहाल किसी नई स्कीम की जरूरत महसूस नहीं की गई है।

(ख) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों में राज्यों को कोई निधि नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हत्या

1992. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में हुये चुनावों के दौरान कुछ प्रत्याशियों की हत्या कर दी गई तथा कुछ अन्य प्रत्याशियों की हत्या का प्रयास किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय चुनावों के दौरान बढ़ती हुई हिंसा के मामले की गहराई से जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय चुनावों के दौरान सरकार का विचार किस प्रकार हिंसा को रोकने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के दौरान विश्वविद्यालय को हिंसा की निम्नलिखित घटनाओं की सूचना दी गई थी :—

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई एक उम्मीदवार पर अर्धरात्रि में हमला किया गया जब वे अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ खड़ी हुई थीं। कुछ असामाजिक तत्वों ने तथाकथित रूप से कुछ दूरी से गोली चलाई जिससे कार को क्षति पहुंची किन्तु उम्मीदवार को कोई चोट नहीं पहुंची।

(ii) कॉलेज चुनावों के दो प्रत्याशी उम्मीदवारों के बीच हो रही झड़प के दौरान आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के परिसर में एक गोली चलाई गई। इस प्रक्रिया में एक निर्दोष छात्र घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

(iii) देश बन्धु कॉलेज के चुनाव लड़ रहे एक छात्र को रात के समय अपने घर से बाहर बुलाया गया और बाद में उसका कत्ल कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, यह मामला चुनावों से संबंधित नहीं था बल्कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी से संबंधित था।

इन चुनाव-पूर्व घटनाओं की विश्वविद्यालय द्वारा आलोचनात्मक रूप से समीक्षा की गई और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों तथा विश्वविद्यालय के प्राक्टर के दल ने सुरक्षात्मक कदम उठाए। इनमें छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना, कड़ी सतर्कता, और अधिक बलों को लगाना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का अनुवीक्षण और पहचान पत्रों आदि की कड़ी जांच द्वारा छात्रों का नियंत्रित प्रवेश शामिल था। इन उपायों के बाद, विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में चुनावों के दौरान और उसके बाद किसी भी कारण से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई।

शिक्षा संबंधी आर्थिक नीति

1993. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत चलाई जा रही नई आर्थिक नीति और ढांचागत सुधार कार्यक्रम का देश की शिक्षा पद्धति पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यापक अध्ययन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का शिक्षा नीति के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी. ई.), 1986 के अनुसरण में शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा में बनाए रखने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विचार से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्ष 1991-92 से शिक्षा के लिए आबंटन में खासकर प्रारंभिक और प्रौढ शिक्षा के लिए योजनागत आबंटन में काफी वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण की प्रतिशतता

1994. श्री मुही राम सैकिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** दिनांक 9.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2416 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-मई, 1994 माह में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के लिए दिये गये विज्ञापन में विभिन्न प्रकार के कुल कितने आरक्षण का प्रावधान है;

(ख) क्या इनमें आरक्षण का कुल प्रतिशत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि वह अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए आरक्षण के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है। अप्रैल-मई, 1994 के दौरान जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर, शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रवेश

1995. डा. मुमताज अंसारी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने प्रवेश संबंधी नियमों में हाल ही में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रलाय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने अपने दाखिले के नियमों में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया है जबकि सत्र 1994-95 के आरम्भ में विश्वविद्यालय ने एम. फिल (अंग्रेजी), अरबी/फारसी/इस्लामी अध्ययन में एम.ए. जैसे कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है ताकि पात्रता मानदण्ड को अन्य पाठ्यक्रमों के बराबर लाया जा सके।

शिक्षा के लिए विश्व बैंक से सहायता

1996. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त सहायता से प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हुई है। तथापि, यूरोपीय संघ (ई.यू.) भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। यूरोपीय संघ की निधियां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 19 जिलों के लिए प्रयुक्त की जा रही है। ये जिले हैं—रायसेन, मन्दसौर, रतलाम, टीकमगढ़, गुना, रायगढ़ धार, बेतुल, सेहोर, छतरपुर, सतना, पन्ना, राजनन्द गांव, रीवा, बिलासपुर, राजगढ़ सीधी, शाहडोल और सरगुजा।

[अनुवाद]

मत्स्य बंदरगाह/लैंडिंग सेंटर

1997. श्री थाइल जान अंजलोज :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य-वार विकास हेतु लिए गये मत्स्य बंदरगाह/लैंडिंग सेंटर्स का लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार प्रत्येक मामले में लागत सहित वर्तमान में सरकार के पास लंबित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 1994-95 के दौरान मंजूर किए गए मात्स्यिकी पत्तनों/मत्स्य अवतरण केन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	मात्स्यिकी पत्तन/ मत्स्य अवतरण केन्द्र की अवस्थित	अनुमोदित लागत (लाख रुपए में)
1. उड़ीसा	भुसन्दपुर बलियतपुर	95.00
2. केरल	कायमकुलम	624.60

(ख) और (ग). संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित/लम्बित मात्स्यिकी पत्तन/मत्स्य अवतरण केन्द्र की अवस्थिति	प्रस्तावित अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	वर्तमान स्थिति/परियोजना को स्वीकृति देने हेतु उठाए गये कदम
1.	कर्नाटक	माल्पे, चरण/स्थिति-II	1058.00	राज्य सरकार से परियोजना की औचित्य-प्रमाणन के समर्थन में अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
2.	पश्चिम बंगाल	दिघा, चरण/स्थिति-II	471.92	परियोजना प्रस्ताव की संवीक्षा एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।
3.	महाराष्ट्र	सास्सून पत्तन	1431.36	प्राक्कलित लागत को 680.24 लाख रुपए से बढ़ाकर 1431.36 लाख रुपए करने के लिए परियोजना प्रस्ताव की संवीक्षा एवं मूल्यांकन किया गया।

[हिन्दी]

विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी विषय

1998. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में बागवानी और पशुपालन जैसे रोजगारोन्मुखी विषय आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में कृषि का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, स्कूलों में कृषि को एक रूप या किसी दूसरे रूप में पर्यावरण अध्ययन, कार्य अनुभव और जीव-विज्ञान के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है।

(ख) से (घ). +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, देश के चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में कृषि से संबंधित कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार छः राज्यों में लगभग 78 स्कूलों में बागवानी पर एक पाठ्यक्रम और एक राज्य में 5 स्कूलों में पशु-पालन पर एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

जर्मन नाटक का प्रायोजन

1999. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् आई.सी.सी.आर. जर्मन-जमाईकन थियेटर समूह को भारत में एक नाटक का निर्माण एवं मंचन करने के लिए प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रयोजन की शर्तें क्या हैं तथा इस नाटक पर कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) क्या मैक्समूलर भवन, जो भारत में प्रमुख जर्मन सांस्कृतिक संस्थान है, ने व्यावसायिक कारणों से इस ग्रुप के नेता की सिफारिश करने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा इस ग्रुप को प्रायोजित करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). संस्कृति विभाग एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भारत में नाटक के मंचन के लिए सहयोग करने एवं आवश्यक सहायता देने हेतु सहमत हुए थे। संस्कृति विभाग ने विश्व थियेटर परियोजना के कार्मिकों के आवास एवं परिवहन पर व्यय वहन करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को 15 लाख रुपये का अनुदान जारी किया था। तथापि, इसकी भूमिका आसानपरक कार्य तक ही सीमित थी।

(ग) और (घ). भारत में मंचन किए गए नाटक का निर्देशन श्री रोलैण्ड रेबर द्वारा किया गया था, जो विश्व थियेटर परियोजना के प्रमुख भी थे। संस्कृति विभाग ने दल के नेता के बारे में किसी राय के लिए न तो मैक्समूलर भवन से अनुरोध किया था और न ही मैक्समूलर भवन ने दल के नेता के बारे में कोई मत इस विभाग को भेजा है। संस्कृति विभाग मुख्यतः इसलिए समर्थन के लिए सहमत हुआ, क्योंकि :—

— विश्व थियेटर परियोजना को यूनेस्को के साथ जर्मन राष्ट्रीय सहयोग आयोग का समर्थन प्राप्त था।

— यह अनुभव किया गया कि भारत में विश्व थियेटर परियोजना भारत-जर्मन संबंधों में और वृद्धि को सुकर बनाएगी, ताकि दोनों संस्कृतियों को और निकट लाया जा सके।

— परियोजना में भारतीय कलाकारों के अतिरिक्त, जर्मनी और जमैका, दोनों के कलाकार शामिल थे—इस तरह ढांचा बहु-राष्ट्रीय था; और

— थियेटर दल को प्रायोजन की कमी के कारण कठिनाइयां हुईं, जिनकी उन्हें आशा थी और उन्हें निराश करना उचित नहीं समझा गया।

जैविक कृषि पर कार्य बल समिति

2000. श्री उदय सिंह गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैविक कृषि पर कोई कार्य बल समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सेवा शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग ने कार्बनिक कृषि के प्रवर्धन हेतु संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी दल का गठन किया है। अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. विभिन्न फार्मों का दौरा करना तथा कार्बनिक कृषि पद्धतियों का अवलोकन करना।
2. फसलोत्पादन के संबंध में कार्बनिक कृषि पद्धतियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना।
3. कार्बनिक फार्मिंग की संभावनाओं का पता लगाना।
4. इस प्रणाली की व्यवहार्यता का अध्ययन करना।
5. कृषि उत्पादन हेतु कार्बनिक फार्मिंग अपनाने के लिए नीति बनाने हेतु सरकार को सलाह देना।

(ग) और (घ). जी, हां। इस दल ने देश के राज्यों के कुछ फार्मों, अनुसंधान संस्थाओं का दौरा किया और सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं:—कार्बनिक खादों, हरी खादों, जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा कार्बनिक फार्मिंग के लाभों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना, भूमिहीन मजदूरों के बीच डेयरी को बढ़ावा देना, एकीकृत कृषि प्रबंध का दृष्टिकोण अपनाना तथा कार्बनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना। दल ने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कार्बनिक कृषि जिसमें कम्पोस्ट का उपयोग तथा कम्पोस्ट बनाने की विभिन्न पद्धतियां शामिल हैं, हेतु पद्धतियों का पैकज तैयार करने का प्रस्ताव है तथा जैव उर्वरकों तथा जैव कृमिनाशकों आदि के उपयोग के लिए विस्तार कर्मचारियों तथा किसानों हेतु प्रशिक्षण का भी आयोजन करे।

(ङ) तकनीकी दल द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वयनार्थ राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं तथा संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों को पुरस्कार

2001. श्री भीम सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शोध कार्यों के लिए पुरस्कार दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय और वैज्ञानिकों द्वारा उनके प्रयासों के संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान की मान्यता में प्राप्त हुए विभिन्न पुरस्कारों में अन्य के साथ-साथ, सम्मानजनक पुरस्कार जैसे शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार, जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी अनुसंधान पुरस्कार, हरदिलिया पुरस्कार, ए.के. बोस मेमोरियल पुरस्कार, जी.डी. बिरला पुरस्कार, विलियम गिल्बर्ट पुरस्कार, होमी भाभा अनुप्रयुक्त विज्ञान पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी शिक्षावृत्ति, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2002. **डा. परशुराम गंगवार :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण आबादी के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चावल, गेहूं, चीनी, खाना पकाने का तेल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई पूरे देश में समान रूप से की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्नता के क्या कारण हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा शहरी और ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत भाग को सप्लाई की जाती है; और

(घ) 1 अप्रैल, 1991, 1 अप्रैल 1994 तथा 1 अक्तूबर, 1994 को क्रमशः इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना था?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पूल में उपलब्ध मात्रा, मौसमजन्य कारणों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयतित खाद्य तेल तथा सॉफ्ट कोक का थोक में आबंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और राज्य के भीतर जिलों/क्षेत्रों को उप-आबंटन करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की हकदारी की मात्रा तय करना आदि जैसे निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं। देश में विद्यमान भिन्न-भिन्न स्थितियों को देखते हुए, सम्पूर्ण देश में राशन का एक समान पैमाना रखना न तो सम्भाव्य होगा और न ही वांछनीय होगा। मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी लोगों के लिए है और सभी शहरी तथा ग्रामीण परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(घ) पहली अप्रैल, 1991, पहली अप्रैल, 1994 व पहली अक्तूबर, 1994 का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नवत हैं:—

(रु. प्रति क्विंटल)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

	वस्तु	निम्न तारीख से प्रभावी	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन
(i)	चावल	1.4.91	289	349	370
		1.4.94	537	617	648
		1.10.94	537	617	648
(ii)	गेहूं	1.4.91	234		
		1.4.94	402		
		1.10.94	402		
				(रु. प्रति मी. टन)	
			थोक		15 कि.ग्रा. टीन
(iii)	आयतित खाद्य तेल	1.4.91	16500		19000
		1.4.94	22000		25000
		1.10.94	24000		27000
(iv)	मिट्टी का तेल (घरेलू उपयोग के लिए)	1.4.91	2446.16 कि.लो. (क)		
		1.4.94	2001.40 कि.लो. (ख)		
		1.10.94	2001.40 कि.लो. (ग)		
		(क) उत्पाद (शुल्क सहित)			
		(ख) बिना उत्पाद शुल्क			
(v)	लेवी चीनी (खुदरा)	1.4.91	रु. 5.25 प्रति कि. ग्राम		
		1.4.94	रु. 9.05 प्रति कि. ग्राम		
		1.10.94	रु. 9.05 प्रति कि. ग्राम		

गेज़ परिवर्तन

2003. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्रीमती विजयराजे सिंधिया :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री राम कापसे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदला गया है इसका क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजनाओं के कार्य में निश्चित समय सारिणी के अनुरूप प्रगति हो रही है; और

(ग) उपरोक्त गेज़ परिवर्तन कार्य पर किये गये व्यय का ब्यौरा दें?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले 3 वर्षों में आमान परिवर्तन कार्यों पर किये गये खर्च की राशि 1827.27 करोड़ रुपये है। इस वर्ष आमान परिवर्तन कार्यों के लिए बजट में 1005.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों से अब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित किए गए खंड नीचे दिए गए हैं :—

क्र.सं.	खंड/लाइन का नाम	क्षेत्र	लम्बाई (कि.मी.)	राज्य
1	2	3	4	5
1991-92				
1.	मनमाड़-औरंगाबाद	दक्षिण मध्य	114	महाराष्ट्र
2.	सलेमपुर-बरहज बाजार	पूर्वोत्तर	21	बिहार
		कुल	135	
1992-93				
1.	लखनऊ-कानपुर	उत्तर	59	उत्तर प्रदेश
2.	दिल्ली-रेवाड़ी	उत्तर	83	हरियाणा
3.	कोटकपूरा-फाजिल्का	उत्तर	80	पंजाब
4.	लालगढ़-मेड़ता रोड	उत्तर	177	राजस्थान
5.	लालगढ़-कोलायत	उत्तर	47	राजस्थान
6.	नडियाद-कपड़वंज	पश्चिम	45	गुजरात
7.	सवाईमाधोपुर-जयपुर	पश्चिम	125	राजस्थान
8.	बेंगलूरू-तुमकुर	दक्षिण	59	कर्नाटक
9.	मैसूर-बेंगलूरू	दक्षिण	138	कर्नाटक
10.	बेंगलूरू-येलहंका	दक्षिण	12	कर्नाटक
11.	गुंटूर-नरसारावपेट	दक्षिण मध्य	46	आंध्र प्रदेश
12.	दिंडीगुल-तूतीकोरिन	दक्षिण	196	तमिलनाडु
13.	बेलारी-रायदुर्ग	दक्षिण मध्य	54	कर्नाटक
14.	औरंगाबाद-जालना	दक्षिण मध्य	64	आंध्र प्रदेश
15.	परभनी-पर्ली वैजयनाथ	दक्षिण मध्य	63	आंध्र प्रदेश
16.	बुढ़वल-महबूदाबाद	पूर्वोत्तर	38	उत्तर प्रदेश
17.	मनकापुर-कटरा	पूर्वोत्तर	30	उत्तर प्रदेश
18.	पुरूलिया-कोटशिला	दक्षिण पूर्व	35	पश्चिम बंगाल
		कुल	1351	
1993-94				
1.	घौंड-बारामती	मध्य	42	महाराष्ट्र
2.	भटिंडा-हिसार	उत्तर	157	पंजाब/हरियाणा
3.	फुलेरा-जोधपुर-भगत की कोठी	उत्तर	261	राजस्थान
4.	पटेल नगर-सराय रोहिल्ला	उत्तर	3	दिल्ली
5.	मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	उत्तर	15	राजस्थान
6.	महबूदाबाद-सीतापुर	पूर्वोत्तर	60	उत्तर प्रदेश
7.	वाराणसी-इलाहबाद	पूर्वोत्तर	126	उत्तर प्रदेश
8.	लखनऊ-मानकानगर	पूर्वोत्तर	5	उत्तर प्रदेश
9.	लालकुंआ-काठगोदाम	पूर्वोत्तर	29	उत्तर प्रदेश
10.	गुवाहटी-लमडिंग	पूर्वोत्तर सीमा	181	पूर्वोत्तर क्षेत्र
11.	तुमकूर-चिकजाजूर	दक्षिण	215	कर्नाटक
12.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	दक्षिण	16	कर्नाटक
13.	मैसूर-अशोकापुरम	दक्षिण	5	कर्नाटक
14.	ताम्बरम-एगम्बूर	दक्षिण	27	तमिलनाडु
15.	नरसारावपेट-दोनकोंड़ा	दक्षिण मध्य	75	आंध्र प्रदेश
16.	जालना-परभनी	दक्षिण मध्य	116	महाराष्ट्र
17.	फलकनुमा-सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य	28	आंध्र प्रदेश
18.	बोलाराम-सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य	14	आंध्र प्रदेश
19.	फलकनुमा-महबूबनगर	दक्षिण मध्य	99	आंध्र प्रदेश
20.	गोंदिया-अर्जुनी	दक्षिण पूर्व	82	महाराष्ट्र
21.	जयपुर-फुलेरा	पश्चिम	55	राजस्थान
22.	जयपुर-दुर्गापुर	पश्चिम	8	राजस्थान
		जोड़	1619	
1994-95				
1.	परभनी-पूर्णा	दक्षिण	29	आंध्र प्रदेश
2.	अर्जुनी-वाड़सा	दक्षिण पूर्व	23	मध्य प्रदेश
3.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	दक्षिण	18	कर्नाटक

1	2	3	4	5
4.	हिसार-रेवाड़ी	उत्तर	143	पंजाब/हरियाणा
5.	रेवाड़ी-जयपुर	पश्चिम	225	हरियाणा/राजस्थान
6.	बिरूर-शिमोगा	दक्षिण	63	कर्नाटक
7.	चिकजाजूर-हरिहर	दक्षिण	60	कर्नाटक
8.	दोनाकोंडा-गिद्दलूर	दक्षिण मध्य	84	आंध्र प्रदेश
9.	मिरज-बेलगांम	दक्षिण मध्य	188	कर्नाटक
10.	चापरमुख-हैबरगांव	पूर्वोत्तर सीमा	21	पूर्वोत्तर क्षेत्र
		जोड़	854	

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत

2004. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में 10 वीं तथा 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में यह प्रतिशत बहुत कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिये कोई उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के कक्षा दसवीं तथा बारहवीं के छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालय में उत्तीर्ण प्रतिशता		नवोदय विद्यालय में उत्तरी प्रतिशतता	
	कक्षा X	कक्षा XII	कक्षा X	कक्षा XII
1992	85.53	84.80	89.9	77.00
1993	87.43	81.95	93.7	66.8
1994	85.80	83.60	93.08	78.37

(ख) से (घ). जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों के शैक्षिक स्तरों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है जो कि विद्यालयों के नियमित शैक्षिक निरीक्षणों, शिक्षकों के सेवारत पाठ्यक्रमों तथा मूल्यांकन क्रियाकलापों के अनुश्रवण के माध्यम से की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन

2005. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले में बड़ी और मीटर गेज रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक रेल लाइन बिछाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) उत्तर प्रदेश में कोई बिलासपुर जिला नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2006. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री पी.सी. थामस :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के श्रमिक हाल के महीनों में हड़ताल पर चले गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किस हद तक सरकार ने इन मांगों को स्वीकार किया है; तथा

(च) सरकार द्वारा ऐसी हड़तालों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). एफ.सी.आई. वर्कर्स यूनियन ने अप्रैल, 1994 में भारतीय खाद्य निगम प्रबंधक के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते को स्वीकार करने के लिए आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया था।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने एक आकस्मिक योजना तैयार की थी। राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि वे बैगनों और रेल शीर्षों से सीधे खाद्यान्नों और चीनी के स्टाक उठाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

(ङ) और (च). उनके समझौते से सम्बन्धित जो दो मुख्य घटक इस बीच स्वीकार किए गए हैं, वे हैं—(1) श्रमिक यूनियन के साथ भारतीय खाद्य निगम प्रबंध द्वारा किए गए समझौते के अनुसार 49 सीधे भुगतान की प्रणाली वाले डिपों के कामगारों को विभागीय कामगारों का स्तर मंजूर करने से संबंधित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई के अवार्ड को स्वीकार करना (2) मेट/प्रबंध समिति प्रणाली का सीधे भुगतान की प्रणाली तक उच्च श्रेणीकरण करना। इसके परिणामस्वरूप यूनियन ने 1.11.1994 से अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया था। अब संगठन में कुल मिलाकर स्थिति शान्तिपूर्ण है।

स्मारकों का पुनरूद्धार

2007. **श्री श्रीकान्त जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के पुनरूद्धार के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए व्यापक परिरक्षण हेतु राज्य-वार कितने ऐसे स्मारकों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को किन शर्तों पर बुलाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष में गहन संरक्षण-कार्यों के लिए चुने गए स्मारकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	38
असम	5
अरूणाचल प्रदेश	1
बिहार	9
दमन और दीव	1
दिल्ली	18
गोवा	2
गुजरात	8
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू और कश्मीर	12
कर्नाटक	27.
केरल	5
मध्य प्रदेश	27
महाराष्ट्र	23
मणिपुर	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	17
पंजाब	4
राजस्थान	22
सिक्किम	1
तमिलनाडु	18
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	32
पश्चिम बंगाल	12

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की प्रयोगशालाएं

2008. **श्री पी. कुमारासामी :** क्यास मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए स्थापित प्रयोगशालाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून

(ii) क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, हैदराबाद और इन्दौर

(iii) वायु प्रदूषण प्रयोगशाला, आगरा

(iv) मंडलीय प्रयोगशालाएं, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, जयपुर, बड़ौदा, पटना, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, मैसूर और मद्रास।

(ग) से (ङ). गोवा में फील्ड प्रयोगशाला जम्मू, लखनऊ, मुर्शिदाबाद और गुवाहटी में मंडलीय प्रयोगशालाएं, दिल्ली में रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोगशाला तथा देहरादून में धर्मो लुमिनिसाइंस प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन है।

तकनीकी शिक्षा में निजी भागीदारी

2009. श्री मंजय लाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1994 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "प्राइवेट पार्टीसीपेशन मूटड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा में प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्राइवेट क्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए शैक्षिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.परि.) द्वारा सदैव प्रोत्साहित किया जाता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2010. श्री गोपी नाथ गजपति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) को कार्यान्वित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि के लिए ब्रिटेन के ओवरसीज डेवलपमेंट एसोशिएशन से बातचीत चल रही है;

(ग) यह कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा;

(घ) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं इसकी कार्रवाई योजना, 1992 को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' (डी.पी.ई.पी.) नाम से भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया गया है। प्रथम चरण में इस कार्यक्रम को असम, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 42 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने कार्यक्रम को 150 मिलियन ई.सी.यू. (585 करोड़ रु.) की सहायता देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसे मध्य प्रदेश के 19 जिलों में प्रयुक्त किया जा रहा है। विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने शेष 6 राज्यों के 23 जिलों में कार्यक्रम के लिए 260.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का आई.डी.ए. ऋण संस्वीकृत किया है। ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पांच-पांच जिलों में कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करने के प्रति रुचि दर्शाई है। इन जिलों में 5-7 वर्ष की परियोजना के विकास के लिए आयोजना प्रक्रिया शुरू की गई है।

उपभोक्ता न्यायालयों में दर्ज मामले

2011. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता न्यायालयों में राज्य-वार अभी तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) राज्य-वार कितने मामलों का अभी तक निपटान कर दिया गया है;

(ग) शेष मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन न्यायालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आगे संशोधन करने के संबंध में कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या कार्यवाही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्यभार के आधार पर एक जिले में अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि, अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे संबंधित उपभोक्ता न्यायालयों में मामलों के निपटान की प्रगति की अनुवीक्षा करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ता मंचों का सुप्रवाही कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं।

(घ) और (ङ). नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ऐसी सूचना संकलित नहीं करता है, क्योंकि आधार-ढांचे संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	राज्य आयोग शिकायतों की संख्या			जिला संघ अपीलों की संख्या						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुरूआत से दर्ज किए गए	शुरूआत से निपटाए गए	लंबित पड़े मामले	शुरूआत से दर्ज किए गए	शुरूआत से निपटाए गए	लंबित पड़े मामले	शुरूआत से दर्ज किए गए	शुरूआत से निपटाए गए	लंबित पड़े मामले	की समाप्त अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1091	303	788	3101	2293	808	61578	48361	13217	30.9.94
अरुणाचल प्रदेश	5	—	5	2	—	2	56	51	5	30.6.94
असम	353	128	225	164	73	91	2201	929	1272	30.9.94
बिहार	676	387	289	1127	483	644	17099	9215	7884	30.6.94
गोवा	104	84	20	214	175	39	1173	791	382	30.9.94
गुजरात	1500	866	634	1177	842	335	29896	15751	14145	30.4.94
हरियाणा	276	254	22	2489	1622	867	31553	22645	8908	30.9.94
हिमाचल प्रदेश	242	88	154	726	82	644	4932	3377	1555	30.6.94
जम्मू व कश्मीर	41	9	32	10	—	10	2470	446	2024	31.12.94
कर्नाटक	975	783	192	1587	717	870	14411	5067	9344	31.3.94
केरल	1224	754	470	2284	933	1351	46709	32981	13728	30.6.94
मध्य प्रदेश	320	265	55	1296	1066	230	24647	13610	11037	30.6.94
महाराष्ट्र	2060	1107	953	3591	1506	2085	42340	29048	13292	30.9.94
मणिपुर	3	1	2	16	4	12	499	481	18	30.9.94
मेघालय	4	3	1	1	1	—	4	2	2	30.6.94
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	129	110	19	30.6.94
नागालैंड	4	—	4	—	—	—	13	6	7	30.9.94
उड़ीसा	1167	645	522	849	270	579	7805	4334	3471	31.12.94
पंजाब	382	262	120	410	403	7	10855	6996	3859	30.9.94
राजस्थान	772	548	224	2211	1266	945	53840	39991	13849	30.9.94
सिक्किम	1	1	—	—	—	—	24	14	10	30.9.94
तमिलनाडु	1484	1152	332	2036	1597	439	23039	13964	9075	30.6.94
त्रिपुरा	38	30	8	41	32	9	261	202	59	30.6.94
उत्तर प्रदेश	1485	678	807	7097	2258	4839	79855	44641	35214	30.6.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल	2214	400	1814	650	354	296	16503	3491	13012	30.9.94
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9	5	4	8	4	4	82	70	12	30.9.94
चंडीगढ़	531	263	268	277	180	97	5640	2806	2834	30.9.94
दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	19	9	10	30.9.94
दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	32	16	16	30.9.94
दिल्ली	2205	1344	861	1631	899	732	24590	16205	8385	30.9.94
लक्षद्वीप				1	1	—	15	15	—	30.9.94
पाण्डिचेरी	ए 45	39	6	177	163	14	778	656	122	30.9.94
कुल	19211	10399	8812	33173	17224	15949	503048	316281	186767	

महिलाओं हेतु सघन पाठ्यक्रमों के लिए सहायता

2012. श्री अमर रायप्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न संगठनों से वयस्क महिला संबंधी सघन पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त कुल 98 प्रस्तावों में से, 32 संस्थाओं को गहन पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए, जिन पर कुल व्यय 49,85,537.00/-रुपए है (संलग्न विवरण-I) तथा 28 संस्थाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए, जिन पर कुल व्यय 17,64,900/- रुपए है (सूची संलग्न विवरण-II)। शेष प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वे अपूर्ण (सूची संलग्न विवरण-III) में दी गई है।

विवरण-I

संस्थाओं के नाम एवं पते, जिन्हें दो-वर्षीय (1993-95) गहन पाठ्यक्रम के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	परीक्षा	उम्मीदवारों की संख्या	
				आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6
1.	आनन्दपुर जनकल्याण समिति, ग्राम और डाकखाना आनन्दपुर मिदनापुर (पं. बंगाल)	2,71,300	माध्यमिक	—	25
2.	निशीगंज, डाकखाना दिशीगंज, जिला कुछ बिहार	1,62,650	मिडल	—	25
3.	सत्यानंद मिशन, डाकखाना हेलेचा, जिला-24 परगना	90,537	माध्यमिक	—	25
4.	मालदा किशोर संघ एवं पुस्तकालय, ग्राम जोट, डाकखाना आरापुर, जिला मदा, पिनकोड-732193 (प. बंगाल)	1,98,900	तदैव	—	25
5.	ग्रामीण कल्याण परिषद, डाकखाना सबाग, जिला मिदनापुर	1,94,150	मिडल	25	—
6.	इकोनोमिक रूरल डिवेल्पमेंट सोसाईटी, 6 किरण शंकर राय रोड, भूतल, कमरा नं. 3, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	94,250	तदैव	—	25
7.	अग्रगिना अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास संघ, ग्राम पिलपालडा मुरागाची, डाकखाना चारूइतुपी, जिला नादिया (प. बंगाल)	94,250	तदैव	—	25

1	2	3	4	5	6
8.	पूर्व कुरानजिजुबा संघ, ग्राम और डाकखाना कसन्जी, जिला मिदनापुर	2,15,050	माध्यमिक	25	—
9.	एल्महर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिटी स्टडीज, एन्ड्रेसपल्ली, शान्ति निकेतन	2,15,050	माध्यमिक	25	—
10.	करूणा प. बं. महिला एवं बाल कल्याण सोसाईटी, 90/1, सुशी भूषण मुखर्जी लेन, लालकिया, हावड़ा	94,250	मिडल	—	25
11.	कान्ता साइक्लोन क्लब, ग्राम कान्ता, डाकखाना दामला, पाण्डा, जिला पुरलिया	94,250	तदैव	—	25
12.	परियाचक आदिवासी क्लब, ग्राम परिचायक, डाकखाना पन्डार, जिला मिदनापुर	1,94,150	तदैव	25	—
13.	गामदुली रामाकृष्ण सदन संस्था, ग्राम गामादुली कोन्टाई-III, जिला मिदनापुर	2,08,050	माध्यमिक	25	—
14.	पल्लीपुरम चित्र संघ, ग्राम गोपालपुर, डाकखाना गोपाल चौक, ब्लाक रामनगर-II, जिला मिदनापुर	2,08,050	तदैव	25	—
15.	अमरासलाई, ग्राम कोइलाशपुर डाकखाना नन्दकुरनापुर, 24 परगना	1,84,350	मिडल	25	—
16.	लालवा स्वामीजी सेवा संघ, ग्राम और डाकखाना लालवा, वाया अरगोल, डाकखाना पतासपुर, जिला मिदनापुर	2,03,700	माध्यमिक	25	—
17.	लोकयाता संस्कृति परिषद, रघुनाथपुर, डाकखाना झारग्राम, मिदनापुर	1,94,150	मिडल	25	—
18.	जन कल्याण ट्रस्ट सोसाइटी, ग्राम सुरपलहना, डाकखाना ललोहाना, जिला बीरभूम	85,750	तदैव	—	25
19.	बालारघाट समाज कल्याण एसोसिएशन, साहेब कोचरी, मिनी मार्केट, कमरा नं. 23, डाकखाना और ग्राम बापाघाट, दक्षिण दिनाजपुर	90,000	तदैव	—	25
20.	अवान्दा नगर महिला समिति, ग्राम वाया आनन्दनगर, सगुने, नादिया	86,750	तदैव	—	25
21.	पालसा पल्ली उन्नयन समिति, डाकखाना कोरोरा नाबाग्राम ब्लाक, वाया नाबाग्राम, जिला मुर्शिदाबाद	80,000	तदैव	—	25
22.	बेरी श्री श्री रामाकृष्ण आश्रम ग्राम श्री रामाकृष्णापल्ली, डाकखाना रामनगर पी एस गोसीघाट, जिला 24 परगना	1,49,300	तदैव	15	10
23.	दिघा शिशु तीर्थ, डाकखाना दिघा, न्यू टाऊनशिप, जिला मिदनापुर	1,69,300	तदैव	—	25
24.	रविन्द्र भारती शिक्षा निकेतन, 65 नलिनी बासु रोड, कान्चरेपाड़ा, जिला 24 परगना	82,750	तदैव	—	25
25.	सेवलीपुर उद्यान क्लब, डाकखाना पश्चिमबार, जिला मिदनापुर	2,03,250	माध्यमिक	25	—
26.	शिशु-ओ-माह मंगल संसद, 401, ऋषि बंकिम ऐवेन्यू, गर्वनमेंट कालोनी, डाकखाना भदरेशन, जिला हुगली	82,750	तदैव मिडिल	—	25
27.	पंचग्राम जन कल्याण संघ, ग्राम फाजीपुर, डाकखाना मदन मोहमपुर, जिला मिदनापुर	1,88,850	माध्यमिक	—	25
28.	चक-कुमार मिलन संघ, चक कुमार देहरा बाजार, मिदनापुर	2,39,500	तदैव	25	—
29.	कल्याणपुर युवा संघ, ग्राम कल्याणपुर, डाकखाना पंचरोल, जिला मिदनापुर	2,39,500	तदैव	—	25
30.	विवेकानन्द ग्रामीण विकास संगठन ग्राम और डाकखाना हुरा, जिला पुरुलिया	78,750	मिडल	—	25
31.	नन्दपुर नेताजी संघ, डाकखाना नन्दपुर, वाया नान्सचारा, जिला मिदनापुर	1,72,250	माध्यमिक	—	25
32.	शिशु उन्मेश केन्द्र, ग्राम हराल, डाकखाना हराल दासपुर, जिला हुगली	1,19,250	मिडल	—	25

विवरण–II

उन संस्थाओं के नाम और पते जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 93–94 के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	परीक्षा	उम्मीदवारों की संख्या	
				आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कृष्णा क्लब (कहारी और बेहरी), ग्राम काहिरि–आहिच बस्ती, डाकखाना बरियो बारी, ब्लाक भगवानपुर, जिला मिदनापुर	57,950	कटाई–सिलाई	—	25
2.	आर्तात्राण समिति, नीलगंज रोड अमरपांड़ा, जिला 24 परगना	53,450	नर्सिंग प्रशिक्षण	—	25
3.	बेलाला बालानन्दा ब्रह्मचारी हस्पताल, 152 और 153, डायमंड हारबर रोड, कलकत्ता	53,450	नर्स ऐड और आया प्रशिक्षण	—	25
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डिवेल्पमेंट, धुवापाड़ा, डाकखाना रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया	68,950	रेडियो और टी वी मैकेनिक	—	25
5.	बाराबारी नेताजी सेवा संघ, ग्राम बाराबारी, डाकखाना बाराबारी, जिला मिदनापुर	62,950	हथकरघा	—	25
6.	सुबदी उत्तर पल्ली नारी कल्याण महिला स्मृति, ग्राम और डाकखाना सुबदी, जिला मिदनापुर	62,950	बागवानी	—	25
7.	स्वामीजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डाकखाना पुरुलिया खेजुरबेरिया, वाया हिंगलगंज, उत्तरी 24 परगना	62,950	हथकरघा और बुनाई	—	25
8.	खानपुर झाकुरमणि ग्रामीण महिला समिति, ग्राम खानपुर, डाकखाना खानपुर, जिला दक्षिण दिनाजपुर	62,950	तदैव	—	25
9.	नादिया शाखा, भोलपुर सेवा जन–कल्याण संघ, डाकखाना बगुला, जिला नादिया	62,950	टंकण और आशुलिपि	—	25
10.	केनिंग स्वानिर्भर, ग्राम निकारिघट डाकखाना केनिंग टाऊन, ब्लाक केनिंग, जिला दक्षिण 24 परगना	57,950	टंकण	—	25
11.	श्री रामाकृष्ण मालसी, मंगल प्रतिष्ठान, 112, फोदर रोड, अरियाडहा अनाथ भण्डार, कलकत्ता	58,450	नर्सिंग ऐड पाठ्यक्रम	—	25
12.	जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेन्ज, ए ई–19, साल्ट लेक कलकत्ता सिटी	63,950	नर्स एड पाठ्यक्रम लेबोरटरी टेक्नीशियन	—	25
13.	बरूड़पुर स्वद मोनि महिला समिति, ग्राम बरूइपुर, जिला मिदनापुर	62,950	हथकरघा बुनाई	—	25
14.	युवा उन्नयन सेवा समिति, ग्राम और डाकखाना तेहालता, डाकखाना वुबेरिया वाया पांचला, जिला हावड़ा	57,950	आशुलिपि	—	25
15.	जुखिया मा सरदा मोनि महिला समिति, ग्राम जुल्खिया, डाकखाना जुल्खिया, बुगार, जिला मिदनापुर	62,950	हथकरघा	—	25
16.	निसतरनी शिल्प समिति, ग्राम मोहम्मदपुर, डाकखाना रामपुर जिला मिदनापुर	62,950	टंकण आशुलिपि हथकरघा	—	25
17.	फ्रेन्डस क्लब मिशन रोड, डाकखाना रानाघाट, जिला नादिया	58,450	टंकण–आशुलिपि	—	25
18.	अनुदलपतु डा. अम्बेडकर सन्तार्था, उन्नयन समिति, ग्राम अन्दलपोता चरनितिपि, जिला नादिया	62,950	तदैव	—	25

1	2	3	4	5	6
19.	भारतीय मानव कल्याण संस्थान, डी एफ-240 साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता	63,950	लेबोरेटरी टेक.	—	25
20.	मांगलिकी, 21 पिनापल, खादीग्राम बोस रोड, कलकत्ता	63,950	सिलाई-कढ़ाई	—	25
21.	श्री ओरोबिन्दो अनुशीलन सोसाइटी, सहारापाड़ा, डाकखाना सुरी, जिला बीरभूम	97,250	नर्स ऐड	25	—
22.	हरिया गिरीश संघ, ग्राम और डाकखाना हरिया, जिला मिदनापुर	57,950	टंकण पाठ्यक्रम	—	25
23.	नाबाग्राम नारी उन्नयन समिति, 1, कालेज रोड, नाबाग्राम, जिला हुगली	62,950	नर्स ऐड	—	25
24.	सीतला यूनाइटेड क्लब, ग्राम और डाकखाना ठाकुरनगर, जिला मिदनापुर	38,350	बागवानी	—	25
25.	गणेश नगर लक्ष्मीनारायण क्लब, डाकखाना गणेश नगर, 24 परगना	1,03,550	बागवानी	20	5
26.	फुतीगोदा बेजोय स्मृति संघ, डाकखाना फुतीगोदा, जिला 24 परगना	57,950	कटाई-सिलाई	—	25
27.	सुन्दरबन ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, डाकखाना कन्यानगर, दक्षिण 24 परगना	57,950	टंकण आशुलिपि	—	25
28.	नेताजी पार्क, डाकखाना बेलडांगा, जिला मुर्शिदाबाद	63,950	टंकण	—	25

विवरण-III

पश्चिम बंगाल में दो वर्षीय गहन पाठ्यक्रम (अपूर्ण प्रस्तावों की सूची)

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम
1.	विवेक समिति, ग्राम मोचोरपुर, जिला हुगली	मिडल स्तर
2.	कल्हाकली शिशु कानन, ग्राम नारायणपुर, उत्तरी परगना	माध्यमिक
3.	हावड़ा कल्याण गृह, ग्राम हिगलपुकुरिया, 24 परगना	तदैव
4.	सेवा संघ महिला समिति, ग्राम गोखोल, उत्तरी 24 परगनां	तदैव
5.	पश्चिम बंगा जातीय बयास्का शिक्षा परिसल, जिला नादिया	मिडल
6.	सीमान्ता ग्राम उन्नयन संस्था, ग्राम पीपलबेरिया, जिला नादिया	माध्यमिक
7.	हाटीनगर नारी कल्याण समिति, हाटीनगर, मुर्शिदाबाद	मिडल
8.	गण शिक्षा परिषद्, ग्राम और डाकखाना गंकाई, मुर्शिदाबाद	मिडल
9.	लिबरल एसो. फार मूवमेंट ऑफ पीपल, ग्राम प्रतापबाग, बांकुरा	तदैव
10.	पश्चिम दिनाजपुर डिवेल्पमेंट सोसायटी, ग्राम और डाकखाना उत्तर खानपुर वेस्ट दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	मिडल
11.	न्यू भारती क्लब, ग्राम और डाकखाना बानेश्वर, कूच बिहार	माध्यमिक
12.	एफर्ट, ग्राम सरिशा, मिदनापुर	तदैव
13.	तरुण संघ, डाकखाना बिसवास, जिला मिदनापुर	तदैव
14.	आवागिर स्वर्ग कलागष्टी, ब्लाक एगार, जिला मिदनापुर	तदैव
15.	प्रबुद्ध भारती शिशु तीर्थ, डाकखाना-कृष्णाप्रिय, जिला मिदनापुर	तदैव
16.	नेताजी साधारण पाथागार, डाकखाना और ग्राम बालान क्लब, जिला हुगली	मिडल स्तर
17.	कार्यक्रम विकास नीति उप केन्द्र, आचार्य महिला निवास, नादिया	मिडल

पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अपूर्ण प्रस्तावों की सूची)

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम
1.	सन्तोषनगर साधोरन पुलबगार, ग्राम सन्तोषनगर, अरिशा, जिला हावड़ा	ऊन से बुनाई
2.	काउन्सिल फार एन्वायरमेंट एवेयरनेस, 308, ठाकुरपल्ली, जिला बरदवां	टंकण आशुलिपि
3.	हल्दिया विज्ञान परिषद, डाकखाना हल्दिया, टाऊनशिप, मिदनापुर	कम्प्यूटर टैक्नोलोजी
4.	आर्थिक पुनर्वास केन्द्र, बेलापुर, दिनाजपुर	टंकण
5.	तारकापुर राइजिंग सन क्लब, डाकखाना बेनामलीचट्टा, मिदनापुर	हथकरघा
6.	जरा नगर रेशाप्रान तरुण संघ, डाकखाना हरा, मिदनापुर	बागवानी
7.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद्, डाकखाना आनन्दपुर, जिला मिदनापुर	रेडियो, टीवी, टेपरिकार्डर
8.	धाकुरिया श्री रामाकृष्णा आश्रम प्रसूतियागर और शिशु मंगल, 13, सरतीघोष गार्डन रोड, कलकत्ता	कनिष्ठ नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशि.
9.	तहारपुर हैडीकेप्ड एसो. डाकखाना तहारपुर, पाल बाजार, नाडिया	टंकण आशुलिपि
10.	इंडियन पीपल्ज वेल्फेयर सोसाइटी, 30/3 ए, एन.एस. दत्ता रोड, हावड़ा	सिलाई-कटाई
11.	नाबापल्ली आई केया समनेलानी, डाकखाना बंसरू, जिला 24 परगना	आशुलिपि
12.	रामाकृष्णा जन कल्याण संघ, ग्राम पुरबगेहतला, जिला 24 परगना	हथकरघा
13.	बाराबंकरा अनग्रस्सेर उन्नयन समिति, 24 परगना	बुनाई
14.	सत्य भारती, डाकखाना नाबाग्राम जिला हुगली	विधि वृत्तिका
15.	धाजिभोर्ग अशिब संघ, डाकखाना हरिया, मिदनापुर	हथकरघा
16.	श्री रामाकृष्ण साधारण पथागार क्लब, डाकखाना चेमागुरी, जिला 24 परगना	बागवानी
17.	महिला और शिशु कल्याण समिति, ठाकुरपाड़ा, कलकत्ता	आशुलिपि
18.	शरभाई नारी कल्याण समिति, डाकखाना तिकाड्डा, जिला मिदनापुर	हथकरघा
19.	विवेकानन्द सेवा केन्द्र, शिशु उदन, जिला 24 परगना	बागवानी
20.	सोशल वर्कर्स एलासंय एंड रूरल मूवमेंट, पश्चिम बंगाल	नर्स एड
21.	जातीय जन कल्याण सेवा समिति, 24 परगना	टंकण आशुलिपि

राऊरकेला से निजामुद्दीन के लिए रेलगाड़ी

2013. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धनबाद, गोमोह, इलाहबाद, कानपुर होते हुए राऊरकेला से निजामुद्दीन तक एक नई ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी और वाणिज्यिक औचित्य न होना।

तम्बाकू की नई किस्में

2014. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय किसानों के लिए तम्बाकू की बेहतर किस्मों की पहचान करने हेतु नीतियां निर्धारित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के लिए तम्बाकू की खेती को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान विशिष्ट कृषि उत्पादन एवं संरक्षण प्रोद्योगिकियों का इन रूपों में विकास कर रही है, (I) अधिक पैदावार वाली कीट-व्याधि रोधी किस्में, (II) प्रमुख कीट-व्याधियों के लिए समेकित कीट-प्रबन्ध, (III) उर्वरक, जल एवं

अन्य निवेशों से संबंधित एक मुश्त उन्नत कृषि क्रियाएं, (iv) उपयुक्त अन्त:फसल/फसल आवर्तन/फसल चक्र और (v) तम्बाकू के उपयोग में विविधता लाना।

उच्च स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

2015. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में उच्चतर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए बनायी गई योजना असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राजस्थान और उड़ीसा राज्यों पर अपनी रिपोर्ट में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कतिपय त्रुटियों का उल्लेख किया है जैसे—संस्वीकृत निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना, पाठ्यक्रमों में कम दाखिले, सभी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री की अनुपलब्धता आदि।

(ग) विगत कुछ वर्षों के दौरान सरकार का बल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के समेकन और गुणात्मक सुधार पर रहा है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का विकास जैसे कार्यक्रम को तकनीकी एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना, प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत अनेक पाठ्यक्रमों को लाना आदि। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे सूक्ष्म स्तरीय समीक्षा शुरू करें। आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रमों को शुरू करें, औद्योगिक संगठनों के साथ संबंधों को विकसित करें ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके और कार्यक्रम की प्रभावी मानीटरिंग के लिए सभी स्तरों पर प्रबन्धन ढांचों को स्थापित किया जा सके।

भितार कणिका अभयारण्य

2016. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भितार कणिका वन्य जीव अभयारण्य के अन्दर एक विशाल वाणिज्यिक मत्स्यन परिसर के निर्माण के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रकट की गई है;

(ख) क्या मद्रास स्थित एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किए गए अध्ययन से अभयारण्य से संरक्षण से संबंधित पर्यावरणविदों की मांग उचित सिद्ध होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास ने भितार कणिका अभयारण्य की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन किया है तथा इसके प्रबंधन एवं अभयारण्य के समीप रहने वाले ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया है। इन सिफारिशों पर उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

जोधपुर मेल के मार्ग में परिवर्तन

2017. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर मेल के पुराने मार्ग मेड़ता-दिगाना-रतनगढ़-लोहास-रेवाड़ी होते हुए जोधपुर से दिल्ली में परिवर्तन कर इसे मेड़ता-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होते हुए कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्व निर्धारित मार्ग पर रेलगाड़ी चलाने अथवा रतनगढ़ से आगे के स्टेशनों के यात्रियों की सुविधा हेतु बीकानेर तक आने-जाने के लिए एक लिंक मेल जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 4893/4894 जोधपुर मेल मीटर लाइन की गाड़ी है। फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर खण्ड के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन हो जाने के कारण इसका मार्ग परिवर्तन करके रींगस, फुलेरा, अजमेर और मारवाड़ के रास्ते चलाया जा रहा है।

(ग) से (ङ). रतनगढ़ के रास्ते, दिल्ली और डेगाना के बीच, 4709/4710 बीकानेर लिंक एक्सप्रेस में और 1 डीआर/2 डी आर पैसेंजर में 04.04.1994 से एक थ्रू कोच पहले ही लगा दिया गया है।

केरल में रेलवे पुल

2018. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एस. शिवरामन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बरकला में रेलवे पुल तथा वदाकन चेरी में सड़कोपरि पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) भूमिगत पुल की अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मानक पहुंच ढलानों की तुलना में तीव्र ढलानों का उपयोग करते हुए वरकला में कि.मी. 179/13-14 पर समपार के बदले निचले सड़क पुल का प्रस्ताव तैयार किया गया था। राज्य सरकार पुनः विचार करने और संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गई थी। जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

दक्षिण रेलवे ने वडक्कांचेरी में कि.मी. 15/16-17 पर समपार सं. 11 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, भूमि अधिग्रहण नक्शों को अंतिम रूप देने राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर शुरू करने आदि, जैसी पूर्ण अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

(ग) पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद रेलों द्वारा रेलपथ पर पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद अनुमानित लागत परिकलित की जाएगी।

इतिहास की टैक्स्ट बुक की वापसी

2019. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टीयरिंग समिति ने यह सुझाव दिया है कि कुछ राज्यों में पढ़ाई जा रही इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में गलत तथ्य होने की वजह से उन्हें वापस ले लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की इतिहास, समाज विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की कुछ पाठ्यपुस्तकों को हटाने की सिफारिश की है। इस प्रकार की सिफारिशों वाली समिति की रिपोर्टों को संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2020. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह निगरानी किस तारीख से शुरू की जायेगी;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों में क्या तैयारी की गई है; और

(घ) विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, रेजिडेण्ट कमिश्नर या उसके प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठकों आदि के माध्यम से पहले से ही नियमित मानीटरिंग की जा रही है। धनराशियों के उपयोग और इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन एक कार्यबल गठित करने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है।

पटसन उत्पादन

2021. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय तथा राज्य बीज विकास निगमों के माध्यम से उत्तम किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराकर पटसन का उत्पादन बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यवार पटसन का अनुमानित उत्पादन कितना होगा तथा अनुमानित मांग कितनी होगी, इसका ब्यौरा दें;

(घ) इस वर्ष के लिए सरकार ने इसका समर्थन मूल्य कितना निश्चित किया है; और

(ङ) समर्थन मूल्य की तुलना में जूट का औसत बाजार मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). विशेष जूट उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बीज निगम और अन्य राज्य बीज एजेंसियों के माध्यम से अन्य के साथ साथ प्रमाणीकृत बीजों का वितरण कराके कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सम्बन्धित प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिये कच्चे जूट के उत्पादन का राज्यवार अंतिम अनुमान अभी तक निर्मुक्त नहीं किया गया है। बहरहाल, वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान कच्चे जूट की 88 लाख गांठों की मांग के मुकाबले 85 लाख गांठों का उत्पादन होने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए टी.डी.-5 ग्रेड के जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 470 रु. प्रति क्विण्टल निर्धारित किया गया है।

(ङ) जूट का औसत बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहा है।

[हिन्दी]

गोपाल योजना

2022. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुधन की समेकित विकास नस्ल के लिए गोपाल योजना किन-किन राज्यों मे लागू की जा रही है;

(ख) उपरोक्त योजना के तहत राज्य-वार क्या कार्य किये गये हैं; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने हेतु राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों से मंगवाई गई है तथा इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इंद्रायणी एक्सप्रेस में लगी आग

2023. श्री जीवन शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1994 को पुणे-बम्बई मार्ग पर बिना चालक के चल रही इंद्रायणी एक्सप्रेस में आग लग गई थी;

(ख) इसके फलस्वरूप जान-माल और रेल सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घटना के कारणों की कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। 1.12.94 को जब 1022 अप इन्द्रायणी एक्सप्रेस पुणे और बम्बई वी. टी. के बीच चल रही थी तब ठाकुरवाड़ी स्टेशन पर इसके इंजन में आग लगनी शुरू हो गई। आग नियंत्रण से बाहर हो गई। चूंकि सहायता प्राप्त करने के लिए ड्राइवर गाड़ी से उतर गया इसलिए गाड़ी 13 कि.मी. तक चलती गई। बिना चालक दल के चलती गाड़ी में दूसरे दर्जे के एक सवारी डिब्बे में आग लग गई और इसके कारण साथ वाले दो सवारी डिब्बे भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए।

(ख) यात्रियों की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई। रेलवे को लगभग 46 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

(ग) से (ङ). रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य सर्किल ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

व्यावयायिक पाठ्यक्रमों के लिए धनराशि का आबंटन

2024. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को अपने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अभी तक वस्तुतः कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार महाराष्ट्र को 1994-95 से एक विश्वविद्यालय तथा 23 कॉलेजों में 54 व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए 306.00 लाख रु. की राशि नियत की जा चुकी है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त राशि का 50 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान भुगतान के लिए संस्वीकृत किया जा चुका है तथा शेष राशि संबंधित संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने में किए गए व्यय का विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश रेल कोच फैक्ट्री

2025. श्री पंकज चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश क. मिर्जापुर और गोरखपुर जिलों में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में सवारी डिब्बों के निर्माण की मौजूदा क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

2026. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय संस्कृति नीति संबंधी दृष्टिकोण (एप्रोच पेपर) की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रलाय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) पर इस मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी संसदीय समिति द्वारा विचार किया गया था और उससे सम्बन्धित रिपोर्ट दोनों सदनों में रख दी गयी है। माननीय संसद सदस्यों के विचार प्राप्त होते ही संस्कृति नीति का मसौदा इन सभी विचारों को दृष्टि में रखते हुए, तैयार किया जायेगा।

[हिन्दी]

कटिहार-जोगबनी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2027. श्री सुकदेव पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटिहार-जोगबनी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसकी आमान परिवर्तन के लिए पहचान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

फ्लैट वैगन

2028. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटेनरों की ढुलाई के लिए 1500 फ्लैट वैगनों के निर्माण की तकनीकी क्षमताओं का पता लगाने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने हेतु कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सी ओ एन सी ओ आर) द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, विश्व बैंक क्रेडिट के अंतर्गत 1500 फ्लैट माल डिब्बों की खरीद के लिए भारतीय कंटेनर निगम लि. द्वारा विश्वव्यापी निविदा जारी की गई थी।

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

2029. प्रो. के.वी. थामस :
श्री वी.एस. विजयराघवन :
श्री पी.सी. चाको :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय प्रायोजित चावल विकास कार्यक्रम के स्थान पर समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस नए कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी ब्लाकों को सम्मिलित करने और औजारों के लिए सहायता के अंतर्गत पावर, टिलर, थ्रेसर आदि जैसी मशीनरी शामिल करने तथा आई पी आर डी के अंतर्गत प्रदत्त आधार पर खरपतवार नाशक के लिए सहायता जारी रखने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). केरल में इससे पहले कार्यान्वित किये गये चावल विकास विषयक समेकित कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है और अब इसे चावल आधारित फसल पद्धति वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। (आई.सी.डी.पी. -चावल)

यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अंशदान के आधार पर चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के घटकों में प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिये कृषक प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय प्रदर्शन का आयोजन करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिये ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देने तथा स्थान-विशिष्ट अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों तथा पहचान किये गये उन्नत फार्म उपकरणों पर कृषकों को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किये जाने वाले प्रयास में समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिये चावल की विशेष किस्मों के प्रमाणित बीज, हरी खाद वाली फसलों के बीज तथा मृदा की उर्वराशक्ति में सुधार लाने के लिये मृदा सुधारक उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ). केरल सरकार ने समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चावल के अंतर्गत राज्य के सभी प्रखण्डों को शामिल करने तथा शक्ति चालित जुताई के यंत्रों और खर पतवार नाशकों आदि पर राजसहायता देने का भी प्रस्ताव किया था।

इस योजना के अंतर्गत कृषकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित करने के लिये राज्य के कुल 152 प्रखण्डों में से केवल उन 55 प्रखण्डों में काम किया गया है जहां उत्पादकता कम है तथा चावल/अनाज का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक है। तथापि, उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायतों को पुरस्कार तथा कृषकों को प्रमाणित बीजों तथा फार्म उपकरणों पर प्रोत्साहन जैसे अन्य कार्यक्रम सभी प्रखण्डों में चलाये जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत धान की भड़ाई करने वाली मशीन (हाथ से चलाई जाने वाली) पर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान बना हुआ है। तथापि, इस वर्ष (1994-95) से शक्ति चालित जुताई के यंत्रों तथा खरपतवार नाशकों पर राजसहायता देने संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

रौलिंग स्टाक का निर्माण

2030. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के कुछ वर्कशापों में रौलिंग स्टाक का निर्माण शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). हाल में, किसी रेल कारखाने ने चल स्टॉक का निर्माण शुरू नहीं किया है। पिछले कई वर्षों से निम्नलिखित रेल कारखानों में चल स्टॉक का निर्माण करना एक सतत् प्रक्रिया है :—

कारखाना		चल स्टॉक
जमालपुर	—	डीजल रेल क्रेनेंस, शिरोपरि उपस्कर कारें
जोधपुर	—	छोटी लाइन के सवारी डिब्बे
अमृतसर	—	बड़ी लाइन के माल डिब्बे
समस्तीपुर	—	बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे
मैसूर	—	छोटी लाइन के सवारी डिब्बे
पोनमलाई	—	बड़ी लाइन के माल डिब्बे
नागपुर	—	छोटी लाइन के सवारी डिब्बे

[हिन्दी]

नई दिल्ली तथा कानपुर रेलवे स्टेशन

2031. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा कानपुर रेलवे स्टेशनों पर नव-निर्मित रेलवे प्लेटफार्मों को उचित क्रम में नहीं किया गया है;

(ख) क्या यात्रियों को इससे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें उचित क्रम में किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (ग). नई दिल्ली स्टेशन पर नव निर्मित प्लेटफार्म को क्रमानुसार प्लेटफार्म सं. 10 के रूप में नम्बर दिया गया है और यह प्लेटफार्म सं. 8 और 9 के पास है तथा इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक पाया गया है। कानपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 9 को स्थानीय डी.एम.यू. गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए अस्थायी रूप से चालू किया गया है। प्लेटफार्म के पूर्ण रूप से चालू हो जाने के बाद ही उचित क्रम संख्या दी जाती है। इस संबंध में जनता से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

गेहूं का समर्थन मूल्य

2032. श्री नवल किशोर राय :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 सत्र के लिए रबी की फसलों के खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मदों के समर्थन मूल्यों में पिछले दो वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) समर्थन मूल्य निर्धारित करने में, विशेष रूप से गेहूं का, क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या समर्थन मूल्यों विशेष रूप से गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैं:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य		
	1992-93	1993-94	1994-95
1. गेहूं	*330 (20.0)	350 (6.1)	360 (2.9)
2. जौ	260 (23.8)	275 (5.8)	285 (3.6)
3. चना	600 (20.0)	640 (6.7)	670 (24.7)
4. रेपसीड/सरसों	760 (13.4)	510 (6.6)	830 (2.5)
5. तोरिया	725 (12.4)	780 (7.6)	800 (2.6)
6. कुसुम	720 (12.5)	760 (5.6)	780 (2.6)

टिप्पणी- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

* 25 रु. प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस शामिल है।

2. गेहूं सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य तथा लागत आयोग की रिपोर्ट, राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग मूल्य नीति संबंधी अपनी सिफारिशें तैयार करते समय उत्पादन लागत आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य में समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, कृषकों को भुगतान किये गये मूल्यों तथा उनके द्वारा प्राप्त किये गये मूल्यों में समानता (व्यापार की शर्तें) आदि जैसे बहुत से महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा

2033. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एम.सी.आर.टी. द्वारा प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात सरकारी स्कूलों में रोज़गार दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है परन्तु आज तक भी रोजगार नहीं किया गया है विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र में तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

2034. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने देश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महोत्सव में भाग लेने वाले व्यक्तियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी, 1995 तक भोपाल (म.प्र.) में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में प्रतियोगी, गैर-प्रतियोगी, विशेष आमंत्रण और प्रदर्शनी वर्ग नामक चार भाग होंगे। प्रतियोगी वर्ग में लोक-नृत्य, लोक गीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय वाद संगीत, हिन्दुस्तानी और कर्नाटकी संगीत, सितार, बांसुरी, तबला, वीणा मृदंग, हारमोनियम, गिटार, मणिपुरी नृत्य, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचीपुड़ी और वक्तृत्वकला (तत्काल प्रस्तुति) जैसे विषय महोत्सव में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार महोत्सव ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगी वर्ग के अंतर्गत ब्लाक स्तर प्रतियोगिताओं के विजेता जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी प्रकार जिला स्तरीय विजेता राज्य स्तर के युवा उत्सव में भाग लेंगे। राज्य स्तर के विजेता अंत में राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सवों में भाग लेंगे। राज्य स्तर तक महोत्सव आयोजित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है और राज्य सरकार द्वारा चयनित सहभागी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। तथापि, गैर-प्रतियोगी वर्ग में राज्य सरकार अधिक से अधिक 20 सहयोगियों सहित दो मदें भेज सकती है।

मंत्रियों द्वारा दौरे

2035. डा. असीम बाला : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रियों द्वारा देश में और विदेशों का अलग-अलग कितने दिन दौरा किया गया;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दौरे के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस खर्च का वहन केन्द्र सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का स्रोत क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). वित्तीय वर्ष (अप्रैल 1994 से नवम्बर, 1994) के दौरान खाद्य राज्य मंत्री द्वारा किए गए दौरों और इन दौरों पर हुए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अप्रैल, 1994 से अब तक की अवधि के दौरान खाद्य राज्य मंत्री ने कोई विदेश यात्रा नहीं की।

(घ) और (ङ).खाद्य राज्य मंत्री के दौरों पर हुए खर्च को केन्द्रीय सरकार के बजट से पूरा किया गया।

विवरण

खाद्य राज्य मंत्री द्वारा अप्रैल, 1994 से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान किए गए दौरों और इन दौरों पर हुए खर्च का ब्यौरा

क्र.सं.	दौरे का विवरण	दौरे की अवधि	किया गया खर्च (रुपयों में)	
			डी.ए.	हवाई/रेल
1.	दिल्ली-मऊ (वाया लखनऊ)	15.4.1994 (1 दिन)	30	2745
2.	दिल्ली से पटना और वापसी	20.4.1994 से 21.4.1994 (1.7 दिन)	51	325+4072
3.	नई दिल्ली से मुगल सराय आदि और वापसी	29.4.1994 से 30.4.1994 (1 दिन)	30	
4.	दिल्ली से मऊ (वाया वाराणसी)	6.5.1994 से 9.5.1994 (2.7 दिन)	81	2221+352
5.	नई दिल्ली से वाराणसी और वापसी	15.5.1994 से 19.5.1994 (4.7 दिन)	141	1789
6.	दिल्ली-मुगल सराय, पटना-दिल्ली	22.5.1994 से 26.5.1994 (3.7 दिन)	111	20
7.	नई दिल्ली से मऊ और वापसी	27.6.1994 से 30.6.1994 (2.7 दिन)	81	—
8.	नई दिल्ली से बेंगलूर और वापसी	1.7.1994 से 2.7.1994 (2 दिन)	60	9594
9.	दिल्ली से मऊ और वापसी	21.6.1994 से 24.6.1994 (2.7 दिन)	81	—
10.	दिल्ली-लखनऊ-मऊ-लखनऊ-दिल्ली	19.7.1994 से 19.7.1994 (1 दिन)	30	1226
11.	नई दिल्ली-गोरखपुर-मुगल सराय-दिल्ली	8.7.1994 से 11.7.1994 (2.7 दिन)	—	140
12.	दिल्ली से वाराणसी और वापसी	5.8.1994 से 6.8.1994 (1.7 दिन)	51	2566
				3264
13.	दिल्ली-मऊ-वाराणसी-दिल्ली	12.8.1994 से 14.8.1994 (2 दिन)	60	2065
14.	दिल्ली-मऊ-दिल्ली	19.8.1994 से 22.8.1994 (2.7 दिन)	81	—
15.	नई दिल्ली-मऊ-दिल्ली	2.9.1994 से 6.9.1994 (3.7 दिन)	111	—
16.	दिल्ली-वाराणसी-रासरा-वाराणसी-दिल्ली	7.9.1994 से 8.9.1994 (2 दिन)	60	2065
				3264
17.	दिल्ली-मऊ-दिल्ली	12.9.1994 से 14.9.1994(2.4 दिन)	72	—
18.	दिल्ली-मिर्जापुर-वाराणसी-दिल्ली	12.10.1994 से 14.10.1994 (1.7 दिन)	51	—
19.	दिल्ली-मऊ-दिल्ली	16.10.1994 से 21.10.1994 (5.4 दिन)	162	—
20.	दिल्ली से वाराणसी और वापसी	1.11.1994 से 3.11.1994 (2.7 दिन)	81	3264
21.	दिल्ली-बस्ती-गोरखपुर-दिल्ली	5.11.1994 से 8.11.1994 (2.7 दिन)	81	—
22.	दिल्ली-मिर्जापुर-वाराणसी-दिल्ली	11.11.1994 से 11.15.1994 (3.7 दिन)	111	—
23.	दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली	17.11.1994 से 20.11.1994 (4 दिन)	120	3264
24.	दिल्ली-पूना-दिल्ली	27.11.1994 से 28.11.1994 (1.7 दिन)	51	—
	कुल जोड़	62.30 दिन	1788	42236

उपर्युक्त खर्च में खाद्य राज्य मंत्री द्वारा की गई हवाई यात्राओं के सम्बन्ध में अभी भी प्राप्त होने वाले बिल और एच.ओ.आर. (उच्च अधिकारियों का मांग पत्र) पर खाद्य राज्य मंत्री द्वारा की गई यात्रा के लिए किए गए रेलवे खर्च भी शामिल नहीं है।

मंत्री का दौरा

2036. श्री जायनल अबेदिन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री द्वारा देश और विदेश में अलग-अलग कितने-कितने दिन दौरे किये गये;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या ये खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन दौरों पर खर्च हुई धनराशि का स्रोत क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) श्री ए.के. एंटनी ने नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में इस वित्तीय वर्ष के दौरान (29.11.1994 तक) देश के भीतर 55 दिनों का दौरा किया है।

भूतपूर्व नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री कमालुद्दीन अहमद, इस वित्तीय वर्ष के दौरान (8.9.1994 तक) देश के भीतर 31 दिनों के लिए दौरे पर रहे।

भूतपूर्व नागरिक पूर्ति मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश से बाहर कोई दौरा नहीं किया। श्री कमालुद्दीन अहमद ने नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के रूप में देश से बाहर कोई दौरा नहीं किया।

(ख) और (ग). मंत्रियों द्वारा किए गए दौरों तथा हवाई यात्रा के किराये पर किए गए व्यय का ब्यौरा सलंग्न विवरण-I और II पर देखा जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा देश के भीतर किए गए दौरों का ब्यौरा

दौरों की तारीख		स्थान, जहां का	व्यय
से	तक	दौरा किया	(रु. में)
1	2	3	4
2.4.94 से	4.4.94	त्रिवेन्द्रम	10,422.00
10.4.94 से	14.4.94	कोचीन, कालीकट, कन्नूर व मंगलौर	11,155.00
27.4.94 से	29.4.94	हैदराबाद	7,408.00
18.5.94 से	20.5.94	बंगलौर, कालीकट व कोचीन	9,512.00
28.5.94 से	31.5.94	त्रिवेन्द्रम व कोट्टायम	7,408.00
18.6.94 से	20.6.94	त्रिवेन्द्रम	10,422.00
22.6.94 से	25.6.94	एजवाल, अगरतला	5,798.00
30.6.94 से	1.7.94	त्रिवेन्द्रम	10,422.00
7.7.94 से	8.7.94	बंगलौर	9,594.00
16.7.94 से	17.7.94	त्रिवेन्द्रम	12,233.00
21.7.94 से	22.7.94	भुवनेश्वर	6,868.00
11.8.94 से	12.8.94	त्रिवेन्द्रम	12,480.00
20.8.94 से	29.8.94	त्रिवेन्द्रम	15,021.00
5.9.94 से	7.9.94	त्रिवेन्द्रम, कोचीन	11,934.00
10.9.94 से	11.9.94	हैदराबाद	9,582.00
15.9.94 से	18.9.94	त्रिवेन्द्रम, पट्टनपुरम	14,947.00
8.10.94 से	9.10.94	त्रिवेन्द्रम	15,021.00
11.11.94 से	13.11.94	त्रिवेन्द्रम	*
26.11.94 से	29.11.94	त्रिवेन्द्रम	*

* इंडियन एयर लाइन्स द्वारा अभी तक राशि सूचित नहीं की गई है।

विवरण-II

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा देश के भीतर किए गए दौरे का ब्यौरा

दौरे की तारीख		स्थान, जहां का दौरा किया गया	व्यय (रु. में)
14.4.94 से	16.4.94	हैदराबाद	5,490.00
21.4.94 से	24.4.94	हैदराबाद	4837.00
15.5.94 से	16.5.94	हैदराबाद	7,408.00
25.5.94 से	26.5.94	बम्बई	7,708.00
15.6.94 से	15.6.94	हैदराबाद	7,839.00
20.6.94 से	23.6.94	हैदराबाद	7,708.00
11.7.94 से	13.7.94	हैदराबाद	6,678.00
28.7.94 से	28.7.94	मद्रास व हैदराबाद	11,521.00
12.8.94 से	15.8.94	हैदराबाद	17,644.00
30.8.94 से	2.9.94	हैदराबाद	9,582.00
4.9.94 से	6.9.94	हैदराबाद	9,582.00

मंत्रियों द्वारा दौरे

2037. श्री अमल दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रियों द्वारा देश में और विदेशों का अलग-अलग कितनी बार दौरा किया गया;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दौरे के दौरान हुए खर्चों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस खर्च का वहन केन्द्र सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का स्रोत क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में जनजातीय शिक्षा के लिए धनराशि

2038. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 1994-95 के लिए राज्य में जनजातीय शिक्षा हेतु 70 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश को इस राशि की आधी राशि राज्य में जनजातीय शिक्षा हेतु देने के लिए सहमत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जनजातीय शिक्षा योजनाओं की कोई जांच की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिकता प्राप्त योजना क्षेत्र

2039. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से लेकर वर्ष 1993-94 तक कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि जारी की गई तथा 1994-95 के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया जायेगा;

(ग) 31.3.94 तक कितनी परियोजनाओं पर विचार किया गया है, कितनी स्वीकृत की गई तथा कितनी अस्वीकृत की गई तथा कितनी लंबित हैं; और

(घ) परियोजनाओं और निष्पादन एजेंसियों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया और मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) 1.10.94 तक कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा था। इनके क्या उद्देश्य हैं तथा इनकी निष्पादन एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). आठवीं योजना के दौरान, महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास योजना के लिए कुल नियतन 91 करोड़ रुपये हैं तथा वर्ष 1994-95 के लिए यह 15 करोड़ रुपये है। प्रस्तावों की तकनीकी विषय-वस्तु तथा विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रासंगिकता के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उनका मूल्यांकन तथा उनकी अनुशंसा कराने के बाद 31 मार्च, 1994 तक 222 करोड़ रुपये की कुल राशि का वास्तविक रूप से नियतन किया गया है और उसे दिया गया है। 1.4.94 से इस योजना को अखिल भारतीय तकनीकी परिषद को हस्तांतरित किए जाने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना के अंतर्गत अनुदानों को मुक्त करने के संबंध में विचार करने के लिए प्रस्तावों को, विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन कराने के बाद आमंत्रित किया।

राजीव पर्यावरण परियोजना

2040. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव पर्यावरण परियोजना के लिए 50 जिलों का चयन करने का आधार क्या है; और

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत और किन-किन जिलों को शामिल किया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राजीव पर्यावरण परियोजना के अंतर्गत जिन 50 जिलों को शामिल किया गया है, उनकी निम्न आधार पर पहचान की गई :-

(1) पर्यावरण अवक्रमण की अत्यधिक समस्याएं (उद्योगों, वनों के विनाश, झूम कृषि, मृदा अपरदन, अत्यधिक खनन आदि के कारण)

(2) 30 प्रतिशत से कम सघन वन,

(3) विलक्षण पारिस्थितिकीय प्रणालियों की मौजूदगी, जिन्हें कि खतरा है और तत्काल सुरक्षा की जरूरत है; और

(4) देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में जिलों का समुचित वितरण।

(ख) इस समय राजीव पर्यावरण परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त जिलों को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गंगा की सफाई योजना

2041. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा सफाई योजना के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी सहायता दी गई है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, बहुविधि प्रचार के द्वारा सूचना एवं जागरूकता अभियान के द्वारा कुछ विशेष स्कीमों में जन सहयोग तथा गंगा कार्य योजना के अंतर्गत लिए गए कुछ प्रकार के कार्यों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के द्वारा, लोगों को शामिल किया जा रहा है। विशेष प्रकार की डिजाइन की हुई टेस्ट किटों के द्वारा नदी जल गुणवत्ता निगरानी में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है। गंगा कार्य योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के लिए क्रमशः 1.48 लाख रु., 1.92 लाख रु. तथा 16.05 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की धनराशि का आबंटन

2042. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसकी मांग के अनुसार धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण और निर्माणाधीन परियोजनाएं प्रभावित होंगी;

(घ) क्या इस धनराशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). परिषद के लिए मांगी गई, सिफारिश की गई और अंत में योजना आयोग द्वारा आबंटित की गई धनराशि (कोष) का विवरण निम्न प्रकार है :-

	(रु. करोड़ में)
परिषद द्वारा मांगी गई धनराशि (कोष)	2008.78
कार्यदल द्वारा सिफारिश की गई धनराशि	1780.00
योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशि	1300.00

(ग) चल रहीं महत्वपूर्ण प्रायोजना इससे प्रभावित नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ). परिषद की आठवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग से 60.35 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि देने के लिए अनुरोध किया गया है। अंतिम आबंटन अभी किया जाना है।

पान पत्तों के लिए अनुसंधान केन्द्र

2043. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में राष्ट्रीय कृषि तथा पान पत्तों के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन पर कार्यशाला

2044. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि और खाद्य संगठन द्वारा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लेते हुए जल प्रबंधन विशेषज्ञों ने देश में जीवन के बहुमूल्य स्रोतों की अनेक प्रकार से हो रही अंधाधुंध बरबादी पर गंभीर चिन्ता प्रकट की तथा कृषि और अन्य क्षेत्रों में इन स्रोतों के प्रभावी उपयोग और संरक्षण करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जल के अधिकतम उपयोग और प्रबंध विशेष रूप से खेती में जल के समुचित उपयोग के क्षेत्र में जल संसाधन नियोजन प्रणाली तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताए क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). इस कार्यशाला में कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में जल संरक्षण के महत्व और इसकी उपयोगिता को व्यापक मान्यता दी गई तथा इस पर जोर दिया गया। सरकार ने जल के अनुकूलतम उपयोग पर लक्षित नीतियों/कार्यक्रमों को निरूपित किया है।

1987 में भारत सरकार द्वारा निरूपित राष्ट्रीय जल नीति उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग पर बल देती है तथा सिंचाई जल के कुशल उपयोग हेतु उपाय पर सुझाव देती है। विभिन्न योजनाएं जैसे वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा सरंक्षण, बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबंध, फार्म पर ही विकास हेतु कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं :-

स्वस्थाने मृदा संरक्षण, जल भंडारण, क्षेत्रगत सरणि नालियों का निर्माण, भूमि का समतलन तथा उसे आकार देना तथा बाराबन्दी का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

गुमला में सिटी बुकिंग एजेंसी

2045. श्री ललित उरांव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला जिला-मुख्यालय में दक्षिण-पूर्व रेलवे की सिटी बुकिंग एजेंसी खोलने के संबंध में लंबे समय से मांग रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह बुकिंग एजेंसी कब खोली जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) यातायात और वित्तीय औचित्य का आंकलन किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई उसके परिणाम पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

वकीलों को प्रशिक्षण

2046. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानून की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने तथा वकीलों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विधि, न्याय एवं कंपनी मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार विधि संबंधी शैक्षिक पद्धति में परिवर्तन करने से संबंधित मामला भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास विचाराधीन है।

जी.बी. पन्त संस्थान

2047. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी.बी. पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, केन्द्र सरकार द्वारा वित्त घोषित एजेंसी है;

(ख) यदि नहीं, तो संस्थान द्वारा, हिमालय क्षेत्र के लिए कार्योन्मुखी अनुसंधान कार्यक्रम को चलाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह प्रक्रिया मंत्रालय की इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में भी अपनाई जा रही है;

(घ) क्या इस संस्थान में परिचालन कार्यों में लगे वैज्ञानिकों को फील्ड कार्य से डेस्क कार्य पर लगाने से परिचालन कार्यों में वैज्ञानिकों की कमी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को मंत्रालय में वापस लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। मंत्रालय द्वारा पहले संचालित हिमालय क्षेत्र के कार्योंमुख अनुसंधान कार्यक्रम को इस संस्थान द्वारा हैंडल किया जाता है ताकि हिमालय क्षेत्र में अन्य संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच नेटवर्किंग में सुविधा हो सके।

(ग) से (ङ). मंत्रालय में इसी लाइन पर कोई अन्य कार्यक्रम नहीं चल रहा है और उक्त स्कीम को पुनः मंत्रालय में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुपर बाजार

2048. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 9 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ग) और (ङ). से संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दोषी सप्लायरों को हटाने सहित इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने मै. खन्ना सोप फैक्टरी तथा मै. मोती सोप फैक्टरी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया है और अब उन्होंने इन मामलों को केंद्रीय उत्पाद प्राधिकरण को इस संबंध में उनके विचार जानने के लिए भेजा है।

कीटनाशकों का विकल्प

2049. डा. आर. मल्लू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के प्रति वैकल्पिक गैर कीटनाशक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो जैवीय एजेंटों का ब्यौरा क्या है और देश में वर्तमान में कितने पादप उत्पाद उपलब्ध हैं और कितने एकड़ फसल पर इन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में उपलब्ध जैव नियंत्रक अभिकारकों और पादप उत्पादों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक कुल क्षेत्रफल और फसलों का संबंध है जिन पर इनका प्रयोग किया जाएगा, यह कीटों/रोगों की घटना और उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा।

विवरण

जैव नियंत्रक अभिकारकों और पादप उत्पादों की सूची

क्र.सं.	जैव नियंत्रक अभिकारक/पादप उत्पाद	फसलें
	जैव नियंत्रक अभिकारक/पादप उत्पाद	
1.	ट्रिकोग्रामा किलानिश	चावल, गन्ना,
2.	ट्राइकोग्रामा एस.पी.पी.	गेहूं, कपास
3.	आइसोटेमा जावेन्सिस	सब्जियां तिलहन
4.	ट्रेटास्टिकस पाइरिल्ला	
5.	इम्पीरिकेनिया मेलनीक्यूका	
6.	सेक्स फेरोमोन ल्योर्स (हीलियोथस तथा स्पोडोप्टेरा)	
7.	क्राइसोपेला एस.पी.पी.	
8.	कैम्पोलेटिस क्लोरिडा	
9.	लेडी वर्ड बीटल	
10.	बेसिलस थूरिमिंएन्सिस (बी.टी.)	
11.	बेसिलस स्फेरिकस (बी.एस.)	
12.	न्यूक्लियर पोलीहेड्रोसिस वाइरस (एन.पी.वी.) (स्पोडोप्टेश तथा हीलियोथिस)	
13.	नीम उत्पाद (आजादिरक्तिन)	
14.	पाइरेथ्रम	
15.	ट्राइकोडर्मी एस.पी.पी.	

आंध्र प्रदेश में रेल लाइन

2050. श्री धर्मभिक्षम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में जेदेहेरला से कोथागुड़ेम बरास्ता सूर्यापेट नयी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न भण्डार

2051. श्री पी.सी. चाको : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान खाद्यान्न भण्डार में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1993 के दौरान भी खाद्यान्नों का भण्डार बहुत कम था;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में कमी का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति 1994 के दौरान अच्छी बनी रही।

(ग) से (ङ). 1.1.1993 और 1.4.93 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक यथा-निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों से कम थे। 1.7.1993 से खाद्यान्नों के स्टाक के स्तर न्यूनतम बफर मानदण्डों से कहीं अधिक रहे हैं और 1993 की तुलना में 1994 में स्टाक में वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक न्यूनतम मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन किसानों से गेहूं और धान की वसूली करके और लेवी मूल्य तंत्र के अधीन मिलमालिकों/व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली करके बनाया जाता है। मूल्य समर्थन परिचालन के अधीन किसानों के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उचित औसत किस्म के अपने खाद्यान्नों की बिक्री करना स्वैच्छिक होता है। वे ऊंचे मूल्यों पर खुले बाजार में खाद्यान्न बेचने के लिए स्वतंत्र होते है। अतः भविष्य में, केन्द्रीय पूल खाद्यान्नों के स्टाक मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन वसूल की गई खाद्यान्नों की वास्तविक मात्रा पर निर्भर करेंगे।

तीरंदाजी उपकरण

2052. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को रियायती दर पर पुराने और इस्तेमाल किए गए तीरंदाजी उपकरण देना चाहती है जो उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन पर विद्युतीकरण कार्य

2053. श्री एस. शिवरामन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम-त्रिवेंद्रम खण्ड पर विद्युतीकरण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). योजना की अर्थक्षमता आकलित करने के लिए लागत-एवं-व्यावहारिकता सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम पर निर्भर करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत चिकित्सकीय शिक्षा का प्रस्ताव

2054. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत लाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चिकित्सा शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत लाने से क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(च) केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपरोक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). मेडिकल शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्य क्षेत्र में आती है।

(ग) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की लंबित परियोजनायें

***2055. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में मंजूरी हेतु मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनायें लंबित पड़ी हैं;

(ख) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल के पास लंबित हैं;

(ग) ये परियोजनायें कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पास पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए लंबित मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के नाम तथा ये कब से लंबित हैं, इससे संबंधित जानकारी और इसके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रस्ताव के पूरे वास्तविक ब्यौरे सहित प्राप्त होने पर परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लंबित हैं	लंबित पड़े होने के कारण
1	2	3	4
	(क) वन संबंधी स्वीकृति हेतु परियोजनायें पर्यावरण और वन मंत्रालय		
1.	सिहोर में शामपुर टैंक का निर्माण	जून, 1992	विचाराधीन है
2.	इन्दौर में बेरचा फील्ड फाइरिंग रेंज	अक्तूबर, 1992	-तदैव-

1	2	3	4
3.	सरगुजा में एस ई सी एल को खनन पट्टा	जनवरी, 1994	विचाराधीन है
4.	सरगुजा में पांडवपारा गिरिजापुर कोयला खानें	जनवरी, 1994	–तदैव–
5.	बेतुल में पाठाखेड़ा क्षेत्र में डब्ल्यू.सी.एल. के पक्ष में खनन पट्टा	जून, 1994	–तदैव–
6.	बेतुल में डब्ल्यू सी. एल. द्वारा भूमिगत खनन	जुलाई, 1994	–तदैव–
7.	माण्डला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा वन ग्राम के 25 परिवारों का पुनर्वास	अगस्त, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8.	सरगुजा में डब्ल्यू.सी.एफ. के पक्ष में खनन पट्टा	सितम्बर, 1994	विचाराधीन है।
9.	सरगुजा में डब्ल्यू.सी.एफ. के पक्ष में खनन पट्टा	सितम्बर, 1994	–तदैव–
10.	छतरपुर में मैसर्स खुजराहो मिनरल्स के पक्ष में डायसपुर और पाइरोफाइलेट खनन पट्टा	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
11.	एस.ई.सी.एल. द्वारा विलासपुर में सिंघाली भूमिगत कोयला खनन परियोजना	अक्तूबर, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा
12.	एस.ई.सी.एल. द्वारा विलासपुर में धलवेडीह भूमिगत कोयला खनन परियोजना	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
13.	शिवपुरी में मोहिनी सागर बांध	अक्तूबर, 1994	विचाराधीन है।
14.	बिलासपुर में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण के लिए रायचूर बांध का निर्माण	नवंबर, 1994	–तदैव–
	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल		
15.	सरगुजा में चिरमिरी कोयला क्षेत्र में वाटर टैंक और पीने के पानी की पाइप लाइन का निर्माण	अप्रैल, 1994	विचाराधीन है।
16.	मांडला में निमारी से मिनोसिया तक 11 किलोवाट की पारेषण लाइन का निर्माण	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
17.	मांडला में पंडारिया से पापरीकाला पापरी खुर्द तक 11 किलोवाट की पारेषण लाइन का निर्माण	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
18.	मांडला में खापा निमारी से पापरीखुर्द तक 11 किलोवाट की पारेषण लाइन का निर्माण	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
19.	शहडोल में धनपुरी ओपन कास्ट कोल माइन्स से अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन तक रेलवे साइडिंग का निर्माण	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
20.	मांडला में बकाई से मुसुखोव तक 11 किलो–वाट की पारेषण लाइन का निर्माण	नवम्बर, 1994	–विचाराधीन है।
21.	सतना में मैसर्स मैहर सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइन स्टेशन माइनिंग का नवीकरण	नवम्बर, 1994	–तदैव–
	(ख) पर्यावरण, संबंधी स्वीकृति के लिए परियोजनायें		
22.	रॉट आयरन और परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र	जून, 1987	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
23.	मोंगरा परियोजना सिंचाई विभाग म.प. सरकार	सितम्बर, 1994	परियोजना प्राधिकारी से अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
24.	चिरमिरी ओपनकास्ट प्रोजेक्ट, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड सीपत रोड़, पो. बाक्स नं. 60 बिलासपुर		विचाराधीन है।

1	2	3	4
25.	कुटेश्वर लाइमस्टोन माइन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इस्पात भवन, लोदी रोड, पो.ओ. 3094, नई दिल्ली।	अक्तूबर, 1993	विचाराधीन है।
26.	गिरिजापुर माइनिंग ब्लॉक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड सीपत रोड, पो. बाक्स न. 60, बिलासपुर	जनवरी, 1994	–तदैव–
27.	बीना टीपीएस (4x250 मे.वा.)	जुलाई, 1994	परियोजना प्राधिकारी से अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
28.	धुरचा (पश्चिम) परियोजना साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड	सितम्बर, 1994	विचाराधीन है।
29.	बारादौर डोलोमाइट माइन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	सितम्बर, 1994	विचाराधीन है।
30.	मंगतहार में संजय गांधी टी.पी.एस. एक्सटेंशन, स्टेट-II (1x500 मे.वाट.)	अक्तूबर, 1994	परियोजना प्राधिकारी से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
31.	नागदा में ग्रासिम 40 मे.वा. कोयला आधारित विद्युत संयंत्र	अक्तूबर, 1994	विचाराधीन है।
32.	एन.सी.एल.का निघाई डी.ओ.पी. (विस्तार)	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
33.	एस.ई.डी.एल. सिंघोली भूमिगत खान	अक्तूबर, 1994	–तदैव–
34.	बॉक्साइट माईना हिण्डाल्को इंडिया लिमिटेड	नवम्बर, 1994	–तदैव–

सुपर बाजार के लिए योजना परिव्यय

2056. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के लिए 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए कितना मूल संशोधित और वास्तविक योजना परिव्यय निर्धारित किया गया;

(ख) 1994-95 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय कितना है;

(ग) 1993-94 के लिए संशोधित और 1994-95 के लिए प्रस्तावित परिव्यय में कितना अंतर है; और

(घ) यदि इसमें बहुत अधिक अंतर है तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 के लिए सुपर बाजार का अनुमोदित योजना परिव्यय नीचे दिया गया है :-

	मूल परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1991-92	20.00	70.00	76.00
1992-93	40.00	40.00	36.80
1993-94	20.00	20.00	20.00

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए सुपर बाजार का योजना परिव्यय 20 रुपये है।

(ग) 1993-94 तथा 1994-95 के लिए अनुमोदित परिव्यय में कोई अंतर नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्मारकों का निर्माण

2057. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आजाद हिन्द फौज और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का म्यानमार, जापान और सिंगापुर तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मांडले कारागर में, जहां उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया था, कोई स्मारक बनाया है अथवा बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के स्मारकों के निर्माण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पोतों को पट्टे पर लेना

2058. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित मत्स्यन विकास निगम लिमिटेड ने अंडमान समुद्र विकास में अपनी मत्स्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ फिशरीस नॉटीकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कोचीन से कोई पोत पट्टे पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पोत को पट्टे पर लेने से पहले इसकी उपयुक्ता की जांच की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार को इसके कारण कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ङ). तटवर्ती मत्स्यन जलयान हेतु वैकल्पिक सामग्री के रूप में फेरी-सीमेंट का उपयोग आरंभ करने तथा भारतीय मछुआरों के बीच इन जलयानों के प्रदर्शन के उद्देश्य से खाद्य एवं कृषि संगठन के संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अधीन फेरो सीमेंट से बनी सागर श्री नामक नौका का निर्माण किया गया। निर्माण के बाद देश के विभिन्न समुद्रतटवर्ती राज्यों के तट के आसपास मत्स्यन कार्यों के व्यापक प्रदर्शन के लिए इस नौका का उपयोग किया गया। इस नौका को वाणिज्यिक कार्यों के लिए नहीं चलाया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसने इस परियोजना का मूल्यांकन किया था, के सुझाव पर वाणिज्यिक आधार पर चलाने वाल संगठनों को यह नौका पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया ताकि इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा सके। तदनुसार, इस जलयान की पूरी तरह जांच करने के बाद इस नौका को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लि. को पट्टे पर दिया गया। चूंकि इस नौका का प्रायोगिक जलयान के रूप में निर्माण किया गया था जिसमें नए प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की गई थी, अतः इसकी तकनीकी उपर्युक्ता तथा व्यवहार्यता का विभिन्न स्थितियों में मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था, जिसमें एनिडको जैसे वाणिज्यिक संगठन द्वारा प्रचालन भी शामिल था। चूंकि अंडमान और निकोबार प्रशासन/एनिडको ने इस जलयान के प्रचालन को व्यवहार्य नहीं पाया तथा चूंकि कोचीन वापस भेजने में भी इसमें अधिक लागत आती, अतः इसे पोर्ट ब्लेयर मे ही यथास्थिति में निपटान करने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रयोजनों के उपयोग के लिए एक प्रायोगिक जलयान था; अतः वाणिज्यिक लाभ या हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गांधी शांति पुरस्कार

2060. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नोबल शांति पुरस्कार की भांति गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरस्कार प्रक्रिया को अभिशासित करने हेतु नियत मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच इस वर्ष के पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

चुनार किला में उत्खनन कार्य

2061. श्री रामनिहोर राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में उत्खनन कार्य के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। तथापि, 1990-91 के कार्यकाल के दौरान, चुनार एवं इसके आसपास के क्षेत्र में उत्खनन-कार्य करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गाड़ियों के हाल्ट स्टेशन

2062. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी स्टेशन पर सुपरफास्ट गाड़ी के रूकने के समय को निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या मध्य रेलवे के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान बंगलौर-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए इटारसी-भुसावल और मनमाड-डौंड सेक्शनों में रूकने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) लंबी दूरी के यातायात की मात्रा, अन्य वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, विशेष सुपरफास्ट गाड़ी की विशेषताओं, आदि को ध्यान में रखते हुए सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव देने के बारे में विचार किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) कोपरगांव में 10.11.92 से और बुरहानपुर में 2.10.93 से।

[अनुवाद]

भूकम्प राहत के लिए सुरक्षित कोष

2063. श्री राम नाईक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मुख्य मंत्री के भूकम्प राहत कोष में प्राप्त दान राशियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री कोष से प्राप्त सहायता से एक सुरक्षित कोष बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और जर्मनी के अन्य संस्थानों से प्राप्त धन पर ब्याज के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार का निर्णय क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नई रेलगाड़ियां

2064. श्री राम पूजन पटेल :
श्री काशीराम राणा :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
डा. सुधीर राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधोसिंह रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद व वाराणसी के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने के लिए या सूरत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए इलाहाबाद से होकर जाने वाली रेल के मार्ग में परिवर्तन के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). वाराणसी-माधोसिंह-इलाहाबाद मार्ग पर वाराणसी-त्रिरूपति/कोचीन, मद्रास-वाराणसी, बंबई-वाराणसी, नई दिल्ली-हावड़ा (पूर्वा) एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ गाड़ियों का इस मार्ग के रास्ते तथा सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इलाहाबाद के रास्ते मार्ग परिवर्तन करके अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) माधोसिंह के रास्ते कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है और इसके व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, परिचालनिक कठिनाइयों के कारण सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को इलाहाबाद के रास्ते चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को धनाबंटन करने की पद्धति

2065. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्वरूप और इसको धनाबंटन करने की पद्धति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). यद्यपि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वित्तपोषण के स्वरूप तथा पद्धति में परिवर्तन करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है, तथापि सरकार ने कुछ समय पूर्व, अपने सभी स्वायत्त निकायों को एक सामान्य परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार वे या तो ब्लाक अनुदान जो आठवीं योजना अवधि के लिए व्यवहार्य है अथवा (II) कुल घाटे के फार्मूले के आधार पर निर्धारित रखरखाव अनुदान के वित्तपोषण के मौजूदा तरीके को चुनें। दूसरे प्रकार के वित्तपोषण में, स्वायत्त निकायों को किसी भी पद के सृजन से पहले सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

(ग) और (घ). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया है कि 26.8.94/7.9.94 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर शैक्षिक परिषद के साथ विचार-विमर्श किया गया। परिषद ने सरकार द्वारा एकपक्षीय रूप से वित्तपोषण पद्धति में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध किया है तथा इस मामले को व्यापक विचार-विमर्श तथा उनके विचार प्राप्त करने के लिए स्कूलों तथा विश्वविद्यालय के केन्द्रों को भेजने का प्रस्ताव किया है।

शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना

2066. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सतत् मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 के अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए 1987-88 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना आरंभ की। सभी स्तरों पर शिक्षा के विषय और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं : पाठ्यक्रम का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता सुधारने के लिए उनको सेवा-काल के दौरान प्रशिक्षण देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग।

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

2067. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) संयुक्त राष्ट्र/खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत 13 परियोजनाओं को खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के राज्यों में वानिकीकरण, सिंचाई और पोषण एवं आहार कार्यक्रम (न्यूट्रीशनल एंड फीडिंग कार्यक्रम) शामिल हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को सीधे ही खाद्य सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता में उपयोग के लिए भारत सरकार का कोई अंशदान शामिल नहीं है।

विवरण

भारत की विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता-चालू परियोजनाएं

क्र.स.	परियोजना	शीर्षक	अवधि	विश्व खाद्य कार्यक्रम लागत मिलियन (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4	5
1.	259 एक्स्प. 4	राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण और परियोजना विकास	अप्रैल, 1991 दिसम्बर, 1995	15.8
2.	572 एक्स्प. 11	महाराष्ट्र में वानिकी के क्रियाकलाप के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास	अक्तूबर, 1982 अप्रैल, 1996	14.3
3.	2206 एक्स्प. 5	असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान करने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम	अक्तूबर, 1990 मार्च, 1995	68.2

1	2	3	4	5
4.	2303 एक्स्प. 11	कर्नाटक के कृष्णा बेसिन कमान क्षेत्रों में ग्रामीण विकास	नवंबर, 1990 अप्रैल, 1995	22.3
5.	2600 एक्स्प	राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों के पनुर्वासियों को सहायता	नवम्बर, 1990 अप्रैल, 1995	10.7
6.	2683	बिहार में वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास	अप्रैल, 1984 अप्रैल, 1995	18.9
7.	2685	उड़ीसा में वानिकी क्रियाकलापों के माध्य से सामाजिक एवं आर्थिक विकास	अप्रैल, 1986 अप्रैल, 1995	24.2
8.	2750 एक्स्प. 1	असम में अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास	जून, 1993 दिसम्बर, 1997	3.4
9.	2751	उत्तर प्रदेश में पनधारा विकास एवं वानिकी	अप्रैल, 1987 मार्च, 1995	30.5
10.	2773 एक्स्प. 1	राजस्थान में वानिकी और जनजातीय रोजगार	सितम्बर, 1993 सितम्बर, 1996	14.6
11.	2774	केरल में वानिकी और जनजातीय विकास	फरवरी, 1988 फरवरी, 1995	7.9
12.	2783	गुजरात में वानिकी विकास और जनजातीय जिले	जून, 1989 दिसम्बर, 1995	12.6
13.	3227	मध्य प्रदेश में वानिकी पुनर्वास और वानिकीकरण	जुलाई, 1990 जून, 1994	63.3
			योग	306.7

(x) सृजित धनराशि के उपयोग के लिए बढ़ायी गयी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय ग्रामीण विश्वविद्यालय

2068. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापनार्थ सरकार की क्या नीति थी;

(ख) क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों को दो भागों में बांटने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निहित है, 1992 में किए गए संशोधनों के साथ, ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर सरकार की नीति है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों के नए स्वरूप को शिक्षा पर महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के आधार पर समेकित और विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन के लिए बुनियादी स्तर पर सूक्ष्म योजना की चुनौती को लिया जा सके। यह इस पर विचार करती है कि गांधी जी के बेसिक शिक्षा के संस्थानों तथा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान योजनावधि के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

(ख) जी, नहीं। इस उद्देश्य के लिए किसी भी विश्वविद्यालय को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई चीनी मिलें

2069. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री हरिन पाठक :
श्री अंकुशराव टोपे :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री हरिभाई पटेल :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री पंकज चौधरी :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :
श्री राजवीर सिंह :
श्री जनार्दन मिश्र :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विभिन्न राज्यों विशेषतः उत्तर प्रदेश में गन्ने की व्यापक खेती को ध्यान में रखते हुए और चीनी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अक्तूबर, 1994 तक नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु प्रत्येक राज्य ने कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) राज्यवार कितनी चीनी मिलों के लिए लाइसेंस दे दिए गये हैं और कितनी चीनी मिलों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(च) केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(छ) इन प्रस्तावों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 31.10.94 को देश में 429 संस्थापित चीनी मिलें थीं, जिनका राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित नहीं करती। तथापि, यह मौजूदा लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है। चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 74 आशय-पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें 25 उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। इन 25 आशय-पत्रों का स्थान सहित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ). 31.10.94 को देश के विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 918 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से, 813 प्रस्तावों की जांच समिति द्वारा संवीक्षा की गयी है। परीक्षण के बाद खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भेज दी गई हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा 31.10.94 को 74 आशय-पत्र जारी किए गये। राज्यवार प्राप्त हुए प्रस्तावों, विचार किए गए प्रस्तावों की संख्या और जारी किए गए आशय-पत्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। जारी किए गए उक्त 74 आशय-पत्रों में किसी भी मिल ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है।

(च) 31.10.94 को, खाद्य मंत्रालय में 105 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं। लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

देश में (31.10.1994 की स्थिति के अनुसार) राज्यवार और क्षेत्रवार संस्थापित चीनी मिलें

क्र.सं.	राज्य	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	जोड़
1.	पंजाब	4	—	15	19
2.	हरियाणा	1	—	10	11
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	44	35	31	110
5.	मध्य प्रदेश	4	1	3	8
6.	गुजरात	—	—	18	18
7.	महाराष्ट्र	6	—	103	109
8.	बिहार	15	15	—	30
9.	असम	3	1	2	6
10.	उड़ीसा	1	—	4	5
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	—	2
12.	नागालैंड	—	1	—	1
13.	आंध्र प्रदेश	11	3	18	37
14.	कर्नाटक	10	3	18	31
15.	तमिलनाडु	15	3	15	33
16.	पांडिचेरी	1	—	1	2
17.	केरल	1	—	2	3
18.	गोवा	—	—	1	1
19.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—
20.	मणिपुर	—	—	—	—
पूरे भारत का जोड़		118	69	242	429

विवरण–II

उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए (स्थान सहित) चीनी वर्ष 1993–94 के दौरान जारी किए गए आशय–पत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	स्थान
1.	श्री महेश विठलदास चतुर्वेदी	रायामठ, जि. मथुरा
2.	मै. जेके इंडिस्ट्रीज लि.	मीरगंज, जिला बरेली
3.	मै. ओसवाल ओवरसीज लि.	नवाबगंज, जिला बरेली
4.	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि.	रसूलपुर, जिला सहारनपुर
5.	द्वारीकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि.	बुंदकी, जिला बिजनौर
6.	श्री एनके श्रीवास्तव	शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर
7.	इन्डो गल्फ एक्सप्लोसिव लि.	मैजापुर, जिला गौंडा
8.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि.	शारदानगर, जि. लखीमपुर खीरी
9.	मैं सिम्भावली चीनी मिल्स लि.	धिलवारिया, जि. बहराइच
10.	मै. दि सेकसरिया बिस्वान चीनी फैक्ट्री लि.	बेहटा रूसा, डा. बिस्वान जि. सीतापुर
11.	मै. मोमती चीनी मिल्स (प्रा.) लि.	जंग बहादुर गंज, जिला लखीमपुर खीरी
12.	मै. उ.प्र. सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि.	बहेड़ी ब्राह्मणान ठाकुरादारा जिला मुरादाबाद
13.	मै. वारेन टी. लि.	रूपापुर, जिला हरदोई
14.	श्री वी. एस. दिवान.	अगवानपुर, जिला मुरादाबाद
15.	मि. सुधीश प्रकाश	टिकौला, जिला मुजफ्फरनगर
16.	मै. कस्तूरी चीनी मिल्स लि.	ऊन तह. कैराना, जिला मुजफ्फरनगर
17.	मै. ओसवाल एग्रो मिल्स लि.	जलालाबाद, जि. शाहजहांपुर
18.	मै. सतीश जैन, मै. शिवापेपर मिल्स	टान्डा, तह. शाहबाद, जि. रामपुर
19.	मै. सरयू चीनी मिल्स लि.	अकबरपुर, जिला फैजाबाद
20.	श्री काटनलाल परसरामपुरिया	बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर
21.	श्री एस.एन.चतुर्वेदी	अतरौली, जिला अलीगढ़
22.	मै. एसोसिएटिड शुगर मिल्स लि.	थोई गांव, जिला हरिद्वार
23.	श्री विपिन गोयल	चान्डक, जिला बिजनौर
24.	मै. गुलशन शुगर्स एंड कैमिकल्स लि.	धौलाना, जिला गाजियाबाद
25.	मै. सोमैया ओरगेनिक (इंडिया) लि.	महराजगंज, जिला महराजगंज

विवरण–III

नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए (31.10.1994 को) प्राप्त हुए प्रस्तावों, विचार किए गए और जारी किए गए आशय–पत्रों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	जांच समिति द्वारा विचार किए गए/ प्रस्तावों की संख्या	जारी किए आशयपत्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	337	274	25
2.	महाराष्ट्र	240	225	17
3.	गुजरात	13	13	2
4.	बिहार	27	27	1
5.	हरियाणा	18	18	4
6.	पंजाब	34	30	–
7.	आन्ध्र प्रदेश	98	97	15
8.	कर्नाटक	66	60	5
9.	तमिलनाडु	46	41	2
10.	मध्य प्रदेश	23	14	2
11.	राजस्थान	2	2	–
12.	उड़ीसा	8	7	1
13.	केरल	1	1	–
14.	हिमाचल प्रदेश	2	1	–
15.	असम	2	2	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	–
	जोड़	918	813	74

विवरण–IV

लंबित विचारार्थ प्रस्तावों(31.10.1994 को) की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	विचारार्थ लंबित प्रस्तावों की सं.
1.	उत्तर प्रदेश	63
2.	महाराष्ट्र	15
3.	पंजाब	4
4.	आन्ध्र प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	6
6.	तमिलनाडु	5
7.	मध्य प्रदेश	9
8.	उड़ीसा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
	जोड़	105

शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संकाय

2070. श्री सूरज मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान का अलग से एक संकाय बनाये जाने के संबंध में 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के बावजूद भी किसी भी विश्वविद्यालय ने अब तक ये संकाय नहीं खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, आयोग ने राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसायटी द्वारा की गई निम्नलिखित दो सिफारिशों की जांच करने के लिए सितंबर, 1985 में एक समिति नियुक्त की थी :-

(1) विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसायटी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप शारीरिक शिक्षा के लिए डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को नया रूप दे सकता है; और

(2) जिन विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, शिक्षण और/अथवा गैर-शिक्षण विभाग हैं, वे राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसायटी द्वारा अनुशासित मानदंडों के अनुसार भौतिक सुविधाओं के लिए प्रयास कर सकते हैं।

समिति की रिपोर्ट की शारीरिक शिक्षा एवं खेल संबंधी पैनल, जिसे विशेष रूप से नवंबर, 1987 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजनार्थ गठित किया था, द्वारा भी जांच की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसंबर, 1990 में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/ संस्थानों के निदेशकों से अनुरोध किया था कि वे शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के खेल संकाय बनाने संबंधी सिफारिशों को अपनाने हेतु संबद्ध कालेजों के ध्यान में लायें।

विश्वविद्यालय/संस्थान स्वायत्त संगठन हैं और उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई इन संस्थानों द्वारा स्वयं की जानी है।

पर्यटन स्थलों का निजीकरण

2071. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री सुव्रत मुखर्जी :
डा. सुधीर राय :
श्री तरित वरण तोपदार :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए नये करार में रेलवे की सुविधाओं और कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले भुगतान की शर्तें निर्धारित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस व्यवस्था में राज्य सरकारों का कितना हिस्सा है; और

(घ) रेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा स्थितियों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र द्वारा 5 बड़ी लाइन पर्यटक सर्किटों पर विशेष पर्यटक गाड़ियां चलाने के लिए रेल परिवहन अवसंरचना के उपयोग हेतु निर्धारित भुगतान के निस्पन्दन में गाड़ी की पूंजी लागत का भुगतान, प्रति फेरा के आधार पर कर्षण तथा अनुरक्षण प्रभार तथा पर्यटक गाड़ी सेवा के परिचालन से प्राप्त सकल कारोबार का न्यूनतम 15 प्रतिशत शामिल है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र

2072. डा. साक्षीजी :
श्री राम बदन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्रों का उद्देश्य क्या है;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों की विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कोई अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र कार्यरत नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मद्रास स्थित इन्टेगरल कोच फैक्ट्री

2073. श्री आर. अन्बारासु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टेगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास की कोच उत्पादन क्षमता 1100 से घटकर 700 हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी उत्पादन क्षमता को पुनः बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, नहीं। सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास की उत्पादन क्षमता इलैक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिटों सहित इसके 1000 सवारी डिब्बों के निर्माण के मौजूदा स्तर से कम नहीं की गई है। बहरहाल, सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास को सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए दिए गए आर्डर आवश्यकता पर आधारित हैं।

(ग) और (घ).प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित चीनी जारी करना

2074. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आज तक राज्य-वार कुल कितनी आयातित चीनी जारी की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे सस्ती दरों पर वितरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी राज सहायता दी जायेगी और सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा; और

(घ) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी पर राज सहायता कितने समय तक प्रदान करेगी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनवरी, 1995 तक रिलीज की गई आयातित चीनी की राज्यवार मात्रा का विवरण संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आयातित चीनी 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम के एकरूप खुदरा मूल्य पर, जैसा कि देशी चीनी के मामले में होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित चीनी के वितरण में शामिल सब्सिडी की वास्तविक मात्रा, खर्चों के पूर्ण विवरण के बाद ही पता चल सकेगी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर 10 लाख टन आयातित चीनी पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसके वितरण के लिए मौटे तौर पर सब्सिडी लगभग 685 करोड़ रुपये होती है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रिलीज की गई आयातित चीनी की राज्यवार मात्रा

क्र.सं.	राज्य	सितंबर 94	अक्तूबर 94	नवंबर 94	दिसंबर 94	जनवरी 94	तदर्थ रिलीज	जोड़
1.	पंजाब	9276.6	9309.9	8102.9	5672.4			32321.8
2.	हरियाणा	4000.0	8325.5	6390.2	2776.2			21491.9
3.	राजस्थान	5000.0	19547.3	19551.7	16369.1		14000.0	74468.1
4.	उत्तर प्रदेश		61083.0	53026.8	39963.2		6800.0	160873.0
5.	मध्य प्रदेश		28862.9	22000.0	24338.2			75201.1
6.	गुजरात			5000.0	7864.3			12864.3
7.	महाराष्ट्र		25520.8	10000.0	20212.1			55732.9
8.	हिमाचल प्रदेश		2351.4	2123.0	1819.0		1300.0	7593.4
9.	भूटान		300.0	300.0	300.0			900.0
10.	चण्डीगढ़	447.2	462.1	395.5	395.5			1700.3
11.	आन्ध्र प्रदेश		29091.2	–	23969.4		2500.0	55560.6
12.	कर्नाटक	5000.0	20470.3	5000.0	5526.1			35996.4
13.	तमिलनाडु		25950.9	12000.0	20730.1			58681.0
14.	केरल	5000.0	11958.7	11958.7	11935.6			40853.0
	जोड़	28723.8	243224.0	155848.8	181831.2		24600.0	634237.8
भारतीय खाद्य निगम		71276.2	–	100000.0	98168.8	73317.2	–	342762.2
समस्त भारत		100000.0	243234.0	255848.8	280000.0	73317.2	24600.0	977000.0

[हिन्दी]

दुधारू पशु

2075. **श्री रामपाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में दुधारू पशुओं में बांझपन रोकने के लिए कोई विशेष उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को गोपशु मेलों, साप्ताहिक गोपशु बाजारों और महत्वपूर्ण स्थानों पर पूर्व घोषणा द्वारा अप्रजनन शक्ति और बाझंपन केम्पों का आयोजन करने के लिए 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। बांझपन अप्रजनन शक्ति और गर्भपात के विभिन्न सकारात्मक तथ्यों तथा उनका उपचार करने के लिए पशुओं की जांच करना अपेक्षित होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र

2076. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी विदेशों में कितने भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) किन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या अधिकतम है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वापस स्वदेश लौटे छात्रों की वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(घ) छात्रों के अध्ययन पूरा हो जाने पर उन्हें स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). बहुत से पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए वैयक्तिक आधार पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाते हैं। ऐसे छात्रों की सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकार कुछ योजनाएं/छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, जिनमें से अधिकांश विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उच्च अध्ययन/तकनीकी शिक्षा के लिए 450 छात्र विदेश भेजे गए और इनमें से 85 छात्र अपना अध्ययन पूरा करके वापस आ गए हैं।

(घ) अधिकांशतः ऐसे छात्र विदेश जाने से पहले ही रोजगार में लगे होते हैं और उनकी वापसी के पश्चात् उन्हें फिर से रोजगार में लगा दिया जाता है। यह विदेश में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात देश में वापस आने पर उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय विद्यालय

2977. **श्री काशीराम राणा :**
श्री छेदी पासवान :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी केंद्रीय विद्यालयों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालयों के प्रबंध सहित विभिन्न पहलुओं की, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन की अन्तर्निहित पद्धति के भाग के रूप में नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ गठित विभिन्न समितियों द्वारा विस्तृत पुनरीक्षाएं की जाती हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों और उनके प्रबंध के कार्यकरण की गहराई तथा व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिए हाल ही में उप मंत्री (शिक्षा और संस्कृति) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालयों को धनराशि

2070. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों को और अधिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन न्यायालयों को किस तरह धनराशि वितरित की जायेगी; और

(घ) राज्यों में स्थित न्यायालयों को राशि कब तक दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). मंत्रालय की उपभोक्ता न्यायालयों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है कि वे उपभोक्ता न्यायालयों को मजबूत करने के लिए एक बार की सहायता देने के लिए योजना आयोग को अपने प्रस्ताव भेजें।

कारबेट बाघ अभ्यारण

2079. डा. सुधीर राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारबेट बाघ अभ्यारण्य को पर्यटकों की भीड़-भाड़ तथा कालागढ़ पन विद्युत बांध दोनों से खतरा है;

(ख) क्या सैंकड़ों पर्यटक तीव्र गति से वाहन चलाते हैं जिससे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आता है तथा पिकनिक मनाने आये हुए लोगों द्वारा राम गंगा नदी में कचरा फेंके जाने से भी वन्य जीवन को हानि पहुंचती है;

(ग) क्या कालागढ़ पन विद्युत बांध के कारण एक बड़े क्षेत्र के डूब जाने से हाथियों और हिरणों के लिये उपलब्ध चारे में कमी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रमंडल के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

2080. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य वह राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु हाल ही में पाकिस्तान गए थे;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई चर्चा के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के मंत्रियों, अन्य पाकिस्तानी प्राधिकारियों तथा राष्ट्रमंडल प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ अलग से चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस चर्चा का क्या परिणाम रहा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्री ने 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 1994 तक इस्लामाबाद में हुए राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों के बारहवें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

(ख) इस विचार-विमर्श का परिणाम एक विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "पहुंच, गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करने का मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्र के पास ही रहना चाहिए। यह सभी नागरिकों को अधिकार के रूप में बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी रहा"। मंत्री जी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र और इसके मूल्यों के प्रसार, समाज में राष्ट्र की भूमिका का पुनः मूल्यांकन और वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रों में बढ़ती हुई मांगों के फलस्वरूप, हाल ही में साझेदारी और सहभागिता का विशेष महत्व हो गया है।

(ग) और (घ). भारतीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में विवेचित मुद्दों के संदर्भ में अन्य शिष्टमंडलों के साथ परस्पर विचार-विमर्श, किया और सम्मेलन में आने वाले अन्य शिष्टमंडलों के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय विचार-विमर्श नहीं हुए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सक

2081. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 15 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 2786 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय को शामिल करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 1991 की रिट याचिका संख्या 14713 पर डा. सी.एस. सुब्रमण्यम बनाम कुमारी सामी के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है :

(1) किसी चिकित्सक या अस्पताल द्वारा निदान के रूप में तथा औषधीय एवं शल्य-चिकित्सा दोनों के रूप में उपचार द्वारा किसी रोगी को प्रत्यर्पित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1) (ण) में परिभाषित "सेवा" में अभिप्रेत अर्थ के अंतर्गत नहीं आएंगी।

(2) कोई रोगी जो किसी चिकित्सक अथवा अस्पताल की देखरेख में निदान के रूप में तथा औषधीय एवं शल्य चिकित्सा दोनों के रूप में उपचार करवाता है, उसे अधिनियम की धारा 2(1) (घ) में अभिप्रेत अर्थ के अंतर्गत "उपभोक्ता" नहीं माना जा सकता है।

(3) किसी भी श्रेणी अथवा किस्म की पराचिकित्सा (पैरामेडिकल) सेवा का कार्य करने और मुहैया कराने वाले चिकित्सक अथवा अस्पताल उक्त अधिनियम के

उपबंधों से समरूप उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते और उनके द्वारा प्रत्यर्पित ऐसी सेवाएं "सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी तथा ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने वाला व्यक्ति अधिनियम में अभिप्रेत अर्थ के अंतर्गत एक उपभोक्ता होगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

पार्सल वैन

2082. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पार्सल वैनों में निजी पार्टियों को लीज पर स्थान देने के संबंध में कोई नीति/योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, नहीं। पार्सल यानों में पट्टे पर स्थान देने की कोई नीति/योजना नहीं है। बहरहाल सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों के एस एल आर में पट्टे पर खाली स्थान देने की नीति बनाई है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पार्टी पट्टे पर स्थान लेने के लिए पात्र है। क्षेत्रीय रेलों को पट्टे पर स्थान देने का अधिकार दे दिया गया है। पट्टे पर स्थान देना एक सतत् प्रक्रिया है। अब तक अतिरिक्त राजस्व के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है।

मत्स्य पालन का विकास

2083. श्री राम कापसे :
श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मत्स्य पालन हेतु कर्नाटक राज्य में एक योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के लिए भी स्वीकृति देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राज्य-वार प्रत्येक मामले में कितनी सहायता प्रदान करने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). कर्नाटक राज्य में जल कृषि के विकास के लिये निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :-

1. **ताजा पानी में जल कृषि विकास :** ताजे पानी में जल कृषि के विकास के लिये 18 मछली पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं जिनके अंतर्गत राज्य के सम्भावना वाले सभी जिले आते हैं। इनके माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के जरिए मछली पालकों को प्रशिक्षण देने के लिये भी सहायता दी जाती है।

2. **समेकित खारा जल मछली पालन विकास :** राज्य में खारा जल क्षेत्रों के विकास के लिए कर्नाटक राज्य हेतु दो खारा जल मछली पालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की गई है जिसके तहत राज्य के सम्भावना वाले समुद्रतटीय जिले सम्मिलित हैं जिनमें खारा जल उपलब्ध है।

3. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना :** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मात्स्यिकी सहकारी संस्थाओं की मत्स्य तालाबों के विकास, मत्स्य बीज फार्म और हैचरी की स्थापना, मात्स्यिकी के लिये अपेक्षित सामान की खरीद, मछली की ढुलाई के लिये तापरोधी वाहनों, मछली उत्पादों आदि के भण्डारण के लिये गोदामों की स्थापना आदि के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त योजनाएं अन्य राज्यों में भी चल रही है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। तथापि भारत सरकार द्वारा राज्यों की मांग के आधार पर पूर्ण औचित्य तथा भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों को देखने के बाद धन लिया जाता है।

राज सहायता के लिए पात्रता

2084. श्री हरिन पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहन व दालों के उत्पादन की योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए राज सहायता की पात्रता हेतु रकबा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सहायता किस प्रकार दी जायेगी और इससे छोटे और सीमान्त किसानों को किस प्रकार लाभ मिलेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). सरकार ने तिलहन और दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत स्प्रिंकलर पर राजसहायता देने की पात्रता बढ़ाने के लिए अपना निर्णय पहले से ही सूचित कर दिया है जो इस प्रकार है : छोटे और सीमान्त किसानों को लागत की 50 प्रतिशत की दर से राज सहायता, अ.जा. /अ.ज.जा. किसानों को 75 प्रतिशत की दर से राज सहायता तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत की 25 प्रतिशत की दर से राज सहायता, तो प्रति लाभानुभोगी अधिक से अधिक 10,000 रुपये होगी। राज सहायता की यह दर वर्तमान वर्ष के लिए वैध होगी। यह योजना प्रति लाभानुभोगी 10,000 रुपये तक राज सहायता देकर छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता करती है। फिर भी इस योजना में आगे भी संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु पद

2085. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या प्रयास किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। कई पद खाली नहीं पड़े हैं।

(ख) और (ग). रिक्त पदों को भरने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

चिड़ियाघर

2086. **श्री तारा सिंह :**
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अन्तर्गत कितने चिड़ियाघर हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में चिड़ियाघरों के संचालन में वैज्ञानिक तरीका अपनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का विचार इस संबंध में विदेशों से सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्वयं किसी चिड़ियाघर का संचालन नहीं करता है। तथापि, संचालन के ध्येय से सभी चिड़ियाघरों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होती है। अब तक 35 चिड़ियाघरों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है जिनमें से 22 का निरीक्षण किया गया है और उन्हें विभिन्न शर्तों के अधीन मान्यता दी गई है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर मान्यता नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार मान्यता प्रदान करता है जिसमें चिड़ियाघरों में जीवजन्तुओं की देखभाल और प्रबंधन के न्यूनतम मानक निर्धारित हैं। इन नियमों का उद्देश्य चिड़ियाघरों के प्रबंधन को संरक्षण उन्मुख बनाना है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उन्नयन योजनाओं के निर्माण में चिड़ियाघरों का मार्ग-निर्देश भी देता है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इस देश की और विदेशी तकनीकी और अनुसंधान संस्थाओं तथा प्रजाति विशेषज्ञ ग्रुपों की चिड़ियाघर प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करता है। चिड़ियाघर प्रबंधकों को विदेशों में स्थित चिड़ियाघरों में चिड़ियाघर प्रबंधन में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियमों में अपनी गतिविधियों के अपेक्षित ढंग से क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों, निगमित और अ-निगमित निकायों तथा अन्य संवाता अभिकरणों सहित विभिन्न प्राधिकरणों और संगठनों से संदान प्राप्त करने की भी अनुमति है।

[हिन्दी]

बुक स्टॉल ठेके

2087. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉल लगाने के लिए व्हीलर एण्ड कंपनी को दिए गए ठेके की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाया गया है कि उक्त कंपनी ने ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी का कोटा जारी करना

2088. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चीनी का कोटा जारी करने में विलम्ब के संबंध में कुछ समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). एस.टी.सी. तथा एस.एम.टी.सी. द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुबंधित चीनी भारतीय बन्दरगाहों पर जून, 1994 के बाद आनी शुरू हो गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित चीनी का आबंटन सितम्बर माह, 1994 के बाद शुरू किया गया था जिसके लिए रिलीज आदेश जुलाई, 1994 के बाद जारी किए गए थे।

अंगूर अनुसंधान केन्द्र

2089. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में किसी राष्ट्रीय स्तर के अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में मंजरी फार्म पर एक राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भा.कृ.अ. परिषद को भूमि स्थानान्तरित किए जाने के बाद केन्द्र काम करना आरंभ कर देगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यावसायिक संस्थाएं

2091. श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री अन्ना जोशी :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात तथा महाराष्ट्र के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन संस्थाओं में कितने छात्र पंजीकृत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु इन राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध कराई;

(घ) क्या इन राज्यों में कुछ और व्यावसायिक संस्थायें खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी इलाकों में कार्यरत व्यावसायिक संस्थाओं/स्कूलों और इन संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

	संस्थाओं की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या
गुजरात	40	1500
महाराष्ट्र	47	4771

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा/कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रु. में)

	1991-92	1992-93	1993-94
गुजरात सरकार	879.525	1070.736	781.73
महाराष्ट्र सरकार	1230.25	2195.33	2035.74

(घ) से (च). राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार पर विचार किया जाता है। हालांकि वर्ष 1994-95 के लिए महाराष्ट्र राज्य से प्रस्ताव मिल गए हैं, लेकिन गुजरात राज्य से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

सूखा

2092. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण जिलों में इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार इन जिलों में "डार्क डेज" योजना को बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक बंद किया जायेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). देश के उन सूखा प्रवण जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जहां दक्षिण-पश्चिमी मानसून 1994 के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). किसी एक वर्ष में अच्छी वर्षा होने से भूमिगत जल की उपलब्धता की दीर्घकालीन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

विवरण

उन सूखा-प्रवण जिलों की सूची जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून 1994 के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई

1.	बिहार	1. पलामू	
2.	गुजरात	1. अहमदाबाद	2. बनासकांठा
		3. महसाना	4. पंचमहल
		5. अमरेली	6. जामनगर
		7. कच्छ	8. राजकोट
		9. सुरेन्द्र नगर	
3.	हरियाणा	1. भिवानी	2. हिसार
		3. रोहतक	4. सिरसा
		5. रेवाड़ी	
4.	जम्मू और कश्मीर	1. डोडा	
5.	कर्नाटक	1. बेलगाम	2. चिकमगलूर
6.	मध्य प्रदेश	1. बेतूल	2. धार
		3. झबुआ	4. खरगांव
		5. शहडोल	
7.	महाराष्ट्र	1. धुले	2. नासिक
		3. सोगली	4. सतारा
8.	उड़ीसा	1. कालाहांडी	2. फूलबनी
		3. सम्बलपुर	
9.	राजस्थान	1. बाडमेर	2. बीकानेर
		3. चुरू	4. श्रीगंगा नगर
		5. जैसलमेर	6. जालौर
		7. जोधपुर	8. पाली
		9. अजमेर	10. बांसवाडा
		11. डूंगरपुर	12. झालावाड़
		13. झुझनूं	14. टोंक
		15. उयदपुर	
10.	उत्तर प्रदेश	1. ललितपुर	

विद्युत इंजन

2093. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए "रोलिंग स्टाक" कार्यक्रम न्यू एक्वीजिशन-लोकोमोटिव्स के अन्तर्गत कितने विद्युत इंजन खरीदे जायेंगे;

(ख) क्या "चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स" द्वारा सप्लाई किए जा रहे इंजनों के ही प्रकार के इंजिन "भेल" द्वारा सप्लाई किए जाने पर उसे 50 लाख रुपये अधिक की पेशकश की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1994-95 के चल स्टाक कार्यक्रम में "नयी खरीद" के अंतर्गत 58 विद्युत इंजनों की खरीद की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। 50 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुमान निम्नलिखित मदों के लिए है :—

(1) कल पुर्जों पर अलग-अलग बिक्रीकर;

(2) कुछ अभिकल्प कारकों के कारण सामग्री लागत में अंतर;

(3) ऊपरी एवं वारंटी व्यय; एवं

(4) लाभ की गुंजाइश की व्यवस्था।

गुड़ का उत्पादन

2094. श्री महेश कनोडिया :
श्री लाल बाबू राय :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न डीलर महासंघ और गुड़ उत्पादकों ने गुड़ नियंत्रण आदेश का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गुड़ का उत्पादन कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) गुड़ उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) गुड़ नियंत्रण (आदेश), 1994 की समीक्षा की गई थी और का.आ. 865(अ.), दिनांक 2.12.1994 द्वारा गुड़ (नियंत्रण)(संशोधन) आदेश, 1994 द्वारा उपयुक्त संशोधन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुड़ (खण्डसारी सहित) के उत्पादन के अनुमान निम्नानुसार हैं :—

चीनी वर्ष	अनुमानित उत्पादन(लाख मीटरी टन)
1990-91	90.71
1991-92	93.95
1992-93	101.11

(ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

अभावग्रस्त क्षेत्र

2095. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अकालग्रस्त तथा अभावग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित जिले कौन-कौन से हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). बिहार सरकार से मिली रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में किसी भी क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2096. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सरकार ने कुछ देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक उन देशों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में बाह्य स्रोतों से कितनी धनराशि की सहायता लेने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). प्रदूषण नियंत्रण से सरकार ने कुछ देशों/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करार किए हैं। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दानदाता एजेंसियों से राज्यवार प्राप्त सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

दानदाता देश/ एजेंसियां	राज्य/संस्थाएं	परियोजना का वितरण	प्राप्त सहायता	
			1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
जर्मनी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य।	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाना।	शून्य	डीएम 0.5 मिलियन
नार्वे	(क) उड़ीसा	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	25 मिलियन रु.	14 मि. रु.
	(ख) उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश	एल्यूमिनियम उद्योगों से प्रदूषण की निगरानी	4 मिलियन रुपए	1 मिलियन रुपए
	(ग) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उड़ीसा	वायु प्रदूषकों के फैलाव और माडलिंग का अध्ययन	5 मिलियन रुपए	6 मिलियन रुपए
डेनमार्क	(क) कर्नाटक	पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान	शून्य	1.09 मिलियन डेक
	(ख) तमिलनाडु	पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान	शून्य	1.09 मिलियन डेक
	(ग) कर्नाटक	दक्षिणी केनरा में पर्यावरणीय मास्टर मास्टर प्लान अध्ययन	डेक 4.4 मिलियन	7.4 मिलियन डेक
स्वीडन	आंध्र प्रदेश	पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना	3.6 सेक	3.6 सेक
विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए 12.5 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए। 143 मिलियन अमरीकी डालर बड़े और मझौले उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना और लघु इकाइयों के लिए साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना और देशभर में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए निदर्शन परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं।	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	1.0 मिलियन अमरीकी डालर	1.5 मि. अमरीकी डालर

1	2	3	4	5
विश्व बैंक	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए 15.5 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं। बड़े और मझौले उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना, लघु इकाइयों के लिए साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना और देशभर में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए निदर्शन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 61.5 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं।	औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना	1995-96 से कार्यान्वित की जानी है।

(घ) कुछ परियोजनाएं इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं जिनमें जापानी सहायता से पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नार्वे की सहायता से हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा डच सहायता से केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत बनाना, शामिल है।

[अनुवाद]

यूरिया का प्रयोग

2097. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि के क्षेत्र में यूरिया के प्रयोग को हतोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

स्कूलों में संस्कृति की शिक्षा देना

2098. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बच्चे अपने माता-पिता से बात करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्कूल के प्राधिकारियों को बच्चों को शिष्टाचार, दयालुता, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय आदि की शिक्षा देने का निदेश देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित कॉमन कोर वाली राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की गई है। नीति के इस आधार तत्व के अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने 1988 में प्रारम्भिक एवं सैकेण्डरी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना तैयार की है। पाठ्यक्रम संरचना में सुस्पष्ट रूप से कोर पाठ्यक्रम घटक निर्धारित किये गये हैं, जिनमें सामाजिक/नैतिक मूल्य जैसे संवेदना, दया, ईमानदारी, सच्चाई तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता इत्यादि को भाषा एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में स्वाभाविक रूप से समाहित किया जाना है। पर्यावरणात्मक अध्ययन प्रत्येक सम्बद्ध विषय के एक पाठ या इकाई के रूप में सम्मिलित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई सभी पाठ्यपुस्तकों तथा पूरक पुस्तकों में ये सभी मूल्य मुख्यतः केन्द्रित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों को सभी राज्य सरकारों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है ताकि वे इन्हें अपना सके अथवा अपनी सम्बद्ध स्कूल पद्धति के अनुसार इन्हें रूपान्तरित कर सकें।

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड

2099. श्री शरत पटनायक :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने पारिस्थितकी ने भंगुर क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः स्थापित करने हेतु क्या नए उपाय किए हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत बोर्ड ने विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में वनरोपण तथा बंजर भूमि और पारिस्थितिकी भंगुर क्षेत्रों में पुनः वनरोपण हेतु कोई समयबद्ध रणनीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (नैब) देश के पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों सहित अवक्रमित वनों के सुधार तथा पुनरूद्धार में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रयासों को बढ़ावा देता है ओर उनमें रह गई कमियों को पूरा करता है। इसके लिए "नैब" राज्य सरकार की एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :—

(1) एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजनाओं की स्कीम,

(2) क्षेत्रान्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम,

(3) औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज की स्कीम,

(4) बीज विकास स्कीम,

(5) हवाई बीजारोपण स्कीम,

(6) स्वैच्छिक एजेंसियों की अनुदान सहायता स्कीम।

"नैब" की कार्यनीति, समेकित जलाशय प्रबंध के दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों का कार्यान्वयन करना है। नैब की स्कीमों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकीय जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए समुचित वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित ऐसे क्षेत्र विशिष्ट वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास मॉडल उपलब्ध कराना है, जिनको अन्यत्र भी प्रयोग में लाया जा सके। इसके लिए "नैब" ने अवक्रमित वन क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंध के लिए तथा उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय विकास हेतु छोटे स्तर पर परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करने व उनका कार्यान्वयन करने के निमित्त समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में नकदी फसल

2100. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान राज्य में कितनी मात्रा में नकदी फसल का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) राज्य में नकदी फसलों के उत्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द मेताम) : (क) 1992-93 के दौरान गुजरात में महत्वपूर्ण नकदी फसलों का उत्पादन निम्नलिखित है :—

गन्ना	10.87 मिलियन टन
तिलहन	3.19 मिलियन टन
कपास	प्रत्येक 170 किग्रा. की 1.99 मिलियन गाठें
तम्बाकू	0.17 मिलियन टन

(ख) भारत सरकार ने 1992-93 के दौरान गुजरात राज्य को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी :—

		(रु. लाख में)
1.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	725.5
2.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	102.555

(ग) भारत सरकार कपास तथा तिलहनी फसलों के उत्पाद में वृद्धि करने के लिये गुजरात राज्य में क्रमशः तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत बीजों के उत्पादन तथा वितरण, उपस्करों/उपकरणों की आपूर्ति, कृषक प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित करने आदि के लिये सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2101. श्री हरिभाई पटेल :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) इन पर अभी तक कितना खर्च हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). 1991-92 से 1993-94 के दौरान गुजरात में निम्नलिखित प्रमुख/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चलाई गयीं :—

1. समेकित चावल विकास कार्यक्रम
2. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं
3. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का व कदन्न
4. गहन कपास विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
6. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
7. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
8. नदी घाटी परियोजनाओं का स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
9. कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना
10. समेकित उष्णकटिबन्धीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रीय फल विकास
11. मसालों का विकास
12. उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित प्रयोग

उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को इन योजनाओं के लिये लगभग 86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से खाद्यान्नों और कपास के उत्पादन में ठोस वृद्धि करने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

टिकट निरीक्षकों के विरूद्ध शिकायतें

2002. श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे के विभिन्न जोनों के अंतर्गत कार्यरत कई टिकट निरीक्षकों तथा संवाहकों के विरूद्ध उनके तथाकथित मनमाने व्यवहार तथा यात्रियों को परेशान करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन से गत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें मिलीं हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस कारण अब तक कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

मध्य - 362, पूर्व - 92, उत्तर - 675, पूर्वोत्तर - 66, पूर्वोत्तर सीमा - 5, दक्षिण - 370, दक्षिण मध्य - 21, दक्षिण पूर्व -144, पश्चिम - 143,

(ग) और (घ). शिकायतों की जांच की गई थी और अभी तक 522 मामलों में कर्मचारियों को दण्डित किया गया है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में आरक्षण

2103. श्री के. प्रधानी :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शैक्षिक पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को बताया कि वह शिक्षण स्तर में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। लैक्चरर के स्तर तक, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह आरक्षण 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7.5 प्रतिशत सीमा तक होगा। कालेज/विश्वविद्यालयों में लैक्चरर के पदों के लिए वेतनमान 2200-4000 है जो सरकार में ग्रुप 'ए' पदों के सदृश है।

(ग) विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, सुनिश्चित करने के लिए सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) अनु. जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए, 97 विश्वविद्यालयों में अनु.जाति/अनु. जनजाति सैल गठित किए गए हैं।

2. विश्वविद्यालयों को समय-समय पर आरक्षण नीति के अनुपालन के लिए स्मरण दिलाया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों की आवधिक समीक्षा बैठकों में आरक्षण नीति पर विचार-विमर्श किया जाता है।

3. आयोग ने उन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने का निर्णय किया है, जिनमें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सेल गठित किए गए हैं।

राजस्थान की रेल परियोजनाएं

2104. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं के क्या नाम हैं;

(ख) कब तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) इनके ऊपर कितनी धनराशि व्यय होगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). राजस्थान में पड़ने वाली तथा उससे होकर गुजरने वाली लाइनों के आमान परिवर्तन के कार्य की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रु.में)	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	फुलेरा–मारवाड़	220	1994–95
2.	मारवाड़–मेहसाना	215	1995–96
3.	जोधपुर–लूनी–मारवाड़	69	1995–96
4.	जोधपुर–जैसलमेर	113	1994–95

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक योजना

2105. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में खाद्यान्न का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान इस प्रकार है :

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन	(लाख मीटरी टन में)
1991–92	———	10.83
1992–93	———	11.07
1993–94	———	10.23

(ख) से (घ). केरल में 1990–91 से 1993–94 के दौरान कार्यान्वित किए गए समेकित "चावल विकास कार्यक्रम को सुधारा गया है तथा अब इसे चावल पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम" के रूप में लागू किया जा रहा है। इस योजना को भारत सरकार और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर खर्च वहन करने के आधार पर जारी रखा जा रहा है। जैसा कि समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता था। इस योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिये खेतों में प्रदर्शन तथा किसानों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिये अनाजों की स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों और चुनिन्दा उन्नत कृषि उपकरणों के लिए प्रोत्साहन तथा उत्पादकता को अधिकतम बनाने के लिये ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। समस्या वाले क्षेत्रों के लिये विशिष्ट चावल की किस्मों के प्रमाणित बीजों, हरी खाद की फसलों के बीजों तथा मृदा सुधारकों आदि उपलब्ध कराने के लिये भी इस योजना के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि हेतु जल और विद्युत

2106. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सरकार को कृषि को दिए जाने वाले जल और विद्युत के शुल्कों में वृद्धि करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। विश्व बैंक विद्युत तथा जल कर को युक्ति संगत बनाने तथा कृषि के लिए न्यूनतम 50 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. की दर पर विद्युत कर लगाने के लिए समय-समय पर सुझाव देता रहा है। विद्युत तथा जल करों के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं। अब तक 16 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों ने इस दर पर कृषि के लिए विद्युत कर निर्धारित करने पर सहमति दी है।

ट्रैक्टरों के लिए राजसहायता

2107. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ट्रैक्टर खरीदने के लिए छोटे किसानों को राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना किन-किन राज्यों में लागू है;

(ग) राजसहायता देने हेतु क्या मानदंड अपनाया जा रहा है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी राजसहायता अन्य कृषि उपकरणों पर भी देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). "छोटे किसानों के बीच कृषि मशीनीकरण का प्रवर्धन" योजना के अधीन ऐसे किसानों को जिसके पास एकल रूप से या समूह में छह एकड़ से 8 एकड़ के बीच स्थायी सिंचित भूमि हो, 18 पी.टी.ओ.एच.पी. शक्ति से कम के छोटे ट्रैक्टर तथा साथ ही उसके तीन उपकरण, जिसमें ट्रेलर और बीज-सह उर्वरक ड्रिल शामिल हैं, की खरीद के लिए 30 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है, जो अधिक से अधिक 30,000 रुपये हैं। यह योजना 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 500.00 लाख और 1000.00 लाख के वार्षिक परिव्यय से तदर्थ आधार पर पूरे भारत में कार्यान्वित की गई तथा क्रमशः 1666 और 3333 ट्रैक्टरों पर राजसहायता दी गई। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा उनके इतर राज्यीय (पैरा-स्टेटल) संगठनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के अधीन 2594 ट्रैक्टरों पर राजसहायता दी गई है तथा इसके तदनुरूपी किसानों और उनके दलों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ङ) से (छ). कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित कई फसलोन्मुख योजनाओं के लिए किसानों को निम्नलिखित दरों पर विभिन्न कृषि मशीनों/औजारों, पादप रक्षण उपस्करों, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपस्करों आदि पर भी राजसहायता दी जाती है :-

1. बैल वाहित उपस्करों :- लागत के 50 प्रतिशत की दर से जो प्रति किसान प्रति उपस्कर 1500/-रुपये सीमित होगी।
2. विद्युत चालित मशीन :- लागत का 25 प्रतिशत जो 5,000/-रुपये प्रति किसान प्रति उपस्कर सीमित होगी।
3. हस्तचालित पादपरक्षण उपस्कर :-लागत की 50 प्रतिशत जो प्रति उपस्कर 600/-रुपये तक सीमित होगी।
4. विद्युत चालित पादप रक्षण उपस्कर :-लागत की 50 प्रतिशत जो प्रति उपस्कर 1500/-रुपये तक सीमित होगी।
5. छिड़कान उपस्कर :- एक एकड़ यूनिट के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति सैट 10,000/-रुपये तक सीमित होगी।
6. ड्रिप सिंचाई उपस्कर लागत का 50 प्रतिशत जो 15,000/-रुपये प्रति हैक्टे. तक सीमित होगी।

[अनुवाद]

जोखिम भरे अपशिष्ट पदार्थों का आयात

2108. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक आस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने आपके मंत्रालय के साथ अक्तूबर, 1994 में अपने जोखिम भरे अपशिष्ट पदार्थ भारत को निर्यात करने के संबंध में बात की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार, ग्रीनपीस तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश के पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मामले के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा "बेसल सम्मेलन", की सिफारिशों के अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1994 में एक आस्ट्रेलियाई दल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय का दौरा किया था जिसने भारत में पुनश्चक्रण और पुनः प्राप्ति के लिए नियत परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। ये चर्चाएं मुख्य रूप से दोनों देशों के वर्तमान परिसंकटमय अपशिष्ट विनियमों तथा परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमा पार संचलन और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की दूसरी बैठक के निर्णय II/12 के निहितार्थों पर हुई। इस निर्णय के अनुसार ओ ई सी डी देशों से अंतिम निपटान के लिए नियत परिसंकटमय अपशिष्टों के गैर ओ ई सी डी देशों को सभी सीमा पार संचलनों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा पुनश्चक्रण अथवा पुनर्प्रयोग प्रचालनों के लिए नियत परिसंकटमय पदार्थों के आयात को 31 दिसम्बर, 1997 से समाप्त और निषिद्ध किया जाना है। कुछ अखबारों की खबरों के अनुसार ग्रीनपीस और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने बेसल कन्वेंशन के निर्णय II/12 को न मानने का प्रयास करने वाले कुछ ओ ई सी डी देशों के प्रति चिंता व्यक्त की है।

(ग) और (घ). देश में अपशिष्टों का आयात-मूलतः धातुओं, तेल आदि जैसी सामग्रियों के पुनश्चक्रण अथवा पुनर्प्रयोग हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है तथा भारत की अधिसंख्यक विनिर्माण इकाइयां कच्चे माल के रूप में ऐसे अपशिष्टों पर निर्भर हैं।

पुनश्चक्रण इकाइयों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 198। तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के तहत संचालित करना होता है।

(ङ) भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1989 अधिसूचित की है जिनमें परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, संकलन भण्डारण, परिवहन, शोधन, निपटान और आयात को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। इन नियमों के नियम 11 के अनुसार किसी भी देश से परिसंकटमय अपशिष्टों के जमाव और निपटान के लिए भारत में आयात की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जांच करके कच्चे माल के रूप में प्रसंस्करण अथवा पुनः प्रयोग के लिए ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति दी जा सकती है। परिसंकटमय अपशिष्टों का कोई भी आयात इन विनियमों के कार्यक्षेत्र के भीतर आएगा। भारत सरकार बेसल कन्वेंशन का एक पक्षकार देश है तथा परिसंकटमय अपशिष्टों के समस्त आयातों की जांच भी इस कन्वेंशनों की बाध्यताओं के अनुसार की जाती है।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था

2109. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या इन सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सफाई, पेयजल और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली जैसे कुछ केंद्रीय विद्यालयों में पेयजल, बिजली और नागरिक सुविधाएं नहीं हैं अथवा यहां ये सुविधाएं संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है कि दिल्ली में 32 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों में सफाई, पानी तथा बिजली की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इन विद्यालयों के भवनों के रख रखाव का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/एम.ई.एस. द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

गोल मार्किट के केन्द्रीय विद्यालय के पम्प सिस्टम में खराबी होने के कारण पानी की अपर्याप्त आपूर्ति संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस मामले को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उठाया है ताकि वे व्यवस्था में यथाशीघ्र सुधार तथा मरम्मत, जिसमें बिजली का काम भी शामिल है, यथाशीघ्र करवाएं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने क्षेत्रीय प्रमुखों तथा प्रिंसीपलों को स्कूल परिसर में सफाई के दैनिक रख-रखाव के लिए प्रभावी/उपचारात्मक कदम उठाने के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

संस्थान की परामर्शदात्री समिति

2110. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु उनका दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य चुने हुए संस्थानों के कार्यकरण की जांच करने हेतु इसी प्रकार का संसद सदस्यों का एक दल भेजने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च). मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति ने, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों का उनके कार्य की समीक्षा करने लिए पिछले तीन वर्षों से दौरा किया है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। इस समय संसद सदस्यों द्वारा ऐसे दौरे आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पान के पत्ते

2111. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान के पत्तों के प्रमुख उत्पादक राज्यों के क्या नाम हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) पान के पत्तों के उत्पादकों को 1994 के दौरान दी गई कुल सहायता राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ग). पान के पत्ते उगाने वाले राज्यों के नाम और 1994-95 के लिए स्वीकृत धनराशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (घ). भारत सरकार पान की बेल के विकास हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना लागू कर रही है। 1994-95 के दौरान स्वदेशी उपयोग और निर्यात के प्रयोजन हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को उस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :-

1. 750/-रुपये प्रति यूनिट की दर तक कुल लागत के 50 प्रतिशत की सीमा में सहायता के साथ 2080 संरक्षक यूनिटों का निर्माण।
2. किसानों के खेतों में 2155 प्रदर्शन प्लाट तैयार करना जिसके लिए 500/-रुपये प्रति प्लाट की सीमा तक आदानों के लिए सहायता दी जाती है।
3. 1500/-रुपये प्रति यूनिट की दर से 475 जल संसाधन यूनिट विकसित करने के लिए सहायता।
4. 500/-रुपये प्रति छिड़काव यंत्र की सीमा तक 50 प्रतिशत राजसहायता पर 1450 पौध रक्षण उपकरणों (छिड़काव यंत्रों) का विवरण।

विवरण

पान की पत्तियां उगाने वाले राज्यों के नाम और (1994-95) के लिए स्वीकृत धनराशियो

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95 के लिये स्वीकृत परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	375.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	125.00
3.	असम	125.00
4.	बिहार	150.00
5	कर्नाटक	352.50
6	केरल	377.50
7	मध्य प्रदेश	352.50
8	महाराष्ट्र	327.50
9	मणिपुर	125.00
10.	मेघालय	125.00
11.	मिजोरम	125.00
12.	नागालैंड	125.00
13.	उड़ीसा	125.00
14	तमिलनाडु	372.50
15	त्रिपुरा	125.00
16	उत्तर प्रदेश	192.50
17	पश्चिम बंगाल	192.50
18	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	150.00
19	पांडिचेरी	250.00
	कुल	4075.00

[अनुवाद]

कंचनजंगा एक्सप्रेस में संसद सदस्यों के लिए आरक्षण

2112. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबंधक पूर्वोत्तर की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से कंचनजंगा एक्सप्रेस में 29 जून, 1994 को जलपाईगुडी रोड से गुवाहाटी तक आरक्षण देकर परेशान किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कराई गई जांच तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, हां। माननीय संसद सदस्य श्री अमर रायप्रधान के लिए अवध-असम एक्सप्रेस अथवा कंचनजंगा एक्सप्रेस के वातानुकूल शयनयान में स्थान की व्यवस्था न होने का एक मामला रेल प्रशासन के ध्यान में लाया गया था। चूंकि सूचना अल्प समय पर प्राप्त हुई थी इसलिए माननीय संसद सदस्य को कंचनजंगा एक्सप्रेस में स्थान नहीं दिया जा सका था और उनके लिए जलपाईगुडी रोड से गुवाहाटी तक अवध-असम एक्सप्रेस में एक पहले दर्जे के कूपे की व्यवस्था कर दी गई थी। बहरहाल, कर्मचारियों को भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक सावधान और तत्पर रहने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रायपुर-धर्मतारी-राजगिर लाइन का आमान परिवर्तन

2113. श्री खेलन राम जांगडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रायपुर-धर्मतारी-राजगिर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइन की अलाभप्रदता।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विज्ञान शाखा

2114. श्री पी. कुमारासामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विज्ञान शाखा द्वारा रासायनिक

उपचार और परिरक्षण संबंधी किये गये/किए जा रहे कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इन कार्यों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई/खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). चालू वर्ष में तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा द्वारा किए गए/किए जा रहे रासायनिक उपचार और संरक्षण कार्यों की संख्या तथा मंजूर की गई/उन पर व्यय की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी हुई है।

विवरण

. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा द्वारा राज्य-वार किए जा रहे कार्यों तथा उनके लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सम्मिलित कार्यों की संख्या	आबंटन (रु.)	1994-95 व्यय अक्तूबर, 1994 (रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	6	1,00,000/-	6,838/-
2.	बिहार	3	1,60,000/-	—
3.	दमन और दीव	3	55,000/-	40,347/-
4.	दिल्ली	6	8,67,000/-	6,27,040/-
5.	गोवा	11	4,50,000/-	2,26,160/-
6.	गुजरात	10	2,85,000/-	4,43,821/-
7.	हिमाचल प्रदेश	4	1,15,000/-	30,660/-
8.	जम्मू और कश्मीर	3	1,80,000/-	31,937/-
9.	कर्नाटक	14	4,42,000/-	1,57,395/-
10.	केरल	2	45,000/-	—
11.	मध्य प्रदेश	16	9,03,000/-	3,42,731/-
12.	महाराष्ट्र	16	6,65,000/-	1,32,143/-
13.	उड़ीसा	13	5,20,000/-	1,41,563/-
14.	पांडिचेरी	1	20,000/-	—
15.	पंजाब	1	30,000/-	—
16.	राजस्थान	9	4,05,000/-	1,66,697/-
17.	तमिलनाडु	9	3,58,000/-	1,10,315/-
18.	उत्तर प्रदेश	12	8,10,000/-	1,93,390/-
19.	पश्चिम बंगाल	2	90,000/-	14,778/-

जहरीली गैस का रिसाव

2115. **श्री मंजय लाल :**
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
डा. आर. मल्लू :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टाक्सिक गैस अफेक्ट्स 350 इन ईस्ट दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इससे पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या जहरीली गैस नियंत्रण तथा निगरानी यूनिट की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों को जलाने से संभावित हानिकारक गैसों की कोई सूची तैयार की गई है;

(छ) यदि हां, तो क्या इसे सार्वजनिक किया गया है और देश में सभी अस्पतालों को यह जानकारी दे दी गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने तथा अन्य चेतावनी उपाय करने तथा इस संबंध में जागरूकता पैदा करने संबंधी कोई योजनाएं हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। 13 नवम्बर, 1994 के प्रातःकाल पूर्वी दिल्ली में विषाक्त गैस के फैलने के कारण 534 व्यक्ति चिकित्सा के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे। इसमें से 526 व्यक्तियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी, 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और शेष व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती किया गया था। जांच-पड़ताल से पता चला है कि किसी कबाड़ी द्वारा धात्विक रद्दी/धात्विक चूर्ण से धातुओं की पुनः प्राप्ति परिष्करण के लिए अपनाई गई अपरिष्कृत प्रक्रिया के दौरान विषाक्त वाष्प निकली थी।

(ग) और (घ). दिल्ली पुलिस ने 13.11.1994 को श्री मुकिस अहमद पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी आर-398 आजाद चौक, कर्दमपुरी, शाहदरा, दिल्ली के खिलाफ पुलिस स्टेशन, शाहदरा, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 278/285/337/304-ए के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा बाद में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर

दिया गया। उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा एक वयस्क के लिए 20,000 रु. की दर से तथा 3 बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे को 10,000 रु. की दर से उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में भुगतान हेतु 50,000/-रु. स्वीकृत किए गए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

(ङ) से (ज). भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक विष नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है। भस्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्लास्टिकों से संभाव्य उत्सर्जनों की कोई पृथक सूची नहीं बनाई गई है क्योंकि उत्सर्जन मुख्यतः प्लास्टिक के थैलों को फैंके जाने से पूर्व उनमें रखी गई सामग्रियों के अवशिष्टों पर निर्भर करेगा तथा ऐसी सामग्रियों की सही-सही गणना नहीं की जा सकती है। तथापि, गैसीय उत्सर्जनों और उनके लक्षणों, प्राथमिक उपचार और उपचार के साथ-साथ रसायनों की मानव शरीर पर प्रतिक्रिया संबंधी सूचना को संकलित किया गया है और इसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संबंधित संगठनों/अस्पतालों में प्रचार के प्रयोजन से विषाक्त पदार्थों के प्रति कारकों के ब्यौरे संकलित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

(झ) और (ञ). केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से कहा है कि वे समुदायों में प्रभावशाली स्थानीय लोगों की शिनाख्त करें और यह सुनिश्चित करने में उनकी मदद लें कि परिसंकटमय पदार्थों के भण्डारण एवं हैंडलिंग में सावधानी बरती जाए तथा उन्हें खुले में अंधाधुंध रूप से न जलाया जाए।

कम बजट के रेलवे होटल

2116. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कम आय वर्ग के लिए रेलवे होटल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने होटल स्थापित करने का विचार है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ीसा में इस उद्देश्य के लिए जिन स्थानों/स्टेशनों का चयन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). जी, हां। परियोजना वैचारिक स्तर पर है।

जनजातीय सांस्कृतिक केन्द्र

2117. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरसा मैदान, राऊरकेला में बिरसा मुन्डा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए लंबे समय से मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). बिरसा मैदान, राऊरकेला में बिरसा मुन्डा जनजातीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए बिरसा मुण्डा प्रतिमा समिति को 15.00 लाख रुपये का भवन-अनुदान संस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

2118. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम में समुचित संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

2119. श्री आनंद अहिरवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 9 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2356 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई सूचना अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लेवी चीनी का कोटा

2120. श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री हरिन पाठक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1991 की जनगणना में आकलित जनसंख्या के आधार पर राज्यों को लेवी चीनी कोटा आबंटित करने

का तथा आगामी वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप राज्यों को अतिरिक्त तदर्थ आबंटन करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अप्रैल, 1994 से रोके गए 5 प्रतिशत तदर्थ आबंटन को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आबंटन पर भी विचार कर रही है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अंतर्गत अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का मासिक आबंटन एकरूप मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है जिससे कि 1.10.1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ये मानदंड 1.2.1987 से प्रभावी हैं। तथापि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक पैमाने पर आबंटन की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार पूरे देश के लिए प्रति मास लगभग 3.35 लाख टन चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी के रूप में वितरण हेतु आबंटित की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार लगभग एक लाख टन चीनी प्रति वर्ष त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक आबंटन के अनुपात में आबंटित की जाती है।

उस समय देश में चीनी की बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1991 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई लेवी चीनी के आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ बढ़ोत्तरी को लगातार दो मौसमों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 में चीनी उत्पादन में गिरावट के कारण, अप्रैल, 1994 के लिए लेवी चीनी रिलीज से रोक दिया गया है।

देश में लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर अभी लेवी चीनी के आबंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अभी 5 प्रतिशत के तदर्थ आबंटन को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नवयुग स्कूल

2121. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन.डी.एम.सी. के नवयुग स्कूलों में कथित अनियमितताओं की जानकारी है जैसाकि 10 अप्रैल, 1994 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नवयुग स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के क्या मानदंड निर्धारित हैं और उन स्कूलों के नाम क्या हैं जिनमें ये मानदंड नहीं अपनाये गये हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर में प्रदत्त सुविधाएं सभी अन्य नवयुग स्कूलों में भी प्रदान की जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). 'राष्ट्रीय सहारा' में दिनांक 10.4.1994 को प्रकाशित समाचार में नवयुग स्कूल पेशवा रोड, नई दिल्ली में प्रिंसिपल की नियुक्ति/पदोन्नति में हुई अनियमितताओं, एक छात्र द्वारा की गई आत्म-हत्या तथा स्कूल के खराब परीक्षा परिणामों के बारे में आरोप लगाया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नवयुग स्कूल के प्रिंसिपल की नियुक्ति/पदोन्नति के संबंध में कोई अनियमितता नहीं बरती गई क्योंकि उसे अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार किया गया है। स्वर्गीय मास्टर हूमा नाथ द्वारा की गई आत्म-हत्या के मामले में नई दिल्ली नगर पालिका ने यह बताया है कि इस घटना से स्कूल का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि ये स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम दे रहे हैं।

(ङ) और (च). नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसाइटी ने सरोजनी नगर के स्कूल की तरह ही अपने पेशवा रोड के स्कूल में कार्य के अधिक घंटे करने, लन्च, टिफिन आदि की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है।

फलों के पेड़ लगाने के लिए निधि

2122. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1992-93 और 1993-94 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फलों के पेड़ लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और वास्तविक रूप से कितनी धनराशि जारी की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : समेकित उष्णकटिबन्धीय, शुष्क एवं समशीतोष्ण क्षेत्रीय फल के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है।

1992-93 और 1993-94 के दौरान समेकित उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं समशीतोष्ण क्षेत्रीय फल विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य-वार आबंटित और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

समेकित उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं समशीतोष्ण क्षेत्रीय फल विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत राज्यों को आंबटित और जारी की गयी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आबंटन		जारी	
		1992-93	1993-94	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.88	107.85	15.88	80.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	38.05	25.50	28.54
3.	असम	15.05	20.13	15.05	15.10
4.	बिहार	7.35	84.34	7.35	63.26
5.	गोवा	3.10	19.41	3.10	14.55
6.	गुजरात	18.43	80.95	18.43	60.72
7.	हरियाणा	9.06	69.74	9.06	69.74
8.	हिमाचल प्रदेश	64.28	120.23	64.28	90.24
9.	जम्मू और कश्मीर	68.93	99.21	68.93	74.41
10.	कर्नाटक	23.13	93.44	23.13	70.08
11.	केरल	7.79	36.52	7.79	27.39
12.	मध्य प्रदेश	14.76	80.38	14.76	80.38
13.	महाराष्ट्र	30.38	110.40	30.38	82.80
14.	मणिपुर	7.05	11.68	7.05	11.68
15.	मिजोरम	6.15	14.74	6.15	14.74
16.	नागालैंड	9.05	9.73	9.05	7.29
17.	उड़ीसा	7.15	53.29	7.15	41.66
18.	पंजाब	10.06	54.37	10.06	40.78
19.	राजस्थान	3.67	63.53	3.67	47.66
20.	तमिलनाडु	47.01	82.19	47.01	61.65
21.	त्रिपुरा	9.10	12.14	9.10	9.11
22.	उत्तर प्रदेश	42.95	116.56	42.95	87.42
23.	पश्चिम बंगाल	—	64.50	—	48.37
24.	सिक्किम	5.05	9.53	5.05	9.53
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	8.90	—	4.45
26.	चण्डीगढ़	—	1.00	—	1.00
27.	दादर और नगर हवेली	—	6.23	—	6.23
28.	दमन और दीव	—	6.23	—	6.23

1	2	3	4	5	6
29.	दिल्ली	—	6.40	—	6.40
30.	लक्षद्वीप	—	9.10	—	9.10
31.	पॉडिचेरी	—	9.27	—	8.75
32.	मेघालय	8.05	9.47	8.05	7.10
	कुल	458.43	1509.51	458.43	1187.25

[हिन्दी]

पुणे में गुफाएं

2123. श्री धर्मण्णा मॉडव्या सादुल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पुणे जिले के जूनार तहसील में ऐतिहासिक महत्व के कुछ पुराने गुफाओं के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो वहां से प्राप्त हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐतिहासिक महत्व के इस विरासत को सुरक्षित रखने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) किसी नई खोज के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तथापि, महाराष्ट्र के पुणे जिले के जूनार तहसील में पहले पाए गए कुछ गुफा मन्दिरों और शिलालेखों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक महत्व की यह विरासत संरक्षित और सुरक्षित है।

[अनुवाद]

धनराशि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

2124. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु उपयोग करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

2125. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :
श्री जगमति सिंह बरार :
श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान, गुयाना और अन्य देशों से आज तक कुल कितनी चीनी आयात की गई और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) कितनी आयातित चीनी खुले बाजार में उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या खुले बाजार में चीनी का मूल्य अभी भी बहुत अधिक है;

(घ) क्या खुले बाजार में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी के भंडार और इसकी उपलब्धता को देखते हुए 1995 के दौरान चीनी का आयात किया जाता रहेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत दस महीनों के दौरान चीनी के फुटकर मूल्य क्या रहे हैं;

(छ) 1994 की इसी अवधि के दौरान इनके मूल्यों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ज) सरकार ने चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) केन्द्र सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। इस योजना के

अंतर्गत विभिन्न प्राइवेट पार्टियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) और खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) ने चीनी का आयात करना शुरू कर दिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 9.37 लाख टन चीनी विभिन्न प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयात की गई है। सरकार के पास प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयात की गई चीनी द्वारा चीनी की दर और मूलतः जिस देश से आयात की गई है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

जहां तक एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. का संबंध है, उन्होंने लगभग 387 यू.एस. डालर प्रति मी. टन की, औसत सी.आई. एफ. लागत पर 9.77 लाख टन चीनी का आयात किया है। इन एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान या गुयाना से चीनी का आयात नहीं किया गया है।

(ख) प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयातित चीनी खुले बाजार में बिक्री के लिए है और इसके वितरण/बिक्री की व्यवस्था खुद आयातकों द्वारा ही की जा रही है जिसका विस्तृत विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) चीनी का थोक मूल्य सूचकांक जो जून, 1994 में 247.1 था उसके बाद घाटे की ओर जाने लगा। सितम्बर, 1994 से नवम्बर, 1994 के महीनों के लिए सूचकांक क्रमशः 235.2, 228.0 और 219.0 थे।

(घ) और (ङ). खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी आयात से संबंधित नीति अभी जारी रखी जा रही है। 1995 के दौरान पी.डी.एस. के लिए चीनी का आयात 1994-95 मौसम के दौरान उत्पादन की संभावनाओं आदि पर निर्भर करेगा।

(च) और (छ). वर्ष 1993 और 1994 के दौरान फरवरी से नवम्बर (10 महीने) तक देश के चार प्रमुख बाजारों में चीनी के एस-30 ग्रेड के खुदरा मूल्य की रेंज संलग्न विवरण-I में दिखाई गई है।

(ज) खुले बाजार में चीनी के मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए और उसे उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान फरवरी से नवंबर तक देश के चार प्रमुख बाजारों में चीनी के एस-30 ग्रेड के खुदरा मूल्य की रेंज

रुपये/कि.ग्राम

मास	दिल्ली	बंबई	कलकत्ता	मद्रास
1993				
फरवरी	9.80-10.75	10.00-11.25	उपलब्ध नहीं	9.35-10.20
मार्च	9.50-10.50	10.75-11.50	10.50-10.80	10.20-10.50
अप्रैल	10.00-10.75	11.00-12.00	10.80-11.00	10.50-11.30
मई	11.00-12.00	12.00-12.75	11.50-12.00	11.30-12.00
जून	10.50-11.50	11.00-11.80	11.80-12.00	10.20-11.60
जुलाई	10.00-11.00	11.00-12.00	11.70-12.00	10.20-10.70
अगस्त	11.25-11.50	11.50-12.25	12.00-12.50	10.70-10.90
सितंबर	11.25-12.00	11.50-12.00	12.00-12.50	10.35-10.70
अक्तूबर	11.75-12.00	11.25-12.25	12.50	10.70-11.80
नवंबर	12.00	12.00-12.50	12.20-12.80	11.30-11.80
1994				
फरवरी	12.75-13.00	13.75	13.40-13.60	13.00-13.60
मार्च	12.75-13.50	13.75	13.60-14.00	13.25-13.50
अप्रैल	13.00-14.00	14.00	13.80-15.00	13.50-15.00
मई	14.00-16.50	14.00-15.30	15.00-17.30	15.00-15.40
जून	15.75-16.00	15.00	16.00-17.00	14.00-15.00
जुलाई	13.50-15.75	14.00-15.00	14.50-16.40	12.80-14.00
अगस्त	13.50-14.50	14.00	14.00-14.50	12.50-13.25
सितंबर	14.25-15.00	14.00-14.50	14.30-14.50	12.20-13.20
अक्तूबर	14.25-15.00	14.00	13.80-14.50	11.50-12.00
नवंबर	12.75-14.25	13.00-14.00	13.50	10.70-11.50

विवरण-II

खुले बाजार में चीनी के मूल्य नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. पर्याप्त खुली बिक्री कोटे की रिलीज विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है जिससे उपभोक्ता के लिए खुले बाजार में चीनी के मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखे जा सकें और जिससे उत्पादक भी किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य अदा कर सकें।

2. चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत अनुमत कर दिया गया है। इस आयात पर कोई सीमा शुल्क और कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लिया जाता।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) और खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम.एम.टी.सी.) को भी चीनी का आयात करना चाहिए। एस.टी.सी. एवं एम.एम.टी.सी. द्वारा लिए गए अनुबंधों के अनुसार 15.12.1994 तक विभिन्न बंदरगाहों पर लगभग 9.77 लाख टन चीनी पहले ही पहुंच गई है।

4. कच्ची चीनी का आयात ओ.जी.एल. के तहत रखा गया है।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिलों द्वारा देशी चीनी को रोका न जाए। खुली बिक्री चीनी के विक्रय और प्रेषण की पहले स्थित पाक्षिक आधार के स्थान पर अब साप्ताहिक आधार पर अनुबद्ध कर दिया गया है।

6. गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994 जारी कर दिया गया है जिससे गुड़ व्यापारियों द्वारा रोके गए स्टॉक पर, अधिकतम स्टॉक रखने की सीमाएं लागू हो गई हैं। यह गुड़ की सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। आशा है कि इससे चीनी मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

चीनी का उत्पादन

2126. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री सत्येदव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
डा. कृपासिंधु भोई :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री हरिन पाठक :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 1993-94 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी उत्पादन, 1992-93 मौसम में 106.09 लाख टन की तुलना में लगभग 98.12 लाख टन (अनंतिम) था। 1993-94 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में कमी का कारण गन्ने का गुड़ व खांडसारी क्षेत्रों की ओर अधिक झुकाव और मुख्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना/चीनी उत्पादन में कमी को माना जा सकता है।

(ग) और (घ). 1994-95 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए/शुरू किए हैं :-

(1) 1.10.1994 से 15.11.1994 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के लिए चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में जल्दी पेराई प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

(2) 1994-95 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) को बढ़ाकर 39.10 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़ा है बशर्ते उस स्तर से अधिक 10 प्रतिशत की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत पॉइंट बढ़ोत्तरी पर 0.46 रुपये का प्रीमियम और 10 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत पॉइंट बढ़ोत्तरी के लिए 0.60 रुपये का प्रीमियम हो।

(3) 1995-96 मौसम के लिए 42.50 रुपये प्रति क्विंटल के एस.एम.पी. की अग्रिम घोषणा भी कर दी गई है जो 9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़ा है तथा यह और अधिक प्राप्ति के लिए प्रीमियम पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आपरेशन फ्लड-तीन की समीक्षा

2127. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त समीक्षा मिशन ने देश में आपरेशन फ्लड-तीन परियोजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मिशन ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फ्लड-तीन परियोजना की समय-समय पर समीक्षा करते रहते हैं। की गई सिफारिशों का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अध्ययन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए उन पर अमल किया जाता है। विश्व बैंक समीक्षा मिशन ने दिनांक 24.10.94 से 17.11.94 तक परियोजना क्षेत्रों का दौरा किया। इस मिशन द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

1. मिशन ने संवितरण निष्पादन सहित परियोजना क्रियान्वयन तथा परियोजना प्रशासन की गति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रशंसा की।
2. परिसंघों को सुविधाओं का हस्तान्तरण तथा मूल्य-निर्धारण और भर्ती के मामले में उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परिसंघों से आग्रह करने का प्रयास करना चाहिए।
3. मिशन ने यूनियनों में निष्क्रिय अथवा बेकार पड़ी डेयरी सहकारी समितियों के पुनरूद्धार पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सदस्य के प्रति वचनबद्धता में वृद्धि के लिए सहकारी विकास कार्यक्रम को जारी रखने पर बल दिया।
4. विपणन सुविधाओं में भी साथ-साथ विस्तार किया जाना चाहिए तथा उपभोक्ता की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।

मक्खन और घी का उत्पादन

2128. **श्री एम. कृष्णास्वामी :**
श्री के.वी.आर. चौधरी :
श्री शरत पटनायक :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष 1994-95 में अब तक देश में मक्खन और घी की कुल मांग तथा उत्पादन कितना रहा है;

(ख) क्या देश इस संबंध में आत्मनिर्भर बन गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में मक्खन और घी की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मक्खन तथा घी की मांग के अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 1994-95 में (अक्तूबर, 1994 तक) सहकारी क्षेत्र में मक्खन तथा घी का कुल उत्पादन इस प्रकार है :-

उत्पादन (मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	घी	मक्खन
1991-92	34,263	18,619
1992-93	50,218	27,209
1993-94	53,274	24,866
1994-95 (अक्तूबर, 94 तक)	17,193	7,097

(ख) और (ग). माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1994 के दौरान देश में मक्खन तथा घी की कमी रही। कमी की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। सरकार को निकट भविष्य में इन उपभोज्य वस्तुओं की कमी की कोई आशंका नहीं है।

[हिन्दी]

सब्जियों का उत्पादन

2129. **श्री बलराज पासी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष सब्जियों का अनुमानतः कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष सब्जियों की अधिकांश मात्रा खराब हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सब्जियों को खराब होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में सब्जियों का अनुमानित वार्षिक औसतः उत्पादन 640.50 लाख मी. टन है।

(ख) सब्जियों की आरम्भिक हानि का आकलन करने के लिये कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। डा. एम.एस. स्वामीनाथन की नष्टवान कृषि जिसे (1981) शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार फलों तथा सब्जियों के अपर्याप्त तथा अवैज्ञानिक रख-रखाव के कारण कटाई पश्चात् की प्रावस्था में फल तथा सब्जियां 25-40 प्रतिशत तक नष्ट हो जाती है।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने 8वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से कटाई पश्चात् की आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने के लिए विस्तृत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके सब्जियों को नष्ट होने से बचाने के लिए उपाय किये हैं। इस कार्यक्रम में उत्पादन क्षेत्रों में ग्रेडिंग व पैकिंग केन्द्रों की स्थापना रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों प्रशीतन पूर्व एककों तथा शीतागारों सहित प्रशीतन कड़ी का

विकास, वैक्सिंग द्वारा स्टॉक करने की अवधि में सुधार करना आदि शामिल है। बोर्ड सब्जियों सहित बागवानी उत्पादों के लिये कटाई पश्चात् की आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिये सहकारी समितियों, कृषक संगठनों, सस्य-बागवानी निगमों, सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों जैसे संगठनों को भी सहायता दे रहा है।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों को चावल और मिट्टी के तेल का आवंटन

2130. श्री के. राममूर्ती टिंडीवनाम : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेष रूप से तमिलनाडु की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को विशेष रूप से वितरित किये जाने हेतु चावल और मिट्टी के तेल का अधिक आवंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इन वस्तुओं की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया; और

(ग) क्या जरूरतमंद लोगों को इन वस्तुओं की वास्तविक सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु कोई केंद्रीय निगरानी एजेंसी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) केंद्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल व मिट्टी के तेल सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जिलों/क्षेत्रों को आगे उप आवंटन, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ने तमिलनाडु को मार्च, 1994 से अप्रैल, 1995 तक चावल की प्रति महीना 29200 मी.टन अतिरिक्त मात्रा आवंटित की है। राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिन पर केंद्रीय सरकार द्वारा मासिक आवंटनों का निर्णय करने से पूर्व विचार किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को चावल तथा मिट्टी के तेल के किए गए आवंटन निम्नवत हैं :-

(हजार मी. टन में)

	चावल	मिट्टी का तेल
1992	828.01	656.32
1993	849.66	659.00
1994	1215.30	168.50
		(1994-95 के लिए)

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिसमें इस बात की अनुवीक्षा करने की जिम्मेदारी शामिल है कि क्या आपूर्ति वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से कोई केंद्रीय अनुवीक्षण अभिकरण नहीं है।

पुरातात्विक कांग्रेस का सम्मेलन

2131. डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे विश्व पुरातात्विक कांग्रेस का सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस कांग्रेस में किन-किन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I के अनुसार।

(ग) विवरण-II के अनुसार।

(घ) कांग्रेस ने अपने 14 अकादमिक सत्रों, संगोष्ठियों और सामान्य व्याख्यानों के जरिये लाभप्रद बौद्धिक परस्पर विचार-विमर्श प्राप्त किया।

विवरण-I

तृतीय विश्व पुरातात्विक कांग्रेस का आयोजन 4 से 11 दिसंबर, 1994 तक नई दिल्ली में किया गया था। इस कांग्रेस में पुरातत्वविदों, मानव विज्ञानियों, बहुभाषाविदों तथा विद्वानों ने अपने-अपने विषयों के 700 से भी अधिक पेपरों को 14 प्रमुख अकादमिक विषयों, 63 उप-विषयों पर तथा सात संगोष्ठियों में पढ़ा, जिन पर लाभदायक चर्चा हुई। इस समारोह ने विद्वानों को समस्त विश्व में हुई पुरातत्व संबंधी रोचक खोजों तथा क्षेत्रीय आंकड़ों की व्याख्या पर परस्पर विचार-विमर्श, चर्चा तथा अमूल्य जानकारी के आदान-प्रदान का अवसर दिया। पूर्ण अधिवेशन में तीन प्रस्तावों अर्थात्, विश्वदाय सूची में भीमबेटका शैलाश्रयों को सम्मिलित करना, सभी पुरातात्विक विभागों और संस्थाओं का अध्यक्ष पुरातत्वविदों को बनाना और अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर में स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए विकास की परिपुष्टि करना, जिसे चार्टर ऑफ वेनिस (वेनिस; मई, 1964) कहा जाता है तथा पुरातात्विक उत्खनन (जिसे यूनेस्को, नई दिल्ली के 9वें सत्र के जनरल कॉन्फ्रेस में अपनाया गया था) पर लागू अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर सिफारिश मौखिक वोट द्वारा सर्वसम्मति से पास किए गए थे। कांग्रेस की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ने

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डेकेन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल एवं पुरातत्व विभाग, हरियाणा सरकार के सहयोग से निम्नवार प्रदर्शनियां आयोजित कीं :-

1. भारत एवं सिन्धु सभ्यता, 2. सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण,

3. भारतीय मैगालिथ : एशियाई संदर्भ, 4. मानचित्र : भारत एवं विश्व।

विवरण-II

कांग्रेस में भाग लेने वाले देशों के नाम :-

अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, बुल्गेरिया, केमरून, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, फ्रेंच पोलीनाशिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हॉलैण्ड, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, आयरलैण्ड, इजराईल, इटली, जापान, कीनिया, कोरिया, लेबनॉन, मेडागास्कर, मेक्सिको, मोर्लेद्विव, मोजम्बीक, नामीबिया, नेपाल, न्यू केलिडोनिया, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया नार्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपिन्स, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, तजाकिस्तान, थाइलैण्ड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, उजबेकिस्तान वनुआतू, वेनेजुएला, युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे तथा पूर्व संयुक्त सोवियत गणराज्य के अन्य देश।

पटना विश्वविद्यालय

2132. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बछड़े

2133. **डा. पी.आर. गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में आज तक बछड़ों के संबंध में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों की फार्म-वार प्रजनन उपलब्धि और निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या रहे;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन बछड़ों का राज्यों में वितरण का आधार क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान बछड़ों का राज्यवार क्या वितरण रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुड़ (जैगरी)

2134. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में मदिरा के निर्माण हेतु गुड़ (जैगरी) का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) गुड़ (विनियमन और उपयोग) आदेश, 1968 के खण्ड 3 के अधीन शराब बनाने के लिए गुड़ का उपयोग करना निषेध है।

उर्वरक उद्योग को राजसहायता

2135. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग को तदर्थ राजसहायता का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). 1994-95 के दौरान कृषकों को फास्फेट तथा पोटाश युक्त विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने संबंधी योजना 10 जून, 1994 से चल रही है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत बिक्री संबंधी रिपोर्टों के आधार पर विनिर्माताओं/आयातकों को भुगतान किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार

2136. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देने के संबंध में हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों को संरक्षण देने का अनुरोध किया है। अल्पसंख्य शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित मामले इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेकों याचिकाओं के रूप में विचाराधीन हैं।

जनसंख्या पर सम्मेलन

2136(क). श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अक्तूबर, 1994 को "जनसंख्या एक संसाधन अथवा बोझ" विषय पर राजधानी में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई प्रमुख टिप्पणियों एवं किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम "राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन" के अंतर्गत 20 अक्तूबर, 1994 को जनसंख्या पर इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन परिषद के नियमित कार्यकलाप के एक भाग के रूप में स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने तथा उसे उनके दिलो-दिमाग में बैठाने के उद्देश्य से किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैटालिटिक कनवर्टर

2136(ख). श्री पी. कुमारासामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यावरण के प्रदूषण में पैट्रोल चलित वाहनों से निकलने वाले धुएं का मुख्य अंश होता है;

(ख) क्या ईंधन से निकलने वाले धुएं को पर्यावरण अनुकूल गैस में परिवर्तित करने में समर्थ कैटेलिटिक कन्वर्टर विकसित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर के प्रयोग को बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अमरीका, जर्मनी आदि जैसे बहुत से विकसित देशों में ऐसे कैटेलिटिक कन्वर्टर्स का विकास किया गया है जिनमें बिना सीसे वाले पैट्रोल का प्रयोग किया जाता है और वे उत्सर्जित धुएं को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करने में सक्षम हैं। विकसित देशों में विकसित कैटेलिटिक कन्वर्टर्स में पेलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं का प्रयोग कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है और उनका प्रयोग केवल सीसा-मुक्त पैट्रोल के साथ ही किया जा सकता है। दो किस्म के कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं-पहले ओक्सीडेशन कैटालिस्ट जो केवल, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोआक्साइड्स को गैर-हानिकारक उप-उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और दूसरे हैं थ्री वे कैटेलिस्ट कन्वर्टर्स जो नाइट्रोजन के आक्साइडों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। भारत के दो संगठन अर्थात नागपुर में स्थित नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और पुणे स्थित नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी गैर उत्कृष्ट धातु प्रौद्योगिकी पर आधारित कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के विकास में लगे हैं। दोनों की प्रौद्योगिकी परखाधीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार महानगरों में केवल वही कारें बेची जाएंगी जिनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर्स फिट किए गए हों। इन महानगरों में 1 अप्रैल, 1995 से कुछ चुनिन्दा स्थानों पर सीसा मुक्त पैट्रोल खुदरा दुकानों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

12.00 मध्यान्ह

(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इस सदन में हर सत्र में लगातार बैकवर्ड क्लासेज के नौजवानों के लिए पढ़ने-लिखने की जो सुविधा मिली है, उसके बारे में बार-बार सवाल उठाया गया और सरकार ने बार-बार इसपर सदन को आश्वस्त किया वह ओ.बी.सी. के स्टूडेंट्स को चांस में और एज में रिलैक्सेशन देगी। अभी जितनी तरह के आरक्षण की सुविधाएं हैं, चाहे ब्लाइंड लोगों के लिए हों, विकलांगों के लिए हों, सैनिकों के लिए हों या एस.सी. और एस.टी. के विद्यार्थियों के लिए हों, अकेले ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को इस

सुविधा को देने के लिए बार-बार मांग करने के बाद सरकार ने बार-बार एश्योर भी किया कि हम इसको जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन इसे नहीं किया गया।

16 दिसम्बर से यू.पी.एस.सी. की परिक्षाएं शुरू हो गई हैं लेकिन इस मामले में एश्योर करने के बाद आपने आज तक यह बात नहीं लागू की है। इस सम्बन्ध में एश्योरेंस कमेटी ने भी रिकमेण्ड किया और यहां एश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन आचार्य जी बैठे हैं, यहां उन्होंने भी इस मामले में काफी प्रयास किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी सदन के बाहर हजारों नौजवान बार-बार यहां आपके पास इस आवाज को लेकर आते हैं। सरकार ने उनको एक चीज की जो सुविधा दी है, अभी यू.पी.एस.सी. की परिक्षाएं हुई थीं उसमें एक भी विद्यार्थी को 27 परसेन्ट आरक्षण में नहीं लिया गया। यू.पी.एस. सी. के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि उसने अपनी लिस्ट को रिवाइज किया।

नौजवानों को इस परीक्षा में 4 महीने का मौका मिलता है लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको 4 महीने का मौका नहीं मिला और अब सिर्फ दो महीने का मौका मिलेगा। इस मामले में भी सरकार ने रिलैक्सेशन करने का काम नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 16 दिसम्बर से उनकी परिक्षाएं शुरू हुई हैं और इन परिक्षाओं को देखते हुए इस सवाल पर सरकार का आज तक का रवैया अपने वचन को और अपनी बात को पूरा करने का, हल करने का नहीं रहा है और सरकार इसको उलझाती रही है। यह इतनी छोटी सुविधा है कि जो सारी सुविधाऐं दी गई हैं, उनका इसके बाद कोई मतलब नहीं बैठता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आपने भी इनको आदेश दिया था कि यह मामला जस्टीफाइड है, इसको पूरा करना चाहिए लेकिन अभी तक सरकार ने इसपर कोई काम नहीं किया जबकि 16 तारीख को इनकी परीक्षा शुरू हो गई है।

कल मैंने आपके सामने चुनाव सुधार का सवाल उठाया था। मैं इस मामले को उठा नहीं रहा हूं। चुनाव सुधार के मामले में और किसी मामले में भी सरकार, चाहे वह यह संदर्भ हो या दूसरा संदर्भ हो, सरकार कभी भी, किसी तरह से भी फैसले के साथ किसी सवाल को हल नहीं करती है और सवाल को उलझाना चाहती है इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार क्या करना चाहती है? उन्हें यदि यह करना है तो इस बात को उन्हें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इसी पर मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब कुछ भी व्यवस्था में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अच्छा, फिर आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि एश्योरेंस के सम्बन्ध में मेरी बात है।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, यह परीक्षाएं 16 तारीख से प्रारम्भ हो गई हैं। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि यह 1990 से लागू हुआ है तो निश्चित रूप से इतनी छूट दी जायेगी। मेरी अभी कुछ दिन पहली मंत्री जी से बात हुई थी कि छूट नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय इंजीनियरिंग की पीरक्षाओं के फार्म भरे जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ए.आर.एस. वैज्ञानिकों की भर्ती होनी है। किसी के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनको तो मालूम ही है कि ए. आर.एस. वैज्ञानिकों की भर्ती में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 1995 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हो रही हैं। आई.आई.टी. में कोई आरक्षण नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान देकर तत्काल इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस सवाल पर कई बार सदन में हम लोगों को अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर दिया। इस प्रश्न पर हम लोग आपसे मिले थे और आपने पूरी हमदर्दी दिखायी, अपनी असमर्थता भी प्रकट की थी और कहा कि मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। हम इस बारे में प्रधान मंत्री जी से भी मिले। इस सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसका सम्बन्ध इस प्रश्न से हो।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे में मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसी बात हुई थी या नहीं?

श्री चन्द्रजीत यादव : विरोधी दल के नेता अटल जी बैठे हुए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते स्वयं विद्यार्थियों की इस मांग के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। मेरे बगल में एश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन आचार्य जी बैठे हुए हैं। इनकी कमेटी ने भी पूरी संसद की तरफ से अपनी सिफारिश में कहा कि इस बात को सरकार स्वीकार कर लागू करे। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम इसमें अपकी सहायता चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय की बात सरकार ने नहीं मानी, सारे दलों की एक राय को सरकार ने नहीं माना और स्वयं लिये गये निर्णय को सरकार ने नहीं माना। अपना दिया गया आश्वासन नहीं मानने पर कमेटी सरकार से कहे कि वह अपने आश्वासन को पूरा करे, ऐसा घोर अन्याय कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इस देश के 52 परसैंट पिछड़े वर्ग के युवकों और युवतियों के न्याय का प्रश्न है। जिन 15 श्रेणियों को आरक्षण दिया गया है, उनमें से 12 श्रेणियों को उम्र में 5 साल की छूट दी गई। ऐसे में शेष के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि चूंकि यह सरकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिये अब टालमटोल कर रही है। जनमत के दबाव में, संसद के दबाव में और

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार को यह करना पड़ा लेकिन सरकार का दिल इसको करने का नहीं है और वह इसे लागू नहीं करना चाहती है। 27 परसैंट आरक्षण प्रीलिमिनरी टैस्ट में भी लागू नहीं किया गया है। यहां डाक्टर कनोजिया जी बैठे हुए हैं। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं। यह दौड़-धूप करके चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मिले। तब जाकर 27 परसैंट आरक्षण प्रीलिमिनरी टैस्ट में लागू हुआ। इसके बाद कोई डायरैक्शन नहीं दिया गया।...**(व्यवधान)** पर्सोनल डिपार्टमैंट ने उसका विरोध किया था कि इसको इसमें लागू नहीं किया जाना चाहिये। मैं यू.पी.एस.सी के चेयरमैन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे मान लिया। सरकार पिछड़े वर्ग के युवकों और युवतियों को उम्र में 5 साल की छूट दे। इस वक्त जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसके समय को बढ़ा कर उनको उसमें सम्मिलित करके निर्णय ले ताकि उनके साथ न्याय हो सके।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, अभी शरद जी और यादव जी ने आयु छूट की जो बात उठायी, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र इसको लागू करे क्योंकि सरकार ने कई बार सदन में इसकी घोषणा की है। अगर 24 दिसंबर, 1994 तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तो उन्हें पांच वर्ष की छूट नहीं मिल सकेगी। ऐसे में वे विधायी दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी मांग है कि आप शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन इशू करें ताकि उन्हें अपना हक मिल सके। यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई यह समस्या वास्तव में ज्वलंत समस्या है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के समक्ष जो कि सिविल सेवा परीक्षा देने जा रहे हैं।

महोदय, मैं देखता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थी कड़कती ठंड में यहां दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह जाकर इस माननीय सभा के संसद सदस्यों के हस्ताक्षर एकत्रित कर रहे हैं। यदि प्रभारी मंत्री महोदय इस सम्बंध में सतर्क हैं तथा यदि मंत्री महोदय इन विद्यार्थियों के लिए कुछ कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। वे इस तरह से कष्ट क्यों उठायें? तो यह स्थिति है। मैं कार्मिक विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अन्य पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने, आयु में छूट देने तथा उनको इस परीक्षा में बैठने के अधिक अवसर देने सम्बंधी छूट प्रदान करने के लिए इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें। मैं समझता हूं कि अगर इस महीने की 24 तारीख तक यह अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई तो विद्यार्थी इस अवसर से वंचित रह जायेंगे। इसलिए 24 तारीख से पहले सरकार को, विशेष रूप से प्रभारी मंत्री जी को आगे आना चाहिए और उन विद्यार्थियों को आरक्षण देने, उम्र में छूट देने तथा परीक्षा में बैठने के अधिक अवसर देने तथा अंकों में भी छूट प्रदान करने के लिए उसे प्रकाशित करना चाहिए।

महोदय, मैं अन्य पिछड़ी जातियों के संबंध में बहुत चिन्तित हूं। मुझे विश्वास है कि यह सरकार उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए आगे आएगी।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा (मछली शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिव शरण वर्मा, सांसद, संसदीय क्षेत्र मछली शहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूं। मेरे अपने क्षेत्र में 33 केवी पावर हाउस स्वीकृत हुआ था, मेरे प्रयास द्वारा इसके लिए 58 लाख रुपए की धनराशि पूर्वांचल विकास निधि द्वारा आवंटित की गई थी। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने 31 अगस्त को एक जनसभा की और उसमें यह तय किया कि क्षेत्रीय सांसद ने उसको स्वीकृत करवाया है और उसका शिलान्यास यहीं करें। इसके लिए तारीख दो सितम्बर निश्चित की गई और दो सितम्बर को 15-20 हजार कार्यकर्ताओं के साथ मैंने शिलान्यास करने के लिए प्रस्थान किया। सौ मीटर आगे बढ़ने पर ही वहां के जिला अधिकारी...** और वहां के पुलिस अधीक्षक ** रामसिंह मीना, जो दोनों वहां पर मौजूद थे,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा : इन अधिकारियों ने संकेत देकर निर्देशित किया। वहा के ए.डी.एम. वित्त एवं राजस्व अधिकारियों ने संकेत दिया। एडिशनल पुलिस अधीक्षक, ..** निर्देशित करके, वहां बुरी तरह से लाठियों से मरवाया और पंगु कर दिया। लाठियों से पिटवाया और इसके बाद इन अधिकारियों ने भद्दी-भद्दी गालियां देकर मुझे अपमानित किया तथा सी.ओ. मछली शहरी ** सी.ओ. मॅडियाहूं.. ** हरिशंकर यादव, सी.ओ. बदलापुर, थानाध्यक्ष पंवारा..** थाना मुंगराबार-शाहपुर..** थानाध्यक्ष महाराजगंज...** थानाध्यक्ष-बदलापुर तथा थानाध्यक्ष...** द्वारा हम लोगों को बुरी तरह से मारा।

हम लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा लेकिन एस.पी. और डी. एम. ने तनिक भी खेद नहीं किया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर भी मेरे ऊपर लाठियां गिरती रहीं। **(व्यवधान)** **

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रह है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा : लगभग 100 व्यक्तियों को लाठियों से मार कर हाथ-पैर तोड़ डाले हैं। लोगों का चलना-फिरना कठिन था। ऐसे कई लोग पुलिस की हिरासत में सिविल अस्पताल में भर्ती थे। इसके अतिरिक्त अन्य सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं को लाठी की मार से गंभीर चोटें आई हैं। किसी भी घायल व्यक्ति की स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवाई गई। एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच पुलिस अधिकारियों ने अश्रु गैस छोड़ी तथा सैंकड़ों राउन्ड बन्दूक की फायरिंग की गई। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस ने ईंट-पत्थर भी फेंक कर घायल किया।.. .**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यदि आप वास्तव में राहत चाहते हैं तो कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय मुझे रिपोर्ट चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा : एक व्यक्ति ने मेरी नई जीप तथा बुलट साईकल नं. डी.एल. को तुड़वा कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने लोगों के घरों को लूटा तथा उनके घरों में घुसकर औरतों की इज्जत लूटी, जो घोर अत्याचार का प्रतीक है। सभी घायल कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करके जिले के अलग-अलग थानों में रखा गया। उनकी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवाई गई और न ही उनके लिए दवा की व्यवस्था की गई। लोगों ने स्वयं अपना इलाज करवाया। कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती किये गए। उनके हाथ-पैर बुरी तरह से तोड़ दिये गये हैं। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रत्येक कार्यकर्त्ता को पांच हजार रुपए की अनुग्रह धनराशि देना उचित होगा।

महोदय, मुझे तथा केसरी नाथ पाण्डेय, पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक गाड़ी में बैठाकर थाना मॅडियाहूं तथा कई थानों में हत्या करने के उद्देश्य से रात भर घुमाते रहे। मैंने रास्ते में कई बार अनुरोध किया कि मैं अस्वस्थ हूं। मेरा स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर दवा करवाई जाये। पीने का पानी मांगा तो नहीं दिया गया। यह कहा गया कि तुम लोगों को पेशाब पिलाएंगे। गिरफ्तारी के दिन सायं 4 बजे से दिनांक 3.4.94 को सायं 8 बजे तक पानी, चाय-नाश्ता तक नहीं दिया गया।...**(व्यवधान)** तत्पश्चात सी.ओ. सिटी जौनपुर, थाना जफराबाद आकर हम लोगों को गाड़ी में बिठाकर दीवानी कचहरी लाये। दीवानी कचहरी परिसर में ही एक पी.ए.सी. गाड़ी नं. यू.ए.जेड-9148 से पुलिस हिरासत में अन्य 26 लोगों को ले आयी थी जिनके हाथ-पैर तोड़ दिये गए थे। उन लोगों ने मुझे बतलाया कि वे 2/3.9.94 को लगभग 8.30 बजे रात अपने घरों में से पुलिस ने उनके घरों में घुसकर भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उन लोगों को बुरी तरह से मारकर हाथ-पैर तोड़ दिया है और घर के कीमती सामानों को लूट लिया है। मेरे तथा श्री केसरी नाथ पांडेय पूर्व विधायक के संबंध में पुलिस ने कोई भी कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। उस दिन 6 बजे शाम तक पुलिस ने हम लोगों को मुक्त नहीं किया। अंत मे सी.जे.एम. ने हम लोगों को पी.बी. बांड पर छोड़ा। तत्पश्चात मैंने जिला अस्पताल में जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मेडिकल प्रमाण-पत्र साथ में संलग्न है। थाना पुलिस सुजानगंज, जौनपुर ने हम 53 लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करके गंभीर दफाओं के अंतर्गत मुकदमा कायम किया है। उसकी सारी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं।...**(व्यवधान)** थाना पुलिस सुजानगंज, जौनपुर ने हम 53 लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करके गंभीर दफाओं के अंतर्गत मुकदमा कायम किया है।...**(व्यवधान)** कांग्रेस के घायल कार्यकर्ता अत्यंत परेशान हैं अभी तक सरकार द्वारा मुकदमा वापस नहीं किया गया। तत्काल मुकदमा वापस लिया जाये।... **(व्यवधान)** महोदय, यह लोक सभा की गरिमा का प्रश्न है। खेद तथा लज्जाजनक बात है कि इस गंभीर मामले पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं इस पर रिपोर्ट चाहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन के एक माननीय सदस्य की आपबीती हम लोगों ने सुनी है। उन पर जो गुजरी है वह अगर सही है और उस पर अविश्वास करने का मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता है। यह तो विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। आप रिपोर्ट मांग लें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैने तो कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसा आपने कहा है, लेकिन यह रूटीन तरह की रिपोर्ट से काम नहीं बनेगा। आप अगर चाहें तो मामला सीधा विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, बिहार का रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम जो कि एक ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटन स्थल है और यहां पर आवागमन को देखते हुए जी टी रोड का निर्माण किया गया था। यह रोड शहर के बीचों-बीच से गुजरता है और शहर की आबादी के काफी बढ़ जाने तथा प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में यहां पर पर्यटक आने के कारण हर एक-दो रोज के बाद यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी परसों मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि जी टी रोड पर बेदा से लेकर एस पी जैन कालेज तक ओवर-ब्रिज का निर्माण करवाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को काल के गाल से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह बात आपकी सूचना में लाना चाहूंगा कि इस देश के निर्धन वर्ग के लोग शराब पीने के आदी होते जा रहे हैं। शराब कई बुराइयों का मूल कारण है। यह आदमी को शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक पतन की ओर अग्रसर करती है। जब एक व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है, तो उसे अपने स्वास्थ्य, परिवार की भलाई तथा बच्चों की शिक्षा की कोई परवाह नहीं रहती और उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब में बह जाता है और अन्ततः उनके लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। शराब के प्रभाव में ही अनेक अपराध किए जाते हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने से ही होती हैं। एक शराबी व्यक्ति चोरी, हिंसा, अपराध और यहां तक कि हत्या भी बहुत आसानी से कर सकता है। शराब से अनेक प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। शराब से भावनात्मक परेशानियां, उदासी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और यहां तक कि कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। शराब की आदत न केवल समाज के दलित वर्ग के परिवारों को तबाह करती है बल्कि यह उनके निम्न स्वास्थ्य स्तर का भी मुख्य कारण है।

पहली बार नैल्लोर जिले के दिबागुन्टा गांव की महिलाओं ने शराब के प्रभावों के विरूद्ध एक व्यापक आन्दोलन चलाया और इस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। क्योंकि अन्ततः यही लोग शराब से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार को शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जोर डालने का निर्णय लिया। यह आन्दोलन पूरे राज्य में फैल गया और सरकार को उनकी उचित मांगों के सामने झुकना पड़ा। आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी सहित प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने यह वचन दिया था कि यदि वे सत्ता में आये तो वे पूर्ण मद्यनिषेध लागू करेंगे। आन्ध्र प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी उस राज्य की महिलाओं द्वारा आरम्भ किए गए व्यापक आन्दोलन का परिणाम है।

माननीय प्रधान मंत्री, जो कि आन्ध्र प्रदेश के एक गांव से हैं तथा शराब की उल्लिखित बुराइयों से अवगत हैं। उनसे मैं यह मांग करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में लिए गए इस निर्णय को आदर्श मानकर पूरे देश में पूर्ण नशाबंदी लागू करें। सरकार निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और पूर्ण ऐसे सामाजिक उपायों की दिशा में एक नशाबंदी महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस पूर्ण मद्यनिषेध के कारण राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए ताकि वे पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के लिए आगे आने वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : मैं निन्दा प्रस्ताव के बारे में अपना अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि मैंने खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कब प्राप्त हुआ? इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। मुझे इसे पढ़ना होगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आपको यह प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुआ है। मैंने कल प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं इसकी व्याख्या करने में अधिक समय नहीं लूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रस्ताव पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मेरे अनुमति देने से पहले आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह विशेषाधिकार प्रस्ताव है अथवा स्थगन प्रस्ताव है?

श्री जसवन्त सिंह : यह विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है यह निन्दा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे मेरे द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, इसे आपके द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी है। क्या मैं इसका संबद्ध भाग पढ़ूं? मैं भी यही तर्क दे रहा हूं कि इसे स्वीकृति क्यों मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी सूचनाओं पर मैं तर्क सुनने लगूं कि उन्हें स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए तो प्रश्नों के लिए मुझे 60,000 सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मुझे उन तर्कों को भी सुनना हो . इसलिए नियम यह कहते हैं कि ऐसे मामले स्वीकृति मिलने से पहले सभा में नहीं उठाए जाते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा। उसके लिए आपके पास समय है और आप बाद में आ सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में तर्क नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, मेरी स्वीकृति के बिना आप इसके लिए बहस कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, महोदय। मैं इसके लिए बहस नहीं कर रहा हूं। मैं इसे आपके समक्ष रख रहा हूं यदि आप मेरी बात सुनें..

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

श्री जसवन्त सिंह : यह वास्तविक कठिनाई है, जिसका हम सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कठिनाई है?

श्री जसवन्त सिंह : कठिनाई यह है कि आज की कार्य सूची में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए मेरे नाम के साथ दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने उसके लिए सूचना दी है।

जसवन्त सिंह : मैंने एक विशेष मंत्री के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव के लिए भी सूचना दी है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा पूर्णतः जिम्मेवार पाए गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री यहां आकर कहते हैं कि मैं मंत्री महोदय को दोष मुक्त करता हूं चूंकि इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। आप कृपया इस बात को समझिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय देने जा रहा हूं। आप उस समय यही बात कह सकते हैं। अन्य सदस्य भी हैं जिनको हमने अभी तक वे मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दी है जो कि वे उठाना चाहते थे और अब शायद उन्हें यह मुद्दे उठाने का समय भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह सत्र अब समाप्त हो रहा है। यदि आप अब बोल रहे हैं, आपने कल भी बोल लिया है और आप आज भी बोलने जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक सदस्य को तीन बार बोलने की अनुमति दी गई है और अन्य सदस्यों को एक बार भी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपकी इस बात का सम्मान करता हूं। मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सहयोग दीजिए। कृपया अपना सहयोग दीजिए। यदि आप चाहें तो जब आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मुझे एक बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी, आप हमेशा सहयोग देते हैं, आज भी आपको अपना सहयोग देना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस चीनी वाले मामले पर बहस का समय तय क्यों नही करते हैं? आज के एजेंडा में यह विषय सबसे आखिर में दिया गया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन मामलों को सामान्यतः 4.00 म.पू. पर लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा सुझाव है कि इस पर भरपूर समय मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि आप लंच के बाद इसको लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम देर रात तक भी बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। आपने अच्छी बात कही है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि "हम वाद-विवाद" शुरू कर सकते हैं। कल जिन सदस्यों ने इसका अध्ययन किया था, उन्हें वाद-विवाद शुरू कर लेना चाहिए था। यदि आप चाहते, तो मैं कल वाद-विवाद की अनुमति देने के लिए तैयार था। लेकिन इस बात पर कोई सहमति नहीं हुई। इसीलिए हमने इसे कल नहीं लिया। आज भी सभा के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य बजट पारित करना है। आप इसे पारित करके तत्काल इस पर चर्चा आरंभ कीजिए। इसमें कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह जरूरी भी नहीं है। अनुपूरक बजट को अगले सत्र में लिया जा सकता है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि सभा को इस तरह से काम करना चाहिए कि बजट पारित करने की भी अनुमति नहीं दी जाए, तो आपकी मर्जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बजट के लिए आप रात का समय रखिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक बजट के बाद पांच मिनट के अन्दर इसे लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : क्या चीनी घोटाला महत्वपूर्ण नहीं है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, यदि मैं आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करूं तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, मैं वास्तव में यह चाहता हूं कि उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिले। मैं समझता हूं कि आप इसे तत्काल शुरू कर सकते हैं। अब यह बजट का मामला है और यदि आप सोचते हैं कि यह सभा बजट पारित न करे तो आपकी मर्जी। मैं ये आप पर छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : कल हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि सरकारी कार्य पहले लिया जाना चाहिए। आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में हम सबने यह निर्णय लिया था कि कल हमें सारे कार्यों को पारित करना चाहिए और आज इस चर्चा को लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम सहमत हुए थे लेकिन सदस्यों के अपने विचार हैं और नेताओं को अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, अतः आपको उनकी कठिनाई भी समझनी चाहिए।

12.30 म.प.

मतदाताओं को फोटो परिचय-पत्र जारी करने के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इस सैशन के केवल तीन दिन बचे हैं। इस 23 तारीख को सत्र समाप्त होने वाला है और जो सबसे बड़ा मुद्दा, जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का है जिसे हम लोगों ने कल उठाया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। दूसरा जो फोटो-पहचान पत्र का मामला है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी डेट बांध दी है। उसके बाद चुनाव नहीं कराये जायेंगे। हम लोग फरवरी में फिर मिलेंगे, उसके पहले यदि चुनाव आयोग का वीटो चल गया तो चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है। श्री सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्तजी और हम लोग कल प्रधान मंत्री से मिले थे। उनसे आग्रह किया था कि आप इसी सत्र में जिन मुद्दों पर सब दलों की सहमति है उनको पास कराने का काम करें। मैंने कल भी कहा था कि चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना होता है, चुनाव रोकना नहीं होता है। चुनाव आयोग कुछ मामलों में अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक्सपैंडिचर की बात है। अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चुनावों में उसने बहुत अच्छा काम किया, हम सब लोग उससे सहमत हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर वह अपनी सीमा से बाहर जाने का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से निश्चित रूप से पहचान पत्र के सवाल पर कुछ कहना चाहिए। मैं भारत सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि उसकी नीयत यह है कि फोटो पहचान पत्र के मामले में समय लैप्स हो जाये और बिहार तथा उड़ीसा में वह राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, जहां जनता दल की सरकारें हैं और लालू प्रसाद यादव तथा बीजू पटनायक को हटाकर अपने नुमाइंदे वहां बिठाकर फिर चुनाव कराये।

अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के तीन दिन शेष हैं। सरकार सदन में अभी घोषणा करे कि इसी सत्र में विधेयक लाकर संशोधित विधेयक को पास कराये। यहीं मैं आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं। आप इस सदन के संरक्षक हैं। यदि किसी तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो..

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दिया और आप मेरे कंधों पर सब कुछ रख रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम आपके माध्यम से सरकार से कह रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : हमें भी इस पर कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से भी बोले हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।...(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सोमनाथ जी के बाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कहने की आवश्यता नहीं कि किसी संसदीय लोकतंत्र में चुनाव उसका मर्म होता है। महोदय, एक व्यक्ति चाहे कितना भी सदाचारी क्यों न हो, वह पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं कर सकता। अतः, यह प्रश्न कि क्या एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही सदाचारी क्यों न हो— इस समय मैं संदेह और विवादों के मामले में नहीं जा रहा हूं— इस देश में चुनाव न कराने का निर्णय ले सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा कि सरकार पीछे क्यों हट रही है। सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया था। तथापि, यह पारित नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बार-बार यह कह रही है कि वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। वह एक विधेयक लायी। महोदय, अब नये नियमों के अन्तर्गत यह स्थाई समिति को भेजा गया। समिति ने विधेयक की मूल बातों को स्वीकार कर लिया है। शायद एक या दो सुझाव भी दिए गए हैं। इस सत्र के अब केवल तीन दिन शेष रह गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि इसे पारित कराने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। विधि मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने विधेयक को पढ़ा भी नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कल कहा था कि यह आज मंत्रिमण्डल के समक्ष आएगा। सरकार यह आश्वासन क्यों नही देती है कि यह कल की सूची में होगा? इसे पारित किया जाना है। महोदय, यह सत्र अगले सप्ताह नहीं होगा। क्या सरकार अध्यादेश के द्वारा यह करने जा रही है? वह सभा को विश्वास में क्यों नहीं लेते और हमसे क्यों नहीं कहते हैं? इस पर अधिक समय नहीं लगेगा। हम मानते हैं कि जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें इस पर चर्चा करने और वाद-विवाद में भाग लेने की जरूरत नहीं है। कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस देश में संसदीय लोकतंत्र के हित में इस मामले को सरकार के साथ उठाइए। सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए, अन्यथा बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों के कारण पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को नष्ट करने में लगा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

मैं सरकार से विधायक लाने का आग्रह करता हूं। सभा में यह आश्वासन दिया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : मैं सभी सहयोगियों से सहमत हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया रूकनी नहीं चाहिए और जहां तक मैं समझता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त ने

कहा है कि यदि पहचान-पत्र नहीं दिए जाते हैं तो राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। इस वक्तव्य के बावजूद उन्होंने चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। इस तरह के वक्तव्य दिए जाने पर उड़ीसा और बिहार, जो इस बात के लिए राजी नहीं थे, उन्होंने भी पहचान-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतः, मुझे कोई आशंका नहीं है कि किसी भी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया ठप्प होने जा रही है। विधेयक को जिस प्रकार पारित करने का प्रस्ताव है उसपर कड़ी आपत्तियां हैं क्योंकि मेरा मानना है कि निर्वाचन आयुक्त को संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं और इन शक्तियों को किसी साधारण कानून से सीमित नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले एक प्रयास किया गया था, जो न्यायालय में खारिज हो गया था। सरकार को ऐसा ही कोई दूसरा कानून पारित करना ठीक नहीं होगा जिसे न्यायपालिका में चुनौती की गई थी और जो खारिज हो गया था। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि सरकार इस सभा के प्रति वचनबद्ध है क्योंकि पहले कुछ पत्राचार हुए हैं, दो संवैधानिक संस्थाओं, सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच पूरी तरह से संवादहीनता की स्थिति बन गई है, ऐसा लगता है कि पिछले दो-तीन महीनों के दौरान इनके बीच स्थिति काफी अप्रिय रही है। समाचार पत्रों से ऐसा पता चलता है कि पिछले दो महीनों के दौरान इनके बीच संवाद अच्छे हुए हैं। इनका नतीजा क्या निकला और क्या सरकार अभी एक ऐसा कानून पारित कराने की इच्छुक है जिसे खारिज कर दिया जाए या इसके कुछ प्रावधानों को न्यायालय खारिज कर दे। जैसा कि मेरे सहयोगी यहां पर मांग कर रहे हैं या क्या यह सुनिश्चित है कि पांच वर्ष पूरे होने पर निर्धारित समय पर चुनाव होंगे? यदि सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि वैसी मांग नहीं की जानी चाहिए जैसी आज की जा रही है। यह मेरा प्रश्न है। अतः, सरकार को सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कल का वक्तव्य संतोषजनक नहीं था, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि "मैंने विधि मंत्रालय से पूछताछ की है। विधि मंत्रालय ने मुझे अभी यह उत्तर देना है कि उसकी राय क्या है।" हमें विधि मंत्रालय की राय से कुछ लेना-देना नहीं है। अब, यह विशेष विधेयक आपके उल्लेख पर गृह मंत्रालय की गृह एवं विधाई कार्य संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था और उसने उस विशेष विधेयक पर अपनी राय दे दी है। अब, सभा उस विधेयक पर विचार करेगी जैसा कि गृह मंत्रालय की समिति का प्रस्ताव है लेकिन यह बात अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है।

श्री राम विलास पासवान : सरकार कहां है?

श्री मुकुल वासनिक : संसदीय कार्य मंत्री ने कल भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्थाई समिति, जिसने इस पर विस्तार से गौर किया है, से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद...(व्यवधान)

जी, हां। मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद-महोदय, रिपोर्ट केवल तीन-चार दिन पहले ही प्राप्त हुई है। स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि मंत्रिमण्डल को कुछ परिवर्तनों पर, जो स्थाई समिति ने सुझाये हैं, निर्णय लेना है और केवल उसके बाद ही हम सभा के समक्ष आ सकेंगे और यह बता सकेंगे कि क्या किया जाएगा और कब किया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री ने हमसे कल कहा था कि इसे आज मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा। आप इसे कब ला रहे हैं? आपको तारीख बतानी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कल हम में से कुछ लोग जब प्रधान मंत्री से मिले, यद्यपि यह एक बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी, क्योंकि हमें भी जाना था और उन्हें भी किसी दूसरे काम से जाना था। महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, उस समय उन्होंने कहा था कि कोई कठिनाई नहीं है लेकिन हमें इसे मंत्रिमण्डल को भेजने की तकनीकी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि "मैं इसे मंत्रिमण्डल को भेजूंगा, मंत्रिमण्डल, इसे मंजूरी देगा और फिर हम इसपर आगे विचार कर सकते हैं। निःसन्देह, विधि मंत्रि कह रहे थे कि उन्हें इसे फिर से देखना होगा, उन्होंने इसे देखा नहीं है आदि। प्रधान मंत्री जी की बात से मैं यह समझ पाया हूं, जैसा कि आज समाचार पत्रों में भी छपा है, कि सरकार का विचार इस विधेयक को इसी सत्र में लाने का है। इसे मंत्रिमण्डल को भेजना केवल एक तकनीकी मामला है। अतः हम समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : केवल इतना ही नहीं है। मेरे सहयोगी की तरह, मैं भी इस बात से चिन्तित हूं कि हर एक विधान सभा को पांच वर्ष के लिए चुने जाने का जो संवैधानिक प्रावधान है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं इस विधेयक से चिन्नित नहीं हूं क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है कि इस विधेयक के प्रावधान विशेष, जिसमें कहा गया है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना पहचान-पत्रों के संबंध में कोई निर्देश जारी किया है तो वह निर्देश रद्द हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा।

मैं कहता हूं कि वह उपबंध विशेष स्वयंमेव ही अवैध है। इसे निरस्त कर दिया जाएगा। अतः, हमने इसको बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया है तथा अगर यह विशिष्ट विधेयक लाया जाता है, तो मेरी पार्टी इस उपबंध विशेष का कड़ा विरोध करेगी।

लेकिन, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सभी पांच राज्यों में किसी तरह से चुनाव हो जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कैसे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूं कि कुछ राज्यों में 70 प्रतिशत, कुछ में 80 प्रतिशत तथा कुछ में शायद 25 प्रतिशत तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन पहचान-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, जोकि अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अगर कार्ड नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इसके कारण अगर किसी का आइडेन्टिटी कार्ड नहीं बना है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : एक दिन में 10 आदमियों से ज्यादा के कार्ड नहीं बन रहे हैं। खाली फोटो लगाने से तो काम नहीं चलेगा, फोटो को सर्टिफाइड भी करना पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे विचार से मेरे एवं श्री पासवान जी के मध्य जिस तरह की चर्चा हो रही है, वह उचित नहीं है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में चुनाव समय पर हों तथा इस प्रयोजन से यह विशिष्ट कानून अपने आप में ही अहितकर है। यह एक ऐसा प्रावधान है, जो कि स्वयं में ही बुरा है। अतः, ऐसी गलती मत कीजिये। लेकिन चुनाव कराना तथा संविधान के कार्यकरण को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।... **(व्यवधान)** ऐसा किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा कब करनी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्हें बताने दीजिये। **(व्यवधान)** मेरी स्वयं यह धारणा है कि इस उपबंध विशेष को पारित करने के बाद भी, संवैधानिक-कानून के माध्यम से चुनाव आयुक्त को अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा कानून विद्यमान है। इसे इसके द्वारा अवैध करने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा जो अवैध करने की मांग की गई है वह तो कुछ और ही है।...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : इस संबंध में मैं एक तरीका सुझाना चाहता हूं। कृपया मुझे एक विचार के लिए बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन अथवा चार राज्यों के संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तारीखें जारी की जा चुकी हैं। क्या आपका यही सुझाव है कि इसी वजह से उनके लिए अब यह सम्भव नहीं है कि अब इसे वापस लें?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। इससे केवल उनकी मंशा का संकेत मिलता है। वह जानते थे कि इन राज्यों में कोई पहचान-पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, अभी तक नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अभी तक नहीं तथा कुछ राज्यों में यह कार्य केवल 25 प्रतिशत अथवा इसके आस-पास तक हुआ है और पूरे प्रयासों एवं पूरी इच्छा होने के बावजूद भी यह कार्य पूरा होने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने यह सारणी तैयार करके इसकी घोषणा कर दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके बावजूद भी पहले से दिये गये वक्तव्य के बावजूद, जोकि सम्भवतः प्रेरित करने का इरादा था...यह मुझे विदित नहीं। सरकार को ही इस संबंध में कुछ कहने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री आडवाणी जी, किसमें से ऐसा कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप चुनाव-आयोग के अधिकार-क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चुनाव-आयोग के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

डेढ़ साल से यह नहीं हुआ है तो इसका दोष राज्य सरकारों का है और यह 25 पर्सेंट भी नहीं होता अगर इलेक्शन कमीशन ने यह स्टैण्ड नहीं लिया होता। यह अच्छा हुआ है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका यह कहना है कि आइडेन्टिटी कार्ड किसी को मिल जाए तो वह वोट देगा, उसको अधिकार है। जिसको नहीं मिलेगा उसको भी अधिकार है। इसका इन्टरप्रेटेशन किसने किया?

[अनुवाद]

यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की व्याख्या नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या भारतीय संसद एक ही व्यक्ति की कृपालुता पर आश्रित है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो फिर, वह क्या कह रहे थे? चुनाव कराना एक संवैधानिक कार्य है। हम तो मूक दर्शक हैं तथा हमें एक व्यक्ति के निर्णय की प्रतीक्षा करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं सरकार से पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन ने यह बात बहुत साफ कह दी है, आडवाणी जी का यह तर्क सही नहीं है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का एक कार्यक्रम बना दिया है इसलिए उनका इरादा इलेक्शन कराने का नहीं है यह तर्क सही नहीं है। क्योंकि उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि यह कार्यक्रम चुनाव का बन रहा है लेकिन 15 जनवरी से पहले अगर आइडेन्टिटी कार्ड नहीं बनेंगे तो चुनाव नहीं होंगे। इसका अर्थ यह है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव रोक सकता है। जो प्रजातंत्र के सर्वमान्य सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरी कठिनाई हमारे सामने यह है कि पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि इलेक्शन कमीशन का आदेश सर्वोपरि होगा। उसमें कहा गया है कि अगर आइडेन्टिटी काड्र्स नहीं बनेंगे तो इलेक्शन कमीशन चुनावों को रोक सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। यहां मंत्री जी खाली बिल के बारे में कह रहे हैं। मैं यहां सरकार की ओर से एश्योरैंस चाहता हूं। मंत्री जी यहां कहें कि जिन विधान सभाओं का कार्यकाल 5 साल हो चुका है, उनके चुनाव समय

से होंगे और चुनावों को किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा। यह बात मंत्री जी को सदन स्थगित होने से पहले कहनी चाहिये।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इस प्वाइंट के खत्म होने के बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन कोई एक व्यक्ति नहीं है यह एक संवैधानिक प्राधिकारी है, इसलिये सदन में इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का उल्लेख करना, मैं समझता हूं कि प्रोप्राइटी के अनुसार नहीं हैं।

जहां तक आइडैन्टिटी काड्र्स का संबंध है, मैं यहां महाराष्ट्र से आता हूं और आप भी महाराष्ट्र से आते हैं।

श्री शरद यादव : उनका कहना है कि मैं अलाउ नहीं कर सकता, इसको आप समझ लीजिये। हिन्दुस्तान में जो लोगों के डैमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको रोका जा रहा है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। उन राइट्स को नहीं रोका जाना चाहिये।

श्री राम नाईक : श्री शरद यादव जी की राय से मैं सहमत हूं लेकिन उसके साथ-साथ, मैं यहां महाराष्ट्र से आता हूं और आप भी महाराष्ट्र से हैं, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में 80 परसेंट लोगों को आईडैन्टिटी काड्र्स ईश्यू कर दिये गये हैं। गुजरात में भी काम हुआ है लेकिन कोई प्रदेश चुनावों में बोगस वोटिंग को रोकने की दृष्टि से आईडैन्टिटी काड्र्स का जो उपयोग है, उसके बारे में यदि ऐसा कहे कि हम होने नहीं देंगे और आईडैन्टिटी काड्र्स के प्रोसैस में कुछ औब्सट्रक्शन्स लायेंगे, वह ठीक नहीं है। बिहार में क्यों ऐसी स्थिति आ सकती है...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : बिहार में आईडैन्टिटी काड्र्स बन रहे हैं लेकिन उस समय तक यदि सभी काड्र्स न बन पाये, तो चुनावों को नहीं रोका जायेगा, हम यह चाहते हैं।

श्री राम नाईक : यदि कोई बात महाराष्ट्र में हो सकती है, गुजरात में हो गयी है, बिहार में 30 परसेंट लोगों के काड्र्स बन चुके हैं, इसका मतलब है कि इलैक्शन सुधार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन को उसके अधिकारों के अनुसार काम करने देना चाहिये क्योंकि बोगस वोटिंग रोकने के लिए ही आईडैन्टिटी काड्र्स की व्यवस्था की गई है, उसे तो बल देना चाहिये और इस तरह ही भूमिका हमें अपनी रखनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आडवानी जी ने कहा है, उसमें एक समस्या है। यह समस्या अत्यंत साधारण है। उनका मानना है कि चुनाव आयोग है...** मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि चूंकि वह एक संवैधानिक प्राधिकारी है, जैसा कि श्री राम नाईक जी ने बताया है... **(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें एक सीमा लगानी चाहिये ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे सहयोग दीजिये। उनके वक्तव्य का कोई अन्य अर्थ नहीं है। क्या उनके वक्तव्य का अन्य कोई अर्थ है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपत्तिजनक हिस्से को कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कौन-सा? मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ यही सुझाव दिया है कि ऐसे कथन के बावजूद कि पहचान-पत्रों के बिना कोई चुनाव नहीं होंगे, सच तो यह है कि तिथियों के बारे में कुछ घोषणा हुई है तथा इससे यह संकेत मिलता है कि पहचान-पत्रों के बिना भी चुनाव हो सकते हैं। यदि एक संवैधानिक प्राधिकारी के व्यवहार के बारे में यही धारणा है, तो फिर समस्या यह है कि उनके द्वारा कहे गये शब्दों को समझा जाए, किसी अन्य बात को न समझा जाए। अतः मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री आडवाणी जी की जो राय है, वह दोषपूर्ण एवं अधूरी है तथा उसका इस सभा में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये... **(व्यवधान)**। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इससे संवैधानिक प्राधिकारी की निष्ठा पर आशंका उत्पन्न होती है। अतः उनके वक्तव्य को वापिस लिया जाना चाहिये, न कि मेरे वक्तव्य को।

दूसरी बात यह है कि वे वास्तव में ही वाक्छल कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने यह पाया है कि वे वास्तव में ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं सिक्किम के चुनाव-परिणामों से भयभीत हैं तथा वे भरसक कोशिश करेंगे कि बिहार अथवा उड़ीसा अथवा यहां तक कि महाराष्ट्र में भी वैसे चुनाव-परिणाम न आयें। अतः, कोशिश यही होगी- यदि वे चुनाव-आयोग के साथ कोई समझौता करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि श्री आडवाणी जी सुझाव दे रहे हैं कि वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं- कि इन क्षेत्रों में चुनाव करवाना कैसे रोका जाये? अतः हमारी मंशा है कि सत्ता-पक्ष एवं हमारे वन्डरफुल संसदीय कार्य मंत्री, श्री शुक्ल तत्काल यह सुस्पष्ट आश्वासन दें कि इस विषय पर इसी सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह अध्ययन करना पड़ेगा कि "वन्डरफुल मिनिस्टर" संसदीय है अथवा नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अतः हम उनसे इस बारे में उत्तर चाहते हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, सम्भवतः निर्वाचन आयुक्त का इरादा चुनाव कराने का है क्योंकि इस बारे में घोषणा भी की गई है। लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जब इन चार राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई, तो निर्वाचन आयोग

ने कहा कि ऐसा तभी सम्भव है बशर्ते कि 15 जनवरी, 1995 तक पहचान-पत्र उपलब्ध हो जायें।

निर्वाचन आयुक्त ने जब इन राज्यों में चुनाव कराने की तिथियां घोषित की थीं, तो उसके साथ-साथ यह घोषणा भी की थी। माननीय श्री राम नाईक का कहना है कि बिहार एवं उड़ीसा में पहचान-पत्र नहीं दिये गये हैं। हाल ही में, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बिना पहचान-पत्रों के चुनाव करवाये गए हैं। क्या वे चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए थे? क्या दो महीने बाद यह निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी?

अतः, हमें यह आंशका है कि आप उन राज्यों में चुनाव करवा रहे हैं अथवा नहीं। यही प्रमुख मुद्दा है और यदि सरकार स्पष्ट रूप से यह कहने को तैयार नहीं है कि हां, वहां चुनाव होंगे तथा यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह कहना है कि नहीं, कोई चुनाव नहीं होंगे, तो सरकार का क्या रवैया होगा? इसीलिए हम चिन्तित हैं। चुनावों की तिथियां घोषित करते समय चुनाव आयोग की घोषणा की तुलना में सरकार का रवैया वास्तव में क्या है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस पाइंट पर मेरे दोस्त बिल लाना चाहते हैं वह सिर्फ एक स्टेट से संबंधित है क्योंकि यह डिमांड सिर्फ एक स्टेट की है। मैं आडवाणी जी और श्री कापसे जी से बिलकुल एग्री करता हूं कि जिस डायरैक्शन को सारा हिन्दुस्तान मान रहा है और सिर्फ एक स्टेट रिलक्टेट है, उनको मदद करने के लिए इस पार्लियामेंट का सहारा लिया जाए, यह कोई वजन वाली बात नहीं है। मैं इसका बिलकुल विरोध करता हूं। यदि यह बिल नहीं बनेगा, तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट एक बिल लाई थी जिसमें एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर की जगह तीन इलैक्शन कमिश्नर बनाने तथा उनका स्टेटस इक्वल करने की बात कही गई थी। उस बिल को जिन्होंने अपोज किया और एक ही चीफ इलैक्शन कमिश्नर को जिन्होंने माना है, अब उनको उसकी इस अथौरिटी को भी मानना चाहिए कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के वोट नहीं डाले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जिस कानून को सारे राज्य मान रहे हैं और सिर्फ एक राज्य नहीं मान रहा है और उसके लिए एक अलग कानून बनाया जाए, मैं इसे मैलाफाइड मानता हूं। किसी एक स्टेट के लिए इस प्रकार का कानून नहीं बन सकता है। यह आइडेंटिटी कार्ड की बात पहली बार नहीं हुई है। अनेक बार यहां पर हो चुकी है और पिछले कई सालों से चल रही है। इसको बनाने का काम सभी स्टेटों ने शुरू कर दिया है और इस कार्य के लिए भारत सरकार ने 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देना भी मान लिया है। जब सभी स्टेट कर रही हैं, तो फिर एक स्टेट क्यों नहीं कर रही है? हम इस प्रपोजल के साथ बिलकुल सहमत नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक की अन्तर्वस्तु पर बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं केवल इससे संबंधित एक तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। वह तथ्य यह है कि पहचान पत्र जारी करने का अधिकार, निर्वाचन आयोग का नैसर्गिक अधिकार नहीं है। विद्यमान कानून के अन्तर्गत यह अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है। केन्द्र सरकार ने नियम बनाकर यह अधिकार निर्वाचन आयोग को सौंपा है। अतः, कानून में संशोधन किये बिना भी, केन्द्र सरकार यह अधिकार अपने पास रख सकती है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस सदन में पारित करने हेतु उसे विधेयक के रूप में पेश किया है ताकि ऐसी योजनाओं में कोई संदिग्धता न रह जाये। अतः यह कहना उचित नहीं है कि निर्वाचन आयोग के अधिकार की कटौती की जा रही है। मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि श्री आडवाणी जी ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं होगा, उनको भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। फिर इस पहचान-पत्र का क्या मतलब है? यदि आप पहचान-पत्र को लेकर सचमुच गंभीर हैं? तो आपको यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के पास पहचान-पत्र नहीं होगा, तो वह मतदान नहीं कर सकता है और ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा।

फिर, इस पहचान-पत्र को बहु-उद्देशीय पहचान पत्र होना चाहिए। अब, नागरिकों को नोटिस दिया गया है कि वे अपने जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें और उनसे कहा गया है कि वे यह प्रमाणित करें कि वे इस देश के नागरिक हैं। हम इसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? मैं मांग करता हूं कि देश के सभी नागरिकों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। यह कौन देगा? यदि हम नागरिकता प्रमाण पत्र देने का निर्णय लेते हैं, तो अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र क्यों? क्या हमारा देश अपव्यय करने वाला देश है? क्या हम सब एक साथ बैठकर यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि बहु-उद्देशीय पहचान-पत्र के रूप में पहचान-पत्र दिया जाये? यह हर कार्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। यही वास्तविक समस्या है जिसका समाधान करना होगा।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में संभवतः कुछ ही माननीय सदस्यों को पता होगा और इससे सम्पूर्ण समस्या का समाधान हो सकता है।

जहां तक विधेयक को लाने का संबंध है, यह एक बहुत ही गंभीर और जटिल मामला है क्योंकि, समिति जिसकी रिपोर्ट इस सदन में और ऊपरी सदन के सभा पटल पर रखी गयी है, ने कहा है कि हमें संशोधन द्वारा धर्म को परिभाषित करना होगा और ऐसा बहुत कुछ करना होगा। ऐसा करना दो-तीन दिनों में संभव होगा। लेकिन जहां तक पहचान-पत्र की समस्या का संबंध है, प्रथमतः जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है, यह राज्यों का कर्तव्य है कि इस पर ध्यान

दें और आवश्यक कार्रवाई करें। पहचान-पत्र जारी करने का अधिकार किसी प्रशासनिक अधिसूचना अथवा संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत, निर्वाचन आयोग को नहीं दिया गया है। ऐसा, वर्ष 1961 में संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उस धारा के अनुसार, नियम 58 बनाया गया था जो मतदाताओं को पहचान पत्र प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह एक बहुत ही गहन कानूनी मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ भी गहन नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : कृपया धीरज रखिये। आप एक बैरिस्टर हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं।

महोदय, किसी प्रत्यायोजित विधान अथवा अधीनस्थ विधान के मामले में, नियम केवल प्रत्यायोजित विधान के रूप में मौजूद हैं और सरकार को कानून के अन्तर्गत किसी भी नियम को दोहराने, वापस लेने, तैयार करने अथवा उसमें संशोधन करने का सदैव अधिकार प्राप्त है। यदि उसमें कोई समस्या हो, तो सरकार अधिसूचना जारी करके कभी भी नियम 58 को वापस ले सकती है और समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि विधि मंत्री इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम उनसे इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार की रूकावट अथवा बाधा नहीं है। अतः, यह बहुत ही साधारण सी बात है कि यदि अन्तिम क्षणों में उनको लगता है कि पहचान-पत्रों की वजह से समस्या खड़ी हो रही है, तो भारत सरकार प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों के अन्तर्गत राजपत्र अधिसूचना जारी करके नियम 58 को वापस ले सकती है और तब ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका आज सामना किया जा रहा है। अतः, हमें लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसे विवादास्पद विधान को लाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिसमें अध्यक्ष महोदय जी, कई ऐसी बातें हैं जो विवादास्पद हैं। अतः, सरकार द्वारा नियम 58 को वापस लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राम नाईक साहब ने कहा कि बिहार पूरी तरह से सम्पूर्ण रूप से चुनाव सुधार से सहमत है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान व्यावहारिक पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। स्थिति यह है कि आप 30 प्रतिशत की बात कर रहे हैं जबकि अभी 15 लाख खेतिहर मजदूर बिहार से बाहर काम करने गये हुए हैं और बाकी खेती में धान काटने के काम में लगे हुए हैं। जो मजदूर रोजगार के अभाव में बिहार से बाहर, आसाम में, दिल्ली में, पंजाब में या हरियाणा में गये हैं तो क्या उन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा?

1.00 म.प.

चुनाव आयुक्त का आदेश है कि 15 जनवरी तक यदि फोटो पहचान पत्र तैयार नहीं होते तो चुनाव नहीं किए जाएंगे।... **(व्यवधान)** मैं मानता हूं कि लोढा जी ने संवैधानिक संस्था की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद पर हैं लेकिन क्या उन्हें चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने का अधिकार है? किसी भी नागरिक को मताधिकार से किसी भी कीमत पर वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। इसलिए बिहार और उड़ीसा भी फोटो पहचान-पत्र से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। नहीं तो 15 लाख खेतिहर मजदूरों को बिहार भेजा जाए। एक एक मजदूर पर 800 रुपये खर्च आता है। उसे भारत सरकार वहन करे और युद्ध स्तर पर फोटो पहचान पत्र बनाने का काम करवाया जाए। किसी भी नागरिक को मताधिकार से वंचित कराने का किसी भी चुनाव आयुक्त को अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए विधेयक को तुरन्त लाकर सरकार को उस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि कोई कॉन्स्टीट्यूशनल क्राइसेस उत्पन्न न हो। यदि इस तरह से पूरे देश में संवैधानिक संकट पैदा किया जाएगा तो एक नया प्रीसीडैन्ट कायम होगा और आने वाले दिनों में इसके खतरनाक परिणाम होंगे। देश हिंसा की ओर भी जा सकता है।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बहुत ही अहम मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : पहले इसपर तो सरकार कुछ कहे। ...**(व्यवधान)** शुक्ला जी, आप कुछ तो कहिए। तीन दिन बचे हैं, क्या मतलब है। ...**(व्यवधान)**... कल जब हम मिले थे तो प्रधानमंत्री के साथ आप भी थे।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आज प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया है कि कल सुबह मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और आज सायंकाल तक विधि मंत्री से कागज पत्र मिल जाने की संभावना है। मंत्रिमंडलीय कागज पत्र तैयार किए जा रहे हैं और कल उस पर विचार किया जाएगा और महोदय, मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस सैशन में लाएंगे या नहीं, कुछ हां या न तो करें।...**(व्यवधान)** कम से कम इतना तो कहिए कि इस सैशन में लाएंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह सब कुछ मंत्रिमंडल द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने के बाद ही कहा जा सकता है। मैं मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कैसे अनुमान लगा सकता हूं और कैसे इसके बारे में घोषणा कर सकता हूं? उसे मंत्रिमंडल के पास प्रस्तुत करना होगा। प्रधान मंत्री जी ने माननीय नेताओं के अभ्यावेदनों को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने कैबिनेट सचिवालय को निर्देश दिया है कि बैठक आयोजित करें और कागज-पत्र तुरन्त तैयार करें और ऐसा

किया जा रहा है। कल सुबह दस बजे इस मामले पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि मंत्रिमंडल का क्या निर्णय होगा और इसमें कितना समय लगेगा। माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी इस मामले पर बहुत ही गंभीर हैं। वह इस मामले में विलम्ब करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और हम बहुत ही विस्तृत रूप में प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : कल आप कुछ और कहेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय अध्यक्ष जी को और यदि आवश्यक हुआ, तो सदन को भी सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, सरकार जो भी फैसला करे, इस बात को ध्यान में रखकर करे कि यदि यह विधेयक आता है तो बिना चर्चा के स्वीकृत नहीं होगा।...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कौन बोल रहा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह धारणा पैदा करने की कोशिश की गई है कि आप विधेयक ले आइए, वह पास कर दिया जाएगा। यह विवादग्रस्त विधेयक है, सरकार इसे सोच-समझकर लाए।... **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : सोच समझकर ही तो टाइम ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : आदरणीय नेता, विरोधी दल से मैं आग्रह करूंगा कि विद्याचरण जी से यह समय की इजाजत नहीं मांगें। अध्यक्ष जी इजाजत देंगे कि चर्चा होगी या नहीं। किसी विषय पर सदन में चर्चा होगी या नहीं, इसकी इजाजत अध्यक्ष जी देंगे।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही अहम् मुद्दे की तरफ आपके द्वारा सरकार का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परसों के अखबारों में तमिलनाडु की मुख्य मंत्री का एक वक्तव्य छपा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि... **(व्यवधान)** **

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं नाम नहीं ले रहा हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं, आपको गवर्नर के बारे में चर्चा करनी है तो कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन है कि

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस होना चाहिए, उसके बाद इसको कर सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं वापस लेता हूं। मैं गवर्नर साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं मुख्य मंत्री के...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी के बारे में नहीं कहेंगे।

[अनुवाद]

इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसके बाद ऐसी आशंका है कि वहां संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसपर जवाब दे और जो मुख्य मंत्री...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कहा है...**(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आप जवाब देकर अपने आपको कठिन परिस्थिति में पाएंगे।

उन्होंने आपकी राज्य सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यसूची में शामिल नहीं किये गये इस कार्य के लिए एक घण्टे का समय दिया था।

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र पर विचार किया जाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : मुझे विनम्रतापूर्वक यह कहना है कि मैंने राज्यपाल का उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र पर विचार किया जाएगा।

1.07 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल दुर्घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1994 और कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल दुर्घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1994, जो 22 जुलाई, 1994 के

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6741/94]

(2) रेल (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 530(अ), जो 16 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल (संशोधन) अधिनियम, 1994 का 1 अगस्त, 1994 से प्रवृत्त होना नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6742/94]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6743/94]

(ख) (एक) इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6744/94]

(ग) (एक) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6745/94]

(4) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6746/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय भांडागारण निगम का वर्ष 1993-94 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) चीनी (1993-94 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1994, जो 16 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (1994-95 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1994, जो 17 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) गुड़ (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1994, जो 2 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 865(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6747/94]

(2) (एक) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6748/94]

(3) केन्द्रीय भांडागारण निगम और खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6749/94]

सी.पी.आर. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, मद्रास का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : श्री कमल नाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)(एक) सी.पी.आर. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6750/94]

(2)(एक) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6751/94]

(3) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6752/94]

(5)(एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6753/94]

(6)(एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6754/94]

बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 से 1992-93 तक का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6755/94]

(ख) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6756/94]

(ग) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6757/94]

(घ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6758/94]

(ङ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6759/94]

(च) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6760/94]

(छ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष

1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6761/94]

(ज) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6762/94]

(झ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6763/94]

(ञ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6764/94]

(ट) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6765/94]

(ठ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6766/94]

(ड) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6767/94]

(ढ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6768/94]

(ण) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6769/94]

(त) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6770/94]

(थ) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6771/94]

(द) (एक) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर पशु आहार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले अटठारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6772/94]

(3) (एक) राष्ट्रीय बागबानी गुड़गांव के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6773/94]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6774/94]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6775/94]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, मद्रास का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6776/94]

(4)(एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6777/94]

(5) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6778/94]

(6)(एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6779/94]

(7) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6780/94]

(8) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 13 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जो मणिपुर कृषि महाविद्यालय के प्रबंध ग्रहण किए जाने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 13 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जिसके

द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि अंग्रेजी सभी स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण और परीक्षा का माध्यम होगी।

(तीन) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 13 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जिसके द्वारा कृषि महाविद्यालय, इम्फाल में बी.एससी. (कृषि) प्रथम वर्ष में छात्रों के प्रवेश की संख्या 45 तक सीमित होगी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 13 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में विज्ञान निष्णात (एम.एस.सी.) कृषि पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश और नामांकन के बारे में है।

(पांच) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 22 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जिसके द्वारा शिक्षण/शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं विहित की गई हैं।

(छह) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/93, जो 22 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा जारी वह अध्यादेश अंतर्विष्ट है जो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बी. एससी/एम. एससी कृषि के अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु ली जाने वाले विभिन्न फीसों के संबंध में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 6781/94]

(9)(एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 6782/94]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बिहार शिक्षा परियोजना, पटना के वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्टें तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1)(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6783/94]

(3)(एक) बिहार शिक्षा परियोजना, पटना के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना, पटना के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6784/94]

(5) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6785/94]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6786/94]

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6787/94]

(9) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6788/94]

(11) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6789/94]

(13)(एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6790/94]

(15)(एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6791/94]

(17)(एक) महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6792/94]

(19)(एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6793/94]

(21)(एक) योजना तथा स्थापत्यकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा स्थापत्यकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6794/94]

(23)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6795/94]

(25)(एक) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6796/94]

(27) एजूकेशनल कन्सलर्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6797/94]

(28)(एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के 29 जनवरी, 1991 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के 29 जनवरी, 1991 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के 29 जनवरी, 1991 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6798/94]

(30)(एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6799/94]

(32)(एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6800/94]

(34) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6801/94]

1.08 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 15 दिसम्बर, 1994 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और यह प्रस्ताव करती है कि यह सभा उक्त संयुक्त समिति में श्री ई. बालानन्दन द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत द्वारा सभा के सदस्य में से एक सदस्य नियुक्त करे।"

मुझे पुनः लोक सभा को यह सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालन में श्री ई. बालानन्दन, सदस्य राज्य सभा समुचित विधि द्वारा उक्त संयुक्त समिति के सदस्य चुने गए हैं।'

1.8 1/4 म.प.

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन और पिछले वर्ष के परिवर्तन का प्रभाव संबंधी अड़तालीसवां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(2) एक हेलीकाप्टर के लिए मरम्मत/ओवरहाल सुविधाएं संस्थापित करने में विलम्ब संबंधी 103वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(3) कैमरों की अधिक अधिप्राप्ति-अपर्याप्त उपयोग संबंधी 112वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(4) 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-बिक्री में मात्रा मूल्य का महत्व नहीं' संबंधी 138वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(5) सीमा शुल्क प्राप्तियां-आयातकों द्वारा बांडों और बैंक गारंटियों के निष्पादन में अनियमितताये संबंधी छठा प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

1.08 ½ म.प.

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) छत्तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : मैं, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.08 ¾ म.प.

(दो) विवरण

श्री चेतन पी.एस. चौहान : मैं अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग- एक ठेकेदार को 5.10 करोड़ रुपये का अनुचित मुनाफे के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 56 वें प्रतिवेदन (1988-89) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1992-93) का बीसवां प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1992-93) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1993-94) का इकतीसवां प्रतिवेदन।

1.09 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग बैंकिंग शाखा) -इंडियन बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का

अड़तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें उक्त समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सम्मिलित हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

1.09 ¼ म.प.

याचिका समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति की पांचवी, सातवीं, गयारहवीं, उन्नीसवीं, पच्चीसवीं, सत्ताइसवीं, अट्ठाइसवीं, तथा इकतीसवीं से अड़तालीसवीं बैतकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.09 ½ म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करती हूं।

1.09 ¾ म.प.

[अनुवाद]

खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति का कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.10 म.प.

[अनुवाद]

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

छठा, सातवां, आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :—

(1) "कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1994" संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय-"बीड़ी कर्मकार कल्याण" संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) "वक्फ विधेयक, 1993" संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

1.10 ½ म.प.

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं "जवाहर रोजगार योजना-ग्रामीण विकास मंत्रालय" के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.11 म.प.

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक विकास प्रवृत्तियों तथा समस्याओं के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.11 ½ म.प.

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) समुद्री जहाज से हज यात्रा जारी रखने की आवश्यकता

*श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : इस्लाम के प्रवर्तकों के लिए आवश्यक पांच कर्तव्यों में से एक 'हज' की यात्रा करना है। केन्द्र सरकार द्वारा समुद्री जहाज से हज यात्रा करने पर पाबन्दी लगाने के कारण बहुत से इच्छुक हज यात्रियों पर तुषारापात हुआ है। इस समय केन्द्र सरकार का यह मत है कि हज यात्रा केवल विमान से किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। वास्तव में इससे मध्यम वर्ग के लोगों को हज यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि विमान किराया 12,000 रुपये से अधिक है जबकि समुद्री जहाज से यह किराया लगभग 4,000 रुपये है। सामान्यतः, वही लोग विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं जो वहां अधिक समय नहीं बिताना चाहते। लेकिन जो लोग जहाज से जाते हैं, उनके पास 'हज' और दूसरे रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए काफी समय होता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हज यात्रा समुद्री जहाज से करने पर रोक लगाने के अपने निर्णय पर फिर से विचार करे।

(दो) ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों (हैल्थ गाइड) की दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक, जो अक्तूबर, 1977 से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें पहुंचा रहे हैं, की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे रोगरोधी टीके लगाने, पोलिया शिविर लगाने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यों को बढ़ावा देने; मलेरिया और अन्य बीमारियों के उन्मूलन, जन्म तथा मृत्यु संबंधी रिपोर्टों के संकलन के कार्य में लगे हुए हैं। यद्यपि वे देश में स्वास्थ्य सेवा के मामले में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें बहुत कम केवल 50 रुपये प्रति मास की दर से भत्ता दिया जाता है। यह धनराशि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य/दायित्व के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि यह अल्प भत्ता भी पिछले 23 महीनों से अब तक नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को देखते हुए 50 रुपये प्रति मास की दर से दिये जाने वाले इस भत्ते को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमास किया जाना चाहिये जोकि किसी नैमित्तिक श्रमिक को प्रतिमास दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी है। दूसरे उनकी सेवाओं को तत्काल विनियमित किया जाये। भारत सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही दवाइयां भी जारी रखी जायें।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये।

(तीन) कन्याकुमारी और तिरूवनन्तपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 की मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : तमिलनाडु खण्ड के कन्याकुमारी तिरूवनन्तपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 की हालत बहुत खराब है और उसमें खड्डे और दरारे पड़ गई हैं। हाल के मानसून की बारिश से स्थिति और भी खराब हो गयी है। इस व्यस्त सड़क पर जो रखरखाव का कार्य है, वह संतोषजनक नहीं है। यहां नालियों की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अतः, बारिश के मौसम में यह सड़क जलमग्न हो जाती है। भारी यातायात, पहाड़ी इलाका और पूरे साल बारिश होने के कारण इस राजमार्ग पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, ताकि इसकी ऊपरी सतह को बदतर होने से बचाया जा सके और इसे यातायात के लायक बनाए रखा जा सके।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मार्ग को, जिसकी स्थिति अपर्याप्त एवं घटिया स्तर के कार्य के कारण बहुत खराब है, ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें।

(चार) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मेरा संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद अपने देश एवं विदेशों में कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां से देश तथा विदेशों को कांच की वस्तुयें भेजी जाती हैं। विदेशों में कांच की वस्तुओं के निर्माण से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। लेकिन यहां पर संचार व्यवस्था नगण्य होने के कारण व्यापारी तथा आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिरोजाबाद में टेलीफोन व्यवस्था आगरा डिवीजन (टेली) के अन्तर्गत किया गया है, जिसके कारण यह अव्यवस्था मालूम होती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फिरोजाबाद में ही टेलीफोन विभाग द्वारा एक कार्यालय टी.डी.एम. का बनाया जाए और आगरा से उसे काटा जाए ताकि फिरोजाबाद के नागरिकों को टेलीफोन विभाग से सुविधा प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में फरेन्दा (आनन्द नगर) नगर चीनी मिल को पुनः खोलने और उसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज) : देश के विभिन्न भागों में गन्ने की पिराई का काम प्रारम्भ हो गया है। उत्तर प्रदेश जो गन्ना उत्पादन

* मूलतः मलयालम में उठाये गये मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और काफी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है वहां प्रतिवर्ष किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने की पिराई का समुचित प्रबन्ध न होने से गन्ना किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज इससे अछूता नहीं है। वहां के किसानों को गन्ने का मूल्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। महाराजगंज जनपद में स्थित फरेन्दा (आनन्द नगर) चीनी मिल अभी तक बन्द पड़ी है जिसको चालू करने व उसकी क्षमता 2500 टी सी सी तक विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च, 1993 को भारत सरकार के पास अपनी संस्तुति भेज दी है किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण यहां के किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। फरेन्दा (आनन्द नगर) चीनी मिल उत्तर प्रदेश की उन चार मिलों में से एक है जिसका प्रबन्ध वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उपक्रमों द्वारा किया जाता है। इस चीनी मिल की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि न केवल मिल पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य बकाया है बल्कि यह गन्ना मिल बन्द हो गई है जिसके कारण इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को तो भारी संकट का सामना करना ही पड़ रहा है साथ ही मिल के हजारों श्रमिकों को भी बेरोजगार होने की नौबत आ चुकी है। इस सम्बन्ध में कई बार मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मैं माननीय वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मामले पर शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि मिल चल सके और उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके ताकि किसानों की परेशानी समाप्त हो सके।

[अनुवाद]

(छह) जमालपुर रेल वर्कशाप को अर्थक्षम बनाने के लिए उसे पर्याप्त क्रमादेश देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : जमालपुर रेल कारखाने की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही है। मात्र 6 डीजल इंजन का पी.एच.ओ. हो रहा है। कार्यभार नहीं है। महीने में 50 बाक्स वैगन का पुनर्निर्माण एवं 30 कन्टेनर बनता है, वह भी अस्थाई है। केन्द्र सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि जमालपुर कारखाने के महत्व को देखते हुए उसके कार्यभार को बढ़ाया जायेगा, लेकिन उस कारखाने का जो आधुनिकीकरण किया जाना था और उस पर बजट में जो प्रावधान किया गया था, अभी तक न तो स्टीमेट की स्वीकृति हुई और न कार्य शुरू किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जमालपुर रेल कारखाने के आधुनिकीकरण का स्टीमेट देकर कार्य शुरू किया जाये तथा बाक्स वैगन का पुनर्निर्माण और कन्टेनर के निर्माण का स्थायी कार्यभार दिया जाये। डीजल इंजन के पी.एच.ओ. की संख्या कम से कम 10 की जाये तथा बिजली की इंजन का पी.एच.ओ. का कार्यभार जल्दी वहां शुरू किया जाये।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु में सलेम में टेलीकॉम सिविल डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता

डा. श्रीमती के.एस. सौन्द्रम (तिरूचेंगौड़) : महोदय, मैं यह मामला नियम 377 के अधीन उठा रहा हूं। तमिलनाडु के पेरियार, सलेम, धर्मपुरी, जिलों में बड़े पैमाने पर दूरसंचार के विस्तार का कार्य चल रहा है। इस समय इरोड और सलेम में एक दूरसंचार उप-मण्डल है जिसका मण्डलीय मुख्यालय कोयम्बतूर में है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सलेम में एक दूरसंचार सिविल मण्डल स्थापित करे ताकि तिरूचेंगौड़, इरोड और सलेम जिले में लोगों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं दी जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.20 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.21 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.23 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.23 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम नियम 193 के अधीन ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट पर चर्चा कब करने वाले है।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम सभा की कार्रवाई शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, हम लोग इतना ही जानना चाहते हैं कि शुगर पर, ज्ञान प्रकाश कमेटी पर कब से बहस शुरू होगी, क्योंकि ढाई बजे ए.टी.आर. रखेंगे तो उस पर कब बहस शुरू होने वाली है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह निर्णय लिया गया था कि आज सदन में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (ए टी आर) रखी जाएगी और कल अर्थात् दिनांक 21.12.94 को इस पर बहस शुरू की जाएगी। आज ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने से पहले हम शेष सरकारी कार्य पूरा कर लेंगे जो बहुत ज्यादा नहीं है। यदि माननीय सदस्यगण सहयोग

देंगे तो दो अनुपूरक मांगें एवं एक अध्यादेश को डेढ़ घण्टे के भीतर समाप्त कर देना होगा। लगभग 4 बजे हम ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आचार्य जी, अब सब कुछ स्पष्ट है। हम सरकारी कार्य को जितनी जल्दी समाप्त करेंगे, उतनी ही जल्दी ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : ठीक चार बजे।

सभापति महोदय : हम भ्रम में न पड़ें।

श्री बसुदेव आचार्य : नियम 193 के अधीन ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा चार बजे शुरू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आचार्य जी, बात हो चुकी है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाऊंगा कि समझौता हो चुका है कि सरकारी कार्य को पूरा किया जाएगा। इसके तुरन्त बाद, हम ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, नहीं। सही समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हम अपने आश्वासनों से पीछे न हटें।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): यदि सरकारी कार्य 4 बजे तक पूरा हो जाता है, तो ठीक है, अन्यथा, चार बजे इस रिपोर्ट पर चर्चा शुरू की जाएगी।

सभापति महोदय : तब ऐसा करना कठिन होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही सुबह अपना विनिर्णय दे दिया है। हम सब सहमत हुए हैं... **(व्यवधान)** इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा समझौता नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा कभी नहीं होता है।

श्री राम विलास पासवान : यदि आप अध्यक्ष जी की टिप्पणियों पर ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा था कि यह सदन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

स्पीकर साहब ने कहा था कि इट इज अप टू दी हाउस, हाउस जैसा कहेगा, हम हाउस से बंधे हुए हैं। इसलिए अभी मंत्री जी ने ठीक कहा कि 2.30 बजे पर ए टी आर आ जाएगी, इसके बाद डेढ़ घंटे में बिजनेस कंप्लीट करके 4 बजे ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब बहुत हो चुका है। आचार्य जी, कृपया आप बैठ जाइए। यह स्पष्टीकरण पर्याप्त है। जैसा श्री पासवान जी ने कहा है, यह सही है कि बहुत ज्यादा कार्य नहीं है। हम और जल्दी इसे पूरा कर सकते हैं। यह ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि यह कार्य 4 बजे तक समाप्त नहीं किया गया हो तो नियम 193 के तहत चर्चा शुरू की जाएगी।

सभापति महोदय : आप उसमें क्यों जाते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। आपको निर्णय करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, नहीं। यह हम पर निर्भर नहीं करता है। यह अध्यक्षपीठ पर निर्भर करता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसमें इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : अच्छी बात है। अब हम मद संख्या 20 अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लेंगे।

2.26 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95

सभापति महोदय : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), 1994-95 पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :
>
> मांग संख्या 4,5,6,11,15,27,29,38,40,41,46,47,49,58,69, 71,78,80,83, और 86,

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लोक सभा 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1994-95

मांग की संख्या और नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1		2	3
4	पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग	17,00,00,000	-
5	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	53,48,00,000	-

	1	2	3
6	उर्वरक विभाग	832,00,00,000	109,75,00,000
11	वाणिज्य विभाग	197,32,00,000	–
15	दूर संचार सेवाएं	–	1,00,000
27	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1,00,000	–
29	राज्य सरकारों को अंतरण	391,00,00,000	100,00,00,000
38	खाद्य मंत्रालय	–	1,00,000
40	स्वास्थ्य विभाग	20,01,00,000	43,00,00,000
41	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	–
46	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	39,00,00,000	91,00,00,000
47	शिक्षा विभाग	1,00,000	–
49	संस्कृति विभाग	3,00,00,000	–
58	विधि और न्याय	225,00,00,000	–
69	ग्रामीण विकास विभाग	110,00,00,000	–
71	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,50,00,000	–
78	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	1,00,000	60,00,00,000
80	लोक निर्माण कार्य	–	10,01,00,000
83	कल्याण मंत्रालय	25,01,00,000	49,99,00,000
86	इलेक्ट्रानिकी विभाग	50,00,000	–
	योग	1915,86,00,000	463,77,00,000

सभापति महोदय : श्री राम नाईक ने अनुदानों की मांगों (सामान्य) 1994-95 के संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब वह अपने कंटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्ताव करता हूं :—

कि विधि और न्याय मंत्रालय के संबंध में 225,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 20) में 100 रुपेय कम किये जायें।

[सभी मतदाताओं को यथाशीघ्र पहचान-पत्र जारी करने और तदाता विदेशियों के नाम मदतादा सूची से हटाने की आवश्यकता।] (1)

कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 110,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 21) में 100 रुपये कम किये जायें।

[संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ताकि विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब न हो।](2)

कि वस्त्र मंत्रालय के संबंध में 60,01,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 23) में 100 रुपये कम किये जायें।

[राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने तथा मुम्बई में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की आवश्यकता।] (3)

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैंने जो कट मोशन दिया है, उसमें तीन बिंदुओं पर मुझे अपने विचार रखने हैं। मांग संख्या 58, पृष्ठ 20 पर पहचान पत्रों के बारे में 225 करोड़ रुपए की मांग है, जिसमें से 50 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार करेगी और 50 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार करेगी। पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए, इससे चुनाव में सुधार होगा, बोगस वोटिंग रुकेगी, जो लोग चुनाव शुद्धता में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। आज सुबह भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। इसमें यह प्रश्न उठता है कि 15 जनवरी तक पहचानपत्र जारी करने का काम पूरा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की घोषणा के मुताबिक। क्या सरकार इस कार्य में सहयोग कर रही है और पांचों राज्यों में मतदाताओं को क्या पहचानपत्र मिल जाएंगे? इस संबंध में सरकार को घोषणा करनी चाहिए। यदि किसी कारण से चुनाव नहीं हुए तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उड़ीसा में जो भ्रष्ट सरकारें काम कर रही हैं, उनको उखाड़ फैंकने का मौका जनता के हाथ से निकल जाएगा। वर्तमान प्रगति को देखते हुए परिचय पत्र देने के काम में विलंब होने की संभावना है। इसके साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि परिचय-पत्र किसको देंगे, क्या जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, उनको दिए जाएंगे।

लेकिन मतदाताओं की सूची में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जो इस देश के नागरिक नहीं है उनके नाम भी आए हैं, आप जानते हैं सभी जगहों पर आए हैं और विशेषतः दिल्ली में, मुम्बई में और मेरे क्षेत्र में बंगलादेशी लोग लगभग 2 लाख की संख्या में हैं और उनके नाम मतदाताओं की सूची में डाले गए हैं। हमने जनवरी-फरवरी 1994 में इलेक्शन कमीशन को... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी हां, मुझे मालूम है अभी सिर्फ ढाई बजे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया इस पर उत्तेजित मत होइये। मैं इसे कर लूंगा।

अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र-अनुपूरक कार्य सूची ले सकते हैं। अब श्री मनमोहन सिंह बोलेंगे।

2.31 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र -जारी

प्रतिभूति तथा बैंकिंग लेन-देन संबंधी अनियमितताओं की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट का संशोधित पैराग्राफ

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं संशोधित उत्तरों (भाग-II) तथा संशोधित उत्तरों के लिए अनुबन्ध I-XI के साथ प्रतिभूति तथा बैंकिंग लेन-देन संबंधी अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : प्रति कहां है? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पासवान जी, ऐसा लगता है कि आप सभा की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : प्रति कहां हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उसे लाया जा रहा है। प्रति आपको जल्दी ही मिल जायेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक बार में केवल एक ही सदस्य बोले।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जैना आप इसे भलीभांति जानते हैं, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, वे प्रकाशन केन्द्र पर उपलब्ध हैं... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रतियां प्रकाशन केन्द्र पर उपलब्ध हैं...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया नीचे बैठ जाइये...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इसे समझने का प्रयत्न कीजिये...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां पर क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रतियां प्रकाशन केन्द्र पर उपलब्ध हैं। आप प्रकाशन केन्द्र से प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हमें कल प्रतियां नहीं मिली। हमें प्रतियां नहीं मिल रही हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : महोदय, प्रतियां प्रकाशन केन्द्र पर पहुंच चुकी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कल क्या हुआ था। आप कृपया इसे समझने का प्रयास कीजिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती गीताजी, इस प्रकार से सभा का समय बर्बाद मत कीजिये। प्रतियां प्रकाशन केन्द्र पर उपलब्ध हैं और माननीय सदस्य प्रकाशन केन्द्र से प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

2.34 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें-(सामान्य) 1994-95-जारी

सभापति महोदय : श्री राम नाईक कृपया अपना भाषण आरंभ कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं कह रहा था कि जिन पांच राज्यों में इस बार के चुनाव हैं वहां की भ्रष्टाचारी, अनाचारी सरकार को हटाने का सुअवसर वहां के मतदाताओं को प्राप्त हो रहा है। वह महाराष्ट्र में होगा, गुजरात में होगा, बिहार में होगा और उड़ीसा में भी होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं, जैसे चुनाव आयोग ने बताया है कि 15 जनवरी से पहले इन सभी राज्यों में मतदाताओं को पहचान-पत्र मिलेंगे, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।

बंगलादेश से भारी संख्या में लगभग 2 करोड़ लोग हिन्दुस्तान में आए हैं। उनमें से 2 लाख लोगों के नाम मुम्बई शहर में मतदाता सूची में हैं। हमने जनवरी-फरवरी में कौन-कौन से बंगलादेशी लोग मुम्बई शहर में हैं इसकी जानकारी इलेक्शन-कमीशन को भेजी थी। बाद में इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी कि ऐसे जो लोग होंगे उनकी नागरिकता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि वह देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। इसके अनुसार महाराष्ट्र में लगभग तीन-साढ़े तीन लाख लोगों को कहा गया कि आप अपनी नागरिकता स्पष्ट करें, आप अपना सबूत दें कि आप इस देश के नागरिक हैं। इस

प्रकार के पत्र सरकार के जरिये दिए गए और उसमें से कुछ लोग इसमें राजनीति लाए। अब इसमें राजनीति लाने का कोई कारण नहीं है। देश का जो नागरिक है उसका नाम ही उसमें होना चाहिए। हालांकि बंगलादेश के लोग जो यहां आये हैं, स्वाभाविक तौर पर मुसलमान हैं इसलिए इसको साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। जिसके कारण ऐसे लोगों को जो नोटिस दिया था, हमें पता चला है कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी है कि इस प्रकार का वेरीफिकेशन जो चल रहा है, वह बन्द होना चाहिए। यह अचानक बंद हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम सभी ने फैसला किया है और आपने भी सुझाव दिया था कि हम इस पर अधिक चर्चा किए बगैर ही पारित करेंगे।

श्री राम नाईक : सिर्फ मैं ही एक ऐसा सदस्य हूं जिसने कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री राम नाईक : जी नहीं, जी नहीं, यह प्रश्न नहीं उठाया गया है।

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसके विस्तार में मत जाइये।

श्री राम नाईक : मैं संक्षेप में बोलूंगा।

[हिन्दी]

कट-मोशन जिसने दिये हैं, उसको तो बोलने का मौका देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो ऐसी पहचान की जा रही थी, उसको बंद करवा दिया।

यहां पर मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताना चाहता हूं। कई लोग दो-दो जगह अपना नाम मतदाता सूची में डलवाते हैं। क्या उस व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र इन दोनों जगह भी बनेगा? महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम मुम्बई की मतदाता सूची में और औरंगाबाद में सम्भाजी नगर की मतदाता सूची में है। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने दोनों जगह से अपना फोटो पहचान पत्र बनवा लिया है। नाम दो जगह गलती से हो सकते हैं, लेकिन फोटो पहचान पत्र दो कैसे बन गये, यह समझ में नहीं आया, मंत्रीजी इसे भी स्पष्ट करें? हमने जब इस पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया तो कुछ लोगों ने इसे भी जातीय और राजनैतिक रंग देने का प्रयास किया**। जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके दो फोटो पहचान पत्र बने हुए हैं। उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है?

ऐसे ही प्रष्ठ संख्या 21 पर जो मांग है, सांसद स्थानीय विकास निधि के संदर्भ में कल उस पर चर्चा हुई थी, आज मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन तकनीकी दृष्टि से जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से है...

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जो सभा का सदस्य नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। उस व्यक्ति का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में उल्लिखित नहीं होगा। आप कृपया नाम बताने से परहेज रखिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आप नाम निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, लेकिन जो हकीकत है, मैंने उसको यहां रखा है।

अब मैं सांसदों को दिये जाने वाले फंड के बारे में कहना चाहता हूं। इस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय काम कर रहा है। मेरे पास रामेश्वर ठाकुर, जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका अक्तूबर का पत्र है। उसमें उन्होंने लिखा है :—

[अनुवाद]

> "मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसके पश्चात् केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्रालय योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होगा और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आगे का सारा पत्राचार उस मंत्रालय से किया जाये।"

[हिन्दी]

अब यह मंत्रालय चेंज हो गया है। जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आई है, तो वह उस नोडल मिनिस्टरी से आनी चाहिए थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस तरह की मांग कैसे आई है? जो नोडल मिनिस्टरी करके घोषित किया है प्लानिंग मिनिस्टरी को, उससे यह क्यों नहीं आई? नहीं तो यह मांग पास किसी और के द्वारा होगी और जायेगी किसी और जगह पर।

ऐसे ही मांग संख्या 78 जो पृष्ठ 23 पर है, जिसमें 60 करोड़ रुपये की मांग है। उसमें से करीब 48 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ऋण प्रदान करने के लिए रखे गये हैं। प्रश्न काल और शून्य काल में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार की ओर से बताया गया था कि मुम्बई में जो इस निगम की 13 मिल्स बन्द पड़ी हैं, उनके मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है, वह दो-चार दिन में दे दी जायेगी। लेकिन वह अभी तक नहीं मिली है। मेरा अनुरोध है कि जो ऋण दिया जायेगा और मांग मंजूर होगी, तो कल ही उन लोगों को तनख्वाह दे देनी चाहिए। इस सदन में जो आश्वासन दिया गया था कि 13 मिल्स का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा और उसके सम्बन्ध में विधेयक लाया जायेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह विधेयक कब लायेंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो मुम्बई का मजदूर और जनता सहन नहीं

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

करेगी। ऐसी चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कट-मोशन का समर्थन करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि वह इसे पास करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। मेरे सामने विभिन्न दलों से अनेक नाम हैं। मुझे डर है यदि प्रत्येक व्यक्ति इस चर्चा में भाग लेना चाहेगा तो हम कार्यसूची की प्रत्येक मद पर चर्चा नहीं कर पायेंगे। इसलिए, क्या मैं अनुरोध करूं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बात पर सभी सर्वसम्मत थे कि इन मदों को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाएगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, आप मांगों को बिना किसी चर्चा के पारित करना चाहते हैं?

सभापति महोदय : वास्तव में, खण्डूरी जी, इस पर सबकी सर्वसम्मति थी। अब हम मद संख्या 20 पर हैं और हमें सभी मदों को 27 तारीख तक पूरा करना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : ऐसे कैसे हो सकता है? आप आसन पर बैठे हैं। बिना डिसकशन के कैसे पास किया जा सकता है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इन दो मदों के लिए चार घंटे दिए गए थे। दो घंटे अनुपूरक मांगों के लिए और दो घंटे रेलवे बजट पर चर्चा करने के लिए दिए गए थे।

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है, आप सब इससे सहमत होंगे। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं आपके निदर्शन के लिए कहना चाहता हूं कि कल ही इस सदन ने बीएसी की रिपोर्ट एकमत से मंजूर की है और उसमें सप्लीमेंटरी डिमांड्स के लिए दो घंटे और रेलवे के लिए एक घंटे या दो घंटे, इस प्रकार से चार घंटों का प्रावधान किया है। अचानक आज ऐसे यदि हम कहने लगें कि बिना डिसकशन के मंजूर करें, ऐसा नहीं हो सकता है। सीमित बोलेंगे, कम शब्दों में बोलेंगे, लेकिन चर्चा अवश्य होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुरोध है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को अवसर प्रदान करने तथा उनके विशेषाधिकार से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन दो मदों के लिए तीन घंटे दिए गए हैं। मैं तो केवल श्री पासवान द्वारा कही गई बात को याद दिला रहा हूं। हमें कार्यसूची की मद संख्या 27 तक चर्चा करनी है। उसके पश्चात् हमें ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। उनके सदस्य रेलवे बजट से संबंधित चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। यदि आप सब सहमत हों तो हम इस मद को चर्चा के बिना ही पारित कर देंगे।

मेजर जनरल (रिटार्यड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप चाहते हैं कि हम सभी कार्य डेढ़ घण्टे में समाप्त कर दें।

सभापति महोदय : इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : किसके लिए कठिनाई नहीं है?

सभापति महोदय : समय को व्यर्थ किए बिना हम पूरी मदों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि हम इस मद को बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं तो हम अगली दो मदों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं केवल सदस्यों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप जोर देते हैं तो मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अनुपूरक मांगों तथा रेलवे के अतिरिक्त एक विधेयक और है। इन तीन मदों को एक घंटे में कैसे समाप्त किया जा सकता है?

सभापति महोदय : क्या यह सम्भव है! हमारे पास एक घंटा और पच्चीस मिनट का समय है। यदि आप सहमत नहीं हैं और यदि आप चर्चा करवाने पर जोर देते हैं तो मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि हम इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं। यदि आप सब सहमत हों तो ऐसा हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह संभव नहीं है कि बिना चर्चा के इस सबको पास कर दिया जाए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यह सच है कि कार्य मंत्रणा समिति में इस मद के लिए समय आबंटित किया गया है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में जो समय व्यर्थ गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस मद को बिना चर्चा के पारित करने में सहयोग दें चूंकि इन मदों को सभा द्वारा अवश्य पारित किया जाना है। हम इन मदों को पारित करने के बाद ही अन्य विषयों को उठा सकते हैं। इसलिए हम माननीय सदस्यों से एक बार फिर यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस मामले में अपना सहयोग दें। वे अनेक अवसरों पर हमें ऐसे मामलों में सहयोग देते रहे हैं। इसलिए मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सहयोग दें ताकि हम शीघ्र ही इन विधेयकों को पारित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, वे लोग न बोलें, हम

लोग बोलें तो हो सकता है। उनका देखा हुआ है इसलिए विपक्ष को बोलने दीजिए। रूलिंग पार्टी अपना टाइम छोड़ दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि कोई सामान्य समझौता नहीं हुआ है। मैं सभी सदस्यों को दो मिनट के समय की अनुमति देने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, बिना चर्चा के कैसे पास हो सकता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चलिए अब बहस छोड़िए। चूंकि सर्वसम्मति नहीं है, मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं। श्री उपेन्द्र सिंह बोलेंगे।

हमारे पास ऐसी बहस के लिए समय नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुकुल वासनिक जी ने हमसे सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने समय खराब होने की चर्चा की, लेकिन समय खराब किसने किया? मैं कहता हूं कि सदन का समय सत्ता पक्ष के कारण से खराब हुआ है। चीनी घोटाले के कारण सदन में गतिरोध हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप चर्चा के समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। आप इस तरह से सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, जिस मद को सरकार के द्वारा यहां लाकर हमसे पास कराना चाहते हैं उसके बारे में मेरा कहना है कि इस बजट को हम लोग क्यों पास करें और क्यों उस पर अपनी स्वीकृति जताएं। यह बजट विदेशी कम्पनियों, आई. एम.एफ., विश्व बैंक और वाशिंगटन के इशारे पर बजट बनाने वाली सरकार का है इसलिए हमें इस पर विश्वास नहीं है और देश की 90 करोड़ जनता को भी विश्वास नहीं है। इसलिए हम इस सरकार द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदय, यह देश गांवों का देश है। सरकार में बैठे हुए लोग रोज यह बयान करते हैं कि हम गांवों का विकास करना चाहते हैं, गांवों में रहने वाले किसानों का विकास करना चाहते हैं, बजट में इस तरह के प्रावधान भी होते हैं लेकिन वास्तव में उनका विकास नहीं होता। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार में बैठे लोगों का विकास जरूर हुआ है। गांव में रहने वाला किसान पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहता है, सरकार की तमाम नीतियां कृषि पर निर्भर होती हैं, कृषि नीति भी बनती है और उन नीतियों के माध्यम से जो खर्चा कृषि पर होना चाहिए, वह नहीं हो पाता।

मैं विद्याचरण जी शुक्ल, जो सिंचाई मंत्री भी हैं, से कहना चाहूंगा कि गंगा-यमुना का मैदान जो उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैला हुआ है तथा जो सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन सिंचाई मंत्री जी ने कभी भी उस क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे कि यह इलाका खुशहाल होता। आज पंजाब और हरियाणा का किसान सिंचाई के साधनों की वजह से खुशहाल जीवन जी रहा है लेकिन इनकी खुशहाली तो हर्षद मेहता के साथ है, प्रतिभूति घोटाले व चीनी घोटाले के साथ है, हिन्दुस्तान के गांवों के किसानों के साथ नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस विधेयक पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसी स्थिति में हम ऐसे बजट को क्यों पास करें? आज विदेशी कम्पनियां जो हिन्दुस्तान का व्यापार करने आ रही हैं, आजादी के पहले महात्मा जी ने जो स्वदेशी का संदेश दिया था...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सामान्य बजट पर की जा रही चर्चा नहीं है। यह केवल अनुदान की अनुपूरक मांगें हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : गांधीजी ने स्वदेशी अर्थव्यवस्था के आधार पर हिन्दुस्तान बनाने का सपना देखा था। सभापति महोदय, 1953 में जब जनसंघ का अधिवेशन कानपुर में हुआ था तब पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 'हर खेत को पानी, हर हाथ को काम' देने का संदेश दिया था और हिन्दुस्तान को खुशहाल करने का रास्ता दिखाया था लेकिन यह सरकार गांव की तमाम संस्कृति को तोड़ने के लिए विदेशी कम्पनियों को अपने देश में बुलाने का काम कर रही है। इसके कारण से स्वदेशी पर संकट खड़ा हो गया है, संस्कृति पर संकट खड़ा हो गया है, सभ्यता टूट रही है। जिस देश में वेदों की रचना हुई हो, जिस देश में गीता और रामायण की रचना हुई हो उस संस्कृति को विदेशी कम्पनियों के व्यापार के कारण खतरा पैदा हो गया है। वे केवल व्यापार करने हिन्दुस्तान में नहीं आती, गांवों का विकास नहीं करना चाहती।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, आपको अनुदान की अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रहना पड़ेगा। कृपया इस बात को समझिए कि यह चर्चा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर है। कृपया सामान्य चर्चा न की जाए। इस तरह से आप अपने वक्तव्य को दिए गए समय में समाप्त नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में रखे गये पैसे को किस तरह खर्च किया जायेगा, कहां खर्च किया जायेगा, उसे हम अच्छी प्रकार समझते हैं और मैं उसी की चर्चा यहां करना चाहता हूं। आज हमारे देश में जिस गति से विदेशी कम्पनियों को बुलाया जा रहा है, उससे यह सरकार हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करना चाहती है। मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि 500 घंटों में से, विदेशी कम्पनियों द्वारा संचालित दूरदर्शन के कार्यक्रमों में 450 घंटे सिर्फ क्रिकेट का प्रसारण दिखाया गया और मात्र 50 घंटे हिन्दुस्तान के गांवों के खेल दूरदर्शन पर प्रसारित किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियों की साजिश के अंतर्गत यह सरकार बजट में रख गये पैसे को खर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले कारीगरों की उपेक्षा की जाती है जो लोहे का सामान बनाता है, जो लकड़ी का सामान बनाता है, जो बुनकर है और कालीन बनाता है। इस तरह छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों का काम छीना जा रहा है। पहले अंग्रेजों के राज में ऐसे काम हुये थे लेकिन अब हिन्दुस्तान में विदेशी कम्पनियों के आने के कारण हमारे उद्योग फिर से संकट के कगार पर खड़े हो गये हैं, हमारा मजदूर संकट के कगार पर खड़ा हो गया है और उसका जीवन संकट के कगार पर खड़ा हो गया है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन में प्रस्तुत सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स में जो राशि मांगी गयी है, जिन्हें आप हमसे यहां पास कराना चाहते हैं, उन्हें पास करने के लिये हम आपसे सहमत नहीं हैं। हम जानते हैं कि इन डिमाण्ड्स के पैसे का खर्चा कैसे किया जायेगा। आप वही काम करेंगे जिससे आपका स्वयं का लाभ होगा या वही करेंगे जो विदेशी कम्पनियों के एजेंट आपको निर्देशित करेंगे या जिससे विदेशी कम्पनियों को लाभ होगा। हम लोग स्वदेशी और स्वावलम्बन के आधार पर इस देश का विकास चाहते हैं। हम लोग गांवों का विकास चाहते हैं, किसानों का विकास चाहते हैं और हिन्दुस्तान में रहने वाले हर कारीगर का विकास चाहते हैं और इसलिये इन डिमाण्ड्स को पास करने के लिये सहमत नहीं है।

यदि आप हमसे इन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स को पास कराना चाहते हैं तो स्वदेशी और स्वावलम्बन पर आधारित अर्थ-व्यवस्था देश में लाइये जिसका संदेश गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के समय दिया था। आप लोग महात्मा गांधी जी की तस्वीर को लेकर जनता से वोट तो मांगते हैं लेकिन गांधी जी को भूल जाते हैं। दूसरे लोगों को भूलना तो आपकी आदत है। आप कम से कम गांधी जी को तो याद करें जिनके सहारे आप लोग आज तक चलते रहे हैं। गांधीजी ने हमें स्वदेशी और स्वावलम्बन का नारा दिया था। स्वदेशी और स्वावलम्बन के आधार पर ही हमारा देश खुशहाल बन सकता है। इन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स को पास कराने के लिये हम तभी सहमत होंगे जब आप हिन्दुस्तान के गांवों को किसी तरह खुशहाल बनाने के लिये हमारे साथ सहमति जतायेंगे। इतना ही कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी-अनुपस्थित श्री याइमा सिंह युमनाम। कृपया संक्षेप में कहिएगा। केवल दो मिनट।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, श्री राम नाईक ने फोटो पहचान पत्र जारी करने के बारे में कहा है। मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि मणिपुर में चुनाव होने हैं क्योंकि 28 फरवरी, 1995 को उनकी सरकार की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी।

महोदय, पांच प्रदेशों में चुनावों की घोषणा करते समय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मणिपुर राज्य को छोड़ दिया है। मणिपुर राज्य में चुनावों की घोषणा न करने का एक कारण वहां पर फोटो पहचान पत्रों का अब तक जारी न हो पाना भी हो सकता है।

महोदय, मणिपुर में कठिनाई यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और वहां पर फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहां विद्यमान कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस विशिष्ट राज्य मणिपुर पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं और केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वे इस पर विशेष रूप से विचार करे ताकि मणिपुर में भी समय पर अर्थात् 28 फरवरी, 1994 से पहले चुनाव करवाए जा सके।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह हो सकता है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है इसलिए वहां चुनाव की घोषणा न की गई हो लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है और एक मंत्रालय गठित कर दिया गया है और मंत्रालय इस संबंध में निर्णय ले सकता है।

महोदय, इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मणिपुर के राज्यपाल मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, इससे पहले कि इस बात का पता चले कि कौनसा दल बहुमत में है जिसके लिए 23 दिसम्बर, 1994 का दिन नियत है अर्थात् के दो दिन बाद मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसी अभूतपूर्व बातों का अनुपालन नहीं करें। कौनसा दल बहुमत में है यह 23 दिसम्बर, 1994 को देखा जाएगा जिसके बाद इसका विस्तार किया जा सकता है। आइए, एक मानदंड निर्धारित करें। मैं इन्हीं बातों का निवेदन करना चाहता था। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो यह पैसा खर्च होगा वह पैसा जायज काम में खर्च हो या नाजायज काम में खर्च हो? यह पैसा गरीबों की सुविधा के लिए खर्च हो या अमीरों को सुविधा देने के लिए खर्च हो? अभी श्री राम नाईक जी ने आइडेंटिटी कार्ड बनाने का सवाल उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे किसी को कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर गरीबों का आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो, और वह यदि मतदान केन्द्र पर जाता है, तो वहां का अमीर आदमी उसे रास्ते में से ही वापस

कर देता है। उसकी रक्षा के लिए वहां कोई पुलिस नहीं रहती है। यदि पुलिस होगी भी, तो वह भी उसी जमींदार का साथ देगी। गरीब का साथ नहीं देगी। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इसके लिए आपकी तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस होनी चाहिए। चाहे इस पर कितना ही खर्च क्यों न हो।

सभापति महोदय, मैं बक्सर का रहने वाला हूं। मेरे क्षेत्र के बक्सर अंचल के गांव सैमरी में हरिजन वोट बनवाने के लिए मतदान केन्द्र पर गए थे, लेकिन उनको अपना पहचान पत्र नहीं बनवाने दिया। इसकी सूचना वहां के डी.एम. को दी गई, वहां के एस.डी.ओ. को दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह स्थिति केवल एक ही गांव की नहीं है बल्कि ऐसे अनेक गांव हैं जहां हरिजन एवं गरीब आदमियों को वोट नहीं बनवाने दिया जाता है। यही स्थिति चिल्हैरी और नैनीजोर गांवों की भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो सप्लीमेंट्री बजट है इसमें जो पैसा स्वीकृत किया जा रहा है उसका उपयोग जो गांव का जबर्दस्त आदमी है और जो गरीबों को अपना वोट बनवाने नहीं देता है, उसके खिलाफ दूसरे राज्य की पुलिस भेजने पर खर्च करना चाहिए। इस कार्य के लिए चाहे कितना ही पैसा क्यों न खर्च हो, लेकिन गरीबों को पुलिस प्रोटेक्शन की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपना मतदान पहचान पत्र बनवा सकें।

सभापति महोदय, यह कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में 15 जनवरी तक मतदान पहचान पत्र नहीं बनेंगे उन राज्यों में वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रकार की बात कैसे कही जा रही है। वोट डालने का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है। इसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। ऐसा किसी कानून में नहीं है कि यदि 15 जनवरी तक मतदान का पहचान पत्र नहीं बनेगा तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ऐसी बात कहने वालों से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे मूलभूत अधिकार को कैसे छीन सकते हैं। कोर्ट में भी पेश होने के लिए सी.पी.सी. में कानून है कि नोटिस दिया जाता है, लेकिन आपके इलैक्शन कमिश्नर डंके की चोट पर यह कह रहे हैं, उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा किस कानून के तहत लिखा हुआ है। हमारे इस अधिकार को छीनने के पहले हमारे ऊपर आप कानूनी नोटिस सर्व कराईए। बिना नोटिस दिए आपको हमारे इस फंडामेंटल राइट को लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा किसी भी विभाग द्वारा नहीं होना चाहिए कि जिनके पहचान मतपत्र नहीं बन पाए उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाए।

सभापति महोदय, कहा जा रहा है कि बंगलादेशी हमारे यहां आ गए हैं। यह बिलकुल गलत है। हमारे देश में जो भी आदमी छः महीने से अधिक समय से रह रहा है वह इस देश का निवासी है। वह देशद्रोही नहीं है, वह देश-हितैषी है। आप संविधान को पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह : मुझे धारा तो पता नहीं है, लेकिन संविधान में दिया हुआ है। आप संविधान पढ़ लीजिए। जो आदमी छः महीने से रह रहा है वह हमारे देश का नागरिक है। उसको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है।

3.00 म.प.

इसलिए केवल जाति के आधार पर यह कहना कि वह बंगलादेशी है, मैं समझता हूं कि गलत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप अनुपूरक मांगों पर बोलना चाहते हैं तो उस पर दृढ़ रहिए। कृपया अन्य विषयों पर नहीं जाइए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : एक बात और कही जा रही है कि हम देश के गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं। बिहार बहुत गरीब राज्य है। वहां पर बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं लेकिन आज 47 वर्ष के बाद भी वहां पर पुल नहीं बनाया गया है। पैसों के अभाव में ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां पर बड़े-बड़े पावर हाउस बनाने के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे? सरकार के बजट के प्रावधान के अनुसार गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रावधान है। क्या उस पैसे को वहां पर खर्च किया जाएगा? वह पैसा केवल ऐशो-आराम में खर्च होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। वह दिन दूर नहीं है जब लोग अपनी जुबान खोलेंगे और अपने हक के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। पहले कोई व्यक्ति मजदूरी नहीं मांगता था लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप गरीबों के पक्ष में पैसा खर्च करना चाहते हैं तो करें लेकिन यदि धनी लोगों के पक्ष में करेंगे तो देश इसे नहीं बक्शेगा।

मैं इस डिमांड का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, जो सामान्य बजट की अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केन्द्र सरकार का रवैया सौतेला और पक्षपातपूर्ण है। जिन प्रदेशों में जनता दल की सरकार है, चाहे वह बिहार हो, उड़ीसा हो या हमारी नई कर्नाटक की सरकार हो, केन्द्र सरकार का रवैया हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण है। इसलिए हम इस बजट का घोर विरोध करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आईडेनटिटी कार्ड का मामला उठाया गया है, उसके जरिए आप बूथ कैपचरिंग नहीं रोक पाएंगे। लोगों के द्वारा गरीबों के आईडेनटिटी का प्रतिबंध कार्ड छीन लिए जाएंगे, उन्हें बूथ तक नहीं जाने दिया जाएगा। यदि आईडेनटिटी कार्ड नहीं है तो गरीब आदमी भी सही वोट डाल

सकता है। मैं आईडेनटिटी कार्ड का विरोध नहीं करना चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूं कि जब हम कॉलेज में चुनाव करवाते थे तो कम से कम 20 या 25 प्रतिशत...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

डा. एस.पी. यादव : आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बात यह है कि आप उस विषय पर नहीं बोल रहे हैं जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मुख्य विषय है अनुपूरक मांगें। हमारे पास इस विषय पर चर्चा के लिए काफी सामग्री है। यदि आपको अनुपूरक मांगों पर कुछ कहना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा, कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव : आपने जो बजट की मांग रखी है, हम उसी पर बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा पहचान पत्रों पर नहीं की जा रही है। कृपया बैठ जाइए। यदि आप अनुपूरक मांगों के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं लेकिन पहचान पत्र पर नहीं।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव : हम जो प्वाइंट रखना चाहते हैं, आप उन्हें रखने दीजिए। यदि आप सुनना नहीं चाहते तो हम बैठ जाते हैं। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं।

मैं यह कह रहा था कि आईडेनटिटी कार्ड की एक ऐसी रैमेडी ढूंढ ली है जिसे दिखा-दिखाकर राज्य सरकारों को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि बजट में ग्राम विकास के बारे में कहा गया है। हम कहना चाहते हैं कि एम. पीज़ के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट के रूप में जो ग्रांट दी गई है, वह इतनी कम है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्योंकि, हम लोग 10-10 लाख लोगों से चुनकर आते हैं। हमारे यहां कोई भी एम.पी. ऐसा नहीं है, जिसके क्षेत्र में 10 लाख वोटर्स न हों। उत्तर प्रदेश में एक, लोक सभा क्षेत्र में 5 विधान सभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं, बिहार में 6 विधान सभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में 5 विधान सभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं, वहां केवल एक करोड़ रुपये देकर काम चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक विधान सभा क्षेत्र के हिस्से में केवल 20 लाख रुपये आता है, जिससे कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस धनराशि को अविलम्ब बढ़ाया जाय और इसे कम से कम 2 करोड़ रु. किया जाय या फिर विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से 50-50 लाख रु. प्रति विधान सभा क्षेत्र किया जाय। इससे समान व्यवहार हो सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. के लिए हमें जो आदेश दिया गया था कि आप विकास कार्य में सड़क, पुल या पुलिया बनाना चाहते हैं तो वह पी डब्ल्यू डी से बनवाना है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 27 परसेण्ट ज्यादा बढ़ाकर पी डब्ल्यू डी के यह लोग एस्टीमेट पेश करते हैं, जिससे उस काम में हमारा ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसमें कमीशन का मामला भी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई मार न लगाई जाय कि उसे पी डब्ल्यू डी ही बनाये ताकि हमारा 27 परसेण्ट पैसा बच सके और वेस्ट न हो।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) :...(व्यवधान) यह लोग हिन्दी में ही समझते हैं इसलिए मैं हिन्दी में ही बोलना चाहती हूं ताकि इन लोगों की समझ में कुछ आये।

मैं आइडैन्टिटी कार्ड के बारे में कहना चाहती हूं, जो सवाल यहां उठाया गया है। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि आइडैन्टिटी कार्ड सिटीजनशिप के लिए जरूर होना चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। इस कण्ट्री में सिटीजनशिप राइट के लिए आइडैन्टिटी कार्ड बनाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों बूथ रिंगिंग के कारण, बूथ कैप्चरिंग के कारण, मनी पावर, मसल पावर और माफिया पावर के कारण सही इलैक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहती हूं।...(व्यवधान)** आप ध्यान से सुन लीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत अनुचित बात है। वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बोलने का हक है। उनकी तरह मैं भी संसद सदस्या हूं। मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि कोई बात असंसदीय है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटाना अध्यक्षपीठ का कर्त्तव्य है। आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। कृपया सभा के कार्य संचालन में अधिकारी की सहायता कीजिए। आप इस तरह से दखल नहीं दे सकती हैं। कोई भी दखलंदाजी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कृपया कार्य संचालन में पीठासीन अधिकारी की सहायता कीजिए। हमारे पास अन्य बहुत सी मदें हैं। कृपया जारी रखिए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : विरोधी दल के लोगों की बात मैं ध्यान से सुनती हूं। यह संसद लोकप्रिय संसद है और यह हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये क्या है?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह शब्द कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा है**...महोदय, इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए।...**(व्यवधान)** महोदय, उन्होंने मुझे **..कहा है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि**...। महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए। यह असंसदीय है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। सभी पक्षों द्वारा की गई असंसदीय अभिव्यक्तियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कृपया इस तरह से दखल मत दीजिए। ममता जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह बात किसने शुरू की?

सभापति महोदय : यह दोनों ओर से हुआ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाने से किसान बहुत परेशानी में है। इस कारण फाइनान्स मिनिस्टर से मैं कहना चाहती हूं कि वह इस तरफ खास तौर से ध्यान दें। किसानों को अगर फर्टिलाइजर ठीक ढंग से नहीं मिलता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसको देखे।...**(व्यवधान)** ऐसी बात सुनना भी क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? क्या किसान के भले की बात भी आपको अच्छी नहीं लगती है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उसे मत सुनिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केन्द्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के 80 परसैंट किसान गांवों में रहते हैं। फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ जाने से किसान अच्छे ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं। इसके दाम अवश्य कम किये जाने चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो असैंशल कमोडिटीज हैं—जैसे चावल, शुगर, बेबी फूड, इनके दाम भी कम होने चाहिये। फेयर प्राइस शाप्स में जो चीजें मिलती हैं, उनके दाम भी बढ़ गये हैं। केन्द्र सरकार इस तरफ ध्यान दे।

आज हमारे देश में 3 करोड़ युवक बेरोजगार हैं। इनके नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। हमारी स्टेट में 50 लाख युवक बेरोजगार हैं। वहां 110 इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। इस कारण मजदूर भूखों मर रहे हैं। जब मैं हाउस में इसके बारे में बोलती हूं तो हमारे सी.पी.एम. के साथी चिल्लाते हैं। मैंने भ्रष्टाचार की बात का कभी समर्थन नहीं किया है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है चाहे इस पार्टी का हो या दूसरी किसी पार्टी का हो, उसका सभी को विरोध करना चाहिये। सभी स्टेट्स में एक जैसी पोलिसी होनी चाहिए। हमारी स्टेट में और बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है।

[अनुवाद]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि सरकार को उर्वरकों और आवश्यक वस्तुओं की समस्या पर गंभीरता से गौर करना चाहिए ताकि लोगों को चीजें उचित मूल्यों पर मिल सकें।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें दूसरी बार प्रस्तुत की जा रही है। मेरे मस्तिष्क को उद्वेलित कर देने वाला प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति में बजट की जरा सी भी प्रासंगिकता है जबकि बाहर से हजारों करोड़ रुपए की राशि देश में आ रही है और लगभग उतनी ही राशि प्रतिभूति घोटाले के रूप में और अब इस घृणित चीनी घोटाले के रूप में देश से बाहर जा रही है।

महोदय, बजट के परिणामों का आंकलन करना असंगत नहीं होगा। मैं सरकार की आर्थिक नीतियों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन बजट के बाद हमने यह देखा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। जिसका मेरी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी ने पहले ही उल्लेख किया है, और बन्द हुए रूग्ण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकार चाहती है कि हम वर्ष की शेष अवधि में इतना धन और व्यय करने की अनुमति दें। महोदय, लेकिन हमें आश्चर्य है कि सरकार यह नहीं सोचती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के कामगारों को वेतन देना उसकी जिम्मेदारी है। महोदय, पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की काफी कम्पनियां रूग्ण हैं और उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ उद्योग, एम.जे.एम.सी., एन.टी.सी. के कामगारों, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी और उसकी सहयोगी कम्पनी रेरोल बर्न के कामगारों, जे.ई.एस.एस.आई.पी. और ब्रेथवेट के कामगारों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।

जबकि मंत्री असुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारी तिजोरी से बहुत सा धन निकलकर बाहर जा चुका है, इन अभागे कामगारों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

करे और इस सभा को आश्वासन दे कि हमारे देश में किसी भी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के किसी कर्मचारी और कामगार का वेतन तथा मजूदरी न रोकी जाए और इसका समय पर भुगतान किया जाए? हम चाहते हैं कि इस सम्मानीय सभा को यह गारन्टी आज ही दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि छोटे उद्योग बन्द किए जा रहे हैं। महोदय, आज उनकी संख्या लगभग आठ करोड़ है। यदि हम उनके परिवारों के बारे में सोचें, यदि हम उनका योग करें, जो लोग उन पर निर्भर हैं, तो उनकी संख्या 32 करोड़ से अधिक होगी। ये लोग कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। लेकिन भारत में सभी राज्यों में उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलने की गारन्टी नहीं है और इन खेतिहर मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा के उपाय नहीं है।

अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन ने आज संसद के सामने धरना दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहां पर साल बिताने के बाद भी हम उनके जीवनयापन की गारन्टी, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु व्यापक विधेयक अभी इस सभा में नहीं ला पाए हैं। अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अनुपूरक अनुदान मांगों में इसके लिए प्रावधान किया जाए।

महोदय, सरकार ने अपने बजट में इस सभा को आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को बन्द करने पर या रुग्ण घोषित किए जाने पर मजदूरों को फिर काम पर लगाया जाएगा। लेकिन सरकार फालतू मजदूरों, यदि उनके पास कोई है, के प्रशिक्षण पर कितना धन खर्च कर रही है ताकि उन्हें भविष्य स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों में खपाया जा सके? मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को बहुत कम राशि उपलब्ध कराई गई है। आज जबकि जूट मिलें अच्छा मुनाफा कमा रही हैं और अन्य देशों में जूट के लिए अच्छे बाजार हैं हमारे देश में जूट मिलें रुग्ण हो रही हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें जूट की आपूर्ति नहीं की जा रही है और आवश्यक जूट प्राइवेट पार्टियों से खरीदा जा रहा है जो कि घटिया किस्म की जूट है। जूट निगम ने अभी तक बाजार में प्रवेश नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप पटसन की खेती करने वाले किसानों को इससे वंचित किया जा रहा है।

अतः हम यह राशि सरकार को मंजूर करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार को इसके बदले में यह वायदा करना चाहिए कि जूट कारपोरेशन जूट की खरीद शुरू करेगा और उसकी आपूर्ति एन.जी.एम. सी. को करेगा ताकि वह चालू रह सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का सरकार ने इस आश्वासन के साथ अधिग्रहण किया था कि वह उनका आधुनिकीकरण करेगी। लेकिन सरकार ने उनके आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए धन व्यय नहीं किया। उन इकाइयों के पास काफी मात्रा में आर्डर हैं। बैंक उनको गारन्टी नहीं दे रहे हैं और सरकार उन्हें कोई कार्यशील पूंजी नहीं दे रही है, अतः कोई भी मिल मजदूरों की वजह से रुग्ण नहीं हो रही है। बल्कि इसका कारण यह है कि सरकार इन उद्योगों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं करवा रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर विचार करें और इस बजट में इसके लिए प्रावधान करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। तथापि, इस वर्ष विशेष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों में अभिव्यक्त सरकार के दृष्टिकोण का मैं विरोध करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमें संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट मिली है। मैंने पहले खण्ड का अध्ययन कर लिया है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि हम इस रिपोर्ट का क्या करेंगे।

सभापति महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कब?

सभापति महोदय : अब, हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हम इसे पूरा कर लें। बाद में हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उसका निर्णय हम करेंगे। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संशोधित की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट में नई बात कुछ भी नहीं है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप जब इस मामले पर चर्चा करेंगे, तब इस बात का उल्लेख कर सकते हैं। अब आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अभी नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने इस रिपोर्ट के लिए तीन महीने तक प्रतीक्षा की है और इसमें कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदय : आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको क्यों याद दिलाऊं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, वह व्यवस्था के अनुकूल नहीं है?

श्री बसुदेव आचार्य : व्यवस्था अनुकूल क्यों नहीं है?... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह संशोधन व्यवस्थानुसार नहीं है।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी जी, आपने अपनी बात कह दी है। फिर आप अपना स्थान क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? आपने अपनी बात कह दी है। इस सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम पर दबाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है...**(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है?

श्री मुकुल वासनिक : माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट पढ़ी है और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार से वे सदन की कार्यवाही अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह कैसा मजाक है?

सभापति महोदय : श्री चटर्जी जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। श्री चटर्जी जी, मैं आपको अपनी बात रखने की अनुमति कुछ देर बाद दूंगा। अब, आपने अपनी बात कह दी है और अब आप कृपया बैठ जाइए क्योंकि इस सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली है। आप जो भी मुद्दे उठाना चाहते हैं, उसे चर्चा के दौरान उठा सकते हैं और इसपर अभी चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। अब सदन में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि इस पर चर्चा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। मैं यही बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी जी, सदस्यों को रिपोर्ट का अध्ययन करने दीजिए। आप अपनी बात अभी क्यों कह रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : हमने रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है. ..**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही उसकी अनुपयुक्तता का पता चल सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार की चर्चा के लिए यह ठीक समय नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं पूरी गम्भीरता के साथ यह कहता हूं कि यह सरकार अनुपूरक अनुदान को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह सरकार अनेक दुष्कर्मों, गलत कार्यों तथा राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात करने की दोषी है और मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीति आरम्भ करने, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां अपनाने, देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी नियंत्रण में लाने, व्यापक भ्रष्टाचार फैलाने की दोषी है और साथ ही यह एक ऐसी अयोग्य सरकार है जहां प्रधान मंत्री अपने कागज-पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इस सरकार को हमने अब तक जितना धन दिया है, यह उससे अधिक धन पाने के योग्य है।

परन्तु, महोदय, यह एक धन विधेयक है और इस विधेयक को अस्वीकार करने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है और शायद इसलिए कुछ कटौतियों के साथ हम इस विधेयक को अनुमति दे सकते हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार अपने कार्य से देश में फैल रहे असंतोष पर ध्यान दे। पूरे देश में कुछ ऐसी धारणा बना दी गई है कि देश की स्थिति सरकार के नियंत्रण में नहीं है और सरकार के पास कोई सही दिशा, उद्देश्य नहीं है और सरकार यह नहीं जानती है कि वह किस दिशा में जा रही है और उसे यह भी पता नहीं है कि अपने प्रयासों में उसे जीत मिल रही है अथवा हार। अतः, मैं महसूस करता हूं कि हमें अनुपूरक अनुदान विधेयक को आसन्न त्रासदी के रूप में देखना चाहिए।

कटौती प्रस्ताव के दौरान, मेरे मित्र श्री राम नाईक जी ने मतदाता सूचियों में संशोधन करने संबंधी प्रश्न उठाया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि श्री राम नाईक एवं उनके दल ने देश में विभिन्न शहरों एवं स्थानों पर विदेशी नागरिकों के होने की खबर देकर, जैसा कि उनका विचार है, अपने देशभक्त होने का कर्त्तव्य निभाया है। मैं समझता हूं कि वे कोई देशभक्ति का कर्त्तव्य नहीं निभा रहे हैं बल्कि एक अलगाववादी कार्य कर रहे हैं, साम्प्रदायिक खेल खेल रहे हैं... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शहाबुद्दीन जी, यह पूर्णतः अलग विषय है...

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। चूंकि यह मुद्दा उठाया गया है, अतः मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं. ..**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये...

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, उन्होंने दस मिनट तक बोला है। आप मुझे केवल दो वाक्य बोलने दीजिए। मैं अपने विषय से हटकर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यह धनराशि चुनाव अयोग पर तथा पहचान पत्रों पर व्यय की जाने वाली है और इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अथवा दल, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरी ओर संकेत करके मुझे 'विदेशी' कहेंगे, तो मैं विदेशी नहीं बन जाता हूं। देश का कोई नागरिक गैर-नागरिक नहीं बन जाता, किसी व्यक्ति को गैर-व्यक्ति में नहीं बदला जा सकता है। उचित कानून की प्रक्रिया द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि यदि इस सरकार में हिम्मत है तो वह देश के सभी भागों में, सभी जिलों में, कानून के अन्तर्गत न्यायाधिकरण स्थापित करें और उन सभी मतदाताओं को, जिनपर मेरे मित्र श्री राम

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नाईक उंगली उठा रहे हैं, न्यायाधिकरण के समक्ष बुलाया जाये और वहां पर यह निर्णय किया जाए कि वे लोग विदेशी हैं अथवा भारतीय नागरिक। मैं नहीं समझता कि वह किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय कैसे करेंगे। पुलिस, जनगणना करने वाला व्यक्ति मात्र कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करके किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय कैसे करेंगे...(**व्यवधान**) क्या उनके पासे उनका अपना जन्म प्रमाण-पत्र मौजूद है अथवा उनके पिता का जन्म प्रमाण-पत्र मौजूद है...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं आपकी बातों के आगे झुक नहीं रहा हूं।

सभापति महोदय : वे नहीं झुक रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं पहचान-पत्रों के बारे में केवल दो बातों की ओर इशारा करना चाहूंगा...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय, उन्होंने मेरा विशेष उल्लेख किया है अन्यथा मैं खड़ा नहीं होता। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जी नहीं, मैं नहीं झुक रहा हूं। आप बाद में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। महोदय, जहां तक पहचान पत्रों का संबंध है...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चूंकि उन्होंने तीन बार मेरा नाम लिया है, मैं उनके द्वारा उठाये गये मामलों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे पास प्रमाण हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि मतदाता सूचियों में विदेशियों का कोई नाम नहीं है?...(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, वह एक ही समय न्यायाधीश, अभियोक्ता और जल्लाद नहीं हो सकते हैं। मुम्बई पुलिस और दिल्ली में अपने सरकार की मिली भगत से...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : क्या आपको विश्वास है कि हमारे पास जो मतदाता सूचियां हैं उसमें विदेशी नागरिकों का कोई नाम नहीं है?...(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आपको कैसा विश्वास है?

श्री राम नाईक : इसलिए कि हमने पता लगाया है।...(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : न्यायालय को इसका निर्णय करने दीजिए...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नहीं। यह ऐसा नहीं हो सकता।

(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, इसे अपनी बात रखना नहीं कहते हैं। ये बात उनको क्यों चुभ रही है?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : जहां जूता चुभता है वहां बराबर चुभ गया।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, इसमें अन्य सदस्यों की तो कोई बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये।...(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : आप जो कह रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री शहाबुद्दीन जी, कृपया अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर लीजिये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हां, महोदय। जहां तक संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी योजना का संबंध है...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, यहां तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा है कि दिल्ली में तकरीबन आधे रिक्शाचालक बंगलादेशी हैं। माननीय सदस्य इस बात का कैसे विरोध कर सकते हैं एवं यह कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई विदेशी नागरिक नहीं रह रहे हैं?...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह तो बहुत ज्यादती है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आज जो लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुस आए हैं उनके बारे में कोई नियम बनेगा या नहीं?...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सही नहीं है। आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं। यह तो बहुत ज्यादती है। कृपया आप बैठ जाइये। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। यह अध्यक्षपीठ की अवज्ञा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप इसे दोहरा रहे हैं।

श्री शहाबुद्दीन जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। कृपया केवल अनुपूरक मांगों पर ही बोलिये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं केवल अनुपूरक मांगों पर ही बोल रहा हूं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का संबंध है, 12 अथवा 13 निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका कि लोक सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिये। अतः, मेरा यह सुझाव है कि अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों की तरह धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दी जाये तथा एक समिति बनाई जाये जिसमें कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधायकों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाये और यह समिति प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं के बारे में कलैक्टर को सलाह दे ताकि इसका लाभ जनता तक पहुंच सके तथा वे इस सुविधा से वंचित न रहें।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलरु) : सभापति महोदय, अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करना सरकार की एक आम आदत बन गई है। यद्यपि उन्होंने कुछ धनराशि के लिए पहले-से अनुमान लगाया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे जरूरतों का समुचित आंकलन करने में सक्षम नहीं है तथा मेरी राय में उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए भी अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिये, जोकि देश की भावी आवश्यकताओं के लिए परम आवश्यक है। जैसा कि मेरे मित्रों ने भी उर्वरक के बारे में उल्लेख किया है, इस हेतु उन्होंने जो धनराशि प्रदान की है उससे थोड़ी अधिक धनराशि की जरूरत है तथा उन्हें उर्वरक उद्योग एवं उर्वरक लागत भी कम करने में सहयोग देना चाहिये, ताकि किसान खाद्यान्न उत्पादन में सहयोग दे पायें। खाद्य पर राजसहायता का प्रावधान भी करना चाहिये। चावल पर राजसहायता का प्रावधान होना चाहिये। जहां यह राजसहायता राज्य सरकारें प्रदान कर रही हैं, वहां केन्द्र सरकार को उनका संरक्षण करने में सक्षम होना चाहिये तथा उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिये। जहां पर उन्होंने मद्य-निषेद्य लागू किया है, वहां भी केन्द्र सरकार को मद्य-निषेद्य की लागत कम करने में सहायता करनी चाहिये, ताकि उन्हें इसमें शामिल किया जा सके तथा उनसे कुछ योगदान मिल सके।

जहां तक जन-हित एवं ग्रामीण विकास का संबंध है, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि यह नितान्त अनिवार्य है तथा सम्भवतः वे इस प्रयोजन हेतु बेहतर शर्तों सहित आगे आयें और उन्हें लागत और वेतन एवं मजदूरी पर होने वाले अन्य व्यय को कम कर पाने में समर्थ होना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट और अधिक ध्यान से प्रदान किया जाए। गैर-प्राथमिकता वाले व्यय को कम करना चाहिये। यद्यपि, इस वर्ष वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों ही के माध्यम से बेहतर राजस्व एकत्रित कर पाये हैं। इस धनराशि को ऊर्जा-परियोजनाओं का विकास करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिये था तथा उन्हें आम आदमी को बेहतर राजसहायता एवं बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये थीं।

सभापति महोदय : कुछ और वक्ता बोलना चाहते हैं। मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया बहस में भाग लीजिये ताकि यह बहस अभी पूरी की जा सके। सरोज दुबे जी, मुझे आपका नाम अभी-अभी मिला है। भाजपा के तीन सदस्य और बोलना चाहते हैं। हमें अब यह चर्चा पूरी कर लेनी चाहिये। अतः, मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि बोलने के लिए दबाव मत डालिये। अन्यथा, हम यह चर्चा आज पूरी नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। मैं जहां से चुनकर आया हूं वह सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अग्निहोत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि चर्चा में भाग मत लीजिये। हमें अब यह चर्चा समाप्त करनी चाहिये। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। आपकी पार्टी से पहले ही दो सदस्य बोल चुके हैं। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। मैं अकेले आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया मुझे सहयोग दीजिये।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : सभापति महोदय, हमारी पार्टी से केवल एक ही सदस्य बोले हैं।

सभापति महोदय : कांग्रेस-पार्टी से भी इस बहस में मात्र एक ही सदस्य बोले हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : इस पर सिर्फ दो घंटे तय किये गये हैं। आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं मंत्रीजी से केवल दो सवाल करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको मुझे सहयोग देना चाहिये। दुबे जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं उन सदस्यों के नाम नहीं पुकार रहा हूं जिनके नाम मुझे अभी-अभी प्राप्त हुए हैं तथा सूची में जिन अन्य सदस्यों के नाम पहले से ही हैं, उनसे भी मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस बहस में भाग न लें। हमें मंत्री महोदय को बहस का उत्तर देने की अनुमति देनी चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। अतः, कृपया बोलने के लिए दबाव मत डालिये। तकनीकी तौर पर आपकी पार्टी से मात्र एक ही सदस्य को बोलना चाहिये था, परन्तु इस बहस में पहले ही दो सदस्य बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, हमारे यहां एक भी पैसा नहीं दिया...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सभी का आभारी हूं। उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं तथा उन सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अपनी टिप्पणी केवल अनुपूरक मांगों की मदों तक ही सीमित रखूंगा।

आज, हम वित्तीय वर्ष 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुल 5786.83 करोड़ रुपये की 25 मांगें शामिल हैं। सकल व्यय की एवज में बचतों एवं वसूलियों तथा बढ़ी हुई प्राप्तियों को 3825.02 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। वास्तव में, इससे 1961.81 करोड़ रुपये की शुद्ध नकद राशि का आहरण होगा।

अनेक सदस्यों ने उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार भी इस बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही हैं, हमने इन अनुपूरक मांगों में यूरिया के आयात हेतु 666 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति महोदय, आज तो खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रही है। इस कारण किसान उत्तेजित हैं। खाद न दिये जाने से फसल पूरी नहीं आ पा रही है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर कुछ रियायतें देनी चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अग्निहोत्री जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? वह भी बिल्कुल इसी विषय पर बोल रहे हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, आदान-कीमतों में वृद्धि, सीमाशुल्क हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता तथा घरेलू उर्वरकों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, हमने 500 करोड़ रुपये की धनराशि और आबंटित की है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन एवं फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को भी यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु 109.7 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किये जाने की जरूरत है।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री राम नाईक जी ने तीन कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनको एक-एक करके लूंगा।

पहला कटौती प्रस्ताव सभी मतदाताओं को शीघ्रातिशीघ्र पहचान पत्र जारी करने और विदेशियों के नाम मतदाता सूची से निकालने के बारे में है। हमने 225 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी और शेष 50 प्रतिशत राशि हमने अनुपूरक मांगों के लिए आबंटन के रूप में दे दी है। जहां तक कटौती प्रस्ताव का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पहचान पत्र जारी करने की योजना से सैद्धांतिक रूप से सहमत है और योजना पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे 50 प्रतिशत व्यय को वापिस करने के लिए भी सहमत हो गई है।

जहां तक विदेशियों के नाम मतदाता सूची से निकालने का संबंध है, कानूनी रूप से केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं और मतदाता पंजीकरण प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं कि केवल पात्र व्यक्तियों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।

महोदय, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कटौती प्रस्ताव संख्या 2 के बारे में श्री राम नाईक ने यह आपत्ति की है कि इस अनुपूरक मांग के लिए आबंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है जबकि उन्हें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से यह पत्र मिला है कि प्रमुख मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पहले इस योजना को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाया जाना था लेकिन चूंकि प्रधान मंत्री ने यह घोषणा कर दी इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तत्काल धन दे दिया गया क्योंकि योजना लागू करने के लिए यह आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। इसीलिए सरकार ने धन देने का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा था।

इस योजना को लागू करने के लिए अनेक संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त उनके अनुभवों और उन्हें हुई कठिनाइयों के आधार पर नए मार्गनिर्देश जारी करने का मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने और बंबई में वस्त्र मिलों को राष्ट्रीयकृत करने के बारे में श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत तीसरे कटौती प्रस्ताव के बारे में मेरा यह कहना है कि विशेष त्रिपक्षीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि अधिग्रहीत की गई मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। प्रस्ताव की जांच की पुनः जांच की जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री राम नाईक : अभी तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह मुद्दा गत सप्ताह भी उठाया गया था। इसे प्रशासनिक मंत्रालय देखेगा। उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मेरे विचार से संबद्ध मंत्रालय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री राम नाईक से अपील करता हूं कि वह सभी कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और मैं इस सभा के सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वे अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करें।

सभापति महोदय : क्या आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम नाईक : चूंकि उत्तर संतोषजनक नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव 1,2 और 3 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखता हूं :-

प्रश्न यह है : "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबोधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 4, 5, 6, 11, 15, 27, 29, 38, 40, 41, 46, 47, 49, 58, 69, 71, 78, 80, 83 और 86"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.49 म.प.

विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक*, 1994

सभापति महोदय : अब हम विनियोग विधेयक पुरःस्थापित, विचार करने और पारित करने संबंधी मद संख्या 21 और 22 लेते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय विचार करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :** "कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदयः अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

* दिनांक 20.12.94 को भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत

3.53 म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1994-95

सभापति महोदय : अब सभा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) पर चर्चा करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदान की मांग की राशि
16. परिसंपत्तियां-खरीद	निर्माण और बदलाव	
अन्य व्यय		
रेलवे निधियां		11,000

सभापति महोदय : अब श्री राम नाईक अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधि और न्याय मंत्रालय के संबंध में 225,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 20) में 100 रुपये कम किए जायें।

(सभी मतदाताओं को यथाशीघ्र पहचान-पत्र जारी करने और विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की आवश्यकता) (1)

कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 110,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 21) में 100 रुपये कम किए जायें।

(संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ताकि विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब न हो) (2)

कि वस्त्र मंत्रालय के संबंध में 60,01,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 23) में 100 रुपये कम किये जायें।

(राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने तथा मुंबई में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता) (3)

[हिन्दी]

सभापति जी, वैसे देखा जाए तो यह केवल 11 हजार रुपए की डिमाण्ड है इसलिए ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन 11 हजार की डिमाण्ड के अंदर सात अलग-अलग डिमाण्ड्स हैं और डिमाण्ड की चर्चा करते समय पुस्तिका में यह कहा गया है रिअप्रोप्रिएशन से हम अलग-अलग जगह से पैसा लाएंगे और इसलिए केवल 11 हजार रुपए ज्यादा लगेंगे। लेकिन रिअप्रोप्रिएशन से जो पैसा आने वाला है वह लगभग 538 करोड़ रुपया है इसलिए यह 538 करोड़ रुपए की मांग है। इस पर मैं संक्षिप्त में अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं केवल तीन मांगों के बारे में, जिसके बारे में मैंने कट मोशंस दिए हैं, उन्हीं के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। पहला, इसमें नई लाइन के लिए कहा गया है कि नई लाइन के लिए 170 करोड़ रुपए की यह मांग है। रेल मंत्रीजी को याद होगा कि 6 दिसंबर को रेलवे मंत्रालय की सलाहकार समिति की जो मीटिंग हुई उसमें आपने मुम्बई की उप नगरीय सेवा के लिए 6 पाइन्ट प्रोग्राम घोषित किया और उसमें करीब 200 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें इस बात का उल्लेख किया था कि बोरिविली से विरार तक चार लाइन बनेगी और शांताक्रुंज से विरार बोरिविली तक पांच लाइन बनेगी। लेकिन मैं इस सप्लीमेंटरी डिमाण्ड में देख रहा हूं कि उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो 200 करोड़ रुपया आप खर्च करने वाले हैं उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जब आप सप्लीमेंटरी डिमाण्ड में यह बात नहीं लाए हैं तो फिर यह खर्च आप कहां करेंगे या यों ही सलाहकार समिति में कह दिया? मैं इस सदन में आपसे यह विश्वास चाहता हूं कि मुम्बई के लिए जो 200 करोड़ की घोषणा की है उसको इसी साल में क्रियान्वित करेंगे।

मेरी दूसरी मांग डिजिल मल्टीपल यूनिट्स के बारे में है। आपने पुल-पुश ट्रेन के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग की है और कहा है कि इससे हम 10 नई गाड़ियां बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यह पुल-पुश ट्रेन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और उसमें एक पुल-पुश ट्रेन दो साल पहले मेरे क्षेत्र में भी विरार से डहाणू तक लायी गई थी और उसका काफी लाभ भी हुआ है। आपने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि जो 10 नई गाड़ियां आएंगी वे कौनसे क्षेत्र में देने वाले हैं। पहले हमने मांग की थी कि उसमें एक विरार डहाणू वैस्टर्न रेलवे के सैक्टर में और दूसरी सेन्ट्रल रेलवे के दिवा-बसई जहां से आपने लोकल सर्विसेज शुरू की है, वहां दी जाए तो उसका निश्चत तौर पर लाभ होगा और इसलिए इन दो जगह पर एक-एक नई डी.एम.यू. गाड़ी आएगी, इस प्रकार की बात मैं कहता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घोषणा आप करें और उसमें ये दो उप नगरीय क्षेत्र बहुत महत्व के हैं, बहुत भीड़ वाले हैं, ऐसे क्षेत्रों की सहायता हो सकती है। आपको इस पर विचार और निर्णय करना चाहिए।

तीसरी मांग ट्रैक मेन्टेनैंस के बारे में जिसके लिये 89 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। मैं समझता हूं कि ट्रैक मेन्टेनैंस का काम हमारे उपनगरीय रेल क्षेत्र में बहुत मुश्किल है। मुम्बई जैसे शहर में, आप जानते हैं कि ट्रेनों के समय पर न चलने के कारण लगातार लोगों के दंगे होते रहते हैं या दूसरी गड़बड़ी होती रहती है, उसका वर्णन मैं यहां दोबारा नहीं करना चाहता लेकिन वहां गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं, डी-रेलमेंट हो रहे हैं और उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि ट्रैकों की मेन्टेनैंस बराबर नहीं है। इसे आपने भी माना है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी माना है।

मैं जानना चाहता हूं कि जो नई औटोमैटिक मशीनरी ट्रैक मेन्टेनैंस के लिये आप लाने वाले हैं, उसका उपयोग मुम्बई क्षेत्र में करने वाले हैं या नहीं क्योंकि मुम्बई की उपनगरीय रेल सेवा सुबह 4.00 बजे शुरू होती है और रात को 2.00 बजे समाप्त होती है। तात्पर्य यह है कि रोजाना 22 घंटे उस ट्रैक पर गाड़ियां चलती रहती हैं और ट्रैक मेन्टेनैंस के लिये आपके पास सिर्फ दो घंटे बचते हैं औरे उस समय ट्रैक मेन्टेनैंस करना बहुत ही मुश्किल है।

दूसरा कारण यह भी है, जैसे आप जानते हैं कि मुम्बई शहर में आवश्यक टॉयलेट न होने के कारण रेल की पटरी के पास ही लोग प्रातः-कर्मों के लिये बैठ जाते हैं जिसके कारण मुम्बई शैहर को हम टॉयलट सिटी भी कहते हैं। जिसे जहां जगह मिलती है, वह वहीं प्रातः-कर्म के लिये बैठ जाता है। जब ट्रैक मेन्टेनैंस के लिये मजदूर जाते हैं तो जगह-जगह गंदगी होने के कारण वे काम नहीं कर सकते। इस कारण औटोमैटिक मशीनों के जरिये ट्रैक मेन्टेनैंस कराना वाजिब बात है, योग्य बात है। आप जो मशीनें खरीदेंगे, क्या वे हमारे मुम्बई क्षेत्र में आयेंगी या नहीं, इस संबंध में मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि जिन तीन बातों के लिये मैंने कट-मोशन्स दिये हैं, उनके बारे में मंत्री जी निश्चित रूप से अपने विचार यहां बतायेंगे। इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मुझे समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं क्योंकि अपने दल के आप पहले वक्ता हैं।

श्री राम नाईक : मैं पहला वक्ता इसलिए हूं क्योंकि मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : श्री बसुर्देव आचार्य बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चीनी घोटाले पर चर्चा 4 बने आरम्भ की जानी है।

सभापति महोदय : यदि आप डेढ़ मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दें तो कम से कम दो सदस्य बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप मुझे कम से कम दस मिनट दीजिए।

सभापति महोदय : आप पहले अपना वक्तव्य आरम्भ कीजिए। कृपया अपने वक्तव्य को तीन मिनट के भीतर समाप्त करने की *कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी* बात संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मंत्री ने केवल 11,000 करोड़ रु. की अनुपूरक मांगों के लिए कहा है।

सभापति महोदय : आपको कितना समय चाहिए?

श्री बसुदेव आचार्य : दस मिनट।

सभापति महोदय : आप कुछ अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर क्यों नहीं देते हैं जो कि केवल तीन मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त कर सकते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कल अपना वक्तव्य जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : आप इसके बाद बोल सकते हैं। हम 4 बजे चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कल अपना वक्तव्य जारी रखूंगा। मैं अब केवल एक मिनट लूंगा और कल अपना वक्तव्य जारी रखूंगा।

रेल मंत्री ने कुछ नई परियोजनाओं के लिए जिनमें से एक नई बड़ी लाइन मन्दार हिल से रामपुर हाट बरास्ता दुमका का निर्माण किया जाना है, को आरम्भ करने के लिए 11000 करोड़ रुपए की मांग की है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह नई लाइन है। यह हमारे देश का एक पिछड़ा हुआ और जनजातीय क्षेत्र है।

इसके अलावा दो-तीन लाइन बदलने संबंधी हैं और रेल मंत्रालय पुश-पुल डी एम यू को आरम्भ करने के लिए पटरी के रख-रखाव के लिए कुछ मशीनें प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए उन्हें छः करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

4.00 म.प.

अतः कुल मिलाकर उन्होंने इन सब परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मांग की है। महोदय, अब चार बज चुके हैं।. ..**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : महोदय, चार बज चुके हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। वह अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया आप अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इन सब परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन सभी परियोजनाओं को चालू वर्ष के रेल बजट में शामिल कर लिया गया था।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वे कुछ अच्छे मुद्दे रख रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी तब उनके पास कार्य आरम्भ करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध क्यों नहीं थी? हमने अनेक सुझाव दिए हैं। हमने लाइन बदलने संबंधी

कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नई लाइनें बिछाए जाने का जिक्र किया था। लेकिन उन्होंने अनुपूरक मांगों की मांग करते समय इन सभी परियोजनाओं को शामिल नहीं किया है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में एक छोटी लाइन, बांकुरा-दामोदर नदी रेल लाइन है। इसकी लम्बाई करीब 85 किलोमीटर है। एक लाइन शान्तिपुर-नवद्वीप रेल लाइन है। यह भी छोटी लाइन है। एक लाइन अहमदपुर-कटवा रेल लाइन है। ये सभी छोटी लाइनें हैं। इसी तरह से बुर्द्धवां-कटवा रेल लाइन है।. ..(व्यवधान) दमदम-दीघा रेल लाइन छोटी लाइन नहीं है। यह एक नई लाईन है। मैं छोटी लाइनों की बात कर रहा हूं। मेरे राज्य में चार-पांच छोटी लाइनें हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हम बहुत देर से यह मांग कर रहे थे कि इनमें से कुछ छोटी लाइनों को बदला जाना चाहिए। जब उन्होंने एक नई समान आमान प्रणाली नीति को अपनाया, जबकि व्यापक स्तर पर समान-आमान प्रणाली अपनायी जा रही है तब इन सभी छोटी लाइनों को क्यों छोड़ दिया गया है? हमें इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। सरकारी राजकोष में राजस्व के रूप में दक्षिण पूर्वी रेलवे का योगदान 34 प्रतिशत तक है। लेकिन दक्षिण-पूर्वी रेलवे को कितना लाभ मिल रहा है? पश्चिम बंगाल का हिस्सा क्या है? ऐसी महत्वपूर्ण छोटी लाइनों को बदलने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?

महोदय, मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा क्योंकि मुझे दस मिनट और बोलना है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। आप अपने वक्तव्य से ध्यान नहीं हटाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दो-तीन मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कहना है। इसलिए मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा। आज आप और चीनी घोटाले पर चर्चा करवा सकते हैं।

सभापति महोदय : ऐसा लगता है आप अपना वक्तव्य जारी नहीं रखना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा। अब आप चीनी घोटाले पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आपको अनुदान का मांग (रेलवे) पर बोलने के लिए समय दिया गया था। आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस मिनट और बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, जो चीनी वाला सवाल है, उसके ऊपर सदन में चार बजे से चर्चा शुरू होनी है और जो आचार्य जी हैं वे भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। चूंकि आप उनको बार-बार बोलने के लिए कह देते हैं इसलिए वे खड़े हो जाते हैं। मैं उनसे भी विनती करूंगा कि वे कल बोलें और यह शुगर वाला मामला इतना ज्यादा गंभीर और संगीन हो गया है कि इसके कारण हम लोग दिन भर बैठे रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि इसको आप शुरू करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शरद यादव जी, आपने जो कहा है वह बिलकुल ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि श्री बसुदेव आचार्य जैसे वरिष्ठ सदस्य के वक्तव्य के बीच हस्तक्षेप करना सही और उपयुक्त है। श्री बसुदेव आचार्य जी, आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : श्री आचार्य यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए बुलाऊंगा। आपने सात मिनट ले लिए हैं आप अपना वक्तव्य पूरा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस मिनट और लूंगा।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : जब सब लोग चाहते हैं कि चीनी पर चर्चा हो तो आप उसे क्यों नहीं ले रहे हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक बार में एक ही सदस्य बोले। इस बात को समझिए कि यह गलत प्रक्रिया है। अब श्री धूमल को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, आज प्रातःकाल जब स्पीकर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चार बजे बहस शुरू होगी। आचार्य जी भी कल अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। मंत्री जी भी आ गए हैं। इसलिए बहस को शुरू करवाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्य विषय पर चर्चा के लिए सभा की कोई दो राय नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि सभा की आम सहमति थी कि हम सारा सरकारी कार्य निपटा देंगे।

कुछ अन्य सदस्य : नहीं, नही।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, आम सहमति इस बात पर हुई थी कि चीनी पर चार बजे बहस शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमने काफी सहन किया है। अब हम और सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब चर्चा की जाएगी। कल प्रधान मंत्री ने जो हस्तक्षेप किया था वह भी ठीक नहीं था अतः हमने निश्चय किया है कि हम चर्चा करेंगे।

हमने अब तक इसकी अनुमति दे दी है। हम और अनुमति नहीं दे सकते हैं। आपको हमारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हम उस पर परसों अथवा जब भी समय मिले, तब चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : अब आपने बात कह ली है तो आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम यहां केवल बात करने के लिए ही नहीं हैं। परिणाम भी देखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : तब आप पीठासीन की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अग्निहोत्री जी, कृपया बैठ जाइए। यहां व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं जिसे कार्यसूची में दर्शाया गया है। मैं नियम 194(2) से कुछ अंश पढ़ रहा हूं। वह कहता है :—

"अध्यक्ष एक सप्ताह में दो बैठकों की अनुमति दे सकता है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है और इस समय में चर्चा के लिए दो घंटे से ऊपर समय की अनुमति दी जा सकती है अथवा बैठक समाप्त होने से पहले तक चर्चा करने की अनुमति दी जा सकती है जैसा भी वे परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे।"

इसलिए दिन के अन्त में दो घंटे दिए जाने का अर्थ है 4 बजे जिस समय को आबंटित किया जाना है और यह तदनुसार कार्य-सूची में शामिल है। इसलिए अब समय है।

वास्तव में दस मिनट हो चुके हैं। अब 4 बजकर दस मिनट हो गए हैं। इस नियम के अनुसार हमें चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिए। चर्चा आरम्भ हो जानी चाहिए यदि सरकार को कोई कठिनाई नहीं है और जब तक कि सरकार अपनी कठिनाई के साथ यहां नहीं आती है।

सभापति महोदय : पीठासीन को सरकार की ओर से किसी कठिनाई के बारे में सूचित नहीं किया गया है। जो मैं आपको बता रहा हूं वह यह है कि हमने निर्णय ले लिया है, सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री राम नाईक : हम ऐसी किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचे थे। सरकार ने तथा संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया था और उस अनुरोध को नहीं माना गया था।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस बात को कहने के लिए आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पहले ही कहा जा चुका है। कृपया चिल्लाइए नहीं।

श्री राम नाईक : इसे माना नहीं गया था। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया था।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सरकारी कार्य 4 बजे तक समाप्त करने की सहमति हुई थी। उनके समझौते का क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष जी, आपका इस पाइण्ट ऑफ आर्डर पर क्या निर्णय हुआ, यह बता दीजिए। रूल्स के अनुसार चर्चा शुरू होनी चाहिए और जल्दी शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कोई भी शिकायत नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि चर्चा हो। आज कुछ इस तरह का कन्सेंसस नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)** ऐसी कोई सर्वसम्मति नहीं थी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अब चर्चा आरम्भ करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे कोई उद्देश्य हल नहीं हो रहा है। कृपया समझिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : हमने आज रात तक कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : सभा में इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं केवल माननीय सदस्यों को याद दिला रहा हूं कि हम रेल अनुदान की अनुपूरक मांगों की चर्चा कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे। मैंने सोचा था कि आप एक वरिष्ठ सदस्य को अपना वक्तव्य समाप्त करने देंगे...

(व्यवधान)

इस पर चर्चा करने में कोई कठिनाई नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : ऐसा इसलिए कहा जा रहा था, क्योंकि हम ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। फिर भी, कल जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि आप चाहते हैं तो हम अभी चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम अभी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें चर्चा आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए, केवल यही बात थी। लेकिन, यदि सभा यह महसूस करती है कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ की जानी चाहिए तो हमें वह चर्चा आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं है।

4.13 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : 15 मिनट निकल गये हैं। चीनी के ऊपर डिस्कशन अब शुरू होना चाहिए। मिनिस्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें रेल अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान समाप्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम देर तक बैठेंगे ।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : हमें कल राज्य-सभा में भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसे राज्य सभा में भी जाना है। कृपया समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : रेल पर बाद में चर्चा हो जायेगी, इस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं, आपके लीडर को बोलने दीजिए, क्योंकि वह बैठे हुए हैं।

श्री विनय कटियार : हम लोग यहां क्यों चुनकर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपकी मर्जी से हाउस नहीं चलेगा।

श्री विनय कटियार : हम लोग भी यहां चुनकर आए हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस ढंग से पार्लियामेंट नहीं चलेगी।

श्री विनय कटियार : हम लोग भी चुनकर आते हैं। यहां तय हो जाय कि हाउस फिर कैसे चलेगा, आप बता दीजिए। आज तय हो जाय कि हाउस कैसे चलेगा। अगर केवल लीडरों से हाउस चलाना है तो जितने नये-नये लोग चुनकर आये हैं, यह चलकर अपने क्षेत्रों में जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब क्या किया जाए? मैं नेताओं की सलाह पर कार्य करूंगा।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, अगर यह मालुम हो जाय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह पार्लियामेंट है। कोई दूसरी जगह नहीं है। अब बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, इसीलिए हल्ला होता है। जब कोई खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि लीडर्स बोलें। तो फिर हम लोग यहां क्या करने आये हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमको मालुम नहीं है, क्या करने आये हैं।

श्री विनय कटियार : हम लोग सदन में बोलना चाहते हैं तो आप हमेशा यह कहते रहते हैं कि 'प्लीज सिट डाउन'। आज आप नेताओं को बिठाकर हाउस चलाइये, हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर काम करें।...**(व्यवधान)** हम लोग क्या करने आये हैं? हमें भी अपनी बात कहने दीजिये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ रहे हैं या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ रहे हैं या नहीं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि एक राय बनी थी कि यह विषय 4 बजे लिया जायेगा और उससे पहले बाकी का काम खत्म हो जायेगा। सचमुच में काम खत्म नहीं हुआ है। नियम के अनुसार सत्र समाप्त होने से दो घंटे पहले यह अल्पकालीन चर्चा होनी चाहिये। अभी सदन ने यह तय नहीं किया कि शाम को ज्यादा देर तक बैठेंगे। अब आप इस आशा से चर्चा का समय आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जरूरत होगी तो हम लम्बा बैठ जायेंगे, लेकिन वह सदन की राय से होगा। मुझे नहीं लगता है कि सदन की यह राय है...**(व्यवधान)** सदन की राय बहुमत की राय नहीं है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : लेकिन उधर भी बहुमत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह हम जानते हैं कि हमारा बहुमत नहीं है। इसलिये हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं। सब की राय से सदन चलता है। अभी मंत्री महोदय चर्चा के लिये तैयार हो गये थे। वह अदृश्य हो गये। वह कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई कठिनाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कहें तो चर्चा अभी शुरू करायी जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट पास कराना भी जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि आज नहीं करना है, कल करेंगे, कल नहीं करना है, परसों करेंगे और अगर आप कहेंगे कि नहीं करना

है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में अपने मन से हर आदमी अपनी बात कहने लगे तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ डिमांड्स तो पास हो गई हैं। रेलवे की बची है। अगर आप चाहें तो इस चर्चा को जितना समय देना है, दे दें। उसके बाद रेलवे की मांग पास करने के लिये बैठ सकते हैं या उसे कल ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जैसा कहेंगे, वैसा करेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यही विषय है जो कि माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में विद्रोह उत्पन्न कर रहा है। इसलिए, अब चर्चा आरम्भ करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह जरूरी नहीं है कि अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों को इसी सत्र में पारित किया जाए। अध्यादेश की भांति इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी से सहमत हूं। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि यदि यह संसद अपनी बैठकों में बजट को पारित नहीं करती है तो आप क्या संदेश देंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा अगले सत्र में भी की जा सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं। मैं श्री वाजपेयी जी का सुझाव मानता हूं कि हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे और बैठकर इस बजट को पारित करेंगे।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर इसे सभा में थोड़ी देर के लिए चर्चा हो चुकी है। हमने आपके चैम्बर में अन्य विषय के बारे में चर्चा कर ली है और सभी विपक्ष के सदस्य सामान्य रूप से इससे सहमत हो गए थे कि इन मांगों के पारित होने के बाद-सरकार के आवश्यक कार्य तथा उसके पश्चात् नियम 193 पर चर्चा की जाएगी। अब इस बात से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। इसलिए महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभा में मतदान के लिए मांगें प्रस्तुत करें और जैसे ही वे मांगें पारित हो जाएंगी हम तत्काल ही अन्य चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। फिर भी इसे हम सम्मान का मुद्दा न बनाएं। यदि इसे इसके बाद पारित करना है तो हम इसे इसके बाद पारित कर देंगे? यदि इसे कल पारित करना है तो हम इसे कल पारित करेंगे। लेकिन यदि सभा अपने निर्णयानुसार इस बजट को पारित करने के लिए तैयार नहीं है तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे यह समझ लें कि वे क्या संदेश देंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभा तैयार है। आइए बजट पर चर्चा आरम्भ करें। हमें अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए और फिर हम अन्य मद पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा सभा स्थगित होने से दो घंटे पहले आरम्भ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दो घंटे में सभी माननीय सदस्य बोल सकेंगे। उन्हें और समय चाहिए होगा और मैं भी यही सुझाव दे रहा था कि हम इस बजट को पारित करें और फिर चाहे जितने भी समय के लिए बैठें।

लेकिन यदि आप इस तरह से चाहते हैं तो ठीक है, मैं वरिष्ठ नेताओं के विचारों को ध्यान में रखूंगा। मैं उस पर जोर देने नहीं जा रहा हूं। बात यह है कि जो लोग इस जटिलता को समझते हैं उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। अन्यथा इससे और जटिलता उत्पन्न होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे पारित हो जाएं। आप जानते हैं जो इस बात को समझते हैं वे यही बात कहेंगे।

अज्ञानता को अधिक जाहिर नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को तो समझ नहीं है, लेकिन पहले यह तो जानकारी हो कि जवाब कौन देगा?

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के नीचे आप पूछ रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में जरूर समझदारी है कि भ्रष्टाचार का मामला है, जवाब कौन देगा?

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के नीचे आप पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे या चतुर्वेदी जी जवाब देंगे, अगर चतुर्वेदी जी जवाब देंगे, तो हम सुनने वाले नहीं हैं।. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : हम लोग होने देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के लोग नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जवाब कौन देगा?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको बाहर जवाबदेही देनी होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह : प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।... **(व्यवधान)** चतुर्वेदी जी जवाब देने वाले हैं, तो हम सुनने वाले नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत डिस्कशन करने वाले लोग, ऐसे ही सवाल पूछते हैं यहां पर।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चतुर्वेदी जी बैठे हैं, वे जवाब देंगे, तो... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं बैठेंगे, तो मैं आपको सभा छोड़कर जाने के लिए कहूंगा।

4.22 म.प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं 19 दिसम्बर को, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री द्वारा ज्ञान प्रकाश समिति के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य तथा उससे उत्पन्न होने वाले प्रकरणों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि जिस चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं, वह विशेष चर्चा कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है। यह चर्चा, प्रधानमंत्री कार्यालय की तथाकथित प्रशासनिक जांच समिति द्वारा कतिपय निष्कर्ष निकाले जाने के पश्चात् आरम्भ हुई है। इसकी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को मिल गई है।. ..**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वहां पर क्या चल रहा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कवियों को थोड़ी छूट तो मिलनी ही चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री के पास प्राप्त होने के पश्चात दो महीने तक उनके कार्यालय में गोपनीय बनी रही। प्रधान मंत्री ने इस प्रतिवेदन के बारे में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों तक को भी नहीं बताया। ज्ञान प्रकाश समिति ने क्या पता लगाया और क्या नहीं, इससे मंत्रिमंडल अनभिज्ञ रहा। मैं जानना चाहूंगा कि दो महीने तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट पर विचार क्यों नहीं किया? तदुपरान्त, जब यह अपरिहार्य हो गया कि इस रिपोर्ट पर अब चर्चा अवश्य होगी तो प्रधान मंत्री ने चतुराई दिखाते हुए इसे वर्तमान मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई एक और समिति के पास भेज दिया। इससे पहले कि नई समिति के अधिकारी उनके अपने कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कोई विचार प्रकट करते, प्रधान मंत्री इस सदन में आए तथा उन्होंने संसदीय विधिशास्त्र को एक विलक्षण एवं नये दर्शन का रूप देते हुए सभी को दोषमुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है, वह उनके द्वारा ही इसी सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दिए गए जवाब से भिन्न है। इस सारे मामले की तह में न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनसे यह भी सिद्ध होता है कि सरकार कितनी निष्क्रिय रही और अब जानबूझकर कार्यवाही करने में टालमटोल कर रही है और इस सरकार द्वारा, विशेष रूप से प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा, इस मुद्दे पर इस प्रकार से पर्दा डालने का हर संभव प्रयास किया गया ताकि देश का जो अहित किया गया है, उसकी व्यापकता को भुलाया जा सके और यह संसद का यह सत्र भी पूर्व संसदीय सत्र की तरह आराम से निकल जाये। और हमें इस बन्द गली से, जिसमें यह सरकार स्वयं फंसी हुई है, निकलने का कोई अन्य तरीका निकालना है। भ्रष्टाचार की जिस बन्द गली में सरकार ने प्रवेश किया है, वह उसने स्वेच्छापूर्वक किया है। यह एक बन्द गली है जिससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। और इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, वह है स्पष्टवादिता अथवा जो भी गलत काम हुआ है, उसकी जानकारी संसद को देना क्योंकि यह इस सरकार का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है।

इस सारे प्रकरण की पृष्ठभूमि क्या है, उसे मैं संक्षेप में बताऊंगा। पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए, मुझे अनिवार्य रूप से ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी एक प्रति संसद में रखी जा चुकी है। जब कभी मैं इसका उल्लेख करता हूं तो मेरा तात्पर्य इससे उद्धरण देने का नहीं होता बल्कि मुझे उल्लेख करने के लिए ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करना पड़ता है, जिसकी अनुपस्थिति में मुझे मंत्रिमंडलीय वक्तव्यों पर ही निर्भर करना पड़ेगा और फिर कोई भी चर्चा नहीं हो सकेगी।

महोदय, इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है? इस मामले की पृष्ठभूमि का आरम्भ वर्ष 1993-94 के लिए किए गए चीनी के उत्पादन के अनुमानों से होता है। ये अनुमान कृषि मंत्रालय ने किए थे और उनके अनुसार फरवरी, 1993 में यह अनुमान लगा लिया गया था कि चीनी का उत्पादन मांग की तुलना में कम रहेगा। यह दिनांक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समय पर निर्णय लेने में इस सरकार की अकर्मण्यता और अयोग्यता की सीमा को दर्शाता है। फरवरी, 1993 के आरम्भ में ही यह स्पष्ट हो गया था कि महाराष्ट्र में फसल ठीक न होने के कारण चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है। उसके पश्चात, मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की 11 अक्तूबर, 1993 को बैठक हुई। 11 अक्तूबर, 1993 का दिन ऐसा पहला अवसर था, जब चीनी का यह सारा मामला जनाक्रोश अथवा जन हित अथवा संसद की चिंता का भी विषय बन गया। मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की 11 अक्तूबर, 1993 को एक बैठक हुई जिसमें चीनी के उत्पादन के संबंध में तथा आगामी वर्ष में चीनी के मूल्यों पर पड़ने वाले सर्मोकित प्रभावों का जायजा लिया गया।

इस ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को क्या जानकारी दी थी। उन्होंने इस समिति के सामने क्या कहा अथवा क्या पेश किया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उस कार्यवाही-सारांश के अलावा, जो देश में खुले रूप में उपलब्ध है, हमारे पास कार्यवाही-सारांश की कोई अन्य जानकारी नहीं है। वह सभी के पास और विविध रूपों में प्रत्येक समाचारपत्र में उपलब्ध है। मंत्रिमंडल के रहस्यों, दस्तावेजों, मंत्रिमंडल के उच्च अधिकारियों और इस सरकार के उच्चतम अधिकारियों के बीच पत्राचार में अब कोई गोपनीयता नहीं है। लेकिन वह एक अलग मामला है।

11 अक्तूबर, 1993 को पहली बार यह मामला मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के पास गया। उस समय खाद्य मंत्रालय के प्राक्कलनों में यह बताया गया कि लेवी चीनी बाजार हेतु चीनी की कुल उपलब्धता लगभग 44 लाख टन और खुले बाजार हेतु चीनी की मात्रा लगभग 94.68 लाख टन थी। वर्ष के अंत में अनुमानतः 12 लाख टन से कम का स्टॉक था और इसीलिए अक्तूबर 1993 के शुरू में चीनी की कमी का आंकलन लगभग 15 लाख टन था। यह वह समय था जब उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिये था। लेकिन उस समय ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

तदुपरान्त, 17 नवम्बर, 1993 को, खाद्य सचिव ने 15 लाख टन चीनी आयात करने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री से स्वीकृति मांगी। मुझे विद्वान श्री ज्ञान प्रकाश से पता चला है कि खाद्य राज्य मंत्री अपने दायित्वों को निभाने में इतने लापरवाह थे, चीनी के स्टाक, चीनी की कीमतों और क्या कार्यवाही की जानी है, इस पर विचार करने में इतने अधिक अनमनस्क थे कि उन्होंने इस विशेष पत्र को 18 दिन तक रोके रखा। विद्वान ज्ञान प्रकाश जी ने आयात संबंधी पत्र को 18 दिनों तक अपने पास रखने के लिए माननीय खाद्य मंत्री को दोषी पाया है। महोदय, पहले भी एक ऐसा अवसर आया है जब इस सरकार के मंत्रियों के बारे में वायुदूत के महत्वपूर्ण पत्र अपने पास रखने के लिए टिप्पणी की थी क्योंकि उन्होंने भारत सरकार का पैसा गलत ढंग से नियोजित किया था। आयात संबंधी पत्र का मंत्री द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक था, जो तीन महीने तक नहीं किया गया। उस समय नागर विमानन मंत्री ने वायुदूत के कागजों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। महोदय, इसी सरकार का की गई कार्यवाही रिपोर्ट में कथन है कि ऐसा एअर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स की हड़ताल के कारण हुआ है और इसीलिए उस मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

यह 18 दिनों का मामला भी उसी प्रकार का है। यह उसी प्रकार का इसलिए है क्योंकि खाद्य राज्य मंत्री को, जबकि इस सरकार के मंत्रियों को अक्सर महीनों तक पत्र दबाकर बैठे रहने के लिए जाना जाता है, आयात संबंधी कागज को 18 दिनों तक अपने पास रखने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। तथापि, उसके पश्चात् खाद्य मंत्री ने निर्णय लिया कि एक नीतिगत मामले के अन्तर्गत कोई आयात नहीं किया जाएगा और उसने अपने मंत्रालय को उत्पादन बढ़ाने तथा उस समय खपत पर नियंत्रण रखने के आदेश दिये। मैं, इस सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा चीनी की कमी के संकट से निपटने के लिए अपनाये गये तरीकों से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं। फिर, क्या किया गया? यह सरकार जो कागज, टिप्पण और शिफ्ट फाइलें तैयार करने में दक्ष है, उसने 12 नवम्बर, 1993 को एक नया टिप्पण तैयार किया। यह सरकार बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। वे 18 दिन तक आयात संबंधी कागज को अपने पास रखने के लिए खाद्य मंत्री को दोषी मानते हैं, फिर भी 12 दिसम्बर, 1993 को मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को एक पत्र पेश किया जाता है। इस सरकार ने हमेशा की तरह कुछ प्रोत्साहन इत्यादि की सिफारिश की। मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

तत्पश्चात् मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 दिसम्बर को इस संशोधित टिप्पण पर विचार किया और कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन जब स्थिति और खराब हो रही थी। चीनी का संकट गहरा रहा था। मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति में अधिकारी नहीं, बल्कि मंत्री होते हैं और मंत्री मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कहीं आपने कीड़ों वाली चीनी तो नहीं चख ली?

श्री जसवन्त सिंह : क्या करें? हम प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं।

मुझे विद्वान श्री ज्ञान प्रकाश से पता चला कि दिसम्बर के मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से परेशानियों वाले समाचार मिल रहे थे और चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं बल्कि कमी की संभावना थी। मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या किया? इसने खाद्य मंत्रालय से एक और गहन अध्ययन करने के लिए कहा। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने वस्तुतः उस समय एक टिप्पण प्रस्तुत किया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कच्चे माल के बिना ही उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा।

श्री जसवन्त सिंह : वास्तव में, यह रिपोर्ट भावी शोधकर्ताओं के लिए कार्यवाही से बचने, मामले पर पर्दा डालने का उत्कृष्ट उदाहरण होगी।

फिर नागरिक आपूर्ति मंत्री से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में एक टिप्पण पेश किया और इसमें मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक से पहले की तारीख दी गई। उन्होंने 15 लाख टन चीनी आयात करने की सिफारिश की। मंत्रिमंडलीय समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया और इसने 29 जनवरी, 1994 के आसपास बैठक करने का निश्चय किया, जिसमें चीनी के आयात संबंधी निर्णय पर विचार किया गया।

इस दौरान चीनी की कीमतें बढ़ रही थीं। चीनी की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही थीं, यह बताने के लिए विस्तृत सूची की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब-जब इस मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई, तब-तब भारत द्वारा चीनी के संभावित आयात के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पता चलता रहा और हर बार चीनी के लिए

निश्चित स्थान और वायदा बाजार में परिवर्तन हो रहा था। खाद्य मंत्रालय ने अपने प्राक्कलन बदलकर 19 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान लगाया।

अब यह कमी 15 लाख टन से बढ़कर 19 लाख टन हो गई है। फिर भी खाद्य मंत्रालय मंत्रिमंडल के इस कथन अथवा सुझाव का पूरा विरोध कर रहा है कि इस कमी को आयात अथवा चीनी की आपूर्ति में कटौती करके पूरा किया जा सकता था। चीनी के मूल्य पुनः बढ़ गए हैं।

29 जनवरी को निर्धारित सी.सी.पी. की बैठक उस दिन ही नहीं 9 मार्च तक भी नहीं हो पाई। इसके लिए खाद्य मंत्री ही दोषी हैं और 18 दिन तक इसे रोक रखने के लिए वही जिम्मेदार हैं। अक्तूबर के बाद निर्णय नहीं लेने में मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति का कोई दोष नहीं है और उसके पश्चात् जब उन्होंने बैठक की तब भी यह निर्णय नहीं किया कि उन्हें चीनी के आयात संबंधी निर्णय करने के लिए अधिक से अधिक जनवरी तक बैठक कर लेनी चाहिए, बैठक करने के बजाए वे इसे स्थगित करते और 9 मार्च तक यह बैठक नहीं हो पाई। यहां मैं थोड़ा सा व्यक्तिक्रम चाहूंगा और प्रधानमंत्री के दायित्व संबंधी पहलू पर बोलना चाहूंगा। एक बात लगातार दोहराई जा रही है कि चीनी आयात के मामले में क्या हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री बिल्कुल अनभिज्ञ थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री की खानपान संबंधी आदतों से तो परिचित नही हूं और चूंकि वह प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अपने चीनी संबंधी घरेलू उपभोग के लिए चीनी खरीदने के लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संकट है चाहे वह चीनी, नमक, 'गुड़' की कमी का हो या अन्य किसी वस्तु की कमी हो रही हो और अगर मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति प्रधानमंत्री को सूचित नहीं करती अथवा अगर प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं देता अथवा प्रधानमंत्री स्वयं इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि रोजमर्रा के प्रयोग की महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी के संबंध में क्या हो रहा है तो उनकी वरिष्ठता और लंबे अनुभव का सम्मान करते हुए मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि वह प्रधानमंत्री के पद के योग्य नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा अशक्त और बचकाना तर्क देना कि उन्हें चीनी पर मंडराते संकट से अनभिज्ञ रखा गया, शोभनीय नहीं है। मैं मंत्रिमंडलीय दायित्व पर बोलते समय पुनः प्रधान मंत्री के दायित्व संबंधी प्रश्न पर बोलूंगा।

मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति की मार्च में हुई इस बैठक में लेवी चीनी की संभावित आवश्यकता लगभग 10.31 लाख टन बताई गई और यह मांग की गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक इस मात्रा का आयात राज्य व्यापार निगम के मार्फत किया जाये अथवा एक अन्य विकल्प यह था कि सहमत मूल्य पर खुले बाजार की चीनी को लेवी चीनी में परिवर्तित किया जाये। खुले बाजार की चीनी को आयात खुली लाइसेंस नीति के अंतर्गत किया जाना था तथा इसे शुल्क मुक्त रखा गया था। इस निर्णय से भी अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी आयात करने के निर्णय से पहले खुली लाइसेंस नीति के तहत आयात का निर्णय क्यों लिया गया? खुली लाइसेंस की नीति, जिसमें अत्यधिक गंभीर अड़चनें थीं, के अन्तर्गत निर्णय मार्च में क्यों लिया गया। महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं और मैं यह बहुत व्यथित होकर कर रहा हूं—महोदय, मैं नहीं जानता कि सत्तापक्ष में कौन इस पर ध्यान दे रहा है माननीय मंत्री जी जिन्होंने वक्तव्य दिया है, सभा छोड़कर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हरेक बात रिकार्ड की जाती है।

श्री जसवन्त सिंह : रिकार्डिंग हमारे लिए भी है, रिपोर्टरों के लिए भी है...

अध्यक्ष महोदय : वे इसे पढ़ लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में आपका जो विश्वास है वह मेरे अन्दर भी आए ताकि मैं यह कह सकूं कि वे इसे पढ़ेंगे। मेरे अन्दर ऐसा विश्वास नहीं है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, वह आदेश का इंतजार कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : महोदय, राज्य सभा में चर्चा हो रही है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जाने की अनुमति देता हूं।

श्री अन्ना जोशी : जब भी चर्चा होती है, वे राज्य सभा में सदस्यों की उपस्थिति के बारे में पूछते हैं। ऐसा क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे यहां दो सदन हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, यह प्रश्न ऐसा है जो उलझता ही जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी आयात करने के निर्णय से पहले खुली सामान्य लाइसेंस के तहत शुल्क मुक्त आयात का निर्णय क्यों लिया गया? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। मेरे विचार में दो बातें एक साथ हुई। पहली बात यह है जनवरी और मार्च के बीच की अवधि में मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति की बैठक का न होना और इसी अवधि में बैठक तो नहीं हुई, इसके साथ-साथ ऐसी सूचना भी नहीं मिली कि भारत चीनी का आयात करेगा। इसमें भारत द्वारा चीनी का आयात करने संबंधी सूचना का लोप होना मात्र ही नहीं था, इसमें यह जानकारी भी थी कि भारत खुली सामान्य लाइसैंस नीति के अन्तर्गत चीनी आयात करेगा और यह आयात शुल्क मुक्त होगा। महोदय, शायद जनवरी में इस सरकार के कुछ क्षेत्रों से विदेश स्थित एजेंसियों और भारतीय तथा विदेशी मूल की कम्पनियों को यह खबर दी गई कि खुले बाजार से चीनी की जमाखोरी शुरू कर दे। लंदन में वस्तु व्यापार अत्यधिक संवेदनशील था और-मेरे पास इसके तथ्य और आंकड़े उपलब्ध हैं-महोदय, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक सरकार स्वयं यह जानकारी देने के लिए आगे नहीं आती। महोदय, इस दो या तीन महीने के समय में भारतीय

और विदेशी कंपनियों अथवा भारत से संबंध रखने वाली विदेशी कंपनियां चीनी की भारी मात्रा में खरीद और जमाखोरी कर रही थी और उन्होंने लगभग 200 से 230 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से चीनी जमा कर ली क्योंकि उन्हें भलीभांति मालुम था कि देर-सबेर इस संबंध में समझौता होगा और जो चीनी वे एकत्र कर रहे हैं उसे वे बेच सकेगी और इस पर पूरा-पूरा लाभ कमा सकेगी। उन्होंने सचमुच भारी लाभ कमाया भी और इसीलिए महोदय, अंततः जब यह आयात होकर हमारे देश में पहुंचा तो इस कीमत पर नहीं जिस पर इसे जमा किया गया था अर्थात् 220 या 230 डालर मीट्रिक टन पर नहीं बल्कि लगभग 400 डालर मीट्रिक टन की दर से। ऐसा करना अपराध था। इससे हमारी विश्वसनीयता खत्म हुई है। यह मामला केवल 18 दिन का विलंब अथवा किसी दस्तावेज को अपने पास दबाकर रखने का नहीं है बल्कि इस सबके मध्य यह घटनाक्रम घटित हुआ है। आखिरकार, मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति क्या कर रही थी? अगर साप्ताहिक आधार पर नहीं तो दैनिक आधार पर कीमतों पर निगरानी रखना मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति का कर्त्तव्य नहीं है? क्या चीनी की कीमतों में परिवर्तन समय पर निर्णय न लेने संबंधी कठिनाइयों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर उसके प्रभाव से प्रधानमंत्री को ही नहीं अपितु पूरे मंत्रिमंडल को अवगत कराना मंत्रिमंडल की मूल्यों संबंधी समिति का कर्त्तव्य नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार के नियमित अध्ययन से ही यह साबित हो जाता कि कुछ हो रहा है। लंदन के वस्तु बाजार में खुले रूप में ऐसा कहा जा रहा था। कीमतें बढ़ रही थीं क्योंकि भारत द्वारा चीनी खरीदने की संभावना थी और वह भी बड़ी मात्रा में। यह दूसरा पहलू है जिस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं किया जायेगा। महोदय, अन्तिम रूप से यह अधिसूचना जारी की जाती है और खाद्य मंत्री ने 15 मार्च को संसद में घोषणा कर दी। मूल्यों के संबंध में मैं नहीं बोलूंगा।

महोदय, आपने खुली सामान्य लाइसेंस नीति लागू कर दी है और इसमें शुल्क मुक्त आयात होती है। राज्य व्यापार निगम एक व्यापार निगम है। अगर निजी कंपनियां खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत अपना कारोबार कर रही हैं तो राज्य व्यापार निगम इसे चीनी-व्यापार के अवसर के रूप में क्यों नहीं अपनाता और इस प्रकार उस चीनी को अत्यधिक कम कीमत पर उपलब्ध कराकर उस चीनी को खुले वितरण अथवा लेवी चीनी के माध्यम से उपलब्ध क्यों नहीं कराता? सुविज्ञ श्री ज्ञान प्रकाश का राज्य व्यापार निगम को दोषी ठहराना ही काफी नहीं है। राज्य व्यापार निगम एक निगम है। यह निगम एक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। वह मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय है। इस संपूर्ण अवधि के दौरान वाणिज्य मंत्रालय क्या कर रहा था, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है? क्या वाणिज्य मंत्री राज्य व्यापार निगम जो कुछ कराता है या जो कुछ नहीं करता है, उसके लिए जवाबदेह है? जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए कोई जवाबदेह है? जहां सुविधाजनक लगता है, वहां यह सरकार निगम के पास चली जाती है और जहां सुविधाजनक नहीं लगता, वहां यह सरकार का राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल देती है।

महोदय, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को सदैव सबसे निचले स्तर पर बैठे व्यक्ति के सिर पर डाल देते हैं। केवल भारत में ही ऐसा होता है कि जिम्मेदारी को, जब स्वीकार करना चाहिए, उस समय उसे स्वीकार नहीं किया जाता है और केवल हमारे देश में ही ऐसा होता है कि हर एक संबंधित व्यक्ति अपने समकक्ष या नीचे के व्यक्ति पर अपनी जिम्मेदारी को टाल देता है यह कहकर कि "मैं उत्तरदायी नहीं हूं, अधिकारी उत्तरदायी है।"

हमारे देश में जो नैतिक पतन हुआ है, संयुक्त संसदीय समिति ने उस पर भी टिप्पणी की है। महोदय, सी.सी.पी. की आठ अप्रैल को बैठक हुई थी। आठ अप्रैल को सी.सी.पी. की बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम को तत्काल कार्रवाई करने की सलाह देगा क्योंकि नुकसान की कोई आशंका नहीं थी। मैं नहीं जानता कि वाणिज्य मंत्री क्या कर रहे थे। राज्य व्यापार निगम को कौन सलाह दे रहा था? इसका क्या आधार था? प्रधान मंत्री जी ने हमें बराबर यह सूचित किया है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अन्त में, 18 अप्रैल को प्रधान मंत्री ने स्वयं एक बैठक बुलाई। मैं उन सब लोगों के नाम नहीं बताना चाहता हूं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री, खाद्य राज्य मंत्री ने इसमें भाग लिया और प्रधान मंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री ने भी इसमें भाग लिया। इसमें क्या निर्णय लिए गए थे? इसमें यह निर्णय लिये गये कि आपने जनरल लाइसेंस के अंतर्गत 'शून्य, शुल्क पर चीनी का आयात जारी रहेगा, राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम चीनी आयात के लिए तत्काल कदम उठाएंगे, चीनी विकास निधि के बारे में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के आबंटन में कमी आदि का भी निर्णय लिया गया था। 18 अप्रैल को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के बावजूद, वाणिज्य मंत्री, राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वे अभी भी सरकारी खाते में चीनी आयात के इच्छुक नहीं हैं। खाद्य राज्य मंत्री के कार्यालय से निरंतर विरोध होते हुए भी अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि यह आयात अवश्यमभावी था। उसके बाद 20 अप्रैल को खाद्य मंत्रालय ने एक नया टिप्पण सचिवों की समिति को विचारार्थ भेजा इसमें यह अनुरोध किया गया था कि राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम को यह सलाह दी जाए कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक मिलियन टन चीनी का आयात किया जाए। महोदय, यह बात उस बैठक में हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधान मंत्री जी ने की थी। अब प्रधान मंत्री जी की ओर से बोलने वाले लोग दूसरों के दोष कैसे ढूंढ रहे हैं? तथ्यों के प्रमाण होने के बावजूद—मैं यहां पर कोई राय नहीं दे रहा हूं-यह तथ्यों से स्पष्ट है कि यह बात स्वयं प्रधान मंत्री के मन में कैसे आई कि जिम्मेदारी समस्त अधिकारियों या निचले स्तर के कर्मचारियों पर अंतरित की जाए।

महोदय, सचिवों संबंधी समिति में अधिकारियों ने क्या किया है अथवा क्या नहीं किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। यह सभा अधिकारियों की जांच करने या सिविल कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी करने के लिए नहीं है। यदि सिविल कर्मचारी उचित आचरण नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से उस पर कुछ टिप्पणियां करूंगा। लेकिन यह कक्ष हमारे लिए सिविल कर्मचारियों पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। इसका कारण यह है कि वे यहां आ नहीं सकते, उत्तर दे नहीं सकते।

यह कक्ष हमारे लिए देश के राजनीतिक नेतृत्व को उसके दुष्कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए है और यही मैं कर रहा हूं। बैठक की अध्यक्षता करने के बावजूद, प्रधान मंत्री जी ने इस हो रहे विलंब के बारे में सूचित किया। श्री ज्ञान प्रकाश जी ने मुझे सूचित किया कि प्रधान मंत्री जी को फिर से अपने वाणिज्य मंत्री को यही करने की सलाह देनी चाहिए थी, जिसके बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। मैं नहीं जानता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए वाणिज्य मंत्री जिम्मेदार हैं या विद्वान श्री ज्ञान प्रकाश जी ने इसके लिए केवल खाद्य राज्य मंत्री को ही जिम्मेदार पाया है। उन्होंने इसके लिए पूरे मंत्रिमण्डल, प्रधान मंत्री, किसी केबिनेट मंत्री, मूल्यों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

15 मई अर्थात दो दिन पहले या जिस दिन प्रधान मंत्री जी विदेश जा रहे थे, भूतपूर्व मंत्रिमण्डल सचिव ने अनेक विज्ञप्तियों के माध्यम से अनेक स्रोतों से मुझे सूचित किया था कि प्रधान मंत्री मंत्रिमण्डल सचिव को स्वयं एक तरफ ले गए और कुछ अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में उनसे कहा कि आपको इस चीनी आयात के मामले की अच्छी जानकारी है। मंत्रिमण्डल सचिव ने हस्तक्षेप किया और खाद्य सचिव को सलाह दी यह इस सरकार में भ्रांति की हद है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया था, लेकिन उस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया। मंत्रिमण्डल सचिव ने प्रधान मंत्री के अनुदेशों पर एक माह बाद आयात की एक नई सरणि शुरू की और खाद्य सचिव को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी का आयात शुरू करने की सलाह दी। खाद्य मंत्री लौटकर दिल्ली आए और उन्होंने वह निविदा रद्द कर दी। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने वह निविदा एक दो दिन में ही जारी की थी। मुझे मालूम नहीं है कि कितने दिन में जारी की थी। लेकिन इसमें कमाल की दक्षता दिखाई गई थी, इससे एक बहुत ही अद्भुत बात का पता चलता है कि इस सौदे से पहले तो बहुत ही सुस्त और गैरजिम्मेदाराना ढंग से काम चलता था। अचानक यह सरकार 24 घण्टे या 48 घण्टे में निविदा जारी करने के लिए उद्धत हो गई। माननीय खाद्य राज्य मंत्री द्वारा इस निविदा को रद्द कर देने से अंततः यह पूरा विवाद लोगों की समझ में आ गया। इसके व्यापक पहलुओं पर प्रकाश डालना मेरे लिए आवश्यक हो गया क्योंकि जब तक हम यह स्मरण नहीं करते हैं कि क्या हुआ है, तब तक हम अंधेरे में भटकते रहेंगे, उस भ्रांति में रहेंगे जो इस सरकार ने जान-बूझ कर फैलाई है।

गठित की गई समिति के विचारार्थ विषय क्या थे क्योंकि यह मामला तब एक अति लोक महत्व का प्रश्न बन जाता है, चीनी मंहगी हो जाने से सार्वजनिक कड़े विरोध का प्रश्न बन जाता है।

सभापक्ष महोदय : आपको और कितना समय चाहिए?

श्री जसवन्त सिंह : यदि मुझे इस काम के साथ न्याय करना है तो मुझे 45 मिनट और चाहिए। यदि आप मुझे निर्देश देंगे, तो मैं इस समय बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं आपकी बात को मानता हूं कि हमने इस चर्चा के लिए दो घण्टे का समय नियत किया है। मैं असीमित समय नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं समय सीमा को मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय चाहें, ले सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : संसद में किसी प्रशासनिक जांच की मांग नहीं की गई थी, वह संसद की चिन्ता का उत्तर भी नहीं था, वह इस देश में हुए गलत कार्य के विरुद्ध सार्वजनिक कड़े विरोध का भी उत्तर नहीं है। एक तुरंत और तत्काल और अधिक प्रभावी जांच उसका उत्तर हो सकता था। प्रधान मंत्री ने अपनी बुद्धिमता से प्रशासनिक जांच करवाने का फैसला लिया।

उन्होंने प्रशासनिक जांच करवाने का फैसला क्यों किया? मैं यह बात सरकार से जानना चाहता हूं। हमारे पास इस संबंध में सरकार से प्रश्न पूछने का भी अवसर नहीं है क्योंकि हमारी चिंता सभा में उठाई गई थी और उसके बाद सभा का सत्र समाप्त हो गया था। उन्होंने इस गुप्त प्रशासनिक प्रारंभिक जांच का रास्ता क्यों चुना? क्या एक प्रारंभिक समस्या थी या क्या यह समस्या इतनी छोटी थी कि इसकी केवल प्रारंभिक प्रशासनिक जांच हो और यह देखा जाए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? हम चाहते हैं कि इस पहलू के बारे में हमें बताया जाए।

शायद ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के विचारार्थ विषयों पर अनावश्यक समय लगेगा। वे अब इस सभा को मालुम हो चुके हैं। यद्यपि वे सीमित थे, लेकिन स्पष्ट थे। ज्ञान प्रकाश समिति ने अंत में अपने निष्कर्ष दे दिए हैं और इसने कारणों और परिणामों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। इन कारणों और परिणामों का संक्षिप्त उल्लेख है। यह बताया गया है और प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि पहली बात तो यह है कि संकट के कारण अविश्वसनीय और बढ़ाचढ़ाकर किए गए प्राक्कलन हैं।

मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि अविश्वसनीय और बढ़ाचढ़ाकर किए गए प्राक्कलनों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या केवल कुछ अधिकारी जिम्मेदार हैं? इस अविश्वसनीय और बढ़ाचढ़ाकर किए गए प्राक्कलनों के लिए जिम्मेदार सरकार में कौन है? संसद की ओर से संसद में सूचना देने वाले राज्य मंत्री ने भी इस निष्कर्ष विशेष से इंकार नहीं किया है।

मैं एक मिनट में सरकार के इस वक्तव्य पर आऊंगा कि इस अविश्वसनीय और बढ़ाचढ़ाकर दिए गए इन प्राक्कलनों के लिए कौन जिम्मेदार है जो इस समस्या की जड़ है। क्या यह अविश्वसनीय और बढ़ाचढ़ाकर दिए गए प्राक्कलनों का एकमात्र उदाहरण है? यदि

इस सरकार के आंकड़ों का यही एक उदाहरण है, तो हम अन्य किन आंकड़ों पर भरोसा करें?

दूसरे, चीनी के उपलब्ध अतिरिक्त भण्डार एवं उसके जारी करने में कुप्रबंधन है। इस कुप्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है तथा ऐसा कुप्रबंधन होने ही क्यों दिया गया?

तीसरे, चीनी के आयात के बारे में, निर्णय लेने में हुए विलंब के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। चौथे इस निर्णय को लागू करने में विलंब हुआ है। पांचवे परस्पर समन्वय की कमी। समन्वय की इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है?

हमारे यहां उत्तरदायी केबिनेट प्रणाली है और इस प्रणाली में यदि विद्वान ज्ञान प्रकाश जी ने सिविल सेवा के अधिकारियों—एक भूतपूर्व केबिनेट सचिव ने अन्य सचिवों एवं अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय नहीं किया है—में दोष पाया है, तो क्या स्वयं प्रधान मंत्री—विशेषकर तब जबकि उन्होंने स्वयं एक बैठक की, अध्यक्षता भी की थी—का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इसके बीच आपसी तालमेल कायम हो। क्या यह सुनिश्चित करना कि कम-से-कम उन्होंने जो निर्णय लिये हैं, वे लागू हों, स्वयं प्रधान मंत्री का दायित्व नहीं है? क्या कीमतों संबंधी केबिनेट समिति की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मूल्यों के प्रबंधन के संबंध में जो उत्तदायित्व उसको सौंपा गया है, उसकी अनदेखी न हो? क्या यह सुनिश्चित करना कि समुचित तालमेल स्थापित हो, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी?

यदि इस सरकार ने एक वक्तव्य दिया, जो सरकार द्वारा इस संबंध में दिया गया प्रथम सरकारी वक्तव्य था। उस वक्तव्य में, सरकार ने इनमें से एक भी परिणाम को नकारा नहीं है। उनका तो यह कहना है—अब मैं उस वक्तव्य में से उद्धृत कर रहा हूं, पहले मैं ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में से उद्धृत नहीं कर रहा था, मैं तो केवल उसका हवाला दे रहा था—कि "इससे सवाल पैदा होगा", इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है; "इस स्थिति के कारणों—जिनका कि मैंने उल्लेख किया है—का पता लगायें, इस स्थिति से निबटने के लिए प्रशासनिक खामियां, जिनका कि मैंने उल्लेख किया है।" अतः इस वक्तव्य से ही ज्ञान प्रकाश समिति ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें से किसी का भी खंडन नहीं होता। लेकिन इस प्रतिवेदन में एक ऐसी अजीब टिप्पणी है, जिससे कि ऐसा प्रश्न पैदा होता है।

5.00 म.प.

इस वक्तव्य में यह कहा गया है :

> "इस जांच द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की सत्यनिष्ठा की कमी के बारे में किसी प्रश्न की जांच नहीं की गई है।"

यह अनावश्यक टिप्पणी क्यों करनी पड़ी थी, यह मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं क्योंकि इसका एक सीधा संबंध है...(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सामूहिक सत्यनिष्ठा का अभाव ...(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : सैफुद्दीन जी, ठीक है, मुझे विदित नहीं है। यहां तक कि सत्यनिष्ठा सामूहिक का अभाव भी घोर आशंका के दायरे में लगता है क्योंकि इसके बाद वक्तव्य में ही अंतिम पैराग्राफों में यह कहा गया है :

> "आयात के बारे में हुई वार्ताओं/निर्णयों की गोपनीयता की कमी भी चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का कारण बताया गया है, इसके परिणामस्वरूप आयात-लागतों में अनावश्यक वृद्धि हुई है।"

वे इससे इन्कार नहीं करते। सरकार ने आपसी तालमेल के अभाव, निर्णय लागू करने में विलंब तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण वार्ताओं की गोपनीयता के अभाव के बारे में अभी तक इन्कार नहीं किया गया है। यहां "वार्ताओं/निर्णयों" शब्द का प्रयोग किया गया है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व इस विशिष्ट वक्तव्य की अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों ने संवीक्षा की होगी। वार्ताओं का अर्थ सरकार के आंतरिक परामर्शों, चर्चाओं एवं इसके सबसे अंतरंग विभागों में हुए विचार-विनिमयों से भी है तथा चीनी से संबंधित उन वार्ताओं को गोपनीय नहीं समझा गया और ये सब बातें विदेशी तथा विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई, जिसके परिणामस्वरूप देश को भारी हानि उठानी पड़ी है।

इस वक्तव्य में आगे यह कहा गया है :

> "इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के बारे में, यह उल्लेख है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही थीं, फिर भी चीनी के कोटे में अनुचित कमी की गई, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को बढ़ावा मिला।"

इस वक्तव्य में यह केवल अप्रत्यक्ष आरोप लगाया गया है। हालांकि इसमें आरोप लगाया गया है, फिर भी यह आरोप अस्पष्ट रूप से और अनमने मन से लगाया गया है, जैसे कि इसमें लगाने का साहस ही न हो। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रधान मंत्री की ओर से जारी किये गये वक्तव्य में एक ठोस आरोप लगाया गया है तथा मैं यह कहूंगा कि यह आरोप प्रत्यक्ष रूप से खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के विरुद्ध है तथा इसके लिए वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और यदि वह ऐसा अपने हित में करते भी हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री कार्यालय ने उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया है तथा ऐसा दृढ़तापूर्वक कहा गया है, इस वक्तव्य में मात्र यही आरोप बलपूर्वक लगाया गया है, "घरेलू उद्योग के बारे में, चीनी कोटे में अनुचित कटौती करके चीनी जारी करना जबकि इसकी कीमतें बढ़ रही थीं, इसके परिणामस्वरूप चीनी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को बढ़ावा मिला; अतिरिक्त लाभ से मात्र चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुंचा।" महोदय, यह सब कुछ, कहने तथा इस संबंध में हुई गलतियों को काफी हद तक स्वीकार करने के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री अचानक एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा उस निष्कर्ष को प्रधान मंत्री महोदय के मुंह से उगलवाते हैं कि चूंकि मूलरूप से इस समिति को भ्रष्टाचार से संबंधी पहलू की जांच का कार्य नहीं सौंपा गया था एवं इस समिति के प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है, अतः किसी व्यक्ति की ओर से दुर्भावना

की आशंका सिद्ध नहीं होती। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री किस आधार पर, किस प्रक्रिया एवं जांच के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे? इस संबंध में हुई सभी गलतियों एवं किसी व्यक्ति की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, क्या इसके बावजूद भी वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे? उन्होंने यह निर्णय कैसे लिया? यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे कि मैं किसी एक मंत्री अथवा दूसरे मंत्री से पूछ रहा हूं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि प्रधान मंत्री ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या विधि अपनाई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से नहीं मिल रहा है। यहां पर प्रधान मंत्री ने यह कहने की कृपा की थी कि उन्होंने अपने सहयोगियों से स्पष्टीकरण मांगे हैं तथा उनके सहयोगियों ने स्पष्टीकरण दे दिए हैं एवं इनके आधार पर वह इस बात से संतुष्ट हैं कि इस संबंध में कोई दुर्भावना नहीं है। महोदय, यह बहस काफी लंबी हो चुकी है। शायद खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय मुझे इस बात का दोषी ठहरायेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, वह दुर्भावना है। लेकिन मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं उनको एक पत्र लिखूं तथा कहूं, "प्रिय श्री कल्प नाथ जी, आप गलती पर हैं। मेरा आशय गलत नहीं है।" महोदय, दुर्भावना सिद्ध करने अथवा उनकी मौजूदगी को नकारने का यह कोई ढंग नहीं है, विशेषकर तब जबकि लोक महत्व के अत्यंत अहम मुद्दे चर्चा में सम्मिलित हों।

महोदय, मैं अपनी बात जारी रख सकता था। लेकिन, मैंने जो समय लिया है, मुझे उसके बारे में भी पूरा ध्यान है। अब, मैं कुछ विशिष्ट बातों को ही लूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं अनुमानों की समुचितता के बारे में उल्लेख करूंगा क्योंकि वास्तव में यहीं से परेशानी शुरू होती है क्योंकि अनुमान गलत थे तथा यदि अनुमान गलत थे, तो फिर उस मूल अनुमान संबंधी गलती से ही सब कुछ गलत हो जाता है। मैं ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन के एक पृष्ठ का मात्र उल्लेख करता हूं, न कि उसमें से उद्धृत कर रहा हूं तथा जिन्होंने इसे पढ़ा है, जिस पर कि सरकार आशंका नहीं करेगी....(व्यवधान)। प्रतिवेदन को अध्ययन करने एवं समझने अथवा उसका निहितार्थ जानने तथा उसके पश्चात अभिनय करने में एक अंतर है।

मैं प्रबुद्ध ज्ञान प्रकाश जी की एक विशिष्ट टिप्पणी का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें वह यह सुझाव देते हैं कि कोई निर्णय लेने में पहले ही विलंब हो चुका था तथा चीनी आयात की तात्कालिकता के बारे में मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के सभापति के ध्यान में नहीं लाया गया था। इस अवधि के दौरान न तो वित्त मंत्री, न ही खाद्य मंत्री, न ही नागरिक पूर्ति मंत्रालय और न ही मंत्रिमंडलीय सचिव ने विलंब होने संबंधी तथ्य के बारे में प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया। मैं इसे अत्यंत लच्छेदार टिप्पणी मानता हूं। मुझे विदित नहीं है कि प्रबुद्ध ज्ञान प्रकाश जी क्या मालुम करना चाहते हैं; वह किसमें दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तथा वे किसे इस घोटाले में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि निर्णय लेने में कोई विलंब हो गया था, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मूल्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सभापति इस विलंब के बारे में अनभिज्ञ रहे तथा अपने ही से

संबंधित मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके? यह कैसे संभव हो सकता है कि...

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह इंडिया है, जिसे भारत कहा जाता है।

श्री जसवन्त सिंह : श्री सोमनाथ जी, यह कैसे संभव हो सकता है कि जब यह सब कुछ घटित हो रहा हो, प्रधान मंत्री इस सरकार के मुखिया होने तथा इस देश के प्रति जिम्मेदार होने के नाते, इस घोटाले के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रह जायें। मैं वास्तव में ही आभारी हूंगा, यदि सरकार अपने उत्तर में हमें इस पहलू विशेष के बारे में जानकारी दे।

अब, मैं तालमेल की कमी के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रबुद्ध ज्ञान प्रकाश जी ने यह टिप्पणी सही ही की है कि प्रधान मंत्री के निर्णय से पूर्व, विभिन्न मंत्रालय अपने ही विभागीय दृष्टिकोणों का सतत पालन करते रहे थे। तत्पश्चात, एक रोचक टिप्पणी सामने आती है। इस समस्या के समाधान की दिशा में एक संयुक्त दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता था। ऐसा नहीं प्रतीत होता था किसकी ओर से? इस समस्या का कोई समाधान संयुक्त रूप से सामने कौन नहीं ला रहा था तथा ऐसा कोई समाधान पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को यह कहने का पूरा हक था कि यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी आयात करना चाहेंगे तो वह राजसहायता के रूप में आवश्यक 650 करोड़ रुपये हमें नहीं देने वाले हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा है। उन्होंने राज्यों को राजसहायता देने से इंकार कर दिया था। राज्य उनके द्वार पर फरियाद करने जाते हैं और वह कह देते हैं कि वह कोई राजसहायता नहीं देंगे। विभाग उनसे राजसहायता मांगते हैं, रक्षा मंत्रालय उनसे राजसहायता मांगता है और वह कह देते हैं कि वह राजसहायता नहीं देने वाले हैं। जब वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि वह राजसहायता के रूप में 650 करोड़ रुपये नहीं देंगे तो तो इसमें कोई नई बात क्या थी। उसके बाद किसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। वित्त मंत्री जी को तो कोई कार्रवाई करनी नहीं थी। वह अपने कर्त्तव्य 'स्वधर्म' का पालन कर रहे थे। उस समय प्रधान मंत्री को कार्रवाई करने की जरुरत थी। यह उन पर निर्भर था कि कार्रवाई करें।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री कल्पनाथ राय जी का क्या 'धर्म' था?...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उस समय प्रधान मंत्री का मंत्रियों को एकजुट करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और यह कहते "मैं वित्त मंत्री की बात को अस्वीकार करता हूं और मैं 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था करूंगा इसलिए आप काम को आगे जारी रखें" यह उनका राजधर्म था।

महोदय, मैं इसके आगे और कुछ बोलना चाहूंगा। अब मैं विद्वान ज्ञान प्रकाश जी द्वारा की गई टिप्पणियों के इस बहुत ही चिंताजनक पहलू पर बोलूंगा। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं शासन के दर्शन को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। यह कहना अपनी बात को दोहराना होगा कि यदि यह विधान सभा/सभा, अन्य सभा अथवा अन्य विधान

सभाएं असैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करती है तो यह केवल असैनिक कर्मचारियों की उल्लंघनीयता को बचाकर रखने के लिए ही है क्योंकि असैनिक कर्मचारी यहां पर उपस्थित होकर अपने आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। तब राजनैतिक नेतृत्व के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह असैनिक कर्मचारियों के लिए लड़ें, उत्तरदायित्व स्वीकार करें और यह कहें कि उनके विभाग में जो कुछ हुआ है उसके लिए उनके सचिव नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार हैं और वह इस विधान सभा/सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, न कि उनके मंत्रिमण्डल सचिव। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपका ध्यान विद्वान ज्ञान प्रकाश जी द्वारा की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि "मंत्रिमण्डल अथवा उसकी उप-समितियों के निर्णयों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अंतर-मंत्रालय समन्वय, केवल मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है।" यह बात पूरी तरह से गलत है कि इसे केवल एक मंत्रिमंडल सचिव अथवा अन्य मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है और मैं यह कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा सभी प्रकार के दस्तावेजों को थोक में जारी करना बहुत गलत लगता है। यह बहुत ही भारी गलती है क्योंकि एक प्रकार से ऐसा करने से मंत्रिमंडल सचिव की व्यवस्था इस देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए प्रधान मंत्री ही जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने अपने सचिव का पक्ष नहीं लिया और न ही उन व्यक्तियों का पक्ष लिया जिन्होंने उनकी ओर से कार्रवाई की थी। यह हकीकत है और हम इसे हल्के तौर पर नहीं ले सकते हैं। मुझे यह टिप्पणी करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव ने जो कुछ भी किया है, वह गलत है। परन्तु वह इसके सिवा और क्या करते? इस सत्ताधारी दल के किसी भी सदस्य ने उनका पक्ष नहीं लिया। उन्होंने उनको मंत्रिमण्डल सचिव के रूप में नियुक्त किया। लेकिन किसी भी सदस्य ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि ये निर्णय लिये गये थे क्योंकि हमने आदेश दिया था कि ऐसे निर्णय लिए जायें। इसलिए मैं दुःख के साथ कहता हूं कि ऐसा लगता है इस सरकार में नैतिक पतन इतना गहरा और व्यापक है कि उत्तरदायित्व को ऊपरी स्तर पर स्वीकार करने की अपेक्षा इसे निचले स्तर पर डाल दिया जाता है।

यह एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। निःसंदेह हम राजनीतिज्ञों ने अपने देश के राजनैतिक ढांचे को लगभग नष्ट कर दिया है। एक समय मुझे इस देश में सेना की वर्दी पहनने का गौरव प्राप्त था और मैं पूरी विनम्रता से यह कहता हूं कि हम इस राष्ट्र के असैनिक सेवा के ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करने के कगार पर हैं। संसद में अपने कार्यकाल के समय अथवा जिन वर्षों में मुझे सेना में कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ था, तब मुझे इस प्रकार एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात का पता ही नहीं था। हम राजनीतिज्ञ लगातार एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास करते हैं परंतु असैनिक सेवा में इस प्रकार सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को समाप्त करने की बात का मुझे पता नहीं है। यह इस पूरी घटना का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है और ऐसी कोई भी कीमत नहीं है जो कि इस प्रकार के पतन को रोकने के लिए चुकायी जा सकती हो क्योंकि यह ऐसा पतन है जो कि हमारे शासन के ढांचे को खोखला कर देगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल प्रधान मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि समन्वय आदि के लिए यदि मंत्रिमंडल सचिव जिम्मेदार है तो प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल सचिव को यह कहने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है।

महोदय, अब पता किए गए दोष क्या हैं? मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति एक दोष है। मंत्रिमण्डल सचिव में फिर एक दोष पाया गया है। प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल सचिव में फिर एक दोष पाया गया है। सर्वोपरि बात यह है कि गोपनीयता का मामला एक और दोष है।

कौन जिम्मेदार हैं? विद्वान श्री ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मंत्री जिम्मेदार हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक निगम के रूप में राज्य व्यापार निगम जिम्मेदार है, लेकिन वाणिज्य मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। क्या राज्य व्यापार निगम वाणिज्य मंत्रालय का भाग नहीं है? क्या राज्य व्यापार निगम एक स्वायत्तशासी निगम है? क्या वाणिज्य मंत्री की मंत्रिमण्डल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? वाणिज्य मंत्री उस समय क्या कर रहे थे जबकि उनका मंत्रालय जो कि निश्चित रूप से व्यापार से संबंधित है और जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विश्व बाजार से वास्तव में जिन्सों के दैनिक भावों के आंकड़े प्राप्त करने चाहिए थे? जहां तक चीनी बाजार का संबंध है, उन्हें निश्चित रूप से मालुम होना चाहिए था कि फारवर्ड और स्पॉट व्यापार में कुछ अस्थिरता चल रही है। महोदय, निश्चित रूप से यह एक रोजमर्रा का काम है और भारत जैसे महान देश के किसी भी वाणिज्य मंत्री को, वाणिज्य मंत्रालय को यह करना है। हमारा देश छोटे व्यापारियों का एक छोटा सा देश नहीं है। यह देश जब चीनी के लिए बाजार में जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। भारत ने चीनी की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा होता और विश्व बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की होती तो मुझे इस पर आश्चर्य होता। वे तो प्रतिक्रिया करेंगे ही क्योंकि हम 850 मिलियन के लिए चीनी की खपत के बारे में बात कर रहे हैं। हम भारत जैसे बड़े और महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। निःसंदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित होना चाहिए था और वाणिज्य मंत्रालय चुप है। वाणिज्य मंत्रालय को मालुम नहीं है कि क्या हो रहा है।

विद्वान श्री ज्ञान प्रकाश जी ने जिम्मेदारी राज्य व्यापार निगम और किसी प्रबंध निदेशक पर डाल दी जो संसद में अपनी आलोचना नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि वह यह कहते हैं कि यदि मैंने यह निर्णय लिया तो कल आप मेरा दोष निकालेंगे या लोक लेखा समिति मेरे पीछे पड़ जाएगी। इसके लिए इस तरह एक बार फिर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है।

मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार के वक्तव्य में ही त्रुटियां स्वीकार की गई हैं। वक्तव्य में नाम का उल्लेख किए बगैर एक मात्र मंत्री खाद्य राज्य मंत्री को ही दोषी ठहराया गया है। यह

बात खाद्य राज्य मंत्री पर निर्भर करती है कि वह जो कुछ महसूस करते हैं वह संसद को बताएं, सच्चाई क्या है और तथ्य क्या हैं।... (व्यवधान) यह बात उन पर निर्भर है कि वह इसमें से अपनी स्थिति स्पष्ट करें या इस गलत कार्य में अपने नाम को घसीटा जाने दें।... (व्यवधान) मैं इस वक्तव्य से आश्चर्यचकित हूं। मैं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के इस वक्तव्य से वास्तव में आश्चर्यचकित हूं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। क्योंकि हम दोनों एक ही राज्य के हैं।...(व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें निशाना मत बनाइए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं उन्हें निशाना नहीं बना रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे परामर्श भी नहीं किया गया।

श्री जसवन्त सिंह : मैं मंत्री के रूप में उनकी निन्दा करूंगा।

हमें इस वक्तव्य का क्या करना है? इस वक्तव्य के माध्यम से हमें कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यह सब अचानक हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे सम्माननीय सहयोगी और मित्र माननीय वित्त मंत्री से काफी कुछ सीख लिया है जिन्होंने एक नया वाक्यांश ढूंढा है जो अब एक राजनीतिक शिष्टोक्ति बन गया है और वह है "व्यवस्था की असफलता"।... (व्यवधान) ऐसा लगता है कि इस काण्ड में भी व्यवस्था की असफलता के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। व्यवस्था की इस असफलता में प्रधान मंत्री जी ने एक संसदीय न्यायशास्त्र का नया तत्व शुरू किया है। उन्होंने कल इस सभा को यह जानकारी दी... (व्यवधान) जी, हां, उत्तरदायित्व, लेकिन उत्तरदायित्व केवल तभी जबकि बुरी नीयत हो, दोष हो।...(व्यवधान) उन्होंने ऐसा कहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तरदायित्व से दोष को अलग कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्षमा करें।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य लोग बोल रहे थे तो उन्होंने 'दोष' से 'उत्तरदायित्व' को अलग किया।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, 'उत्तरदायित्व' और 'दोष' के बीच जो भेद करने का प्रयास किया जा रहा है उससे मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने अंतर किया लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि श्री कल्पनाथ राय ने उत्तरदायित्व को निभाया है। यह एक मजाक है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा में यह निर्णय करना है कि क्या आप अब सदस्यों को उकसा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे मन में एक कोतूहल है। ईमानदारी की बात तो यह है कि मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों में एक घबराहट है। वह एक विद्वान और उम्रदराज व्यक्ति हैं। वह जो भी शब्द बोलते हैं वह अर्थपूर्ण होते हैं। वह यहां पर या अन्यत्र जो भी शब्द कहते हैं वह अर्थपूर्ण होता है अर्थ या तो उनकी बातों से प्रकट होता है या उसमें निहित होता है। अतः यदि प्रधान मंत्री जी बदनियती और सदोषता के आधार पर उत्तरदायित्व को स्पष्ट करत हैं तो मुझे इसमें आश्चर्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा? महोदय, मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि प्रधान मंत्री जी यहां पर आयें और वह कहें जो उन्होंने कहा है। हम रिकार्ड को पढ़ सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, केवल रिकार्ड को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि मैं भी उसी कमजोरी का शिकार हो सकता हूं जिसका शिकार मंत्रिमण्डल के मेरे सहयोगी हैं। मैं इसे पढ़ सकता हूं और प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है मैं अभी उसे नहीं समझ सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप इस पर अपनी व्याख्या दे सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मंत्रालय की जिम्मेदारी के हैं। यह मुद्दा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है असैनिक कर्मचारियों की भूमिका का और मैं यहां पर किसी एक या दूसरे असैनिक कर्मचारी का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं असैनिक कर्मचारियों की सम्पूर्ण भूमिका का उल्लेख करना चाहता हूं और साथ ही मैं एक मंत्री और उसके मुख्य सचिव के अनैतिक तमाशे का भी उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री सचिवालय की क्या भूमिका है? एक मुद्दे के रूप में मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति और उसकी इस पूरे मामले में जो भूमिका रही है उससे भी मैं चिंतित हूं। संसद के प्रति मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी है, इस सभा के प्रति-प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी है—मैं उससे चिंतित हूं।

महोदय अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितनी मात्रा में चीनी आयात की गई। ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत कितनी मात्रा में चीनी आयात की गई थी और यह किस कंपनी द्वारा आयात की गई थी। क्या यह बात सही है कि ओपन जनरल लाइसेंस में या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुछ विशेष कंपनियों की तुलना में कुछ कंपनियों के साथ पक्षपात किया गया था? क्या सरकार मेरे आरोप का उत्तर देगी कि जनवरी और मार्च के बीच चीनी के लिए किए जाने वाले आयात की जानकारी इस देश में चुनिंदा कंपनियों को दे दी गई थी जिससे इस देश को 750 मिलियन डालर से 1,000 मिलियन डालर का नुकसान हुआ। महोदय, यदि आप हिसाब लगाएं तो मोटे तौर पर इस देश में 120 लाख टन चीनी का उपभोग होता है और उस 120 लाख टन में से मोटे तौर पर 60 लाख टन चीनी की खपत इस छह माह के दौरान हुई जब देश में चीनी कांड हुआ। तत्पश्चात दस रुपए प्रतिकिलो ग्राम के अंतर से उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। मुझे अति प्रसन्नता

होगी यदि अन्य कोई व्यक्ति जिसे माननीय वित्त मंत्री की तरह आंकड़ों की जानकारी हो, अपने उत्तर में हमें बताएं कि भारतीय उपभोक्ताओं को वास्तव में कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ी थी। उस वास्तविक 6000 या 5000 करोड़ रुपए की राशि में से कितनी राशि कहां पहुंची? महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ऐसी खबर फैली हुई है और यह घातक होगी। यदि सरकार यह सब जानकारी हमें नहीं देती है तो हम सरकार का उत्तर आने पर निश्चित रूप से उस पर हंसेंगे। ...(व्यवधान)

महोदय, संयुक्त राज्य की कांग्रेस के समक्ष प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए अभिभाषण से मैं स्तब्ध रह गया। जब वह वहां गये थे तो उन्होंने वहां पर वास्तव में कुछ बहुत ही विचलित करने वाली टिप्पणियां कीं और यदि मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिज्ञ आनी-जानी चीज हैं। हम आज हैं कल नहीं। राजनीतिक जीवन की प्रकृति आना-जाना है।

अध्यक्ष महोदय : जीवन की प्रकृति आना और जाना है।

श्री जसवन्त सिंह : यह वाक्य मुझे बहुत चुभ गया। मैंने उन्हें वह वाक्य याद दिलाया, उन्होंने संयुक्त राज्य की कांग्रेस को उस अभिभाषण में बहुत ही विचलित कर देने वाली एक बात और कही थी और शायद वह मेरे अध्यक्ष और नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कुछ अन्य लोगों में से हैं, श्री चोक्का राव जी और कुछ अन्य लोगों में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह बात बहुत बेचैन कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि "मेरा उस पीढ़ी से संबंध है", अटल जी का उस पीढ़ी से संबंध है, चोक्का रावजी का उस पीढ़ी से संबंध है। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन लोगों का संबंध उस भाग्यशाली पीढ़ी से है जिसने अपने संघर्ष को फलीभूत होते हुए देखा है और राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। मैं समझता हूं कि वे लोग बहुत खुश किस्मत हैं, जिन्होंने अपने उस प्रयासों का उस तरह का ईनाम पाया। महोदय, प्रधान मंत्री जी तीन तरह से खुश किस्मत हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष की सफलता की भोर देखी है, और अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देश की नौका को दिशा देने की बागडोर उन्हें सौंपी गई है।

महोदय, इसीलिए जब मैंने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था—मैंने उनसे आग्रह हल्के-फुल्के ढंग से नहीं किया था—मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूं, मुझे अनुभव भी कम है और वह उच्च पद पर आसीन हैं, उनका उच्च पद और उस उच्च पद का आचरण देश की नेकनामी के पर्याय हैं—मैं भारत के भले के लिए उनसे आग्रह करता हूं कि उन्होंने संयुक्त राज्य की कांग्रेस में कुछ कहा है उसे स्वीकार करें और इससे पहले कि और कोई नुकसान हो, कृपया अपना पद छोड़ दें, कृपया जिम्मेदारी स्वीकार करें और अपने पद से त्याग-पत्र दें। यह पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। यह केवल एक मंत्री की जिम्मेदारी है। इस घोटाला विशेष के पहलुओं को रुपयों, आनों, पैसे या चीनी और नमक में नहीं मापा जा सकता है। महोदय, उनकी मापतोल करने की आवश्यकता नहीं है और केवल इतिहास ही भारत की नेकनामी के नाम पर उनकी मापतोल करेगा। इसीलिए मैंने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात श्री जसवन्त सिंह जी को अपनी बातें अकाट्य और योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अपना सहयोग देने से आरंभ करता हूं। मुझे यकीन है कि उन्हें जो कहना था उससे प्रधान मंत्री जी के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा और जैसी कि मुझे उम्मीद है मुझे जो कहना है उससे भी प्रधान मंत्री जी निर्णय लेंगे वह प्रभावित होगा। महोदय, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम इस मुद्दे पर बेकार में ही चर्चा कर रहे हैं।

हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। एक ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पूरी रिपोर्ट हमारे सामने है। हमारे पास केवल अध्याय पांच से सात तक ही नहीं हैं जिस पर अधिकांश लोगों का ध्यान केंद्रित है, अधिकांश प्रचार माध्यमों का ध्यान केंद्रित है और इस सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकांश राजनीतिज्ञों का ध्यान सभा से बाहर केंद्रित किया जा रहा है बल्कि अध्याय एक से चार भी है और इससे पहले कि हम अध्याय पांच से सात (अंतिम अध्यायों) के निहितार्थ के बारे में कोई निर्णय ले सकें या कोई सिफारिश कर सकें हमें यह भी देखने की जरूरत है कि पहले चार अध्यायों में क्या कहा गया है।

हमारे सामने दूसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह इस सभा में प्रधान मंत्री जी द्वारा कल दिया गया वह आश्वासन है कि वह इस वाद-विवाद की कार्यवाही के आधार पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि श्री जसवंत सिंह का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पहले ही एक आश्वासन मिला है कि उन्हें जो कुछ कहना है उससे प्रधानमंत्री जी प्रभावित होंगे और इसीलिए मैंने यह आशा प्रकट की कि मुझे जो कुछ कहना है उससे भी वह प्रभावित होंगे। हम इस वाद-विवाद के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही की तरफ बंध रहे हैं। इससे इस वाद-विवाद का बहुत विशेष महत्व हो जाता है। महोदय, तथापि मुझे यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि प्रधान मंत्री जी ने कल किसी को भी निर्दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने निर्णय करने से पहले हमसे यह सुनना चाहा कि कौन गलत था और वह व्यक्ति गलत क्यों था और उसी समय उन्होंने यह कहा कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर वह सह कह पाने की स्थिति में नहीं थे कि किसी भी व्यक्ति का बुरा इरादा सिद्ध हो गया है।

मेरे विचार से प्रधान मंत्री का यह कहना बिल्कुल सही है कि उन्हें उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट से कोई दुर्भावना स्थापित नहीं होती, क्योंकि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाये। श्री ज्ञान प्रकाश ने इस रिपोर्ट को जारी करते समय इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा है कि उन्हें भ्रष्टाचार से संबंधित विषय से निपटाने का कार्य नहीं सौंपा गया है। उन्हें विशेष रूप से प्रशासनिक खामियों से संबंधित विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा गया था। उन्होंने ऐसा ही किया। अतः, अकेले उनकी रिपोर्ट के आधार पर, हम यह दावा नहीं कर सकते कि दुर्भावना सिद्ध हो चुकी है।

दूसरी ओर, मैं तत्काल आगे और स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि प्रशासनिक खामियों को भ्रष्टाचार से जोड़ना संभव है। लेकिन ऐसा जोड़ अथवा संबंध स्थापित करने लिए, हमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है अथवा उसके विरुद्ध जांच आयोग अधिनियम, 1954 के तहत न्यायिक जांच करनी पड़ती है। तब तक, प्रशासनिक खामियों से निबटने वाली किसी रिपोर्ट में यही किया जा सकता है कि **प्रथमदृष्टया** आधार प्रदान किया जाए। इसे **दुर्भावना** का सिद्ध होना नहीं कहा जा सकता। क्या **प्रथमदृष्टया** आधार प्रस्तुत किये जा सकते हैं? मेरे विचार से, प्रथम तो यह कि कोई प्रशासनिक जांच आपराधिक-अभियोज्यता हेतु प्रथमदृष्टया आधार सिद्ध कर सकता है। मेरा यह भी मानना है कि प्रशासनिक खामी से राजनैतिक कार्रवाई हेतु एक राजनैतिक आधार स्थापित किया जा सकता है। अब प्रधान मंत्री राजनैतिक आधारों पर राजनैतिक कार्रवाई करने हेतु केवल राजनैतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं अथवा कोई न्यायिक आयोग बिठाने हेतु आगे जाना चाहते हैं अथवा सदोषता सिद्ध करने हेतु कोई अन्य स्थापित प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, मेरे विचार से, यह इस सभा में सदस्य जो यह साबित कर पाये हैं कि वास्तव में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के माध्यम से हम भ्रष्टाचार के **प्रथमदृष्टया** आधारों की परिभाषा में बातचीत करने के योग्य हुए हैं—पर निर्भर करेगा। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत तौर पर इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, अपने मन में प्रशासनिक खामियों को भ्रष्टाचार से जोड़ने के लिए **प्रथमदृष्टया** आधार सिद्ध नहीं कर पाया हूं, लेकिन इस सभा में मेरे बाद जो अन्य सदस्य ऐसा कोई आधार सिद्ध करने संबंधी विषय पर बोलेंगे, मैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूंगा।

लेकिन, मेरे विचार से, राजनैतिक कार्रवाई हेतु राजनैतिक आधार है, जो इस रिपोर्ट में सिद्ध किये जा चुके हैं। मेरा यह मानना है कि ऐसा करते समय, हमें इस बहस में उन नौ आधारों की भी पहचान करने की आवश्यकता है, जिनपर आगे राजनैतिक कार्रवाई की जानी है।

पहला आधार है, प्राक्कलनों को तैयार करने की विधि। जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है, प्राक्कलन समस्या ही हमारे सामने मूल समस्या है। ज्ञान प्रकाश जी ने सर्वप्रथम प्राक्कलन तैयार करने हेतु अपनाई गई विधि की समस्या की ही पहचान की थी।

दूसरे, यह कि ज्ञान प्रकाश जी यह साबित कर चुके हैं कि इन प्राक्कलनों में अनेक परिवर्तन किये गये थे। तीसरे, वह यह दावा करते हैं कि अपनाई गई नीति—विशेषतौर पर खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति-में उपभोक्ताओं की कीमत पर चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करने पर बल दिया गया था। चौथे, इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि चीनी आयात की स्वीकृति देने में अत्यधिक समय लिये जाने से इन्कार किया गया था। पांचवे, चीनी आयात के बारे में निर्णय लेने के बाद, वास्तव में चीनी का आयात करने में विलंब हुआ था। छठे, इन सभी बातों का (क) लेवी चीनी के निर्गम मूल्य तथा (ख) खुले में विक्रय की जाने वाली चीनी के बाजार भाव पर असर पड़ा।

सातवें, इन सभी बातों का चीनी-आयात की लागत पर प्रभाव पड़ा तथा जैसाकि श्री जसवन्त सिंह जी ने यह मामला उठाया है। गोपनीयता का मुद्दा भी इसी से संबंधित है। आठवें, खुले बाजार में विक्रय हेतु चीनी जारी करने की प्रक्रिया में भी व्यवधान हुआ था; नौवें एवं अंततः हमें भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त अव्यवस्था को रखना चाहिये।

आपकी अनुमति से, मैं इन सभी नौ बिन्दुओं पर एक-एक करके संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण विषय प्राक्कलन से संबंधित है। ये प्राक्कलन तैयार करने के लिए अपनाई गई विधि दोषपूर्ण रही है।

लेकिन, मैं समझता हूं कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में जो यह लिखा है कि खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री एवं खाद्य मंत्रालय ने जो कार्य-विधि अपनाई है, वह लंबे अरसे से चली आ रही कार्यविधि से कोई भिन्न नहीं थी, इस आधार पर ऐसा कहना उचित होगा। यहां तक कि छठी लोक सभा अर्थात, वर्ष 1977-79 की अवधि के बीच जिसका कार्यकाल समाप्त हुआ था (जानकारी का यह पुलिंदा मैं अपनी ओर से संसद संबंधी अपने विपुल ज्ञान में से नहीं दे रहा हूं, बल्कि मात्र इसलिए कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है) तथा वास्तव में यह लोक सभा एक ऐसी लोक सभा थी जिसमें कि कुछ भद्रपुरुष—जो अब विपक्ष में हैं—उस समय सत्तापक्ष में थे, उस लोक सभा की लोक लेखा समिति ने इस कार्य-विधि में त्रुटि पाई थी तथा गन्ने के उत्पादन में जो होने वाला था उसके बारे में भविष्यवाणी को सिद्ध किया था। हमने सातवीं, आठवीं एवं नौवी लोक सभा देखी है तथा अब हम दसवीं लोक सभा में हैं। इस सारी प्रक्रिया में 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हुई है, फिर भी यह सुनिश्चित करने की कार्यविधि में कि उत्पादन कितना होगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, यदि ज्ञान प्रकाश जी ने श्री कल्पनाथ राय जी को एक कार्यविधि विशेष का अनुकरण करने के लिए खुल्लमखुल्ला दोषी ठहराया है, तो भी उन्होंने, गत 20 वर्षों के दौरान श्री राय से पूर्ववर्ती सभी खाद्य मंत्रियों पर भी यही दोष लगाता है। उन्होंने कहा है कि श्री मोरारजी देसाई, श्री वी.पी. सिंह और श्री चन्द्र शेखर जी की सरकार में भी, जो भी खाद्य मंत्री रहे हैं, उन सभी ने इस एक ही गलती को दोहराया है तथा निस्संदेह, श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूसरी कांग्रेस सरकार तथा श्री राजीव गांधी की सरकार ने भी, जो भी व्यक्ति खाद्य मंत्री के पद पर रहा है, उसने भी इसी गलती को दोहराया है। अब, मेरे विचार से हम सभी तथा सबसे बढ़कर स्वयं श्री कल्पनाथ जी भी इस बात से सहमत होंगे कि इन बातों में वह कोई महान अर्थशास्त्री, महान अर्थवेत्ता अथवा महान विशेषज्ञ नहीं हैं; उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपने कार्यकाल में उसी कार्यवधि का अनुकरण करते रहे, जिसका उनके पूर्ववर्ती मंत्री—वह स्वयं भी ऐसा कहेंगे—जिनमें से अधिकतर उनसे अधिक प्रबुद्ध थे—अनुकरण कर रहे थे। अतः, हमें पहले से निर्धारित कार्यवधि को ही दोषपूर्ण मानना चाहिये, जिसका श्री कल्पनाथ राय जी ने सही दिशा में ही उपयोग किया है। जिस कार्यविधि को उन्होंने अपनाया है तथा जो कार्यवधि कम-से-कम गत 20 वर्षों से चली आ रही थी, उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।

महोदय, इसी प्रकार, जैसाकि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, उस कार्यविधि की प्रमुख बातों को समझे जाने की जरूरत है। एक तो यह कि कृषि मंत्रालय को प्राथमिकता दी जाए। अब, मेरे विचार से खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जैसे एक कनिष्ठ मंत्री द्वारा यह कहना थोड़ी-सी ज्यादती होगी कि वह किसी वरिष्ठ केबिनेट मंत्री—कृषि मंत्री—की कार्यविधि स्वीकार नहीं करेंगे तथा अपनी ही कार्यविधि तैयार करेंगे। अतः, इसे इस दृष्टि से देखना होगा कि उक्त कार्यविधि चाहे गलत भी थी, तो भी क्या यह वास्तव में किसी मंत्रालय अथवा खाद्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह प्राथमिक तौर पर कृषि मंत्रालय पर आश्रित होकर कार्यविधि को बदले। महोदय, दूसरे, ज्ञान प्रकाश जी ने इस देश में चीनी की जो आवश्यकता है, उसके बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों में से सीधे ही अपनी रिपोर्ट में उद्धृत किया है। महोदय, चूंकि मुझे उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी गई है, मैं तो केवल उसका हवाला दे सकता हूं। अतः, मैं यथासंभव व्यापक रूप से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ दल ने जो कहा है, उसका उल्लेख कर रहा हूं, जिसको ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में भी उद्धृत किया गया है। उसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के इन विशेषज्ञों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीनी एवं गुड़ हेतु आर.डी.आई. के आधार पर, हमें प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 30 ग्राम अर्थात 96 लाख टन चीनी एवं लगभग इतने ही टन गुड़ एवं खांडसारी की जरूरत है। अतः जैसा कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है, आई.सी.एम.आर. विशेषज्ञों का कहना है कि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमें 110 लाख टन चीनी एवं 90 लाख टन गुड़ एवं खांडसारी का उत्पादन करने की जरूरत है। महोदय, मुझे क्षमा करें, मुझे इसे 'पर्याप्त' कहना चाहिये। 'पर्याप्त' शब्द कोई मेरे द्वारा गढ़ा गया शब्द नहीं है; इस शब्द का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने प्रयोग किया है। इसके बाद उन्होंने जो कहा है, उसे मैं आपकी पूर्वानुमति से विशेषरूप से पढ़कर सुनाना चाहता हूं :-

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों का कहना है :—

> "इस प्रकार—कृपया 'इस प्रकार' शब्द को नोट कीजिए—सामान्यतया चीनी की कोई कमी प्रतीत नहीं होती, बल्कि वास्तव में यह हमारी आवश्यकता से अधिक है।"'

मुझे खेद है कि यदि हमारे माननीय खाद्य राज्य मंत्री जी, जिनके पास मेडिकल डिग्री नहीं है, और जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता होने का कोई दावा नहीं कर सकते हैं, यह कहते कि जब देश में चीनी का उत्पादन 96 लाख टन से अधिक हो तब हमें चीनी के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए और आयात पर कितनी भी लागत क्यों न आती हो हमें चीनी आयात करके घरेलू जरूरत को पूरा करना चाहिए तो मैं उनसे काफी पेरशान हो जाता। चूंकि विशेषज्ञों ने स्वयं इस मुद्दे को इतने प्रभावशाली ढंग से उठाया है तो मैं समझता हूं कि वास्तव में इसका उल्लेख ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में किया गया है। प्रधान मंत्री जी, खाद्य राज्य मंत्री द्वारा अपनायी गयी आकलन की इस पद्धति के बारे में जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, उन्हें यह बात अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि यह पद्धति, गत 20 वर्षों से चली आ रही पद्धति से अलग नहीं थी तथा खाद्य राज्य मंत्री द्वारा की गई सामान्य पहल उनको दी गई कड़ी चिकित्सा सलाह पर आधारित थी, जिसमें बहुत ही गंभीर आर्थिक उलझनें/अड़चनें हैं।

मैंने कभी नहीं कहा कि प्रधान मंत्री जी श्री कल्पनाथ राय जी को दोषमुक्त कर दें। परन्तु मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह अनुरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री जी को यह निर्णय करने से पहले कि श्री कल्पनाथ राय इसमें किस हद तक दोषी हैं अथवा उत्तरदायी हैं और किस सीमा तक दण्डित किये जाने के पात्र हैं, उनको यह दोनों बातें ध्यान में रखनी होगी।

दूसरे, यह आरोप है कि आकलन बदलते रहे हैं। इस वास्तविकता से इंकार नहीं है कि खाद्य राज्य मंत्री ने नवंबर, 1993 में कहा था कि प्रत्याशित उत्पादन पर्याप्त है।

दिसम्बर 1993 में एक महीने बाद, उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया था कि उत्पादन पर्याप्त है।

परन्तु 24 जनवरी, 1994 को श्री कल्पनाथ राय जी ने अपनी बात बदल दी और कहा कि उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

अतः यह संबद्ध प्रश्न पूछना है कि दिसंबर, 1993 और 24 जनवरी, 1994 के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण श्री कल्पनाथ राय जी को अपना इरादा बदलना पड़ा।

इस प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्तूबर, 1993 में इंडियन शुगर मिल्स, एसोसिएशन ने अनुमान लगाया था कि हमारे देश में चीनी का उत्पादन 110 लाख टन होगा और 7 जनवरी, 1993 को इस एसोसिएशन ने यह अनुमान लगाया कि चीनी का उत्पादन 110 लाख टन तो नहीं बल्कि उससे अधिक, 111 लाख टन अथवा 112 लाख टन के बीच होगा। परंतु मार्च, 1994 तक इस एसोसिएशन ने अपना इरादा बदल दिया था और अपने अनुमान को 111 लाख टन से घटाकर 98 लाख टन कर दिया।

अतः केवल परिस्थितियों के कारण ही श्री कल्पनाथ राय जी को अपना इरादा बदलना नहीं पड़ रहा है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण इस एसोसिएशन को अपना इरादा बदलना पड़ रहा है। जबकि यह सब कुछ हो रहा है। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में और एक तीसरा तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार देश में अक्तूबर, 1993 में चीनी का वास्तविक उत्पादन, उसी महीने में जिस महीने में मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने श्री कल्पनाथ राय जी को पहले गहरा अध्ययन करने का आदेश दिया था, सीमांत नहीं बल्कि 21 प्रतिशत था। उसी महीने में चीनी उत्पादन में लगभग 1/5 वृद्धि दर्ज की गई थी जिस महीने में लोगों ने सोचा था कि संकट आने वाला है और अन्य लोगों ने सोचा था कि हम पर कोई संकट नहीं आने वाला है।

उसके बाद के महीने में, नवंबर, 1993 में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के अनुसार चीनी के उत्पादन में पुनः और 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अक्तूबर और नवम्बर में, जबकि श्री कल्पनाथ राय जी कह रहे थे कि चीनी की अच्छी संभावना है, उस समय वास्तव में चीनी उद्योग थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अधिक, अक्तूबर, 1993 में 21 प्रतिशत और नवम्बर, 1993 में 16.3 प्रतिशत, चीनी का उत्पादन कर रहा था और उसी समय जबकि श्री कल्पनाथ राय जी तथा उपर्युक्त एसोसिएशन अपना इरादा बदल रहे थे तब उत्पादन गिरावट शुरू हुई। पहली बार फरवरी 1994 में चीनी के उत्पादन में 1.7 प्रतिशत गिरावट आयी और मई 1994 तक उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत तक की गिरावट आयी। महोदय, अन्य शब्दों में जनवरी 1994 को आरंभ में और जनवरी 1994 के अंत में ऐसा कुछ हो गया है, जिसके कारण चीनी की संभावना में भौतिक रूप से परिवर्तन हुआ है। वह महत्वपूर्ण घटना, जिसके बारे में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में सरसरी नजर डाली गई है परन्तु जिसके बारे में कुछ असहज कारणों से विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है वह यह है कि मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बहुत ही महत्वपूर्ण विनियमन को वापस ले लिया जो कि कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्रचलन में था और जो परिष्कृत चीनी का उत्पादन करने वाले मिल मालिकों से गुड़, खांडसारी तथा जैगरी, जिसे देश के अन्य भागों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, का उत्पादन करने वालों को गन्ने के हस्तांरण/अंतरण को विनियमित करता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि यह निर्णय ऐसे राज्य में लिया गया था, जिसका भारत में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान रहा है। मैं अपने स्तर पर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के इस निर्णय का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि इस देश के निर्धन लोग गुड़, खांडसारी एवं जैगरी का सेवन करते हैं जबकि परिष्कृत चीनी का उपभोग हमारे समाज के संपन्न लोग करते हैं और इसलिए मैं श्री मुलायम सिंह यादव को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। परन्तु उनका समर्थन करते हुए मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिये गये गन्ने के स्टॉक में से चीनी उत्पादन के लिए दिये जाने वाले गन्ने की मात्रा को कम किये बगैर गुड़ के उत्पादन के लिए गन्ने की मात्रा दिया जाना असंभव है। विद्यमान स्टॉक में से दोनों को अधिक गन्ना नहीं दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के गुड़, खांडसारी के लिए अधिक गन्ने की आपूर्ति करने की अनुमति देने संबंधी निर्णय के कारण राज्य में परिष्कृत चीनी से संबंधित दृष्टिकोण में पूरी तरह से बदलाव आया है।

जैसे ही यह बदलाव आया, इस चीनी कांड खेल के तीन खिलाड़ियों ने अपना इरादा बदल दिया। इसमें पहले व्यक्ति श्री कल्पनाथ राय है जो, उस रिकार्ड के अनुसार जिसे श्री ज्ञान प्रकाश ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, कहते हैं कि "मैं अपना इरादा बदलता हूं। हमें आयात करने की आवश्यकता है।" दूसरे, एसोसिएशन का कहना है कि : "नहीं हमारे पूर्व के अनुमान गलत हैं। अब चूंकि अधिक से अधिक गन्ना गुड़ एवं खांडसारी के लिए उपयोग किया जा रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमने एक महीने पहले संभाला समझा था" और तीसरे, चीनी उद्योग स्वयं यह प्रकट करता है कि उनकी फैक्टरियों में गन्ने/चीनी की कम मात्रा में आपूर्ति के कारण चीनी का उत्पादन घटने लगा है। महोदय, खाद्य राज्य मंत्री को दिसम्बर, 1993 में यह कैसे पता चल सकता था कि श्री मुलायम सिंह यादव जनवरी, 1994 में क्या करने वाले हैं? कोई फैसला करने से पहले मैं पूछता हूं कि उपर्युक्त एसोसिएशन को 7 जनवरी 1994 को यह कैसे पता लग सकता है कि जनवरी 1994 के उसी महीने में कुछ दिनों के बाद श्री मुलायम सिंह यादव क्या करने वाले हैं? इससे पहले कि हम चीनी के संकट के लिए उनकी उत्तरदायित्वता स्थापित करने की कोशिश करें अथवा पांच महीनों के बाद हुई घटनाओं के लिए उनको दोषी साबित करने के लिए कोशिश करें, मैं समझता हूं कि हमें चीनी संकट में श्री मुलायम सिंह यादव जी के निर्णय का क्या योगदान रहा है, उसका मूल्यांकन करना चाहिए।

महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी को गलत नहीं समझता और कुछ क्षणों में मैं स्पष्ट करूंगा कि, उस मुद्दे पर मेरे दल की राय कुछ भी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से उस निर्णय का समर्थन क्यों करता हूं। परन्तु, मैं समझता हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चूंकि श्री ज्ञान प्रकाश जी श्री मुलायम सिंह यादव के निर्णय का महत्व एवं उसकी जटिलताओं को समझने में विफल रहे हैं, तथापि हमारे प्रधानमंत्री जी को यह निर्धारित करने से पहले कि खाद्य राज्य मंत्री को क्या दण्ड दिया जाये, इस पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा जिसपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं वह चीनी उद्योग के पक्ष में श्री कल्पनाथ राय की नीति में दिखाई गई प्रत्यक्ष दिलचस्पी से संबंधित है। मैं समझता हूं कि यह बात ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में बार-बार स्पष्ट की गई है। श्री ज्ञान प्रकाश जी ने स्वयं, देश में चीनी की नीति के तीन उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है, एक ऐसी नीति जिसका हर सरकार ने, चले ही वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो, आवश्यक रूप से पालन किया है। पहले, यह कि गन्ना उत्पादन करने वालों को उचित दाम दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव ने इसको प्राथमिकता दी थी। दूसरे, यह कि उद्योग को उचित लाभ मिलने चाहिए जिसे, मैं समझता हूं कि, श्री कल्पनाथ राय जी ने प्राथमिकता दी और तीसरे, लगातार उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी का उपलब्ध होना जो कि स्पष्ट रूप से लगता है कि यह सत्ता की प्राथमिकता है। इसके तीन उद्देश्य हैं। ये उपयुक्त उद्देश्य नहीं हैं। इससे उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता एवं किसानों के हितों के बीच टकराव बना हुआ है। अतः यह हर सरकार के लिए आवश्यक है कि वह हर वर्ष इन तीन प्रतिस्पर्धात्मक मांगों के बीच सन्तुलन बनाये रखें, जिसमें से हर एक मांग महत्वपूर्ण है और जहां प्राथमिकता अभिकथि की बात है।

स्वयं श्री ज्ञान प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 50 में यह स्वीकार किया है कि कभी कोई तर्कसंगत प्रणाली नहीं रही है। ये दो शब्द उनकी रिपोर्ट से लिए गए हैं। किसानों के हितों का उपभोक्ताओं के हितों के साथ तथा व्यापारियों के हितों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कभी भी कोई तर्कसंगत प्रणाली नहीं रही है। यह कोई नई बात नहीं है। हमारी समस्याएं पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी। मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में डा. मनमोहन सिंह, यदि आवश्यक हुआ तो हमें बताएंगे कि अर्थशास्त्र चयन प्रक्रिया पर किस प्रकार आधारित है। जब आपके पास साधन सीमित हों तो आपको वैकल्पिक लक्ष्यों के बीच चुनाव करना होगा। यह अर्थशास्त्र का पहला अध्याय था जो हमें पढ़ाया गया था। हम यह एक समस्या में उलझ गए हैं। आप इन सभी प्रतिस्पर्धा समूहों के हितों में किस प्रकार सामंजस्य करेंगे? मेरा यह सुझाव है कि निःसंदेह इन प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते समय मुझे लगता है कि श्री कल्पनाथ राय ने उपभोक्ताओं के, कम-से-कम उनके एक वर्ग की कीमत पर औद्योगिक उत्पादकों का स्पष्ट रूप से पक्ष लिया है।

अब हमें यह करना है कि वह निर्णय कैसे लें जो प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि वह एक कनिष्ठ मंत्री को सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण जो उनके पूर्व मंत्री भी नहीं कर सके वह कितना दंड देंगे? कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई सहमति नहीं है। यह संतुलन एक मंत्री से दूसरे में बदल जाता है। न तो मोरारजी सरकार ने, न ही वी.पी. सिंह सरकार ने और न ही चन्द्र शेखर सरकार ने हमें ऐसा कोई सूत्र दिया जिसके आधार पर यह संतुलन बनाया जाए। सही संतुलन न बनाने के लिए मैं श्री कल्पनाथ राय को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराता हूं? परंतु उन्हें दोषी ठहराने से पूर्व या यह कहने के पहले कि इस आदमी को दंड दें, मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंड दें कि उनके किसी भी पूर्वाधिकारी को इस गलती के लिए दंड नहीं दिया गया।

अब मैं ज्ञान प्रकाश समिति रिपोर्ट के चौथे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं : वह यह है कि खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आयात को स्वीकृति देने से इनकार किया। चौथा मुद्दा जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वह ज्ञान प्रकाश समिति रिपोर्ट में लगाया यह आरोप है कि श्री कल्पनाथ राय ने आयात को स्वीकृति देने से इनकार किया। अब श्री ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि श्री कल्पनाथ राय की यह अस्वीकृति लिखित रूप से 6 दिसम्बर, 1993 से 24 जनवरी, 1994 तक 49 दिनों के लिए ही लागू थी। श्री कल्पनाथ राय ने आयात को स्वीकृति देने से लिखित रूप से इनकार किया। श्री कल्पनाथ राय 24 जनवरी, 1994 से लिखित रूप से आयात के पक्ष में थे। जितने दिनों वह आयात के पक्ष में थे और जितने दिन आयात का निर्णय नहीं लिया गया और जितने दिनों तक वास्तव में आयात नहीं किया गया। ये सभी उनसे तिगुने दिन अधिक है। जितने दिन उन्होंने किसी भी प्रकार के आयात से लिखित रूप में इनकार किया।

यदि उन्हें दंड दिया जाना है तो मैं समझता हूं कि उन्हें उतने दिनों का दंड दिया जाना चाहिए। जितने दिनों तक उन्होंने आयात को स्वीकृति नहीं दी। यदि उन्हें माफ किया जाना है तो यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि वह उस समय के तिगुने से अधिक समय तक लिखित रूप से आयात के पक्ष में थे।

मैं लिखित और मौखिक के बीच अन्तर पर दबाव इसलिए दे रहा हूं कि श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार श्री कल्पनाथ राय ने आयात का अनियत काल तक विरोध किया। श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार खाद्य राज्य मंत्री जो 9 मार्च, 1994 को हुई बैठक में आयात के प्रति ज्यादा उत्साही नहीं थे। श्री ज्ञान प्रकाश ने, जिनकी रिपोर्ट दोषपूर्ण है और मैं श्री जसवन्त सिंह की बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि भूतपूर्व नियंत्रक तथा महा लेखाकार वह व्यक्ति आईएएएस का है, न कि भारतीय विदेश सेवा का और शायद यही कारण है कि रिपोर्ट में इसी बात का उल्लेख करते हुए अपने शब्दों को बदला। उन्होंने यह नहीं कहा कि खाद्य राज्य मंत्री उत्साही नहीं थे बल्कि कहा कि खाद्य राज्य मंत्री ने काफी विरोध किया। अब हमारे पास ऐसी स्थिति है जिसने सरकार के एक कनिष्ठ मंत्री या तो आयात के प्रति उत्साही नहीं हैं या प्रबल विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसके निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। 9 मार्च 1994 को उनके निर्णय को रद्द कर दिया गया। उनके द्वारा लिखे स्थिति के अनुसार निर्णय लिया गया। यदि मौखिक स्थिति के यह प्रबल विरोधी थे तो यह भारत सरकार का विचार नहीं हो सकता है क्योंकि सीसीपी अन्य दो मंत्रियों ने कहा कि यह उनके अपने विचार हो सकते हैं।

अतः यदि वास्तव में उनके निर्णय को मार्च, 1994 में रद्द किया जा सकता था जो निःसंदेह यह दिसम्बर, 1993 में भी किया जा सकता था। परंतु ऐसा नहीं किया गया और कारण यह था कि आयात का आदेश दिसम्बर, 1993 को उतना स्पष्ट नहीं था जितना मार्च, 1994 को। मैं समझता हूं कि श्री ज्ञान प्रकाश ने सबसे बड़ी गलती यह की कि आयात की योजना में श्री कल्पनाथ राय के महत्व को बढ़ाया। इसे उतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इस सरकार में वह एक कनिष्ठ मंत्री हैं। किसी विशेष समय में वह अपने विचार व्यक्त करते है और आंकड़ों से अपनी बात सिद्ध कर देते हैं लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आयात अत्यन्त ही आवश्यक था। मंत्री परिषद में उनके सहकर्मी विशेष तौर पर मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भी उनका साथ दिया। लेकिन अब यह बात ज्यादा उग्र हो गई कि श्री कल्पनाथ राय के विचार चाहे कुछ भी हों उनके मौखिक राय चाहे कुछ भी हों आयात अनिवार्य हो गया था। श्री कल्पनाथ राय के विचारों को नजरअन्दाज कर दिया गया जैसा कि किसी कनिष्ठ मंत्री के साथ होता है जो अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करता है और ऐसा हुआ।

अंधेरे में तीर मारने के बजाय मैं यह सुझाव देता हूं कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि दिसम्बर, 1993 और मार्च, 1994 के बीच स्थिति में परिवर्तन हुआ था कि नहीं। ऐसी जांच ज्यादा लाभदायक

होगी बनिस्बत इसके कि हम यूं ही तीर चलाएं। निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को सितम्बर, 1994 से मार्च, 1995 के बीच किस स्थिति का सामना करना पड़ा उसमें ये बातें शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रूकिए। क्या अब हमें यह चर्चा जारी रखनी चाहिए?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, महोदय, कल।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस चर्चा को कल जारी रखना चाहेंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : विपक्ष नहीं चाहता कि सरकारी कार्य पूरा हो, शेष अनुपूरक अनुदानों की मांगें पूरी की जा सकती थी। अब वे कुछ और समय भी नहीं बटाना चाहते हैं। महोदय, मुझे कब फिर सरकारी कार्य को पूरा करने की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमने चार बजे तक कुछ नहीं कहा, सरकार को कह दिया था कि चार बजे तक अपना बिजनेस चलाए। ये कैसे कहते हैं कि कोआपरेट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : चार बजे से लगातार भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

6.00 म.प.

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : उन्हें दस मिनट या पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं कर रहा। मैं आपके लिए भी समय निर्धारित नहीं कर रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर सहमत होना चाहिए। श्री मणि शंकर अय्यर को अपना भाषण पूरा करने दें। हम लोग कल बजट अन्य पारित करेंगे और फिर अन्य दूसरे मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आयात के लिए श्री कल्पनाथ राय द्वारा स्वीकृति न देने के मामले में सितम्बर 1993 और मई 1994 के बीच उत्पन्न स्थिति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : सितम्बर 1993 के अन्त तक चीनी का भंडार काफी कम था, सितम्बर 1992 की उसी अवधि से 11 लाख टन कम, अतः मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने स्थिति को देखते हुए इस बात पर विचार किया था। पिछले वर्ष की तुलना में भंडार में कमी के कारण आयात की तत्काल आवश्यकता होगी या नहीं और जैसा श्री ज्ञान प्रकाश ने उल्लेख किया है कि 11 अक्तूबर, 1993 को हुई अपनी बैठक में सी सी पी ने कहा अभी भी कम मात्रा में चीनी आयात की जा सकती हैं। 11 अक्तूबर, 1993 तक कोई भी व्यक्ति मिलियन टन के आयात अथवा 1.5 मिलियन टन आयात के बारे में नहीं सोचता था। वे थोड़े आयात के बारे में सोचते थे और श्री कल्पनाथ राय के पास यह विकल्प था कि या तो वे चीनी की उक्त अपेक्षित मात्रा का आयात करते या सम्भावित कमी अन्य किन्हीं दूसरे तरीके से पूरा करते, वास्तव में उन्हें इस स्थिति का आंकलन करने का प्रयास करना था कि क्या सितम्बर, 1993 के अन्त तक चीनी भण्डार में कमी की स्थिति इतनी गम्भीर हो जाएगी, जिससे यह महसूस होने लगे कि आगामी समूचे वर्ष में चीनी के उत्पादन में कमी आ जाएगी।

अब मान लीजिये कि चीनी का आयात करना ही था तो उसके पश्चात पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक पूरी सूची थी; क्या आयात किया ही जाना चाहिये था। अगर यह आयात किया जाना ही था तो क्या यह चीनी विकास कोष द्वारा वित्त पोषित बफर स्टाक, जो उसी वर्ष बनाया गया था और सितम्बर के अन्त तक समाप्त हो गया था, को भरने के लिए पर्याप्त था दूसरी ओर क्या यह आयात यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी की सप्लाई की जाती है और अगर ऐसा था तो उस राज सहायता की राशि क्या थी जिसे सरकार को अन्य कार्यों से हटाकर सिर्फ चीनी उपभोग में ही लगाना था। अगर यह चीनी आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नहीं था तो क्या खुले बाजार के लिए चीनी आयात करना चाहिये था। अब यदि यह आयात खुले बाजार के लिए था तो उस पर यह देश कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने जा रहा था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी आयात के मामले में विदेशी मुद्रा और बजटीय राजसहायता दोनों प्रश्न शामिल थे, लेकिन खुले बाजार के लिए चीनी आयात करने में विदेशी मुद्रा का प्रश्न ही प्रबल था। 49 दिनों तक इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई कि खाद्य राज्य मंत्री ने आयात के लिए मना किया है। अगर वास्तव में आयात का प्रश्न गंभीर था वो निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों पर मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति तथा सारे देश में 49 दिनों की इस अवधि के दौरान विस्तार से चर्चा की जानी चाहिये थी जब श्री कल्पनाथ राय आयात का अनुमोदन करने से इंकार कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दिसम्बर, 1993 की तरह देश के सामने केवल एक ही विकल्प चीनी की कुछ मात्रा का आयात का था और प्रश्न यह था कि हमारे लिए यह आयात करना आवश्यक था या फिर इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता था? श्री मुलायम सिंह द्वारा लक्ष्य परिवर्तित करने के पश्चात् ही स्थिति बदल गई। उसके बाद इस संबंध में नियम बदलने ही थे। साथ ही मेरे विचार में कम से कम खाद्य राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने काफी सजगता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए लिखित रूप से यह वक्तव्य दिया था "हां, हमें आयात अवश्य करना चाहिये" और क्या आयात किया जाये, कितनी मात्रा में आयात

किया जाये, किसने आयात करना है जैसे मामलों पर मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के सभी तीन सदस्यों की मौजूदगी में ही चर्चा की जा सकती थी, निर्णय किया जाना था।

अब महोदय, श्री कल्पनाथ राय की जिम्मेदारी अथवा दोष पर निर्णय करने से पहले यह नोट करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह 4 फरवरी, 1994, 17 फरवरी, 1994 और 3 मार्च, 1994 की आयोजित तीनों ही बैठकों की बैठकें न होने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। बैठक के लिए श्री कल्पनाथ राय तीनों ही तिथियों को दिल्ली में उपस्थिति रहे। 4 फरवरी, 1994 को निर्धारित पहली बैठक नहीं हो सकी क्योंकि वित्त मंत्री देश से बाहर थे। श्री मनमोहन सिंह बहुत से चमत्कार करने में समर्थ हैं। एक चमत्कार, जो वह नहीं कर सकते, वह यह है कि एक ही समय में वे विदेश तथा भारत दोनों जगह उपस्थिति नहीं रह सकते। जब विदेशी मुद्रा के मालिक और राजसहायता प्रदान करने वाला ही विदेश में हो तो फिर आयात के बारे में सी.सी.पी. की बैठक में निर्णय करने का तात्पर्य ही क्या था? श्री मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में 4 फरवरी, 1994 को सी.सी.पी. की बैठक आयोजित करने का कोई तुक ही नहीं था। 17 फरवरी, 1994 को श्री कल्पनाथ राय और श्री मनमोहन सिंह दोनों ही दिल्ली में उपस्थित थे लेकिन श्री ए.के. एन्टनी नहीं थे। जब श्री ए.के. एन्टनी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारी हैं, जो निर्धन लोगों में चीनी के वितरण संबंधी मामले से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में चीनी के आयात के बारे में सी.सी.पी. की बैठक में चर्चा करना मूर्खता थी। अंततः, 3 मार्च, 1994 को जब सी.सी.पी. की तीसरी बैठक निर्धारित की गई तो उसे भी रद्द करना पड़ा क्योंकि जिनका इसमें अपना कोई दोष नहीं था, बजट में व्यस्त थे। मैंने कहा 'अपनी किसी गलती की वजह से नहीं' क्योंकि वे जनवरी में बजट पेश करना चाहते थे। तत्पपश्चात् वे फरवरी के मध्य में बजट पेश करना चाहते थे। हम ही ने उन्हें फरवरी के अन्त में बजट करने के लिए मनाया। अगर 3 मार्च, 1994 को हमने डा. मनमोहन सिंह के विचार सुन लिए होते तो निश्चित रूप से वे दोष मुक्त हो गये होते। अतः मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। 3 मार्च, 1994 की बैठक न होने के लिए मैं सिर्फ अपने को ही दोषी मान सकता हूं।...**(व्यवधान)** वास्तव में बैठक 9 मार्च, 1994 को हुई थी। मूल्यों सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति की 9 मार्च, 1994 की बैठक के समक्ष जो पत्र था कि वह आयात किस प्रकार किया जाये और किस उद्देश्य के लिए किया जाये इसके बारे में श्री कल्पनाथ राय का एक लिखित प्रस्ताव था। यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था क्योंकि इसने मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सम्मुख अनेक विकल्प पेश किए थे।

इसमें कहा गया था, "हमें या तो सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयात करना चाहिये था" फिर यह कहें, "हम लेवी चीनी के लिए अतिरिक्त मात्रा खुले बाजार से लेंगे और उसके पश्चात् खुले बाजार की उस जरूरत की भरपाई आयातों से कर देंगे?" यह बड़ा अच्छा प्रश्न था; और जटिल भी नहीं था क्योंकि श्री कल्पनाथ राय बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन ये प्रश्न एक ऐसे ग्रुप के सामने पेश किए गये थे जिसमें वित्त मंत्री और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री दोनों का अब, इसके अनुसार...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, उनकी जानकारी का स्रोत क्या है? वह श्री कल्पनाथ राय ने कुछेक दस्तावेजों में जो लिखा, उसकी जानकारी उद्धृत कर रहे हैं। क्या यह जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध है? उनकी जानकारी का स्रोत क्या है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, हरेक शब्द ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट से लिया गया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपका धन्यवाद।

श्री मणि शंकर अय्यर : यहां मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका एक शब्द भी बाहर से नहीं है। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब 9 मार्च, 1994 को मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई तो श्री कल्पनाथ राय ने अपने शब्दों को ही नकार दिया। उन्होंने कहा, "जी नहीं, मैं नहीं आयात चाहता।" और क्या हुआ? श्री कल्पनाथ राय को उनके स्थान पर बिठा दिया गया। उन्हें बताया गया, "ठीक है, आप आयात चाहते हों या नहीं, देश को उसकी जरूरत है?" देश को किसकी जरूरत है? मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या निर्णय किया? उन्होंने कहा, "हम खुले लाइसेंस नीति के अंतर्गत चीनी आयात करना चाहते हैं जिसकी खुले बाजार में आपूर्ति की जायेंगी।" यह निर्णय लिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति के बारे में 9 मार्च, 1994 को कोई निर्णय नहीं लिया गया।

महोदय, यह मुझे पांचवें प्रश्न पर ले आता है, जो मेरे विचार में...

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उसके पश्चात् वाणिज्य मंत्रालय आता है?

श्री मणि शंकर अय्यर : जी नहीं।

महोदय, यह मुझे पांचवें पाइन्ट पर ले आता है जिसका मेरे विचार में, जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं, उससे गहरा संबंध है। हमें यह भेद करना है कि गुड़, खांडसारी और शक्कर की कितनी मात्रा उपलब्ध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितनी मात्रा उपलब्ध है और खुले बाजार में कितनी मात्रा उपलब्ध है।

इस देश के गरीब लोगों की इतनी आय नहीं है कि वे चीनी का उपभोग कर सकें। इस देश का गरीब आदमी या तो चीनी का बिल्कुल उपयोग नहीं करता या फिर गुड़, खांडसारी और शक्कर का प्रयोग करता है। इससे पहले कि विपक्ष या वास्तव में इस सभा का कोई सदस्य मन ही मन खुश होना शुरू कर दे, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम चीनी के उपभोग की बात करते हैं तो उस समय हम निर्धनतम व्यक्ति के उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं।

जी हां, महोदय, गरीबों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी मिल रही है न कि गुड़। इस बात का इस सभा में और निश्चित रूप से ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं

है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी की कीमतों में कोई अत्यधिक अथवा अवांछित वृद्धि हुई थी। जैसा कि श्री जसवन्त सिंह ने कहा है श्री कल्पनाथ राय, जो चीनी के संकट के लिए जिम्मेदार थे तथा इस सरकार के विरूद्ध सिर्फ यह आरोप है कि आप और मुझ जैसे लोगों द्वारा प्रयुक्त की जा रही खुले बाजार की चीनी की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। मध्यम-वर्ग की इन परेशानियों के लिए मेरे लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बहुत मुश्किल है।

जी हां, मध्यम वर्ग का अस्तित्व है। हमें उनकी ओर कुछ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। हम एक समाजवादी दल के रूप में—चाहे डा. मनमोहन सिंह इस शब्द को पसंद करें या न करें—भारत के गरीब लोगों के साथ है। हमारा समर्थन सबसे पहले देश के अत्यधिक निर्धन लोगों के साथ है। हमारी चिंता गुड़ के बारे में है। हम खाण्डसारी के विषय में चिंतित हैं। उसके पश्चात् हम लेवी चीनी के प्रति चिंतित हैं। हमारी संपूर्ण सहानुभूति गरीबों के साथ है। क्या हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो बाजार जाकर खुले बाजार भाव की चीनी खरीदते हैं?

सत्ता पक्ष और विपक्ष के समाजवादी रवैये के बीच विपर्यास पिछले कुछ दिनों में ही देखा गया है। मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता और मैं केवल उस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो श्री ज्ञान प्रकाश ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 63 पर कही है। मैं पृष्ठ 63 से केवल एक वाक्य उद्धृत करता हूं। श्री ज्ञान प्रकाश ने इसमें कहा है :

> "आतंकित होने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि खुली बिक्री की कोई कमी नहीं थी।"

इस सभा के प्रत्येक सदस्य का ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, 9 मार्च, 1994 को सी.सी.पी. को देश की गरीब जनता के लिए नहीं बल्कि पैसे वाले व्यक्तियों के लिए बिना आतंकित हुए निर्णय लेने के लिए कहा गया था। इन परिस्थितियों में श्री ज्ञान प्रकाश ने पृष्ठ 77 पर कहा है :

> "वित्त मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोई अतिरिक्त राजसहायता प्रदान नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्प था।"

उस समय गलती कहां हुई? निश्चित रूप से खाद्य राज्य मंत्री ने यह गलती नहीं की, उन्होंने अपनी इच्छा के विरूद्ध यह कहा कि अमीर उपभोक्ताओं के लिए खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत कुछ चीनी आयात की जाए। गलती वित्त मंत्रालय की है जिसने यह कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अतिरिक्त राजसहायता नहीं दी जाएगी लेकिन प्रधान मंत्री के यह कहने से पहले कि ठीक है हम श्री मनमोहन सिंह को सजा के तौर पर खाद्य राज्य मंत्री बना देते हैं वित्त मंत्रालय यह गलती कर चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह ने इस सभा में 1993-94 के बजट पर बहस के दौरान यह कहा था कि वित्त मंत्री ने रक्षा बजट कम कर दिया है और पिछले वर्ष किए गए इस आश्वासन को वह बजट घाटे को कम करेंगे, पूरा नहीं कर पाए। श्री जसवन्त सिंह की इस पूछताछ के लिए वित्त मंत्री ने कहा "मुझे बजट घाटा कम करना चाहिए और जब मैं रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं कर सकता तब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अतिरिक्त राजसहायता की अनुमति कैसे दे सकता हूं। डा. मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री होते हुए अच्छी तरह जानते हैं कि हम छोटी-मोटी राशि की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि 650 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। वह श्री जसवन्त सिंह को कोई उत्तर नहीं दे पाए। क्या हम सैनिकों को उपस्कर उपलब्ध करवाने के लिए यह 650 करोड़ रुपये व्यय करें जिनके बारे में श्री जसवन्त सिंह ने कुछ नहीं कहा है अथवा यह राशि हम उनके उन विपक्षी मित्रों के लिए खर्च करें अपनी क्षमता से अधिक चीनी लेने क लिए शोर मचा रहे हैं। डा. मनमोहन सिंह को स्वविवेकानुसार इस बारे में निर्णय लेना था, उनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की दो-दो पी.एच.डी. की डिग्रियां हैं। मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है और केवल श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के पास ही उनके बराबर डिग्रियां हैं। डा. मनमोहन सिंह ने अपने स्वविवेकानुसार मार्च, 1994 में यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अतिरिक्त राज सहायता के रूप में वह एक भी पैसा नहीं देंगे।"

9 मार्च, 1994 को डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी' और 22 दिन बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 1 अप्रैल, 1994 को डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि 'नहीं, स्थिति की मांग है कि राजसहायता दी जाए अथवा उस पर किसी ओर दर से राजसहायता देने पर विचार किया जाए।' क्यों? ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि श्री कल्पनाथ राय जी ने वित्त मंत्री को यह कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राजसहायता में वृद्धि करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि श्री कल्पनाथ राय जी को हम किस बात के लिए सजा दें। क्या हम उन्हें इस बात के लिए सजा दें कि वह 9 मार्च, 1994 की बात पर अडिग थे अथवा वह अप्रैल, 1994 की अपनी बात पर दृढ़ थे अथवा इस बात के लिए कि उन्होंने यह सोचा कि वह गरीबों की सहायता कर सकते हैं अथवा अमीर व्यक्तियों को भी कुछ असुविधा हो? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। शायद प्रधान मंत्री के पास इसका उत्तर हो। मेरे विचार से वह यह निर्णय लेने से पहले कि किसे, कैसे, किस बात के लिए सजा दें इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

श्री सौफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह स्वयं को सजा देंगे!

श्री मणि शंकर अय्यर : अब मैं ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित छठे मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं जो 9 मार्च, 1994 के बाद लिए गए आयात संबंधी निर्णय को लागू करने में विलम्ब के बारे में है।

श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत आयात करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। 9 मार्च को यही

निर्णय लिया गया था कि आयात खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत प्राइवेट व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई। 12 मार्च, 1994 को अधिसूचना जारी की गई और 15 मार्च, 1994 को खाद्य राज्य मंत्री ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था। इस प्रकार खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत आयात में विलम्ब होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जहां विलम्ब हुआ वहां श्री ज्ञान प्रकाश जी ने पूरे विस्तार से अध्ययन किया और जांच की कि क्या सरकार की ओर से आयात में विलम्ब हुआ था। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ही आयात करना चाहती है ताकि चीनी बाजार में आ सके। आयात में विलम्ब सरकार की ओर से हुआ था। सरकार की ओर से आयात राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा किया जाना था। राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम सरकार के अंग हैं और डा. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए इस दौर में उनको दोहरा दायित्व दिया गया है जो कभी-कभी एक-दूसरे के विपरीत हो जाता है। एक ओर उन्हें कहा जाता है कि 'हम आपका कार्यनिष्पादन आय द्वारा अर्जित लाभ से देखेंगे और दूसरी ओर उन्हें कहा जाता है कि वह सामाजिक उद्देश्य क लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी नई आर्थिक नीति में दोनों के बीच विरोधाभास का हल नहीं दिया गया है। चूंकि हम उस नए दौर में रह रहे हैं जिसमें लोगों का कार्यनिष्पादन उनके द्वारा अर्जित लाभ से आंका जाता है, यह हैरानी की बात नहीं है कि राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम की अपनी सीमाएं हैं जिनमें केवल सरकार की ओर से आयात करना ही नहीं है बल्कि ऐसी स्थिति में कार्य करना है जब किसी राजसहायता का आश्वासन नहीं है। वे नहीं जानते कि यदि वे कार्यवाही करेंगे और उससे हानि होगी तो क्या उसका दायित्व कोई और लेगा। मेरे विचार से राज्य व्यापार निगम ने इसी कारण कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन खनिज और धातु व्यापार निगम अधिक समय तक रुका नहीं रहा। श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार खनिज और धातु व्यापार निगम ने दस कारगो के लिए अनुबंध किया जिसके अनुसार 130,000 टन चीनी इस संकट से पहले ही आनी थी और इस प्रकार यह चलता जाना था। श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार साढ़े चार लाख टन का अनुबंध था। राज्य व्यापार निगम इससे पीछे हट रहा था और इसका कारण था वह पार्टी न केवल पूर्ण उपयुक्त थी बल्कि इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी शामिल था। वह नीतिगत निर्णय 1 अप्रैल, 1994 को लिया गया था जब डा. मनमोहन सिंह ने यह निर्णय लिया कि श्री जसवन्त सिंह के प्रति उनका दायित्व इस देश की 90 करोड़ जनता से कम है।

1 अप्रैल, 1994 से 8 अप्रैल, 1994 के बीच यह निर्णय लिया गया कि राजसहायता संबंधी प्रश्न की जांच की जाएगी और इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा राज्य व्यापार निगम को फिर से आयात करना चाहिए। राज्य व्यापार निगम कायरतापूर्ण व्यवहार करते हुए यह आयात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए प्रधान मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा 18 अप्रैल, 1994 को एक बैठक बुलाई जिसमें राजसहायता के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया लेकिन यह कड़े आदेश दिए गए कि आयात किया जाए। राज्य व्यापार निगम ने आयात में इसलिए विलम्ब किया अन्यथा और कोई कारण नहीं था। धातु और खनिज व्यापार निगम ने कोई विलम्ब नहीं किया। राज्य व्यापार निगम ने आयात में 31 दिन का विलम्ब किया। 18 अप्रैल से 19 मई, 1994 तक राज्य व्यापार निगम ने सी.सी.पी. और प्रधान मंत्री के अनुदेशों के बावजूद आयात के लिए कोई कदम नहीं उठाए। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात न करने के लिए श्री कल्पनाथ राय जी के दायित्व या दोष को मानने के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी सरकार में यदि एक विभाग का एक कनिष्ठ मंत्री उस संगठन को अनुदेश देता है जो किसी अन्य मंत्रालय के वरिष्ठ केबिनेट मंत्री के अधीन है, तो क्या कार्यवाही की जाएगी।

ऐसा मामला होने के बावजूद निश्चय ही मैं नहीं समझता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए विलम्ब के लिए भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच सकती है। हम भारत सरकार अर्थात नरसिंह राव जी तथा उनके साथियों पर पूर्णतः असफल होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं—जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं? हम अब एक तुच्छ से प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण लिए बिना कुछ सौ हजार टन के लगभग आयात किया गया था अथवा नहीं। इसमें भ्रष्टाचार का प्रश्न कहां है? मुझे ऐसा लगता है कि राज्य व्यापार निगम अक्षम है अथवा इससे भी बुरी स्थिति में है। और इस पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हम कार्यवाही न करने के लिए अपने मंत्रियों की भर्त्सना कर सकते हैं। लेकिन जबकि श्री प्रणव मुखर्जी 'गेट' पर हस्ताक्षर करने और विश्व व्यापार निगम का सदस्य बनने के सिलसिले में विपक्ष के प्रहारों का सामना कर रहे हैं यदि वे अनुपयुक्त समय लगा रहे हैं और वे वह कर रहे हैं जो कि राज्य व्यापार निगम के उपप्रबंधक को करना चाहिए तो मुझे इस बात पर आश्चर्य होगा कि श्री प्रणव मुखर्जी पूर्णतः योग्य हैं अथवा नहीं! न कि अन्यथा।

अब महोदय मैं इस मुद्दे को भी प्रधान मंत्री के निर्णय के लिए छोड़ता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम में कुछ गलत था, किसे जिम्मेवार समझना चाहिए और उनको कितनी सजा देनी चाहिए।

अब मैं इन नौ मुद्दों में से सातवें मुद्दे पर आता हूं जो कि कीमतों के प्रश्न के संबंध के बारे में है और गोपनीयता के सम्बद्ध प्रश्न के बारे में है। मैं समझता हूं कि इसमें हुई हानि का पता लगाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सभा में आरोप लगाए गए हैं कि देश ने दस हजार करोड़ रुपये गंवा दिए हैं और यह घोटाला प्रतिभूति घोटाले से भी बड़ा है और जो सरकार दो साल के अन्दर दो घोटाले होने दे सकती है उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

अब, मैं समझता हूं, हमें इस पर विशेष महत्त्व देने की आवश्यकता है। मैं एक रुपए की हानि के लिए भी सरकार को जिम्मेवार ठहराता हूं। मैं उन्हें वित्तीय हानि के लिए दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि क्या हानि दस हजार करोड़ तक की है अथवा इसकी अपेक्षा कुछ कम है।

श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. द्वारा 42 करोड़ रु. की राशि के बराबर हानि हुई और एस.टी.सी. तथा एम. एम.टी.सी. द्वारा निजी व्यापार और आयात के कारण उपभोक्ताओं को 150 करोड़ रु. की हानि हुई। इस परिपेक्ष्य को ध्यान में रखें। मैं यह कह रहा हूं कि एक सौ पचास करोड़ रु. बहुत होते हैं तथा इसके साथ ही गणितीय तर्क के अनुसार भी 150 करोड़ रु. दस हजार करोड़ रु. नहीं हो सकते हैं।

तत्पश्चात् महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इसके लिए निर्धारित सजा की मात्रा को वास्तविक हानि के आधार पर निर्धारित करना चाहिए, न कि विपक्ष के हमारे मित्रों द्वारा सरकार पर लगाए गए बढ़ा-चढ़ा कर तथा काल्पनिक हानि के आधार पर। अब, क्या श्री ज्ञान प्रकाश जी द्वारा इस हानि के लिए एक मंत्री को जिम्मेवार ठहराना न्यायसंगत है? अथवा यह जिम्मेवारी बंट गई है? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने ऐसा क्यों किया?

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐसी जिम्मेवारी थी जो कि बंट गई थी। यह जिम्मेवारी केवल केन्द्र सरकार के बीच नहीं बंटी थी बल्कि यह प्रथा केन्द्र-राज्य संबंधों के बीच की प्रणाली में भी चली आ रही थी, जहां राज्य सरकार बिना किसी के परामर्श के एक ही निर्णय द्वारा चीनी बाजार में बदलाव ला सकती है। यदि श्री मुलायम सिंह यादव न होते तो और संकट उत्पन्न हो जाता ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट सही नहीं है?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माजरत चाहता हूं। मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, वह समझे तो ठीक है, नहीं तो खुद जाकर उस रिपोर्ट को पढ़ लें।

श्री राम विलास पासवान : हम इसे समझ रहे हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दायित्व के बंटवारे के अतिरिक्त...**(व्यवधान)**

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है?

श्री चेतन पी.एस. चौहान: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है?

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान : कोई भी रूल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप अपना वक्तव्य जारी रखिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मूल्यों के मुद्दे से संबंधित गोपनीयता का प्रश्न है। अब श्री ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट के पृष्ठ 24 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दो मुख्य गलतियां की गई हैं जिसने विश्व बाजार को चीनी बाजार में हमारे प्रवेश के संबंध में सतर्क कर दिया था।...**(व्यवधान)**

कृपया सुनिए कि यह क्या हैं।

श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार भारत सरकार की प्रथम गंभीर गलती। 2 मार्च, 1994 को खुले सामान्य लाइसेंस द्वारा आयात अधिसूचना जारी करना और दूसरी गंभीर गलती यह थी कि 15 मार्च, 1994 को इस सदन में खाद्य राज्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि हम आयात करेंगे।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि हम भारत सरकार को कैसे सम्मान देते यदि वे खुले सामान्य लाइसेंस द्वारा आयात को अधिसूचित करने में आजकल रहती? यदि श्री कल्पनाथ राय सदन में भारत सरकार के इतने बड़े निर्णय की सूचना न देते तो क्या हम उन्हें बख्स देते? यह श्री ज्ञान प्रकाश जी हैं जो कि कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण सार्वजनिक अधिसूचना तथा सार्वजनिक वक्तव्य को मानते हैं।

हम एक ही समय में तानाशाही तथा प्रजातंत्र दोनों को नहीं चला सकते हैं। यदि हम यह निर्णय लेते हैं कि वस्तुओं का आयात खुले सामान्य लाइसेंस द्वारा किया जायेगा तो यह बात देश के प्रत्येक व्यापारी को बतानी पड़ेगी और यह उनको सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा बताई जायेगी और मैं नहीं समझता कि हम लोकतंत्र को तथा इस लोक सभा को चला सकते हैं जब तक कि मंत्री यहां नहीं आयेंगे और महत्त्वपूर्ण नीतिगत घोषाणाएं नहीं करेंगे। ऐसा करना उनका कर्त्तव्य है। यह सही है कि श्री कल्पनाथ राय ने जब वह वक्तव्य दिया तो वह अपने कर्त्तव्य पालन के सिवाय कुछ और नहीं कर रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने 15 मार्च, 1994 को सभा की कार्यवाही के समय, देखा कि श्री कल्पनाथ राय जी के बोलने से एक घंटा पहले और उनके बोलने के एक घंटा बाद निम्नलिखित सदस्यों ने सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया :

श्री/सर्वश्री अमल दत्ता, तेज नारायण सिंह, राम नाईक, चित्त बसु, शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, निर्मल कान्ति चटर्जी, असीम बाला, नीतीश कुमार और वी. धनंजय कुमार।

महोदय, ये सब सभा के सम्माननीय सदस्य हैं और बोलने वाले सदस्य हैं और आपकी अनुमति से यदि मैं यह कहूं कि जब श्री

कल्पनाथ राय जी ने वह ऐतिहासिक निर्णय दिया उस समय ये सदस्य सभा के अन्दर अथवा इस परिसर के आस-पास उपस्थित थे। श्री ज्ञान प्रकाश जी के अनुसार इस निर्णय ने विश्व बाजार को सावधान कर दिया और कीमतें बढ़ा दीं। इनमें से किसी ने भी विरोध प्रकट नहीं किया। विरोध प्रकट न करने पर मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूं। वे विरोध कैसे करते, जब भारत का बाजार में प्रवेश हुआ तो कीमतें बढ़ गईं। यह श्री ज्ञान प्रकाश जी ने अपनी रिपोर्ट के आरम्भ में कहा है कि भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बल्कि विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। हमने बाजार में प्रवेश किया। जब विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता बाजार में प्रवेश करता है तो कीमतें कैसे न बढ़ें? यह सुझाव देना सही नहीं है कि कीमतें बढ़ने का कारण कुछ अधिकारियों, कुछ मंत्रियों अथवा कुछ संसद सदस्यों द्वारा असावधानी बरतना है।

यह सब चीजें बाजार में हैं। यह बात सार्वजनिक जानकारी में थी, चीनी के मामले में रूचि लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह मालुम था कि जनवरी। 1994 में जब श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि चीनी के स्थान पर गुड़ और खांडसारी बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो भारत में चीनी की कमी हो सकती है। फरवरी माह से यह भी मालुम था कि मंत्रिमंडल द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। मुझे बहुत हैरानी होगी यदि हमारा समाज इतना शांत होगा कि व्यापारियों को बैठकों के स्थगित हो जाने के बारे में भी नहीं मालुम हो जो कि उनके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए यह बात लीक नहीं हो पाई जो शायद ही हुआ हो अथवा न भी हुआ हो जो कि कीमतें बढ़ने के लिए जिम्मेवार थीं।

कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि विश्व का सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता ने आयात बाजार में प्रवेश किया और प्रवेश उस समय किया जबकि सरकार के अन्तर्गत ही बड़े पैमाने पर आयात करने के लिए जोरदार दबाव था।

मई के बाद इण्डिया टुडे और फ्रंटलाइन जैसी मध्य वर्गीय पत्रिकाओं ने लोगों की मांग को जोर-शोर से उठाया, जिसे ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है कि खतरनाक त्रासदी इस देश को घेर रही थी। मेरे कुछ सम्पादकों की इस समस्या को मानना अत्यन्त कठिन है कि उन्होंने चीनी खरीद को देश की मुख्य समस्याओं के बराबर माना है। मैं इस देश में वास्तव में किसी ऐसे गरीब आदमी को नहीं जानता हूं जो "गुड़" की कीमत के बारे में शिकायत कर रहा है। मैं इस देश के किसी वास्तविक गरीब आदमी को नहीं जानता हूं जिसने वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही चीनी की कीमत के बारे में शिकायत की हो। मैं तो यह जानता हूं कि यह छोटा सा मुखरित मध्य वर्ग जिसका प्रवक्ता विपक्ष है वह मई, 1994 में चीनी का बाजार जनवरी, 1994 के बाजार भाव की तुलना में पांच प्रति किलोग्राम से अधिक होने की चीख पुकार कर रहा है।

श्री श्रीकान्त जेना : चूंकि आपने विपक्ष पर आरोप लगाया है इसलिए मैं स्पष्टीकरण दूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं अपनी बात समाप्त कर सकता हूं? ठीक है। वह श्री जेना हैं और.....नहीं** अतः हम उनकी बात सुन सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : जनवरी, 1994 में प्रधान मंत्री कार्यालय ने प्रधान मंत्री की अनुमति से खाद्य विभाग को एक टिप्पण भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि कीमतें बढ़ रही हैं और चीनी 10-12 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर मिलेगी। यह पत्र प्रधान मंत्री ने स्वयं खाद्य विभाग को लिखा था। अतः परिणामस्वरूप विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री इस बारे में स्वयं चिन्तित थे और इस चिन्ता से जनवरी में ही मुलायम सिंह के उस वक्तव्य से पहले खाद्य विभाग को अवगत करा दिया था।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको उस मुद्दे को विस्तार देने की जरूरत नहीं है मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : आप विपक्ष के माध्यम से प्रधान मंत्री पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप प्रत्यक्ष रूप से उन पर आरोप लगाइए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने खाद्य विभाग को सतर्क किया था। महोदय, क्या मैं अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का एक प्रश्न है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर ने यह कहते हुए भी....का हवाला दिया है कि वह माननीय सदस्य श्री जेना हैं श्री ...नहीं, मैं समझता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे खेद है। मैं श्री कापसे की विनोदशीलता की कमी के लिए अपने आपको जिम्मेदार, उत्तरदायी या दोषी नहीं ठहरा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी हमें यह देखना होगा कि कार्यवाही वृत्तान्त से क्या निकालना है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं कह रहा था कि चूंकि हम सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बाजार की जानकारी हुए बिना और उससे मूल्य वृद्धि हुए बगैर हम बाजार में प्रवेश करें। मैं श्री जसवन्त सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने हस्तक्षेप में कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा उद्धरण सही है, इसे रिकार्ड से देखा जा सकता है—कि "भारत के बाजार में प्रवेश करने पर कीमतें प्रभावित होना अवश्यंभावी हैं।" एक बुद्धिमान व्यक्ति ने निर्णय लिया, उनकी बात पूरी तरह से ठीक है। भारत के बाजार में प्रवेश करने पर कीमतें बढ़ना अवश्यंभावी है। अब मैं प्रधान

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मंत्री जी से यह पूछता हूं कि कीमतों और गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायित्व और दण्ड की सीमा निर्धारित करते समय उन्हें इन सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने आठवें प्रश्न पर आता हूं।

मेरा आठवां प्रश्न...**(व्यवधान)**... के संबंध में है। मैं शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं कि मुझे केवल दो प्रश्न और पूछने हैं। मैं आप से याचना करता हूं कि आप मेरा भाषण पूरा होने दीजिए।

ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि फ्रीसेल मार्किट के लिए चीनी निरन्तर रूप से जारी नहीं की गई। अब मैं समझता हूं कि विभाग द्वारा मई में की गई सिफारिश की तुलना में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है, यद्यपि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में कोतूहलवश जून लिखा गया है लेकिन मैं समझता हूं कि वह टंकन में हुई गलती है। मुझे संदेह है कि श्री कल्पनाथ राय जी ने गुस्से में 19 मई, 1994 को, क्योंकि तिथि वही है जिस दिन उन्होंने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी—उनके विभाग द्वारा चीनी जारी करने के सुझाव में से 2.25 लाख टन चीनी की कटौती कर दी। अब उन्होंने उस बाजार के लिए 2.25 लाख टन चीनी की उपलब्धता कम कर दी जिसकी वार्षिक खपत 120 लाख टन है। महोदय, मैं गणित में कुछ कमजोर हूं, लेकिन जहां तक मैं हिसाब लगा सकता हूं उनके निर्णय से बाजार में चीनी की उपलब्धता 0.025 प्रतिशत प्रभावित हुई। अतः मेरा सुझाव है कि श्री कल्पनाथ राय जी को विपक्ष द्वारा मांग किए जा रहे दण्ड का 0.025 प्रतिशत दण्ड दिया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम प्रश्न भारतीय खाद्य निगम की गड़बड़ी के बारे में है। इस बात में कोई संदेह नहीं है और रिकार्ड से यह बात स्पष्ट है कि जिस स्थिति में राज्य व्यापार निगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से इन्कार किया, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, सी.सी.पी. और प्रधान मंत्री की विशेष हिदायतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इन्कार कर दिया, तो प्रधान मंत्री और खाद्य राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में एक निर्णय लिया गया था और वह निर्णय भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षित आयात के लिए कहना था। रिकार्ड से पता चलेगा कि यह निर्णय 15 और 19 मई के बीच लिया गया था, जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने बताया है कि यह निर्णय काफी हड़बड़ी में लिया गया था। अब जबकि यह घटनाएं हो रही हैं, श्री कल्पनाथ राय जी, जिन्होंने सोचा कि वह दिल्ली से बाहर जा सकते हैं, जबकि प्रधान मंत्री जी अतमा अता या अन्यत्र जहां कहीं भी वह गए हों, उन्होंने इस बात का पता लगाया कि नौकरशाह उनकी अनुपस्थिति में यह सब कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि यदि मई, 1994 तक इन बातों, जिनके लिए मेरी बिरादरी पिछले डेढ़ सौ वर्षों से कार्य कर रही है का पता नहीं चला तो इसका मतलब यह है कि कल्पनाथ राय जी कल ही जन्मे हैं। यह सब बातें हुई। लौटने पर उन्होंने भारतीय खाद्य निगम की निविदा निरस्त कर दी। लेकिन कल्पनाथ राय ने फाइल में जो वृत्तान्त दर्ज किया, श्री ज्ञान प्रकाश जी ने उसे उद्धृत किया है। महोदय, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि क्या ज्ञान प्रकाश ने उनके पूरे टिप्पण को उद्धृत किया है, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि जो वाक्य उद्धृत किए गया है वह संदर्भ से बाहर है, लेकिन मैं यह बताने की स्थिति में हूं कि इस संबंध में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में श्री कल्पनाथ राय जी द्वारा लिखे गए वाक्यों के अलावा और किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं उन वाक्यों को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये बातें अब सबको मालूम हो गई हैं।

श्री कल्पनाथ राय ने भारतीय खाद्य निगम की निविदा को निरस्त करने के बारे में कहा कि "मैं इस अंतिम समय में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात के पक्ष में नहीं हूं जबकि राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम पहले से ही उस बाजार में हैं। भारतीय खाद्य निगम के उस बाजार में प्रवेश से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाएंगे जो राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।" "मैंने यह रिपोर्ट के पृष्ठ 29 से उद्धृत किया है।"

अब मैं इसे उतने ही धीरे से पढ़ूंगा शायद जितने धीरे से श्री कल्पनाथ राय जी के मन में विचार आए। वह कहते हैं कि "मैं इस विलम्बित समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात किए जाने के पक्ष में नहीं हूं।" उन्होंने सिद्धान्ततः इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने लिखित टिप्पण में एक बहुत व्यावहारिक आधार पर इसका विरोध किया कि वह इस आखिरी समय पर भारतीय खाद्य निगम को इस काम पर लगाने के पक्ष में नहीं हैं जिसमें निश्चित रूप से काफी विलम्ब हो चुका था। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि धातु और खनिज व्यापार निगम ने 1,30,000 टन के लिए पहले ही ठेका दे दिया है और धातु और खनिज व्यापार निगम साढ़े चार लाख टन का और ठेका देने वाला था और राज्य व्यापार निगम अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त चीनी के आयात में लगा हुआ था। श्री कल्पनाथ राय ने कार्यवाही को कम करते हुए उन्होंने इस विलम्बित समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात का विरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने इन शब्दों के साथ "इस विलम्बित समय पर" का अर्थ बदल दिया कि "जब राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम पहले से ही उस बाजार में हैं", क्या यह कहना समझदारी की बात नहीं है कि... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवृत्तांन्तेतर।

(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : इसमें इतना बड़ा धातु और खनिज व्यापार निगम है, इतना बड़ा राज्य व्यापार निगम है। अब इतने बड़े भारतीय खाद्य निगम को इसमें क्यों रखा गया है? क्या टिप्पणी सही है?

वह यह कहते हुए इस बात का अनुकरण करते हैं कि वह भावी पीढ़ियों के लिए इसे स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि शायद वह सहज रूप से यह जानते थे कि कोई ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति यह पता

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लगाने के लिए घात लगाए है कि वह कितना दोषी है, कितना उत्तरदायी एवं जिम्मेदार है, उनका कहना है कि "उसी बाजार में भारतीय खाद्य निगम के प्रविष्ट होने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी।" उन्हें आयात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से चिन्तित न होने का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? यही वह व्यक्ति है, जो भारतीय खाद्य निगम की संविदा रद्द करने संबंधी निर्णय के बारे में यह दलील देते हैं कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जायेंगी-निस्संदेह इससे ये कीमतें बढ़ी भी—तत्पश्चात् वह यह कहते हैं कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। श्री कल्पनाथ राय जी उत्तर प्रदेश के हित की बात नहीं करते हैं। वह चीनी के बड़े व्यापारियों के हित की बात नहीं करते हैं। वह घोसी की भी बात नहीं करते हैं। वह श्री कल्पनाथ राय के हित की बातें नहीं करते हैं। वह राष्ट्र हित की बात करते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जहां दो दिग्गज पहले ही कार्यरत हों, उसी बाजार में किसी तीसरे दिग्गज को लाने से हमारा कौन-सा राष्ट्रीय हित सधता है अथवा सहायता मिलती है या संभावना बढ़ती है।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि श्री कल्पनाथ राय एवं सरकार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध इन सभी नौ आरोपों को अत्यन्त गंभीर रूप से लें, जैसा कि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट में उल्लिखित है, लेकिन इसके साथ ही वह यह भी स्वीकार कर लें कि उसी ज्ञान प्रकाश द्वारा अनेक ऐसे तथ्यों-न कि मतों-को प्रस्तुत किया है, जो हमें आत्म मनन करने को मजबूर करते हैं कि श्री कल्पनाथ राय एवं उनके साथियों की प्रशासनिक उदासीनता की सही हद क्या है; इन लोगों का आपराधिक दोष क्या है तथा तत्पश्चात यही बात सामने आयेगी कि ऐसी किसी गलती को पाप कहना न्योयोचित अथवा उचित होगा और श्री पी.वी.नरसिंह राव का अंतःकरण इस संबंध में क्या गवाही देता है, यदि मात्र इसलिए चूंकि विपक्ष उन्हें जल्लाद बनने के लिए कहता है, तो वह जल्लाद बनाना शुरू कर देते हैं। मुझे प्रधान मंत्री पर विश्वास है। जैसा कि श्री जसवंत सिंह जी ने कहा है कि वह एक अन्यंत अनुभवी, बुद्धिमान एवं ईमानदार व्यक्ति हैं; वह इस सभा में चर्चा के लोकतांत्रिक आधार पर सही निर्णय लेने में सक्षम हैं। अब इन चर्चाओं में एक विपक्षी दल का सदस्य तथा सत्तापक्ष का एक सदस्य शामिल होता है तथा चर्चा चलती रहनी चाहिए। जैसे प्रधान मंत्री का मन खुला है, हमारा मन भी उतना ही खुला है तथा अब से एक सप्ताह बाद इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया जायेगा। प्रधान मंत्री हमें क्रिसमस का तोहफा नहीं दे पाये हैं लेकिन उन्होंने हम सभी को नव वर्ष का तोहफा देने का वायदा किया है।

अध्यक्ष महोदय : सभा 21 दिसम्बर, 1994 को समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

06.46 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 दिसम्बर, 1994/ 30 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।